

00096



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2008-09 की संख्या - 1

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2008-09

मूल्य: देश में : 65.00 रुपये
विदेश में : 5 अमरीकी डालर
(डक खर्च/वायुमेल सहित)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन


मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2008-09 की संख्या - 1



विषय सूची

	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
विशिष्टताएं	iii
अध्याय	विषय
1.	संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन 1-12
2.	लेखे पर टिप्पणियां 13-35
3.	संसाधन: प्रवृत्तियां तथा संरचना 36-55
4.	संसाधनों का उपयोग: व्यय 56-76
5.	घाटा: राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन 77-84
6.	राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन 85-95
7.	विनियोग लेखे 2008-09: प्रस्तावना 96-99
8.	विनियोग लेखे 2008-09: एक विश्लेषण 100-116
9.	चयनित अनुदानों की समीक्षा 117-134
10.	सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन : सारांश 135-139
	परिशिष्ट सूची 141-142
	परिशिष्ट 143-223
	शब्दावली 224-228



प्राक्कथन

मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। संघ सरकार के लिए, स्वायत्त निकायों, रक्षा सेवाएं-सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं-वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।



संघ सरकार की वित्त व्यवस्था एवं लेखे: 2008-09

यह प्रतिवेदन संघ के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर चर्चा करता है तथा वर्ष 2008-09 के लिए संघ सरकार के वित्त व्यवस्थाओं का विश्लेषण भी करता है। इसमें विनियोग लेखे 2008-09 का विश्लेषण भी शामिल है।

विशिष्टताएं

क. संघ सरकार के लेखों पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियाँ

- वर्ष 2008-09 के लिए, संघ सरकार ने राज्य सरकार के बजट के बाहर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे 83,224 करोड़ रू. की केन्द्रीय योजनागत सहायता का अंतरण किया। सरकारी लेखों के बाहर अनुरक्षित इनके लेखों में अव्ययित शेषों की कुल राशि अनिश्चय है। लेखों में उस सीमा तक प्रदर्शित सरकारी व्यय को अधिक बताया गया है।

(पैरा 2.2)

- लेखों के 29 मुख्य शीर्षों (जो सरकार के कार्यों को प्रस्तुत करते हैं) के अन्तर्गत 28,483 करोड़ रू. को संघ सरकार के वित्त लेखों में 'अन्य व्यय' के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो इन लेखों में अपारदर्शिता के सार्थक अंश को दर्शाते हुए संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक बनता है। यद्यपि, अंतरिम मापदण्ड के रूप में, महानियंत्रक लेखा (म.नि.ले.) ने लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत सम्मिलित महत्वपूर्ण व्यय के ब्यौरे देते हुए वित्त लेखों में फुट नोट डाले हैं, लेकिन लेखे के नए शीर्षों को खोलने तथा लेखे के अप्रयुक्त शीर्षों को बन्द करने के माध्यम से सरकार की वर्तमान गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए लेखों की पुनःसंरचना को, नियमित आधार पर समस्या का निदान करने हेतु, सरकार द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(पैरा 2.3)

- संघ वित्त लेखे 2008-09 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जबकि भारत की संचित निधि (भा.सं.नि.) के अंतर्गत राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) की पोर्टफोलियों प्रबंधन योजना (विवेकाधीन प्रकार) से 84.81 करोड़ रू. की आय को आय के रूप में प्रदर्शित किया गया था फिर भी निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के उल्लंघन में भा.सं.नि. से आय के अंतरण को अंकित करने के लिए लोक लेखे में मुख्य शीर्ष '8453-रा.नि.नि. का आय एवं व्यय लेखा' नहीं खोला गया है।

(पैरा 2.4)

- सर्वभौम सेवा बाध्यता निधि के अंतिम शेष को 18,193 करोड़ रू तक कम बताया गया है। 2002-03 से 2008-09 के दौरान 26,164 करोड़ रू का कुल सर्वभौम सेवा उदग्रहण एकत्रित किया गया था परन्तु इस अवधि के दौरान निधि में से केवल 7,971 करोड़ रू का संवितरण किया गया था। इस प्रकार, भारत के लोक लेखे में शीर्ष 8235- सामान्य एवं आरक्षित निधियां, 118-सर्वभौम सेवा बाध्यता के अंतर्गत दर्शाए शून्य शेष के प्रति 31 मार्च 2009 को निधि का अंतिम शेष 18,193 करोड़ रू होना चाहिए।

(पैरा 2.4)

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.), पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पें.नि.वि.प्रा.), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (के.वि.नि.आ.) तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पै.प्रा.गै.नि.बो.), सांवैधानिक प्रावधानों एवं वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में मार्च 2009 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों आदि के माध्यम से सृजित कुल 1,747.37 करोड़ रू की अपनी अधिशेष निधियों को सरकारी लेखों से बाहर रख रहे थे।

(पैरा 2.5)

- 2008-09 के दौरान कुल 5,785.36 करोड़ रू की आयकर वापसियों पर ब्याज पर व्यय को संघ सरकार के लेखों में संघ सरकार के राजस्व में कटौती के रूप में लेखांकित किया गया था। ऐसे लेखांकन समायोजन न केवल लेखांकन नियमों के प्रतिकूल है बल्कि इनका परिणाम बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर व्यय करने में भी हुआ। परिणामस्वरूप, व्यय के साथ-साथ वर्ष 2008-09 के लिए संघ सरकार के राजस्व को संघ सरकार के लेखों में 5,785.36 करोड़ रू तक कम बताया गया था।

(पैरा 2.6)

- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने आयकर कल्याण निधि (आ.क.नि.) का सृजन किया तथा पिछले तीन वर्षों से निधि को 100 करोड़ रू का अंतरण किया, जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इस आधार पर सहमति नहीं दी गई थी कि निधि द्वारा आवृत्त की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल किया जा सकेगा तथा इसे सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए।

(पैरा 2.7)

- पूंजीगत वर्ग से राजस्व वर्ग को या प्रतिक्रम निधियों का पुनर्विनियोग वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.), 1978 के नियम 10 के अंतर्गत अनुमत नहीं है। जल संसाधन मंत्रालय ने वि.श.प्र.नि. के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में अनुदान के पूंजीगत (योजनागत) वर्ग से राजस्व (गैर-

योजनागत) वर्ग को 14.23 करोड़ रू की निधियों का 31 मार्च 2009 को एक पुनर्विनियोग आदेश जारी किया।

(पैरा 2.9)

- मार्च 2009 तक वाणिज्यिक अथवा अर्द्धवाणिज्यिक प्रकृति के 43 विभागीयस्तर से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों में से 29 उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे एक से चौबीस वर्षों के बीच की अवधि के लिए बकाया थे।

(पैरा 2.10)

- सरकारी लेखों में उचन्त शीर्षों को प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए परिचालित किया जाता है जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। 31 मार्च 2009 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार को सम्मिलित करते हुए, संघ वित्त लेखे में उचन्त शीर्ष के अंतर्गत कुल निवल शेष 18,880.85 करोड़ रू (डेबिट) था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008-09 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों में प्रतिकूल शेष के 64 मामले थे। इनमें से, 16 प्रतिकूल शेष 10 वर्षों से अधिक से लम्बित थे।

(पैरा 2.14.1 एवं 2.14.2)

- आर्थिक सहायताओं, प्रतिबद्ध देयताओं, ऋण एवं अन्य देयताओं की पुनर्भुगतान अनुसूची, वित्तीय परिसम्पत्तियों में सहवर्धन या अपवर्धन, वेतनों पर व्यय, पेंशन, अनुरक्षण आदि के प्रकटीकरण पर आठ अतिरिक्त विवरणियों को बारहवें वित्त आयोग द्वारा नवम्बर 2004 के अपने प्रतिवेदन में अनुशंसित किया गया तथा सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत को वित्त लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(पैरा 2.1)

- वर्ष 2008-09 के दौरान, सिविल मंत्रालयों के कुल संवितरण 31,49,073 करोड़ रू थे जिसमें से 24,04,957 करोड़ रू भारत की संचित निधि पर प्रभारित थे जो कुल संवितरण का 76 प्रतिशत बनता था। चूंकि प्रभारित संवितरण संसद द्वारा दत्तमत के तहत नहीं है इसलिए संसद द्वारा प्रभावी रूप से वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश कुल संवितरण के लगभग 24 प्रतिशत तक सीमित है।

(पैरा 7.8 एवं 7.9)

- संविधान के अनुच्छेद 114(3) के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए विनियोग के अंतर्गत के सिवाय भारत की संचित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, 2008-09 के दौरान, सिविल मंत्रालयों में चार अनुदानों के चार खण्डों में 270.21 करोड़ रू, रेलवे की आठ अनुदानों/विनियोगों के 9 खण्डों में 519.81 करोड़ रू तथा रक्षा में दो अनुदानों के दो

खण्डों में 742.61 करोड़ रू. का अधिक संवितरण था जिसे संविधान के अनुच्छेद 115 (1)(ख) के अंतर्गत नियमित करने की आवश्यकता है।

(पैरा 8.1)

- अनुदान या विनियोग में बचतें या तो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण या निष्पादन में कमी या फिर दोनों को दर्शाते हैं। 2008-09 के दौरान, 55 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं सहित) के 68 मामलों में 100 करोड़ रू. से अधिक की बचतें पाई गई थीं। इन मामलों में कुल बचतें 89,902.44 करोड़ रू. थीं। मुख्य बचतें राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण (10,896.67 करोड़ रू.), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (7,081.13 करोड़ रू.), वित्तीय संस्थाओं को भुगतान (3,994.62 करोड़ रू.), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (4,906.88 करोड़ रू.), पुलिस (3,109.49 करोड़ रू.), विनिवेश विभाग (2,003.12 करोड़ रू.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (1,664.78 करोड़ रू.) तथा उर्वरक विभाग (1,345.18 करोड़ रू.) से संबंधित अनुदानों/विनियोग में थे। मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों को कुछ योजनाओं के प्रारम्भ करने में विफलता को आरोपित किए गए थे।

(पैरा 8.4)

ख. संघ सरकार की वित्त व्यवस्था 2008-09: एक विहंगावलोकन

- वर्ष 2008-09 भारत की संचित निधि में 2,03,239 करोड़ रू. के घाटे के साथ समाप्त हुआ, जबकि लोक लेखे में 68,862 करोड़ रू. का अधिशेष था। भा.सं.नि. में प्राप्ति में पिछले वर्ष से 19 प्रतिशत वृद्धि हुई जो कि अधिकांशतः कर्जे की वसूली में वृद्धि तथा लोक ऋण की वृद्धि के कारण पूंजीगत लेखा प्राप्ति से आई जबकि राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, उद्योग और निर्यात क्षेत्र में मंदी के कारण नगण्य थी। दूसरी ओर, भा.सं.नि. से व्यय में 32 प्रतिशत वृद्धि हुई जिसमें से राजस्व व्यय 37 प्रतिशत बढ़ा और पूंजीगत व्यय ने 2007-08 से 34 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

(पैरा 1.2)

संसाधन

- 2008-09 में, सकल कर संग्रहण मात्र 2.05 प्रतिशत तक बढ़ा। प्रवृत्तियों ने प्रकट किया कि अधिक निगम कर संग्रहणों के रूप में राजकोष के लाभ में सुधार हुआ जबकि सकल कर राजस्व में उत्पाद एवं सीमा शुल्कों के अंश में 2002-03 से प्रत्येक वर्ष में गिरावट हो रही है। सेवा कर का अंश 1994-95 में इसके प्रारम्भ से संगत रूप से बढ़ा। कर-स.घ.उ. 2008-09 में 11.37 के स्तर पर पहुँचा।

(पैरा 3.4, 3.5, 3.5.4)

- गैर-कर प्राप्तियाँ 2007-08 के दौरान प्राप्त 2,08,079 करोड़ रू. के आधार से 2008-09 में 1 प्रतिशत से कम बढ़ी। 4,108 करोड़ रू. (11.91 प्रतिशत) के

लाभांशों एवं लाभों के अंतर्गत बढ़े हुए संग्रहण के अलावा, गैर-कर राजस्व के अन्य मुख्य संघटकों अर्थात् ब्याज प्राप्तियाँ (10.8 प्रतिशत) सामाजिक सेवाएँ (27 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाएँ (दो प्रतिशत) के अंतर्गत संग्रहण में गिरावट आई।

(पैरा 3.6.1)

- जब वर्ष 2007-08 के साथ तुलना की गई, 2008-09 में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ 38,230 करोड़ रु. (98.5 प्रतिशत) तक तीव्रता से कम हुईं तथा कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियों में 3,118 करोड़ रु. (30 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई।

(पैरा 1.2.1)

संवितरण

- 2008-09 में संघ सरकार का कुल संवितरण चार मुख्य घटकों: राज्यों को सहायता अनुदान सहित वास्तविक व्यय (28 प्रतिशत); राज्यों को संघ कर्जों से प्राप्तियों के अनिवार्य अंतरण (4 प्रतिशत); ऋण का पुनर्भुगतान (55 प्रतिशत) तथा लोक लेखे से संवितरण (13 प्रतिशत) से बना है। दीर्घ अवधि प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि वास्तविक व्यय के औसतन अंश में VIIIवीं योजना में 51 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 28 प्रतिशत तक संगत रूप से गिरावट हुई है जबकि इस अवधि के दौरान ऋण पुनर्भुगतान में 29 प्रतिशत के स्तर से 55 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

(पैरा 4.2)

- राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रभावी घटक बना रहा तथा इसका अंश 2008-09 के दौरान 91.64 प्रतिशत के उच्चतम स्तर तक संगत रूप से बढ़ा। यह मुख्यतः पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में राजस्व व्यय में 37.47 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में 34 प्रतिशत की गिरावट के कारण था। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कर्जे एवं पेशगियों के संवितरण ने उनकी राज्य योजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा उधार लेने में केन्द्र सरकार की गैर-मध्यस्थता के संबंध में बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करने के कारण तीव्र गिरावट प्रदर्शित की। तथापि, संघ सरकार द्वारा संवितरित कर्जे एवं पेशगियों ने 2007-08 की तुलना में 2008-09 में 2,809 करोड़ रु. (23.85 प्रतिशत) की वृद्धि को दर्शाया है।

(पैरा 4.3)

- 2008-09 में सरकारी व्यय में प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रकट करता है कि कुल व्यय की तुलना में योजनेत्तर व्यय का अंश लगभग 75 प्रतिशत था जोकि 24.97 प्रतिशत के योजनागत व्यय के सापेक्ष अंश पर काफी छ जाता है।

(पैरा 4.5.2)

- 2008-09 में, खाद्य आर्थिक सहायताएं 39.65 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि पेट्रोलियम आर्थिक सहायता पिछले वर्ष की तुलना 1.13 प्रतिशत तक बढ़ी। स्वदेशी तथा आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायताएं 43 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ी जबकि विनियंत्रित उर्वरकों के क्रय पर किसानों को दी आर्थिक सहायताओं में वृद्धि प्रासंगिक 275 प्रतिशत थी।

(पैरा 4.7)

- पिछले वर्ष से वर्ष 2008-09 में, मुख्य योजनाओं के अंतर्गत व्यय में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासित योजना के अंतर्गत 17,338 करोड़ रु. (136.94 प्रतिशत); इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 4,914 करोड़ रु. (126.49 प्रतिशत); राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 1,587 करोड़ रु. (40.56 प्रतिशत); प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,280 करोड़ रु. (19.69 प्रतिशत); राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2,034 करोड़ रु. (17.51 प्रतिशत); दोपहर का भोजन की योजना के अंतर्गत 699 करोड़ रु. (11.99 प्रतिशत); सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1,162 करोड़ रु. (10.12 प्रतिशत) तक वृद्धि हुई।

(पैरा 4.9)

राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन

- तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर-स.घ.उ. के सापेक्ष मापे गये राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा- एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संघ सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलों की सीमा को इंगित करते हैं। इन पैरामीटरों के अनुसार संघ सरकार के राजकोषीय निष्पादन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2008-09 में ह्रास को इंगित किया है क्योंकि 2007-08 में राजस्व तथा राजकोषीय घाटे दोनों में क्रमशः 85,435 करोड़ रु. तथा 1,64,962 करोड़ रु. से 2008-09 में 3,56,377 करोड़ रु. (317.13 प्रतिशत) तथा 4,34,444 करोड़ रु. (163.36 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई है।

(पैरा 5.1, 5.2)

- स.घ.उ. के 6.70 प्रतिशत पर राजस्व घाटा, वर्ष 2008-09 के 1 प्रतिशत के रा.उ.ब.प्र. लक्ष्य के प्रति काफी अधिक था। इसी प्रकार, स.घ.उ. के 8.16 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा, वर्ष के 2.5 प्रतिशत के रा.उ.ब.प्र. के लक्ष्य से कहीं बड़ा था।

(पैरा 5.4)

- वित्त लेखों ने राजकोषीय घाटे के रूप में, 2007-08 में 15,025 करोड़ रु. के प्राथमिक अधिशेष से 2,33,864 करोड़ रु. (जो स.घ.उ. का 4.39 प्रतिशत था) का प्राथमिक घाटा प्रदर्शित किया, चूंकि 4,34,444 करोड़ रु. का राजकोषीय घाटा 2,00,580 करोड़ रु. के ब्याज भुगतान से काफी अधिक बड़ा था।

(पैरा 5.3)

राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन

- कुल राजकोषीय देयताओं में संगत रूप से वृद्धि हुई तथा 2008-09 में 28,40,135 करोड़ रु. के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई। 1992-2009 की अवधि के लिए, आंतरिक ऋण में लगभग 16 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई जिसकी तुलना में 2008-09 में इसकी वृद्धि लगभग 12 प्रतिशत तक कम थी। राजकोषीय देयताओं के अन्य दोनों वर्गों अर्थात् बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर) तथा लोक लेखा में देयताओं में 2008-09 में 25.68 प्रतिशत तथा 19.21 प्रतिशत की वृद्धि, क्रमशः 3.70 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर की अपेक्षा काफी अधिक थी। वर्तमान दर पर बाह्य ऋण में वृद्धि रूपये के अवमूल्यन के कारण थी। लोक लेखा देयता में वृद्धि उर्वरक कम्पनियों (20,000 करोड़ रु.) तथा पेट्रोलियम बंधपत्रों (पुनर्लाभ का निवल 62,600 करोड़ रु.) को विशेष बंधपत्रों को जारी करने के कारण थी।

(पैरा 6.1)

- 2008-09 में स.घ.उ. अनुपात के प्रति संवृद्धित कुल देयताएं पिछले वर्ष में 6.84 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक थी तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम एवं नियमावली द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत के लक्ष्य से महत्वपूर्ण रूप से अधिक भी थी।

(पैरा 6.2)

- 1992-2009 की अवधि के लिए 44 प्रतिशत के प्रवृत्ति अनुपात की तुलना में 2008-09 में परिसम्पत्तियों के प्रति देयताओं का अनुपात केवल 36 प्रतिशत था। इसका अभिप्राय यह है कि वर्षों से देयताएं, परिसम्पत्तियों के मुकाबले तीव्रता से बढ़ी। लगभग 11 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर के प्रति 2008-09 में कुल देयताएं लगभग 15 प्रतिशत तक बढ़ी। तुलनात्मक रूप से, लगभग 7.5 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर की तुलना में 2008-09 में परिसम्पत्तियों (8 प्रतिशत) में वृद्धि में केवल एक सीमांतक बढ़ोत्तरी थी।

(पैरा 6.3)

- 1992-2009 के दौरान बाजार के मूल्यों पर स.घ.उ. की वृद्धि दर की अपेक्षा समय से कुल ऋण पर औसतन ब्याज दर (नाममात्र) कम रही। 2008-09 में आंतरिक ऋण पर औसतन ब्याज दर (8.67 प्रतिशत) पूर्ण पश्च-उदारीकरण अवधि के लिए 9.28 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से कम थी। बाह्य ऋण पर अदा की गई औसतन ब्याज दर घरेलू ऋण पर दिए से काफी कम थी।

(पैरा 6.4)

- 1992-2009 की पश्च उदारीकरण अवधि के लिए 20,007 करोड़ रु. के संसाधनों (बढ़ते हुए राजस्व व्यय घटा बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां) में औसत कमी की तुलना में, 2008-09 में संसाधन अंतराल चिंताजनक रूप से 2,70,942 करोड़ रु. तक बढ़ गया जो औसत प्रवृत्ति संसाधन अन्तराल का लगभग 14 गुणा है।

(पैरा 6.4)

- 31 मार्च 2009 को, अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता का 95,486 करोड़ रू. का आदेश था जो पिछले वर्ष के लिए संगत आंकड़े से लगभग 22 प्रतिशत अधिक था। शहरी विकास, जल संसाधन, अवसंरचना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़े अनाहारित शेष थे। इसके अतिरिक्त, निरन्तर अपर्याप्त योजना का परिणाम 2008-09 में कुल 117.37 करोड़ रू. की अनाहारित बाह्य सहायता पर वचनबद्ध प्रभागों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैरा 6.7)

अध्याय 1

संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन

वर्ष 2008-09, सार्वभौमिक वित्तीय गिरावट के परिणाम के रूप में, उपयोगी वस्तु मूल्य (सार्वभौमिक खाद्यान तथा ईंधन में द्रुत वृद्धि) में तीव्र वृद्धि के साथ पहले अर्थव्यवस्था में अर्थपूर्ण आघात तथा बाद में अनिश्चितता तथा मंदी की प्रवृत्ति के रूख के साथ प्रारम्भ हुआ। पिछला वर्ष (2007-08) सरकार के लिए, उत्पलावक कर राजस्व प्रबंधनीय व्यय स्तरों तथा यथेष्ट राजकोषीय शोधनों (राजस्व घाटा, स.घ.उ. का 1.81 प्रतिशत था तथा राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का 3.5 प्रतिशत था) के साथ राजकोषीय दृष्टि से एक सुखद वर्ष था। तुलना में, वर्तमान वर्ष, 2008-09 एक ऐसा वर्ष था जो कि करों में छूट तथा अर्थव्यवस्था में मांग तथा निवेश को प्रोत्साहित करने से व्यय में वृद्धि के रूप में राजकोषीय उद्दीपन के लिए आवश्यक था। परिणामतः, राजकोषीय उत्तरदायित्वों तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (तथा नियमावली) में विचार किए गए के अनुसार राजकोषीय सुधार, पूर्व मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी में सरकार द्वारा विचार किए गए मूल राजकोषीय शोधन पथ के अनुसार घटित नहीं हो सका था।

1.1 संसद को प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं। वित्त लेखे समेकित निधि संचित निधि और लोक लेखे में प्राप्तियों तथा भुगतान के विवरणों को दर्शाता है जबकि विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत बजट प्रावधान, व्यय एवं परिणामी आधिक्य/बचतों को दर्शाता है।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार की निधियाँ और लोक लेखे	
<p>समेकित निधि संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों के निर्गम द्वारा उगाहे गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" शीर्षक एक समेकित निधि बनाएंगे।</p>	<p>आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें, संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तत्पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।</p>
<p>लोक लेखा समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं।</p>	

1.2 यह अध्याय वर्ष 2008-09 के दौरान संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा VIIIवीं से Xवीं योजना अवधियों तथा XIवीं योजना के प्रथम दो वर्षों को सम्मिलित करके 1992-2009 की अवधि के दौरान मुख्य राजकोषीय संचयन में नाजुक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। तालिका 1.1 प्राप्तियों, संवितरणों, घाटों तथा उधारों (आवश्यकता और इसके समायोजन) को समाविष्ट करते हुए चालू वर्ष (2008-09) में संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के प्रचालन का सार

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां		व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण	
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)				
राजस्व प्राप्ति	653847	राजस्व घाटा 356377	राजस्व व्यय	1010224
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	566		पूंजीगत व्यय	77556
कर्जों की वसूली	13509		ऋण तथा अग्रिम	14586
कुल गैर-ऋण प्राप्तियां	667922	राजकोषीय घाटा 434444	कुल व्यय	1102366
लोक ऋण	2395765		लोक ऋण	2164560
कुल भा.स.नि.	3063687	भा.स.नि. में घाटा 203239	कुल भा.स.नि.	3266926
आकस्मिकता निधि				
प्राप्तियां	0		विनियोग	0
लोक लेखा				
लघु बचत	357343		लघु बचत	269605
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	100966		आरक्षित एवं निक्षेप निधि	121565
जमा	74084		जमा	61590
अग्रिम	41981		अग्रिम	47331
उचन्त लेखे	8654		उचन्त लेखे	11240
प्रेषण	1450		प्रेषण	4285
कुल लोक लेखे	584478	लोक लेखे में अधिशेष 68862	कुल लोक लेखे	515616
अथ नकद	229633	नकद में कमी 134377	अन्तः नकद	95256
लोक लेखा अधिशेष (मांग)		68862	(भा.स.नि.) में घाटा-रोकड़ में कमी	
वार्षिक देयताएं (आपूर्ति)		310838	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष	
वार्षिक देयताएं (मांग)		310838	राजकोषीय घाटा (-) रोकड़ में कमी (+) (अग्रिम+उचन्त+प्रेषण) का निवल संवितरण	

1.2.1 समेकित निधि में वर्तमान वर्ष के प्रचालन:

वर्ष 2008-09 ने पिछले वर्ष से, राजस्व प्राप्तियों में 1 प्रतिशत वृद्धि से कम बताया था। सरकार द्वारा कर्जों तथा शुल्कों¹ में कटौती करने के लिए किए गए उपायों से उद्योग तथा निर्यात क्षेत्र दोनों में मंदी के कारण कर राजस्व प्राप्तियों (एक प्रतिशत से कम - जैसाकि तालिका 1.2 से प्रदर्शित है) में अमहत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। प्राप्तियों के अन्य घटक अर्थात् विविध पूंजीगत प्राप्तियों ने 98.5 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि को दर्ज किया था। पिछले वर्ष से 2008-09 में कुल गैर-ऋण प्राप्तियों ने चार प्रतिशत से अधिक की ऋणात्मक वृद्धि को प्रदर्शित किया। कर्जों (30 प्रतिशत) तथा लोक ऋण (28.25 प्रतिशत) की वसूली में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। परिणामतः, पिछले वर्ष से समेकित निधि के प्रति कुल प्राप्तियों में 19.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। व्यय

¹ सीमा शुल्कों कटौतियों ने अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र तथा खेल वस्तु क्षेत्र को लाभांशित किया; सेनवेट दर को 2 प्रतिशत तक कम किया गया था तथा प्रत्यक्ष कर्जों में कुछ राहत दी गई थी।

पक्ष में, राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से 37.47 प्रतिशत तक वृद्धि हुई थी, जबकि पूंजीगत व्यय ने 33.68 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि को प्रदर्शित किया था। 23.85 प्रतिशत तथा 34.94 प्रतिशत के क्रमशः कर्जों एवं पेशगियों तथा लोक ऋण के संवितरण में वृद्धि के साथ, भारत की समेकित निधि में 30,63,687 करोड़ रु. की प्राप्तियों के प्रति भारत की समेकित निधि से 32,66,926 करोड़ रु. के कुल संवितरण के परिणामस्वरूप, भारत की समेकित निधि में 2,03,239 करोड़ रु. का घाटा हुआ।

बॉक्स 1.2: निधियों का प्रबन्ध: संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(3) में प्रावधान है कि "भा.स.नि. या राज्य की समेकित निधि में से कोई भी राशि, जैसा कि विधि के अनुसार है तथा उस प्रयोजनों के लिए और जैसा कि संविधान में प्रावधान है के सिवाय, विनियोजित नहीं की जाएगी।" लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष में अनुदान की मांगों के लिए मत देने के उपरान्त, विनियोग अधिनियम के रूप में परिणत हुआ यह प्रावधान अनुच्छेद 112 तथा 114 के साथ पठित है तथा संबंधित विनियोग बिल संसद द्वारा पारित किया जाता है और जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। विनियोग अधिनियम की धारा 2 एवं 3 के प्रावधान नीचे दिये गये हैं:

भा.स.नि. में से, विभिन्न प्रभारों को चुकाने के प्रति अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक न होकर लागू राशि, जो अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान के लिए होगी, अदा की जाएगी।

इस अधिनियम के द्वारा भा.स.नि. में से भुगतान तथा प्रयुक्त किये जाने वाली के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उल्लिखित वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

1.2.2 लोक लेखा में वर्तमान वर्ष का प्रचालन: प्राप्ति पक्ष में लघु बचतों में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी। आरक्षित तथा निक्षेप निधि (33 प्रतिशत) तथा जमाओं (97 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण वृद्धि पायी गई किन्तु लोक लेखा में सकल प्राप्तियां लगभग 27 प्रतिशत तक बढ़ी थी। व्यय पक्ष में, संवितरण में आरक्षित तथा निक्षेप निधि² (86 प्रतिशत) तथा प्रेषणों में (188 प्रतिशत) की मुख्य वृद्धि थी। वर्ष के अंत में, लोक लेखा में 68,862 करोड़ रु. का अधिशेष था जो पिछले वर्ष से वृद्धि का 93 प्रतिशत था।

1.2.3 घाटा तथा रोकड़ शेष: वर्तमान वर्ष ने पिछले वर्ष से 317 प्रतिशत ऊपर 3,56,377 करोड़ रु. का राजस्व घाटा³ देखा गया। यह वर्ष के लिए 1 प्रतिशत के रा.उ.ब.प्र. के लक्ष्य के प्रति स.घ.उ. का 6.7 प्रतिशत था। 2008-09 के लिए राजकोषीय घाटा⁴ पिछले वर्ष से 163 प्रतिशत ऊपर 4,34,444 करोड़ रु. रहा तथा स.घ.उ. का 8.16 प्रतिशत था। यह रा.उ.ब.प्र. के 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य से कहीं अधिक था तथा 226 प्रतिशत तक बजट अनुमानों से विचलित हुआ।

1.3 वास्तविक तथा बजट अनुमानों में विचलन: संघीय बजट, आंकड़ों के तीन सैट (क) पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आंकड़े, (ख) चालू वर्ष के संशोधित अनुमान तथा (ग) आगामी वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों की विचलन के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह अपूर्वानुमानित कारणों या कार्यप्रणालीगत अपर्याप्तताओं के कारण हो सकता है जिसका परिणाम बजट स्तर पर व्यय अथवा राजस्व का कम अथवा अधिक अनुमान में

² ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि, सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि आदि जैसी गैर-ब्याज वाली निधियों ने पिछले वर्ष की तुलना में संवितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाया।

³ राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्ति

⁴ राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - गैर ऋण प्राप्तियां

हो सकता है। 2008-09 में, भारत के निष्पादन पर सार्वभौमिक मंदी का प्रतिकूल प्रभाव का बजट प्रक्रिया के दौरान पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था क्योंकि वित्तीय संकट वर्ष में बाद में उत्पन्न हुआ था। वास्तविक राजस्व की प्राप्ति और इसका संवितरण कुछ आन्तरिक एवं बाह्य कई कारणों पर निर्भर करता है। तालिका 1.2 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए, बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों का एक सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2008-09 - बजट तथा वास्तविक आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

बजट अनुमान	2007-08 वास्तविक	2008-09		बजट से विचलन	विचलन* प्रतिशत	
		वास्तविक	बजट अनुमान			
1	संघ सरकार की कुल प्राप्तियां	3027696	3648165	3051334	598631	19.56
2	राजस्व प्राप्तियां	649426	653847	730400	(-)76553	(-)10.48
	कर राजस्व	441347	445119	508950	(-)63831	(-)12.54
	गैर-कर राजस्व	208079	208728	221450	(-)12722	(-)5.74
3	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	38796	566	10165	(-)9599	(-)94.43
4	कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली	10391	13509	5993	7516	125.41
5	लोक ऋण की प्राप्ति	1868102	2395765	1884986	510779	27.10
6	लोक लेखा प्राप्तियां	460981	584478	419790	164688	39.23
7	संघ सरकार के कुल संवितरण	2892945	3782542	3028751	753791	24.89
8	राजस्व व्यय	734861	1010224	785584	224640	28.60
9	पूंजीगत व्यय	116937	77556	84522	(-)6966	(-)8.24
10	कर्जें तथा अग्रिम	11777	14586	9738	4848	49.78
11	लोक ऋण का परिशोधन	1604110	2164560	1745574	418986	24.00
12	लोक लेखा संवितरण	425260	515616	403333	112283	27.84
13	राजस्व घाटा	85435	356377	55184	301193	545.80
14	राजकोषीय घाटा	164962	434444	133287	301157	225.95

* विचलन (वास्तविक आंकड़े-बजट अनुमान)/बजट अनुमान x100 के रूप में निकाला गया है।

तालिका 1.2 इंगित करती है कि बजट प्रस्तुत करते समय सरकार द्वारा अनुमानित राजस्व प्राप्तियों में 10 प्रतिशत से अधिक की मुख्य कमी थी। कर राजस्व में विचलन (-12.5 प्रतिशत) गैर कर राजस्व में विचलन (लगभग -छः प्रतिशत) से अधिक था। विविध पूंजीगत प्राप्तियों (तीन मुख्य लोक क्षेत्र उपक्रमों के अंश के लघु-भाग का विनिवेश योजनानुसार नहीं हो सका था)⁵ में वृहत कमी पाई गई थी जहाँ विचलन बजट अनुमानों (ब.अ.) में पूर्वानुमान किए गए से (-) 94 प्रतिशत अधिक था। जबकि राजस्व व्यय बजट अनुमान की तुलना में 28 प्रतिशत से ऊपर तक बढ़ गया तथा अनुमानित पूंजीगत व्यय में आठ प्रतिशत से अधिक तक की कमी थी। राजस्व घाटे में विचलन लगभग 546 प्रतिशत तक बढ़ गया जबकि राजकोषीय घाटे में भी विचलन लगभग 226 प्रतिशत तक काफी अधिक था।

⁵ अध्याय 3 के पैरा 3.7.1 में विवरण दिया गया है।

1.4 वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेजों के बीच असंगतियां

प्रभावी संसदीय वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि व्यय एवं प्राप्ति की मान्यता के सिद्धान्त बजट प्रलेखों तथा वित्त एवं विनियोग लेखों में एकरूप हों। तथापि, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे हेतु आंकड़े, जैसा कि वित्त लेखे प्रदर्शित/से प्राप्त किये गये सतत रूप से उन आंकड़ों से भिन्न रहे हैं जिन्हें सरसरी दृष्टि से बजट तथा बजट अभिलेखों में संलग्न कुछ कागजों प्रदर्शित किया जा रहा है। यह अन्तर प्राप्ति तथा व्यय पक्ष में कुछ लेन-देनों के समावेश/अपवर्जन के कारण है। जबकि इन्हें बजट कागजातों के संलग्न दस्तावेजों में प्रदर्शित किया जाता है फिर भी इन मुख्य पृष्ठों को प्रदर्शित करना आवश्यक हो सकता है। तालिका 1.3 राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में अन्तर दर्शाती है जैसा कि वित्त लेखे में प्रदर्शित/से प्राप्त किया गया है तथा 2004-05 से 2008-09 तक पांच वर्षों हेतु आवश्यक मिलान लेन-देनों के साथ-साथ सरसरी दृष्टि से बजट में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: वित्त लेखे में तथा सरसरी दृष्टि में बजट में राजस्व और राजकोषीय घाटा

	(करोड़ रुपये में)				
वित्त लेखे के अनुसार घाटा	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
राजस्व घाटा	78700	109697	132847	85435	356377
राजकोषीय घाटा	103798	164927	182934	164962	434444
सरसरी दृष्टि में बजट के अनुसार घाटा					
राजस्व घाटा	78338	92299	80222	52569	253539
राजकोषीय घाटा	125202	146435	142573	126912	336992
दोनों आंकड़ों में अन्तर					
राजस्व घाटा	362	17398	52625	32866	102838*
राजकोषीय घाटा	(-) 21404	18492	40361	38050	97452**
अंतरों को स्पष्ट करने वाले तथ्य					
तेल कम्पनियों (राजस्व व्यय) को जारी बंध-पत्र		17263	24121	20554	75942
भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को जारी प्रतिभूतियां			16200		
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) (राजस्व व्यय) को जारी प्रतिभूतियां	362				
राष्ट्रीयकृत बैंकों (पूजीगत व्यय) को जारी प्रतिभूतियां	(-) 88	500		9996	
पूजीगत व्यय से छोड़े गए प्रतिपक्षी अंतराष्ट्रीय निधि (आई.एम.एफ.) को जारी प्रतिभूतियां	415	595	40		1444
राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी प्रतिभूतियां का शोधन	(-) 32675				
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के प्रतिबलित परिसम्पत्ति स्थाई स्थिरीकरण निधि (एस.ए.एस.एफ.) हेतु परिसम्पत्ति प्रबन्धन न्यास करने को जारी प्रतिभूतियां	9000				1225
आधारभूत संरचना विकास वित्त कम्पनी (आई.डी.एफ.सी.) लि. को ऋण की क्षतिपूर्ति हेतु आर.बी.आई. को जारी प्रतिभूतियां	350				
राष्ट्रीय जल शक्ति निगम (एन.एच.पी.सी.) एवं टिहरी जल विकास निगम (टी.एच.डी.सी.) में इक्विटी हेतु प्राप्य ब्याज का परिवर्तन	640				
न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन में निवेश	592				
राज्य सरकारों को कर्जों की वसूली के प्रति बकाया कर्जों के बटटे खाते का समायोजन			12304		5671
आई.डी.बी.आई. में विशिष्ट परिसम्पत्तियों की वसूली		134			

(करोड़ स्मर्यों में)


वित्त लेखे के अनुसार घाटा	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
तेल कम्पनियों (राजस्व व्यय) को जारी बंध-पत्र उर्वरक आर्थिक सहायता को क्षतिपूर्ति के रूप में, उर्वरक कम्पनियों को विशेष बंध-पत्र जारी करना				7500	20000
संयुक्त प्रभाव	(-) 21404	18492	52625	38050	102838***

* 2008-09 में राजस्व घाटे की 1,02,838 करोड़ रु (75,942 करोड़ रु + 1,225 करोड़ रु + 5,671 करोड़ रु + 20,000 करोड़ रु) तक की न्यूनोक्ति की गई।

** 2008-09 में राजकोषिय घाटे की 97,386 करोड़ रु (75,942 करोड़ रु + 1,444 करोड़ रु + 20,000 करोड़ रु) की न्यूनोक्ति की गई। वहाँ मिलान न किए गए 66 करोड़ रु का अंतर है।

*** इसमें पूंजीगत व्यय से छोड़े गए प्रतिपक्षी अंतराष्ट्रीय निधि (आई.एम.एफ.) को जारी प्रतिभूतियों के 1444 करोड़ रु शामिल नहीं है।

चार्ट 1.1 2004-05 से 2008-09 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान बजटीय एवं वास्तविक घाटों के बीच विचलन



2008-09 में, राजस्व घाटे में 1,02,838 करोड़ रु का तथा राजकोषीय घाटे में 97,452 करोड़ रु का अन्तर था। यह अन्तर (1) तेल कम्पनियों को जारी बन्ध-पत्रों के कारण था (75,942 करोड़ रु), (2) आई.एम.एफ. को जारी प्रतिभूतियाँ (1,444 करोड़ रु), (3) उर्वरक सहायता के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कम्पनियों को जारी विशेष बन्ध-पत्र (20,000 करोड़ रु), (4) ऋणों की वसूली के विरुद्ध राज्य सरकारों के बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डालना (5,671 करोड़ रु) तथा (5) आई.डी.बी.आई. के एस.ए.एस.एफ. हेतु परिसम्पत्ति प्रबंधन न्यास को जारी प्रतिभूतियाँ (1,225 करोड़ रु)।

संघ सरकार इन बंधपत्रों/प्रतिभूतियों का निर्गमन में राजकोषीय घाटे का निष्क्रिय होना समझा जाता है क्योंकि रोकड़ प्रवाह को समाविष्ट नहीं करते और इसलिए बजटीय व्यय/प्राप्तियों के भाग नहीं माने जाते हैं। वर्तमान लेखाकरण पद्धति के अनुसार तेल बंधपत्रों तथा अन्य समान बंधपत्रों का निर्गमन लोक लेखा के अन्तर्गत संघीय बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण (वा.वि.वि.) में प्रदर्शित किए जाते हैं और उसमें समान लेन-देन तेल कम्पनियों/उर्वरक कम्पनियों के साथ दावे के निपटान हेतु राजस्व व्यय के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं। तब इन लेन-देनों का संबंधित समाधान विवरणियों के माध्यम से व्यय बजट के राजस्व लेखे और प्राप्ति बजट के पूंजीगत लेखे

से निवल प्राप्त किया जाता है। तथापि, इन बंध पत्रों का राजकोषीय निहितार्थ है क्योंकि ये सरकार के दायित्व को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, चूँकि ऐसे बंध पत्रों पर ब्याज भुगतान को राजस्व व्यय के भाग की तरह माना जाता है इसलिए वे राजस्व घाटे और उसके द्वारा, सतत आधार पर राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, वर्ष के दौरान लोक लेखे की निवल अभिवृद्धि, सरकार को समेकित निधि में घाटे को पूरा करने के संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

वास्तविक उधारी के माध्यम से पुनरावर्ती राजस्व व्यय को वित्तपोषित करने के लिए महत्वपूर्ण अर्ध-राजकोषीय लेन-देन न केवल राजकोषीय समेकन प्रक्रिया, जो अधोगामी है, की गुणवत्ता के बारे में आशंका पैदा करता है अपितु राजकोषीय प्रक्रियाओं एवं राजकोषीय प्रबंधन तथा लम्बी अवधि के समष्टि अर्थशास्त्र स्थायित्व में अन्तर-पीढ़ी अंश में पारदर्शिता के मुद्दे को भी बढ़ाता है। तर्कपूर्ण रूप से, 'बजट एक दृष्टि में' में संसद को प्रस्तुत राजकोषीय घाटे की गणना, लोक लेखा में ऐसे सभी मदों को शामिल करते हुए, निवल प्रभाव निकालने के लिए की जानी चाहिए। नि.म.ले.प. द्वारा इंगित किए जाने पर, राजस्व एवं सकल राजकोषीय घाटे तेल, खाद्य एवं उर्वरक बंध पत्रों के कारण सरकार द्वारा उठाये गए दायित्वों की सीमा तक कम बताए गए फिर भी संघीय बजट 2008-09 ने पहली बार बजट विवरणी अर्थात् 'बजट एक दृष्टि में' के सारांश बजट से अलग के मदों के रूप में रेखा से नीचे की मदों को स्पष्ट रूप से सूचित किया है। यह भी माना गया है कि इन दायित्वों को राजकोषीय लेखाकरण में लाये जाने की आवश्यकता थी और संघ सरकार द्वारा तेहरवीं वित्त आयोग से इन बजट से परे दायित्वों के लेखाकरण हेतु उपयुक्त रोड़ मैप का सुझाव देने का आग्रह किया गया है। तेरहवें वित्त आयोग ने इंगित किया कि "यह आवश्यक है कि आकस्मिक देयताओं को पूर्ण रूप से सूचित किया जाए तथा ताकि ऐसी देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाया जा सकें।" आयोग ने राजकोषीय नियमावली जो सरकारी गारंटी को सीमित करती है, में सुधार की अनुशंसा की (तेरहवें वित्त आयोग दिसम्बर 2009 खण्ड-1 प्रतिवेदन का पैरा 9.47)। तथापि, तेरहवाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम तथा उर्वरक बंध-पत्र जैसी विलम्बित देयताओं के जारी करने पर कोई अनुशंसा नहीं करता। तथापि, संघ सरकार के राजकोषीय लेखाकरण में ऐसे दायित्वों की पूरी तरह गणना किए जाने तक, संघीय बजट में यथासूचित तथा लेखापरीक्षित वित्त लेखे से यथा प्रकट राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के बीच असंगतताओं को सुधारने की आवश्यकता है और सभी बजट से परे दायित्वों की गणना करके राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को, इन बजट से परे मदों के प्रचालन में पारदर्शिता लाने के लिए संघ सरकार द्वारा सूचित किए जाने की आवश्यकता है।

1.5 संघ सरकार वित्तीय व्यवस्था 1992-2009 - कुछ मुख्य मापदण्ड

राजस्व प्राप्तियाँ, व्यय, राजकोषीय असंतुलन तथा राजकोषीय देयताओं को शामिल करते हुए संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 से 6 में अन्तर्विष्ट है। मुख्य पैरामीटरों का विहंगावलोकन नीचे प्रस्तुत किया गया है। वित्त लेखे के विवरण 12 में संसाधनों की उपलब्धता तथा स्रोतों के उपयोग की शर्तों के संबंध में सरकारी वित्तीय व्यवस्था के संचित निष्कर्ष का सार है। वित्त लेखे के विवरण 5 के साथ पठित यह विवरण, सरकार के तुलनपत्र के सदृश है। तालिका 1.4, 1992-93 तथा 2008-09 में विश्लेषण के आधार वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकारी वित्तीय व्यवस्था का सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.4: सरकारी वित्तीय व्यवस्था के शेषों का सार

(करोड़ स्मर्यों में)

संसाधन का उपयोग			संसाधनों की उपलब्धता				
	31 मार्च को		वृ.सं.वा.द.*	31 मार्च को		वृ.सं.वा.द.*	
	1993	2009		1993	2009		
पूँजीगत परिव्यय	155291	800519	10.79	आंतरिक ऋण	199100	2019841	15.58
ऋण तथा अग्रिम	135672	219979	3.07	बाह्य ऋण	42269	123046	6.91
कार्यों के अनुसार संसाधन का उपयोग				लघु बचतें	136802	427553	7.38
सामाजिक सेवाएं	6052	34494	11.49	अन्य दायित्व	23752	128682	11.14
कृषि एवं सम्बद्ध	8740	9696	0.65	राजकोषीय देयतायें	401923	2699122	12.64
सिंचाई एवं उर्जा	40364	68111	3.32	नकद शेष	(-) 1919	(-)95256	27.64
उद्योग एवं खनिज	41174	87628	4.83	उचन्त लेखे	(-) 3819	(-)22283	11.65
परिवहन एवं संचार	38370	166668	9.61	प्रेषण	(-) 3607	(-)5725	2.93
अन्य आर्थिक सेवाएं	25549	140048	11.22	अग्रिम	(-) 1307	(-)9817	13.43
कुल आर्थिक सेवाएं	154197	472151	7.24	आकस्मिकता निधि	50	500	15.48
सामान्य सेवाएं तथा अन्य	39160	369048	15.05	निधियों की उपलब्धता	391321	2566541	12.47
राज्यों को ऋण	91554	144805	2.91	संसाधन अन्तराल	(-) 100358	(-)1546043	18.64
कुल परिसम्पत्तियां	290963	1020498	8.16	संसाधन उपयोग	290963	1020498	8.16

(*वृद्धि की संचयी वार्षिक दर)

जहां संघ सरकार की निधियों की निवल उपलब्धता 12.47 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी थी, पूँजीगत व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों को समाविष्ट करते हुए सरकारी परिसम्पत्तियां केवल 8.16 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थी। स्रोत की उपलब्धता तथा परिसम्पत्तियों के निर्माण की वृद्धि में इस नकारात्मक फैलाव के परिणामस्वरूप संघ सरकार की अपनी देयताओं के सापेक्ष मुल परिसम्पत्तियों में उत्तरोत्तर गिरावट आई। 1993-2009 के दौरान परिसम्पत्तियों के भीतर, पूँजीगत व्यय या सरकार द्वारा पूँजीगत निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि देखी गयी थी। “ऋण तथा अग्रिम” जो अपने पराश्रयी के माध्यम से पूँजीगत निर्माण के सदृश हैं, में लगभग तीन प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों में निवेश अथवा परिसम्पत्ति सृजन में नगण्य (एक प्रतिशत से कम) वृद्धि दर दर्ज की, जबकि सिंचाई तथा उर्जा के साथ-साथ उद्योग तथा खनिज ने इस अवधि के दौरान अन्य क्षेत्रों की तुलना में सापेक्ष रूप से निम्न वृद्धि दर्ज की। सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में निवेश में क्रमशः 11.49 प्रतिशत तथा 7.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत यातायात तथा दूरसंचार में निवेश इस अवधि के दौरान इसके अन्य घटकों की तुलना में तीव्र दर से बढ़ा। अन्य घटक, जिसमें औसत वृद्धि से तीव्र वृद्धि हुई, लोक निर्माण कार्य तथा रक्षा को शामिल करते हुए सामान्य सेवाएं तथा अन्य सेवाओं पर व्यय था। निधियों की निवल उपलब्धता तथा संसाधन उपयोग के बीच, अन्तर के रूप में मापा जाने वाला संसाधन अन्तराल में 31 मार्च 1993 को लगभग 25.6 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2009 को 60.2 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

बॉक्स 1.3: सूचना पैरामीटर

राजकोषीय संचयन, जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं। 1999-2000 को आधार मानकर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित नई स.घ.उ. शृंखला का उपयोग किया गया है। चालू वर्ष के लिए स.घ.उ. के अनुमान के.सा.सं. द्वारा 29 मई 2009 को जारी उनकी प्रैस विज्ञप्ति के अनुरूप हैं।

कर राजस्व के लिए, उत्प्लावकता अनुमान दिए गए हैं। उत्प्लावकता कर आधार में प्रतिशतता परिवर्तन से कर की प्रतिक्रियाशीलता का संकेत देती है। यहाँ पर उत्प्लावकताओं को उपर्युक्त वर्णित स.घ.उ. शृंखलाओं के संदर्भ में परिकलित किया गया है।

अधिकतर शृंखलाओं के लिए 1992-2009 के दौरान एक प्रवृत्ति वृद्धि का संकेत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, VIIIवीं योजना (1992-97), IXवीं योजना (1997-2002) तथा Xवीं योजना (2002-2007) के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि भी इंगित की गई है। इन वृद्धि दरों को परिकलित करते समय, अंतर्योजना वृद्धि दरों का अनुमान लगाने के लिए योजना के पहले वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। यह प्रक्रिया योजना के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की 'निम्न आधार प्रवृत्ति' का निराकरण करती है।

अधिकतर शृंखलाओं के लिए स.घ.उ. के संबंध में अनुपात भी इंगित किए गए हैं।

1.5.1 राजस्व प्राप्तियां

तालिका 1.5, VIIIवीं योजना (1992-1997), IXवीं योजना (1997-2002), Xवीं योजना (2002-2007) के दौरान तथा XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम दो वर्षों के लिए वृद्धि दर तथा साक्षेप भाग को, कर के स.घ.उ., गैर-कर तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (संघ सरकार के करों में राज्यों का निवल हिस्सा) की प्रतिशतता के रूप में इंगित करती है।

तालिका 1.5 : संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों के मुख्य पैरामीटर

अवधि	सकल कर राजस्व		गैर-कर राजस्व		संघ सरकार के कुल राजस्व		स.घ.उ. में वृद्धि
	क	ख	क	ख	क	ख	
1992-2009(औसत)	13.89	10.08	9.42	5.07	10.98	12.90	12.31
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	15.89	9.27	14.66	5.90	15.02	14.27	16.53
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	9.00	8.64	8.00	6.03	4.65	13.12	10.33
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	21.31	10.05	4.86	4.80	14.59	12.27	13.93
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	25.27	12.56	20.83	4.41	23.61	13.75	14.39
2008-09	2.05	11.37	0.31	3.92	0.68	12.29	12.67

क:- वृद्धि की दर

ख:- स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्ष भाग

2008-09 में सकल कर राजस्व की वृद्धि की दर केवल 2.05 प्रतिशत थी जो 1992-2009 की अवधि के लिए 13.89 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर से बहुत कम है। इसी प्रकार, वर्तमान वर्ष के लिए गैर-कर राजस्व में वृद्धि, 9.42 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर के प्रति केवल 0.31 प्रतिशत

थी। परिणामतः विचारधीन अवधि के अंतर्गत संघ के कुल निवल राजस्व में वृद्धि 10.98 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर के प्रति केवल 0.68 प्रतिशत थी।

स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व का सापेक्ष अंश 10.08 प्रतिशत के प्रवृत्ति अंश के प्रति 2008-09 में (11.37 प्रतिशत) उच्च था। तथापि गैर-कर राजस्व के मामले में, 5.07 प्रतिशत के प्रवृत्ति अंश की तुलना में 2008-09 में अंश केवल 3.92 प्रतिशत था।

1.5.2 व्यय

तालिका 1.6 निर्दिष्ट करती है कि कुल व्यय में 27.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो 1992-2009 के दौरान 10.75 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर की अपेक्षा सीमांतक रूप से उच्च थी। कुल व्यय के घटकों में, राजस्व व्यय 11.66 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर की अपेक्षा 2008-09 में अधिक उच्च दर (37.47 प्रतिशत) पर बढ़ा, जबकि पूंजीगत व्यय में 10.6 प्रतिशत की धनात्मक प्रवृत्ति की तुलना में 33.68 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी।

तालिका 1.6 संघ सरकार व्यय के मुख्य पैरामीटर

अवधि	राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय		कर्ज एवं पेशगियां		कुल व्यय	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1992-2009 (औसत)	11.66	16.55	10.60	1.61	(-) 3.31	1.10	10.75	19.26
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	14.23	17.05	(-) 8.44	1.88	11.91	2.25	11.77	21.18
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	7.63	17.06	9.22	1.36	(-) 3.42	1.83	6.62	20.25
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	12.24	15.58	19.61	1.46	(-) 29.46	0.81	10.86	17.85
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	11.64	15.56	97.22	2.48	17.55	0.25	18.70	18.28
2008-09	37.47	18.98	(-) 33.68	1.46	23.85	0.27	27.65	20.71

क:- वृद्धि की दर

ख:- स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्ष भाग

जहाँ तक स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय के सापेक्ष अंश का संबंध है, 16.55 प्रतिशत का प्रवृत्ति अंश 2008-09 में (18.98 प्रतिशत) अंश की तुलना में कम था। तथापि पूंजीगत व्यय के मामले में चालू वर्ष के लिए (1.46 प्रतिशत) स.घ.उ. की प्रतिशत के रूप में, इस शीर्ष के सापेक्ष अंश की अपेक्षा प्रवृत्ति अंश 1.61 प्रतिशत उच्च था।

1.5.3 राजकोषीय असंतुलन

राजकोषीय असन्तुलन न केवल निरन्तर जारी रहे, बल्कि राशि में भी महत्वपूर्ण थे। जैसाकि नीचे तालिका 1.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.7 : स.घ.उ. से राजस्व तथा राजकोषीय घाटे का अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा
1992-2009 (औसत)	3.66	5.32	68.74
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	2.78	6.01	46.26
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	3.94	6.23	63.26
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	3.31	4.15	79.74
XIवीं योजना (2007-12)			
2007-08	1.81	3.49	51.79
2008-09	6.70	8.16	82.03

चालू वर्ष में राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा दोनों स.घ.उ. के प्रवृत्ति अनुपात से काफी उच्च थे। राजकोषीय घाटे की प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा भी 68.74 प्रतिशत के प्रवृत्ति अंश की तुलना में, 2008-09 में काफी उच्च (82.03 प्रतिशत) था।

1.5.4 राजकोषीय देयताएं

जैसा कि तालिका 1.8 में इंगित किया गया है कि 2008-09 में देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों का अनुपात (35.93 प्रतिशत) 44.43 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर की अपेक्षा कम था जो इंगित करता है कि देयताएं में परिसम्पत्तियों की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति 2008-09 के लिए देयताओं की उच्च वृद्धि दर (14.69 प्रतिशत) से, पिछले वर्ष (13.33 प्रतिशत) या 1992-2009 (11.29 प्रतिशत) की दीर्घ अवधि के साथ तुलना करने पर सुस्पष्ट होती हैं।

तालिका 1.8 संघ सरकार राजकोषीय देयताएं

(प्रतिशत)

अवधि	कुल देयताओं* की वृद्धि दर	कुल देयताएं/ स.घ.उ. अनुपात	ब्याज की औसत दर	देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों का अनुपात
1992-2009 (औसत)	11.29	56.92	8.32	44.43
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	12.48	60.39	7.91	57.68
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	11.85	58.84	9.06	50.90
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	8.98	57.14	8.09	40.26
XIवीं योजना (2007-12)				
2007-08	13.33	52.43	8.24	38.06
2008-09	14.69	53.37	8.10	35.93

* 1999-2000 से लोक लेखा देयताओं में राज्य सरकारों द्वारा एन.एस.एस.एफ. को जारी प्रतिभूतियों तक लघु बचतों के कारण देयताएं शामिल नहीं है तथा एन.एस.एस.एफ. में से 2007-08 से 1,500 करोड़ रु का भारतीय अवसंरचना वित्त कम्पनी में निवेश किया गया।

1.5.5 2008-09 में मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों पर स.घ.उ. के आधार में बदलाव का प्रभाव

इस संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जैसा कि पैरा 1.3 में वर्णित किया गया है कि सभी प्रवृत्तियों तथा स.घ.उ. में शामिल अनुपातों को 1999-2000 के आधार वर्ष पर परिकलित किया गया है। बाद में 28 जनवरी 2009, को सी.एस.ओ. ने आधार वर्ष को 2004-05 में परिवर्तित करने हेतु एक प्रैस नोट जारी किया। आधार वर्ष में परिवर्तन डाटा को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए किया जाता है तथा ये नए सर्वेक्षणों पर आधारित है। जबकि स.घ.उ. के संशोधित आंकड़े 2004-05 से लोक प्रदेश में उपलब्ध है तथा पूर्व वर्षों हेतु स.घ.उ. के आंकड़े सी.एस.ओ. द्वारा अभी जारी किए जाने है। यह मामला होने के कारण इस वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सभी गणनाएं पूर्व स.घ.उ. आधार पर आधारित है ताकि 1992-93 से आगे स्थिरता बनाई जा सके तथा दीर्घावधि प्रवृत्तियों को परिकलित किया जा सके। अगले वर्ष, सभी आंकड़ों को नए स.घ.उ. आधार वर्ष पर परिकलित किया जाएगा। तथापि चालू वर्ष हेतु जब नए स.घ.उ. आधार का प्रयोग किया गया वहाँ तालिका 1.9 मुख्य अनुपातों में भिन्नताओं को इंगित करती है।

तालिका 1.9: 2008-09 में मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों पर स.घ.उ. के आधार में बदलाव का प्रभाव
(स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में)

पैरामीटर	कीमत (करोड़ रूपयों में)	स.घ.उ. आधार 1999-2000*	स.घ.उ. आधार 2004-05*
सकल राजस्व प्राप्तियाँ	814026	15.30	14.60
कुल निवल प्राप्तियाँ	1598484	30.04	28.68
सकल कर राजस्व	605298	11.37	10.86
गैर-कर राजस्व	208728	3.92	3.74
लोक लेखा प्राप्तियाँ	584478	10.98	10.48
वास्तविक व्यय	1102366	20.71	19.78
राजस्व व्यय	1010224	18.98	18.12
ब्याज भुगतान	200580	3.77	3.60
पूँजीगत व्यय	77556	1.46	1.39
ऋण एवं अग्रिम	14586	0.27	0.26
ऋण का पुनर्भुगतान	2164560	40.67	38.83
योजनागत व्यय	275301	5.17	4.94
गैर-योजनागत व्यय	827065	15.54	14.84
कुल आर्थिक सहायता	129708	2.44	2.33
लोक लेखा संवितरण	515616	9.69	9.25
राजस्व घाटा	356377	6.70	6.39
राजकोषीय घाटा	434444	8.16	7.79
प्राथमिक घाटा	233864	4.39	4.20
कुल देयताएँ	2840135	53.37	50.95
आंतरिक ऋण	2019841	37.95	36.23
बाह्य ऋण	264059	4.96	4.74
लोक लेखा ऋण	556235	10.45	9.98
बकाया गारंटी	113335	2.13	2.03

* आधार वर्ष 1999-2000 के साथ वर्ष 2008-09 हेतु स.घ.उ. 53,21,753 करोड़ रू है तथा आधार वर्ष 2004-05 के साथ 55,74,449 करोड़ रू है।

अध्याय 2

लेखे पर टिप्पणियां

संघ लेखे के प्रस्तुतीकरण (परिशुद्धता, पूर्णता तथा पारदर्शिता) में अर्थपूर्ण कमियों से संबंधित टिप्पणियों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। विनियोग लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 7, 8 तथा 9 में सम्मिलित किया गया है। सरकार के खर्च करने पर नियमितता, मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता पर अभ्युक्तियां, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संसद को पृथक रूप से प्रस्तुत करने के लिए समाविष्ट की जाती हैं।

2.1 संघ के वित्त लेखे में बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का गैर-समावेश

बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) ने नवम्बर 2004 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में रोकड़ से लेखांकन के प्रोद्भूत आधार में लम्बित परिवर्तन को अधिक पारदर्शी एवं सूचित निर्णय लेने हेतु योग्य बनाने के लिए संघ सरकार के लेखे में आठ अतिरिक्त विवरणियों/सूचनाओं को शामिल करने के लिए अनुशंसा की थी। अनुशंसा को सरकार द्वारा सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विवरणियाँ निम्नलिखित थीं:

(i) दी गई स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों आर्थिक सहायता, की विवरणी (ii) विभिन्न विभागों/इकाईयों द्वारा वेतन पर व्यय सम्मिलित करते हुए विवरणी (iii) पेंशनभोगियों के व्यय का ब्यौरा और सरकारी पेंशन पर व्यय (iv) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताओं पर डाटा (v) ऋण तथा अन्य देयताओं के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची पर सूचना सम्मिलित करते हुए विवरणी (vi) सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन से उद्भूत सहित सरकार द्वारा अधिकार में रखे हुई वित्तीय परिसम्पत्तियों में सहवर्धन या अपरदन (vii) भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों को लागू करना तथा (viii) वेतन तथा गैर-वेतन हिस्से को अलग करते हुए अनुरक्षण व्यय पर विवरणी।

वर्ष 2007-08 के लिए संघ सरकार के लेखों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया था कि संघ सरकार के लेखों में कथित अतिरिक्त विवरणियाँ/सूचना को सम्मिलित करने हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) की अनुशंसाओं का, आयोग की अनुशंसाओं के चार वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी, अनुपालन नहीं किया गया था। यह भी अनुशंसा की गई थी कि वित्त मंत्रालय संघ वित्त लेखों में उपरोक्त अतिरिक्त विवरणियों को सम्मिलित करने हेतु एक विशिष्ट समय सीमा तैयार करे। मंत्रालय की कार्यवाही टिप्पणी नवम्बर 2009 तक प्रतीक्षित थी।

2008-09 के लिए वित्त एवं विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट कि कथित विवरणों, जैसा कि बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसा की गई थी, को उचित रूप से इस वर्ष के लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने दिसम्बर 2009 में बताया कि (i) दी गई स्पष्ट एवं अस्पष्ट आर्थिक सहायताओं से संबंधित विवरणियाँ, विभिन्न विभागों/इकाईयों द्वारा वेतन पर व्यय, पेशन भोगियों पर ब्यौरेवार व्यय तथा सरकारी पेंशनों एवं ऋण एवं अन्य देयताओं पर व्यय के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची एक दृष्टि पर व्यय बजट/लेखों में पहले से ही उपलब्ध थीं, (ii) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताओं पर डाटा, सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन से उद्भूत सहित सरकार द्वारा अधिकार में रखी हुई वित्तीय परिसम्पत्तियों में सहवर्धन या अपरदन तथा वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों अथवा भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं को लागू करने से संबंधित अन्य विवरणियों के समावेशन ने वर्तमान रोकड़ आधारित लेखाकरण/बजटीकरण प्रणालियों को उपयोगी रूप से प्रस्तुत नहीं किया था। वेतन एवं गैर-वेतन भागों के वियोजन को दर्शाने वाले अनुरक्षण व्यय के संबंध में, अनुरक्षण व्यय को समाविष्ट करने वाले छः मुख्य शीर्षों की पहचान की गई थी तथा सभी संघ मंत्रालयों को इन बदलावों को करने तथा उपयुक्त बजट प्रावधान तैयार करने हेतु सूचित कर दिया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि वित्त लेखों में अतिरिक्त विवरणियों को सम्मिलित करने पर सरकार के दृष्टिकोण को बारहवें वित्त आयोग को प्रेषित कर दिया गया था।

तथापि, तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रकटीकरण आवश्यकताओं में कोई सुधार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं करता है।

2.2 कार्यान्वयन अभिकरणों के खाते में अनिर्धारणीय अव्ययित शेष

हाल के वर्षों में, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार, साफ-सफाई आदि हेतु ध्वजपोत कार्यक्रमों तथा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार की कार्यनीति में उदाहरणीय विचलन हुआ है। इनमें से अधिकतर योजनाएं केन्द्रीय भाग के राज्य सरकार को हस्तांतरण के साथ लागत भागीदारी आधार पर पूर्व में कार्यान्वित की गई थी। अब संघ सरकार ने राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों, समितियों, गैर-सरकारी संस्थानों आदि को राज्य सरकार बजट से बाहर के.प्रा.का. के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय योजनागत सहायता को सीधे हस्तांतरण करना आरम्भ कर दिया है। राज्य तथा जिला स्तरीय कार्यान्वयन निकाय इन योजना निधियों को सरकारी खाते से बाहर बैंक में अपने खाते में रखते हैं।

वर्ष 2008-09 के लिए, संघ सरकार ने 83,224* करोड़ रु. की केन्द्रीय नियोजित सहायता को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीधे ही राज्य/सामयिक जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को अंतरित कर दिया। चूंकि निधियाँ उसी वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा खर्च नहीं की जा रही हैं, इसलिए उनके खातों में अव्ययित निधियों की पर्याप्त राशि पड़ी है। सरकारी लेखे से बाहर रखी गई, कार्यान्वयन अभिकरणों के खातों में अव्ययित शेष की कुल राशि सहज रूप से निश्चय नहीं है। इस प्रकार सरकारी व्यय जैसा कि लेखे में दर्शाया गया है का अधिकथन हुआ।

* व्यय बजट 2010-11 (खण्ड-1) के अनुसार

इस विषय पर पिछले वर्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी किन्तु इस परिस्थिति के निदान के लिए अभी ज्ञेय कदम नहीं उठाए गए हैं।

2.3 सरकारी लेखों में अपारदर्शिता

सरकारी वित्तीय व्यवस्था में अधिक खुलेपन की एक दिशा में सार्वभौमिक प्रवृत्ति है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि पारदर्शी बजटीकरण तथा लेखांकन अभ्यास यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन उद्देश्यों हेतु राज्यों द्वारा उठाई गई निधियां सरकार द्वारा किए गए वादे अनुसार व्यय की जाएंगी। लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक लेखा प्रपत्र है जिसमें सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय को विधानसभा को सूचित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा तथा अद्यतन किया जाता है ताकि वे सच्चे रूप से सभी महत्वपूर्ण पणधारियों की आधारभूत सूचना की जरूरतों को पूरा करने हेतु एक पारदर्शी रूप में सरकार के सभी मुख्य कार्यकलापों पर प्राप्ति तथा व्यय को प्रदर्शित कर सकें।

संघ सरकार वित्त लेखे 2008-09 की संवीक्षा ने उजागर किया कि लेखे (सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करते हैं) के 29 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 28,483.22 करोड़ रु. को लेखे में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किए गए कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था। यह लेखे में अपारदर्शिता की एक उच्च श्रेणी को दर्शाता है। आवास, विद्युत, नागर विमानन, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, कृषि वित्तीय संस्थानों, बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी, विदेशी व्यापार पर एवं निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत परिव्यय आदि जैसे मुख्य शीर्षों के ब्यौरे वर्गीकृत महत्वपूर्ण व्यय सहित "अन्य व्यय" के रूप में परिशिष्ट-II-क में दिए गए हैं।

इंदिरा आवास योजना (8,799 करोड़ रु.), पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु परियोजनाओं के लिए उपयोगिता के प्रति मिशन फ्लैक्सीबल पूल (2,599 करोड़ रु.), हज चार्टर हेतु सहायता (620 करोड़ रु.), सफाई वालों की मुक्ति तथा पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना (100 करोड़ रु.) आदि जैसी महत्वपूर्ण व्यय मदों को वित्त लेखों में विशिष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है लेकिन लघु शीर्ष "अन्य व्यय" में शामिल किया गया है।

इस पर वर्ष 2007-08 हेतु नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. सी.ए.13 में इस अनुशंसा के साथ कि सरकार द्वारा वित्तीय व्यवस्था को सूचित करने में अधिकतम पारदर्शिता को प्राप्त करने हेतु इस कमी का निदान करने के लिए सरकारी लेखे की संरचना की सरकार द्वारा एक व्यापक समीक्षा की जाए, टिप्पणी की गई थी। यद्यपि, आंतरिक उपाय के रूप में, लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) ने वित्त लेखे में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत आवृत्त महत्वपूर्ण व्यय, सरकार के वर्तमान कार्यकलापों को दर्शाने के लिए लेखे के नए शीर्षों को खोलकर तथा अप्रचलित लेखा शीर्षों को बन्द करने के माध्यम से लेखे की पुनर्संरचना का ब्यौरा देते हुए वित्त लेखे में फुटनोटों को जोड़ा गया है जिन्हें सरकार द्वारा स्थाई आधार पर समस्या का निदान करने हेतु नहीं लिया गया है।

2.4 लोक लेखे में निधियों का अपर्याप्त प्रकटीकरण

(i) राष्ट्रीय निवेश निधि

राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) की निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, निधि प्रबंधकों के साथ निवेशित पोर्टफोलियो से वार्षिक आय को आरम्भिक रूप से भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में मुख्य शीर्ष "1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" के नीचे "110- रा.नि.नि. की पोर्टफोलियो प्रबन्धन योजना (विवेकी माध्य) से आय" के अन्तर्गत आय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। तत्पश्चात्, आय को सामाजिक क्षेत्र योजनाओं पर व्यय तथा पुनुरुज्जीवनीय या लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजीगत निवेश के निवेश उद्देश्यों को पूरा करने हेतु मुख्य शीर्ष "8453-रा.नि.नि. का आय एवं व्यय लेखा" को अंतरित किया जाना होता है।

संघ वित्त लेखे 2008-09 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 84.81 करोड़ रू. की आय को भा.स.नि. के अंतर्गत आय के रूप में दर्शाते हुए मुख्य शीर्ष "8453-रा.नि.नि. का आय एवं व्यय लेखा" भा.स.नि. से आय के अंतरण को दर्शाने के लिए लोक लेखा में खोला नहीं गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008-09 के अन्त में अंतिम शेष को शीर्ष "8452-राष्ट्रीय निवेश निधि" के अन्तर्गत "शून्य" दर्शाया गया था, यद्यपि 31 मार्च 2009 को वास्तव में 1,814 करोड़ रू. का शेष निधि में उपलब्ध था। इस प्रकार दर्शाना संदेह एवं अपारदर्शिता का कारण बनता है जो इस बात को दर्शाता है कि अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया सही नहीं थी। अपारदर्शिता के हित में लेखांकन प्रक्रिया को उपयुक्त रूप से सुधारा जाना चाहिए ताकि रा.नि.नि. में सही शेष दर्शाया जा सके तथा इस निधि में से निवेश किया जा सके।

(ii) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां, लघु शीर्ष-118) को अप्रैल 2002 में राष्ट्रीय टेलीकॉम निति (रा.टे.नि.) 1999 में बल दिए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्वों को दिए गए महत्व को प्राप्त करने हेतु स्थापित किया गया था। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (सा.से.दा.) को पूरा करने के लिए संसाधनों को "सार्वभौमिक पहुँच उगाही" के माध्यम से एकत्र किए गए हैं जो भारतीय टेलीकॉम नियमन प्राधिकरण (ट्राई) की सलाह से सरकार द्वारा निश्चित किए गए विभिन्न लाईसेंसों के अन्तर्गत सभी टेलीकॉम प्रचालकों द्वारा अर्जित राजस्व की एक प्रतिशतता है। इसे समायोजित सकल राजस्व के पांच प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों हेतु सा.से.दा. का कार्यान्वयन निर्धारित सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है जिन्हें सा.दे.दा. निधि से निवल लागत (अर्थात् वार्षिकी पूंजीगत वसूली जमा प्रचालन खर्च घटा वार्षिक राजस्व) की प्रतिपूर्ति की जाती है।

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) द्वारा निधियों का प्रबंधन किया जाता है। सा.से.दा. के प्रति प्राप्त उगाही को सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है तथा बाद में

केन्द्र सरकार समय-समय पर सा.से.दा. को पूरा करने हेतु विशिष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए भारत के लोक लेखा में सा.से.दा. निधि को ऐसी प्राप्तियां जमा करती है। यह एक गैर-व्ययगत निधि है।

2002-03 से 2008-09 के दौरान दू.वि. द्वारा 26,163.96 करोड़ रू. की कुल सार्वभौमिक उगाही का संचयन किया गया किन्तु इस अवधि के दौरान निधि से केवल 7,971.44 करोड़ रू. का संवितरण किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च 2009 को निधि का अंतिम शेष, भारत के लोक लेखे में शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां, 118-सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के अंतर्गत दर्शाए गए "शून्य" शेष के प्रति 18,192.52 करोड़ रू. होना चाहिए था। इसलिए, 18,192.52 करोड़ रू. तक सा.से.दा. निधि के अंतिम शेष को कम बताया गया।

मामला भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन 2008 की सं. पी.ए.1 तथा वर्ष 2007-08 के लिए सी.ए.13 में सूचित किया गया था। मंत्रालय ने पैराग्राफ में शामिल तथ्यों एवं आंकड़ों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए बताया कि भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003, के अनुसार सा.से.दा. निधि का प्रयोग विशिष्ट रूप से सा.से.दा. को पूरा करने के लिए किया जाना है तथा निधि में जमा शेष था जो वित्तीय वर्ष के अन्त में व्ययगत नहीं होगा। भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 9(क)(2) तथा 9ख प्रावधान करता है कि सा.से.दा. के लिए प्राप्त की गई राशि को सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि को जमा किया जाएगा तथा; यदि संसद, द्वारा इस आशय में, विधि द्वारा किए गए पुनर्विनियोग द्वारा यदि प्रावधान किया जाता है तो केन्द्र सरकार ऐसी प्राप्तिओं को सा.से.दा. को पूरा करने हेतु समय-समय पर विशिष्ट रूप से प्रयोग करने हेतु निधि में जमा करेगा। वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान सा.से.दा. निधि के अंतर्गत संसदीय अनुमोदन के माध्यम से 5,081 करोड़ रू. की राशि का अंतिम आबंटन प्राप्त किया गया तथा इस प्रकार आबंटित समग्र राशि को पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि नई योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात् सहकारी चल अवसंरचना फेस-I, ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में वायर लाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, आरम्भ की गई थी। इसके अतिरिक्त, देश में ब्लाक तथा जिला मुख्यालय के बीच ओ.एफ.सी. संवर्धन हेतु योजना, ग्रामीण दूरसंचार हेतु नए प्रौद्योगिकी विकास के आरम्भ करने हेतु योजना, तथा पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना की सहायतार्थ योजना का सूत्रीकरण, सूत्रीकरण के अंतिम चरणों के अंतर्गत है।

यह अनुशंसा की जाती है कि दूरसंचार विभाग को आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए तथा सार्वभौमिक पहुँच उगाही की सभी प्राप्तिओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उसी वित्तीय वर्ष में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरित करना चाहिए ताकि निधि शेषों को लेखों में सही रूप से दर्शाया जा सके। दू.वि. को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त योजनाएं नियोजित की गई हैं तथा समय से पूरी की गई हैं ताकि सा.से.दा. उद्देश्यों को पूरा किया गया है तथा निधि शेषों की उन्हीं उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया गया है जिनके लिए इन्हें संग्रहित किया गया था। वर्तमान में, उगाही द्वारा संग्रहित अव्ययित शेषों को आंशिक रूप से बजटीय घाटे के वित्तपोषण हेतु प्रयोग किया जा रहा है।

(iii) संसाधनों का गैर-व्ययगत केन्द्रीय पूल

भारत सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के विशिष्ट कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने के लिए भारत के लोक लेखे में "उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास केन्द्रीय संसाधन पूल" शीर्ष का वर्ष 1998-99 के लिए संघ बजट में संसाधनों का गैर-व्ययगत केन्द्रीय पूल (सं.गै.व्य.के.पू.) का सृजन किया। योजना का मुख्य उद्देश्य बजटीय वित्तपोषण के प्रवाह को बढ़ा कर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों (उ.पू.क्षे.) में सामाजिक तथा भौतिक अवसंरचना जैसे कि सड़कें एवं पुल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि के तीव्र विकास को सुनिश्चित करना था। सं.गै.व्य.के.पू. निधि को उ.पू.क्षे. पर व्यय करने हेतु अभिप्रेत केन्द्रीय मंत्रालयों की उद्दिष्ट 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता में से अव्ययित राशि से वित्तपोषित किया जाना था।

तथापि, लोक लेखे में ऐसी कोई आरक्षित निधि सृजित नहीं की गई थी तथा सं.गै.व्य.के.पू. योजना का वित्तपोषण वार्षिक बजट प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावित किया जा रहा था। इस प्रकार, प्रभावी रूप से संसाधन का कोई "गैर-व्ययगत" पूल उपलब्ध नहीं है। सं.गै.व्य.के.पू. का प्रोफार्मा आधार पर अनुरक्षण किया जा रहा है। 31 मार्च 2008 को, सं.गै.व्य.के.पू. में 6,963.79 करोड़ रु. का अंतिम शेष था।

योजना आयोग तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (उ.पू.क्षे.वि.मं.) ने उ.पू. राज्यों के लिए सकल बजटीय सहायता के अनिवार्य 10 प्रतिशत उपयोग के लिए कार्यान्वयन ढांचे पर चर्चा की थी (जून 2008)। यह स्वीकार करते समय कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बजट का उद्दिष्ट 10 प्रतिशत का उपयोग सुधरा था; एक अलग "लेखा शीर्ष" सृजित करने के मामले पर योजना आयोग ने पाया था कि "केन्द्रीय पूल" प्रारम्भ से वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा अनुरक्षित किया जा रहा एक राष्ट्रीय लेखा था तथा कि एक अलग लेखा सृजित करने की आवश्यकता थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि सं.गै.व्य.के.पू. के लिए लेखे के अलग शीर्ष का सृजन सुसंगत नहीं होगा क्योंकि मंत्रालयों/विभागों के लिए सं.गै.व्य.के.पू. को अंतरण हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक सम्भाव्य रूप से अप्रयुक्त बची निधियों की प्रमात्रा का अनुमान लगाना मुश्किल था। अनुवर्ती वर्षों में इन अप्रयुक्त राशियों के अंतरण से भारत सरकार के वित्तपोषणों पर विवक्षा हो सकती है तथा यह प्रतिकूल रूप से घाटे के लक्ष्य को प्रभावित भी करेगा। इस प्रकार, वित्त मंत्रालय ने विचार प्रकट किया कि सं.गै.का.के.पू. को प्रोफार्मा आधार पर अनुरक्षित किया जाना जारी रखा जा सकेगा।

तथापि, उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2010) कि 'लोक लेखे में गैर-व्ययगत पूल का सृजन वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं की प्रकृति एवं प्रमात्रा का निर्धारण करने में लाभकारी होगा। योजना के लिए बजटीय सहायता प्राप्त करने के बजाए मंत्रालय को आवश्यकतानुसार पूल से सीधे निधियों का आहरण करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए'।

प्रोफार्मा आधार पर सं.गै.व्य.के.पू. का अनुरक्षण करने की वर्तमान प्रक्रिया मंत्रिमण्डल के नवम्बर 1997 में लिए निर्णय के उल्लंघन में है जो भारत के लोक लेखे में एक अलग

निधि के सृजन के लिए प्रावधान करता है। जब तक गैर-व्ययगत निधि का सृजन नहीं किया गया है, तब तक सं.गै.व्य.के.पू. का अप्रयुक्त शेष भारत की संचित निधि का भाग होना जारी रहेगा तथा उद्देश्य, जिसके लिए यह अभीष्ट थी, के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। वित्त मंत्रालय तथा उ.पू.क्षे.वि. मंत्रालय द्वारा उठाए गए बजटीय एवं लेखांकन मुद्दों का नि.म.ले.प. एवं अन्य पणधारियों की सलाह से निदान किया जा सकता है।

2.5 सरकारी लेखों से बाहर पड़ी लोक निधियाँ

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) ने जनवरी 2005¹ में सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनुरक्षित किया गया है।

पाँच नियामक निकायों अर्थात् भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.), पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पें.नि.वि.प्रा.), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (के.वि.नि.आ.) तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पै.प्रा.गै.नि.बो.) के वार्षिक लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ये निकाय मार्च 2009 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों आदि के माध्यम से सृजित कुल 1,747.37² करोड़ रु. की अपनी अधिशेष निधियों को, सरकारी लेखों से बाहर रख रहे थे। इस प्रकार, संघ सरकार के वित्त लेखे सरकारी लेखों के बाहर पड़ी 1,747.37 करोड़ रु. की निधियों की सीमा तक, सरकारी वित्त व्यवस्था की यथोचित एवं पूर्ण तस्वीर प्रकट नहीं करते हैं।

मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. सी.ए.13 ने बी.नि.वि.प्रा. तथा भा.प्र.वि.बो. द्वारा निधियों को सरकारी लेखों से बाहर रखने को उजागर किया था।

वित्त मंत्रालय ने जून 2009 की अपनी कार्यवाही टिप्पणी में बताया था कि भा.प्र.वि.बो. की निधियों की लोक लेखे में रखने हेतु संचालनात्मक ब्यौरे तैयार किए जा रहे थे। दिसम्बर 2009 में, मंत्रालय ने बताया है कि लोक लेखे में भा.प्र.वि.बो. एवं बी.नि.वि.प्रा. की निधियों का संचालन करने के संबंध में व्यवस्था को प्रतिज्ञापित करने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों को तैयार कर लिया गया था तथा विस्तृत लेखांकन प्रक्रिया का निरूपण करने हेतु लेखा महानियंत्रक को भेज दिया गया था।

जुलाई 2009 में के.वि.नि.आ. ने बताया कि मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ के अंतर्गत एक अलग लघु शीर्ष 126-के.वि.नि.आ. निधि को लेखा महानियंत्रक द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था तथा इस निधि को 2009-10 के दौरान अनुदानों की माँग हेतु खोला जाएगा। सितम्बर 2009 में पै.प्रा.गै.नि.बो. ने बताया कि इस मामले पर पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था।

¹ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) का.आ.सं. एफ.1 (30)-बी (ए.सी.) /2004 दिनांक 07 जनवरी 2005

² भा.प्र.वि.बो. - 1,235.83 करोड़ रु., बी.नि.वि.प्रा. 470.74 करोड़ रु., पें.नि.वि.प्रा.- 0.42 करोड़ रु. के.वि.नि.आ.- 26.29 करोड़ रु. तथा पै.प्रा.गै.नि.बो.- 14.09 करोड़ रु.

नवम्बर 2009 में पें.नि.नि.वि.प्रा. ने बताया कि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार (भा.स.) से अनुदानों द्वारा वित्तपोषित था तथा वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित शेष से पिछले वर्ष के अनुदानों के प्रति क्षतिपूर्ति की गई थी। यह भी बताया गया कि इसका स्तर भा.प्र.वि.बो. एवं बी.नि.वि.प्रा. के समान नहीं था तथा यह जनवरी 2005 के भारत सरकार के अनुदेशों के विस्तार के अंतर्गत नहीं आता था। तथापि, वित्त मंत्रालय के कथित अनुदेश ने नियामक निकायों के बीच अंतर नहीं किया।

2.6 करों की वापसी पर ब्याज का गलत लेखांकन

अधिक कर की वापसी पर ब्याज भुगतान भारत की संचित निधि पर प्रभारित है तथा इस प्रकार, सामान्य बजटीय क्रियाविधि के माध्यम से देय है। इस लेन-देन को संघ लेखों में दर्ज करने हेतु लेखे के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में मुख्य शीर्ष '2020-आय एवं व्यय पर करों का एकत्रण' के अंतर्गत एक अलग लघु शीर्ष '108-वापसी पर ब्याज' को शामिल किया जाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2008-09 के बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज हेतु कोई बजट प्रावधान तैयार नहीं किया गया था तथा 5,785.36 करोड़ रु की राशि की आयकर वापसियों पर ब्याज पर व्यय को संघ सरकार के लेखे 2008-09 में संघ सरकार के राजस्व में कटौती के रूप में माना गया था। ऐसे लेखांकन समायोजन न केवल लेखांकन नियमावली के उल्लंघन में है बल्कि इनका परिणाम बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर व्यय प्रभारित करने में भी होता है। वास्तव में, 92 करोड़ रूपये के आयकर की वापसी पर ब्याज का, 2001-02 के बजट में एक व्यय मद के रूप में बजटीकरण किया गया था। तथापि, संशोधित अनुमानों के स्तर पर, वापसी पर ब्याज को प्राप्ति के रूप में दर्शाने की पहले की पद्धति को प्रत्यावर्तित कर दिया गया था।

वापसियों पर ब्याज को राजस्व में कटौती के रूप में वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप, व्यय के साथ-साथ 2008-09 के लिए संघ सरकार के राजस्व को संघ सरकार के लेखों में 5,785.36 करोड़ रु तक कम बताया था।

2004, 2005, 2006, 2007 तथा 2008 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में भी इस पद्धति पर टिप्पणी की गई थी।

2.7 आयकर कल्याण निधि का सृजन

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने आयकर कल्याण निधि (आ.क.नि.) का सृजन किया तथा पिछले तीन वर्षों में निधि के प्रति 100 करोड़ रु का अंतरण किया। निधि को (i) आयकर विभाग के अधिकारियों की कल्याण, मनोरंजन तथा अन्य बाह्य गतिविधियों के उन्नयन, (ii) चोट अथवा दुर्घटना जैसी आकस्मिकताओं के दौरान अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, (iii) मृत अधिकारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान प्रदान करने, (iv) अधिकारियों को आपातकालीन एवं गम्भीर संकट हेतु, जो कि के.स.स्वा.यो. प्रतिपूर्ति नियमावली के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिपूर्तियोग्य नहीं है, जोखिम बीमा सहित चिकित्सा अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों को प्रदान करने, (v) अधिकारियों के

उपयोग हेतु अवकाश गृहों का निर्माण/किराए पर लेना/पट्टे पर लेना/साज-सज्जा/अनुरक्षण आदि के उद्देश्य के साथ सृजित किया गया था।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निधि के सृजन पर इस आधार पर सहमत नहीं हुआ था कि निधि द्वारा आवृत्तन की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल किया जा सकेगा तथा यह सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए। लोक लेखे के ब्याज वहन करने वाले वर्गों के अंतर्गत निधि का सृजन, ब्याज की आवृत्ति जो कि सामान्य संसदीय वित्तीय नियंत्रण के अधीन नहीं होगी देयताओं के लिए आवश्यक था। निधि का उपयोग, संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांगों के मामले के रूप में, मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित किए जाएंगे और इस प्रकार, यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) किसी एक वर्ग के लोगों या व्यक्तिगत के लाभ हेतु लोक धन से व्यय अनुमत नहीं करती जब तक कि व्यय मान्यताप्राप्त नीति या व्यवसाय के अनुसरण में नहीं था। इसके अतिरिक्त, अगर उद्देश्य, अधिकारियों/अधिकारियों के परिवार के सदस्यों, जिन्होंने अन्वेषण/गिरफ्तारी कार्रवाई के दौरान क्षति/मृत्यु का सामना किया, को आवृत्त करना तथा अधिकारियों हेतु आवृत्त उच्च जोखिम बीमे के प्रावधान को शामिल करना है, तो भारत सरकार की निर्दिष्ट योजना के अंतर्गत प्रावधान किया जा सकता है या ऐसे उद्देश्यों हेतु वर्तमान निधियों के अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों में सम्मिलित किया जा सकता है। निधि/योजना को सरकारी कार्यों को पूरा करने में समान जोखिमों का सामना करने वाले अन्य विभागों के अधिकारियों/स्टाफ पर भी लागू किया जाना चाहिए। उल्लेखित दिए अन्य उद्देश्यों को मंत्रालय की अनुदानों हेतु माँग में मानक विषय शीर्षों 'पुरस्कार', 'चिकित्सा उपचार', 'कार्यालय व्यय', 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (मार्च 2010) कि सा.वि.नि. एवं अन्य नियमावली के नियंत्रण से अलग निधि का सृजन करने का उद्देश्य लचीलापन प्रदान करना था तथा कि आ.क.क.नि. इस प्रकार की प्रथम नहीं थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सभी विभागीय विनियम जहाँ तक वह वित्तीय स्वरूप के आदेशों अथवा अनुदेशों को साकार करते हैं या आवश्यक वित्तीय व्यवहार है सा.वि.नि. द्वारा नियंत्रित है जो लोक अथवा व्यक्तिगत के एक विशिष्ट वर्ग के लाभ के लिए लोक धन से व्यय को अनुमत नहीं करता है।

2.8 नि.म.ले.प. की सलाह के बिना लेखांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन

रक्षा मंत्रालय का कैंटीन भण्डारण विभाग (कै.भ.वि.) सैनिकों एवं उनके परिवारों को बाजारी दरों से सस्ते मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता के उपभोक्ता सामान प्रदान कराने के लिए उत्तरदायी है। कै.भ.वि. के सभी व्यय एवं प्राप्तियाँ भारत की समेकित निधि में दर्ज होती हैं। मंत्रालय उस प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है जिसके अंतर्गत एक विशिष्ट वर्ष में कै.भ.वि. द्वारा सृजित कुल निवल लाभ का 50 प्रतिशत के बराबर की निधियों का शीर्ष 2075.00.108.01.00.31 के अंतर्गत "सहायता अनुदान" के रूप में पुनर्विनियोजित/संवितरित किया जाता था। तथापि, वर्ष 2005-06 से, रक्षा मंत्रालय ने इस व्यय को 2075.00.108.01.00.32 के अंतर्गत एक अलग विषय शीर्ष "अंशदान" के अंतर्गत दर्ज

करना शुरू किया। विषय शीर्ष "अंशदान" के अंतर्गत इस व्यय का प्रावधान तथा दर्ज करना गलत था क्योंकि भुगतान की प्रकृति यह रह जाती है जो समेकित निधि से अनुदान की है। 2005-06 से 2009-10 के दौरान "सहायता अनुदान" की बजाए "अंशदान" के रूप में लगभग 448 करोड़ रु. का व्यय नीचे दिए ब्यौरों के अनुसार अनियमित रूप से प्रभारित/प्रदान किया गया था:

तालिका 2.1: अंशदान के रूप में दर्ज व्यय

वर्ष	"सहायता अनुदान" की बजाए "अंशदान" के रूप में दर्ज व्यय की राशि
2005-06	77.38
2006-07	73.12
2007-08	91.82
2008-09(ब.अ.)	91.61
2009-10(ब.अ.)	114.01
योग	447.94

उपरोक्त अनियमित प्रक्रिया ने इन राशियों की उपयोगिता पर वित्तीय नियंत्रणों जो कि सामान्य वित्तीय नियमावली के अंतर्गत है को कम किया तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों का केवल "सहायता अनुदानों" के लिए आग्रह किया जा सकता है।

लेखांकन नीति में एक ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना किया गया था जैसा कि भारत के संविधान के अंतर्गत अपेक्षित है। इसने गम्भीरता से ऐसे संवितरणों की जवाबदेही कम की। यह विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ऐसे संवितरण इकाई/संरचना तक फैल गए तथा इकाई की रेजिमेन्टल निधि का भाग बन गए। सहायता अनुदानों को सेवाओं द्वारा रेजिमेन्टल निधि में क्रेडिट किया गया था तथा सभी उद्देश्यों के लिए प्राप्तकर्ता के हाथों में गैर-लोक निधि के रूप में माना गया था।

2.9 निधियों का अस्वीकार्य पुनर्विनियोग

पूंजीगत वर्ग से राजस्व वर्ग को निधियों का पुनर्विनियोग या कार्यक्रम वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.), 1978 के नियम 10 के अंतर्गत अनुमत नहीं है। इसके अतिरिक्त, योजनागत से गैर-योजनागत वर्ग को निधियों का पुनर्विनियोग केवल वित्त मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति से ही अनुमत है।

जल संसाधन मंत्रालय ने वि.श.प्र.नि. के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में अनुदान के पूंजीगत (योजनागत) वर्ग से राजस्व (गैर-योजनागत) वर्ग को 14,23,29 रु. (हजार) की निधियों का पुनर्विनियोग को सम्मिलित करके 31 मार्च 2009 को एक पुनर्विनियोग आदेश जारी किया। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, लेखा महानियंत्रक ने, यह बताते हुए कि जल संसाधन मंत्रालय ने अनुदान के पूंजीगत से राजस्व वर्ग को 14,23,29 रु. (हजार) का गलत पुनर्विनियोग किया, अनुदान सं. 103-जल संसाधन मंत्रालय के विनियोग लेखों में प्रकटीकरण किया।

मंत्रालय द्वारा किए अनुदान के पूंजीगत (योजनागत) वर्ग से राजस्व (गैर-योजनागत) वर्ग को 14,23,29 रू. (हजार) की निधियों का पुनर्विनियोग के लिए अनियमित आदेश को अगर लेखे में लिया गया था तो राजस्व (दत्तमत) व्यय 906,28,00 रू. (हजार) से 920,51,29 रू. (हजार) तथा पूंजीगत (दत्तमत) व्यय 111,37,00 रू. (हजार) से 97,13,71 रू. (हजार) के लिए संसदीय प्राधिकरण के परिवर्तन का प्रभाव था।

2.10 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम प्रोफार्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली अनुबंध करती है कि वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम सहायक लेखों तथा प्रोफार्मा लेखों, जैसा भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का अनुसंधान करेंगे। मार्च 2009 तक वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति के 43 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का प्रोफार्मा लेखे, जिसमें सामान्यतः व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सम्मिलित होते हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से सुनिश्चित किया जाता है। जबकि भारत सरकार की प्रैस व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफार्मा लेखे तैयार करती हैं फिर भी प्रकाशन विभाग ने केवल भण्डारण लेखा तैयार करता है। उनके नवीनतम उपलब्ध लेखों के आधार पर विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति को परिशिष्ट-II-ख में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि उपक्रमों के संबंध में प्रोफार्मा लेखे एक से चौबीस वर्षों के बीच की अवधि के लिए बकाया थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: बकाया में प्रोफार्मा लेखों की स्थिति

अवधि जिसके लिए लेखे बकाया पड़े थे		
वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1-8	2002-03 से 2008-09	26
9-16	2000-01	2
17-24	1992-93	1
	योग	29

प्रोफार्मा लेखे के अभाव में, इन संगठनों, जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधित किया जाना नियत है, द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत का पता नहीं लगाया जा सकेगा। उनकी गतिविधियों हेतु निवेश पर वापसी, लाभकारिता आदि जैसे निष्पादन संकेतकों को निर्धारित करना भी संभव नहीं था। विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रमों के संबंध में लेखों के संकलन में विलम्ब को संबंधित मंत्रालय के सचिवों के ध्यान में लाया गया था।

2.11 हानियों तथा गैर-वसूलनीय देयों को बट्टे खाते में डालना/अस्थगित करना

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई वर्ष 2008-09 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/अस्थगित की गई हानियों तथा गैर-वसूलनीय देयों को परिशिष्ट-II-ग में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि 2008-09 के दौरान, 299 मामलों में, 385.53

लाख रू. बट्टे खाते में डाले गए थे। वर्ष के दौरान, अस्थगित की वसूलियाँ तथा 1629 मामलों में किए गए अनुग्रह भुगतान कुल 127.41 करोड़ रू. तक थे।

2.12 विषय शीर्ष "अंशदान" के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली विषय शीर्ष, कोड तथा विवरण/परिभाषा को संहिता बद्ध करती है। यह अनुदानों हेतु विस्तृत माँग तैयार करने तथा संघ सरकार के लेखों का समेकन का आधार बनाने के लिए है।

विदेश मंत्रालय की अनुदान हेतु विस्तृत माँग की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय के व्यय की बड़ी राशि मुख्य शीर्ष "2061-विदेश मामले" तथा मुख्य शीर्ष "3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग" के नीचे विषय शीर्ष "अंशदान" के अंतर्गत प्रभारित किया जा रहा है।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली के अनुसार, विषय शीर्ष "अंशदान" का अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता के प्रति व्यय को वर्गीकृत करना है। सहायता अनुदान के लिए प्रावधानों को प्रदर्शित करने के लिए अलग विषय शीर्ष है। अनुदानों के लिए विस्तृत माँगों में, जबकि मंत्रालय ने विषय शीर्ष "अंशदान" के अंतर्गत राष्ट्रमण्डल सचिवालय, संयुक्त राष्ट्रों, सार्क आदि को अंशदानों को सही तरह वर्गीकृत किया फिर भी देशों को सहायता के प्रति प्रभारित व्यय को भी सही तरह बजटीकृत किया जाना था तथा विषय शीर्ष "सहायता अनुदान" के बजाए उसी शीर्ष में दर्ज किया।

2.13 अन्य अभ्युक्तियाँ

2.13.1 संघ के वित्त लेखों की विवरणी 15, जो संघ सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिमों को अंकित करती है, में (-)294.12 करोड़* रू. को जहाजरानी विकास निधि समिति (ज.वि.नि.स.) के प्रति बकाया के रूप में दर्शाया गया है। तथापि, ज.वि.नि.स. दिसम्बर 1986 से समाप्त हो गई थी तथा इसकी सभी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को ज.वि.नि.स. (समापन), अधिनियम 1986 की धारा 4 के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अंतरित किया गया था।

ले.म.नि. ने बताया (अक्टूबर 2009) कि मामला स्पष्टीकरण हेतु आर्थिक कार्य विभाग को प्रेषित कर दिया गया था।

2.13.2 संघ के वित्त लेखों की विवरणी-7, जो दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के बीच संवितरण को अंकित करती है, में राज्य सरकार को दिए ऋण एवं अग्रिमों को प्रभारित व्यय के रूप में तथा जो दत्तमत व्यय के रूप में संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) सरकारों को अग्रिम दिया गया है फिर भी दोनों सरकारों को ऋण का उद्देश्य गैर-योजनागत योजनाओं हेतु है।

ले.म. ने, यह बताते हुए कि संघ शासित क्षेत्र सरकारों को ऋणों को दत्तमत वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था क्योंकि सं.शा.क्षे. सरकारों का बजट गृ.मं. के अंतर्गत

* प्रतिकूल शेष

आता है तथा कथित ऋणों का पुनर्भुगतान प्राप्त करने के लिए बिना गारंटी सहित संसाधनों में अंतराल को पूरा करने के लिए संवितरण किया गया था, गृह मंत्रालय (गृ.मं.) के उत्तर का समर्थन किया (फरवरी 2010)।

2.13.3 भारत सरकार ने एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विलयन को मार्च 2007 में स्वीकृत किया। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक नई कम्पनी अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय उड्डयन कम्पनी लिमिटेड (भा.रा.उ.क.लि.) संस्थापित की गई थी। तथापि, 2008-09 के वित्त लेखों में एयर इंडिया को 153.84 करोड़ के निवेश के साथ तथा इंडियन एयरलाइंस को 432.14 करोड़ रु. के निवेश के साथ अलग कम्पनियों के रूप में दर्शाया जा रहा है।

यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय उड्डयन कम्पनी लिमिटेड के साथ एयर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड की संलयन की योजना सभी तीनों कम्पनियों के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत की गई थी फिर भी वर्ष 2008-09 के लिए संघ के वित्त लेखों में उन्हें दो अलग लो.क्षे.उ. के रूप में दर्शाया जाना जारी रहा।

ले.म.नि. ने बताया (नवम्बर 2009) कि विसंगति इस तथ्य के कारण थी कि संलयन की योजना तथा तदनुसूच लेखाकरण लेन-देनों को नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

2.13.4 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुसार, कर्मचारी पेंशन निधि को केन्द्र सरकार के अंशदान को भारत सरकार के लोक लेखे में रखा जाना होता है। मंत्रालय संघ सरकार के लेखों में प्र.ले.का. द्वारा आवश्यक समायोजनों हेतु अंशदान (तथा उस पर ब्याज हेतु) के केन्द्र सरकार के अंश के संबंध में संस्वीकृतियां जारी करता है। संस्वीकृतियों की प्रतियाँ इसके वार्षिक लेखों में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) को भी प्रेषित की जाती है। इस प्रकार, कर्मचारी पेंशन निधि को पेंशन अंशदान को सरकारी अंश के शेष, जैसा कि लोक लेखे तथा क.भ.नि.सं. के लेखों में अंकित किया गया है, से मेल खाने चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2007-08 के लिए क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखों के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों में अंकित 36,939.04 करोड़ रु. के प्रति पेंशन निधि को केन्द्र सरकार का अंशदान (ब्याज सहित) 36,809.06 करोड़ रु. था जो दो वित्तीय दस्तावेजों में उत्पन्न 129.98 करोड़ रु. का अंतर प्रदान कर रहा था। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2010) कि 129.98 करोड़ रु. के बताए गए अन्तर का समाधान कर दिया गया था तथा यह अंतर वर्ष 1990-91 तक लेखों में उसी मुख्य शीर्ष 8342 के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन निधि के अंतर्गत कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना (क.ज.जु.बी.यो.) के आंकड़ों की अतिव्याप्ति के कारण था।

2.14 लेखों की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक

2008-09 के संघ वित्त लेखों की शुद्धता (i) उचित शीर्षों के अंतर्गत अंतिम वर्गीकरण की प्रतीक्षा कर रहे लेने-देनों की बड़ी संख्या, (ii) ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) लेखाशीर्षों के अंतर्गत बढ़ते हुए प्रतिकूल शेषों की मात्रा तथा (iii) उनके समाशोधन हेतु

समय से कार्रवाई में कमी के कारण निरन्तर बकाया शेष जैसे घटकों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

लेखापरीक्षा ने ऋण, जमा, प्रेषण तथा उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की ले.भ.नि. के कार्यालय तथा पांच प्रधान लेखा कार्यालयों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के.उ.सी.शु.बो.), गृह मंत्रालय (गृ.मं.), सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक (स.ले.ले.नि.), शहरी विकास मंत्रालय तथा वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) में पिछले पांच वर्षों से संबंधित अभिलेखों की एक विस्तृत जांच की थी। इन प्र.ले.का. को, शेषों समाहार तथा वर्षों से उनके संचयन के आधार पर चुना गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

2.14.1 मुख्य उचन्त लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष

‘उचन्त शीर्ष’ नामित लेखे के कुछ मध्यवर्ती/समायोजक शीर्ष उन प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी लेखाओं में खोले गए हैं जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखों के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखे के इन शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अन्तिम रूप से तब समाशोधित किया जाता है जब उनके संबंधित अन्तिम शीर्षों में दर्ज किया जाता है। यदि इन राशियों का समाशोधित रहती है तो उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत शेष संचित होगा तथा सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को भी सही रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा।

वे.ले.का. द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लघु-शीर्षवार उचन्त शेषों हेतु खाता उप/वर्गीकृत शीर्षवार वे.ले.का. द्वारा, जहाँ कहीं आवश्यक हो, और प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक से उचन्त शेषों की समीक्षा करना तथा नियमित मानीटरिंग के उद्देश्य हेतु म.ले.नि. को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2009 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार को सम्मिलित करते हुए संघ वित्त लेखे में उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत कुल निवल शेष 18,880.85 करोड़ रु. (डेबिट) था। यह शेष सिविल मंत्रालयों के संबंध में 4,890.01 करोड़ रु. (डेबिट), रक्षा के लिए 7,408.78 करोड़ रु. (डेबिट), रेलवे से संबंधित 1,630.86 करोड़ रु. (डेबिट), डाक के लिए 3,285.64 करोड़ रु. (डेबिट) तथा दूरसंचार के लिए 531.88 करोड़ रु. (डेबिट) तथा भारत सरकार क्षतिपूर्ति विमोचन (ईराक को निर्यात योजना) बंधपत्र 2001 के संबंध में 1,133.68 करोड़ रु. (डेबिट) है। वित्त लेखे उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं तथा इसलिए, इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक महत्ता संसद को प्रस्तुत किये गए सरकार के वार्षिक लेखे में सूचित नहीं की जाती है। इन शीर्षों के अन्तर्गत सही शेष को विभिन्न उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत पृथक रूप से डेबिट और क्रेडिट को केवल संकलित करके परिकलित किया जा सकता है। डेबिट/क्रेडिट शेष को निवल करने से वित्त लेखे में उचन्त शेषों को अर्थपूर्ण न्यूनोक्ति में होता है। यह न्यूनोक्ति लघु शीर्ष के साथ-साथ मुख्य शीर्ष स्तर दोनों में होती है। पिछले पांच वर्षों के

लिए सिविल मंत्रालयों के मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत उचन्त शेषों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.3: मुख्य उचन्त शेषों के अंतर्गत बकाया शेष

(करोड़ रूपयों में)

लघु शीर्ष का नाम	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.
101-पी.ए.ओ उचन्त	1803.25	237.75	1720.37	121.15	1844.33	692.30	2882.39	617.77	2512.92	524.57
निवल	(-) 1565.50		(-) 599.22		(-) 1152.04		(-) 2264.62		(-) 1988.35	
102- उचन्त लेखा (सिविल)	1013.35	314.60	1013.92	308.14	1022.42	308.95	1087.28	10310.30	1608.78	1443.21
निवल	(-) 698.75		(-) 705.78		(-) 713.47		9223.02		(-) 165.57	
107-रोकड़ निपटान	253.25	16.04	318.75	16.57	383.18	16.57	362.14	16.58	349.49	16.57
निवल	(-) 237.21		(-) 302.18		(-) 366.61		(-) 345.56		(-) 332.92	
108-पी.एस.बी. उचन्त	1324.66	280.08	1690.31	848.86	4979.41	1029.07	6517.28	782.19	3526.51	1942.36
निवल	(-) 1044.58		(-) 841.45#		(-) 3950.34		(-) 5735.09		(-) 1584.15	
109- रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्या.)	259.05	185.07	261.29	195.48	259.05	185.11	11.37	190.89	11.37	190.04
निवल	(-) 73.98		(-) 65.81		(-) 73.94		179.52		178.67	
110- रिजर्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय	60.07	380.70	73.22	312.55	116.12	294.59	209.18	48.57	339.41	47.09
निवल	248.63		239.32		178.48		(-) 160.61		(-) 292.32	
115- विदेश में क्रय इत्यादि	1082.73	-	1008.98	-	994.46	-	536.65	-	877.79	-
निवल	(-) 1082.73		(-) 1008.98		(-) 994.46		(-) 536.65		(-) 877.79	
129- सामग्री क्रय निपटान	(-) 118.09	45.82	(-) 124.73	74.00	(-) 127.62	96.17	156.31	107.84	167.82	115.88
निवल	(-) 72.26		(-) 50.74		(-) 31.45		(-) 48.47		(-) 51.94	
136-प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतीक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियाँ	-	103.85	-	120.39	-	112.15	-	114.97	-	152.15
निवल	103.85		120.39		112.15		114.97		152.15	
138- अन्य नामांकित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक)	-	-	5.38	3.60	646.05	1449.94	2.34	170.68	1.55	40.38
निवल	-		(-)1.78		803.89		168.34		38.83	

यह देखा जाएगा कि उचन्त लेखा (सिविल), रिजर्व बैंक उचन्त-केन्द्रीय लेखा कार्यालय, सामग्री क्रय समायोजन उचन्त खाते के अंतर्गत डेबिट शेषों में पिछले वर्षों से 2008-09 में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, लोक क्षेत्र बैंक उचन्त, सामग्री क्रय समायोजन उचन्त खाते तथा प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतीक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियों के अंतर्गत क्रेडिट शेषों में भी पिछले वर्षों से 2008-09 में वृद्धि हुई है। नि.म.ले. द्वारा ऐसे शेषों के समाशोधन

के प्रभावी मानीटरिंग हेतु उचन्त लघु शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

भु.ले.का. उचन्त

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अन्तर्गत भु.ले.का. संघ शासित क्षेत्रों तथा महालेखाकार के भु.ले.का. की किताबों में हो रहे अन्तः विभागीय तथा सरकारी लेन-देनों के समायोजन हेतु प्रचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन एक लेखा अधिकारी के जिसमें प्राप्त लघु शीर्ष "भु.ले.का. उचन्त" परिचालित किया गया है, द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से या तो की गई वसूलियों को या भुगतानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट का समाशोधन 'ऋण क्रेडिट' द्वारा किया जाता है जब लेखा अधिकारी जिसकी किताबों में आरम्भिक वसूली दर्ज की जाती है, द्वारा चैक जारी किया जाता है। 'भु.ले.का. उचन्त' के अन्तर्गत डेबिट का समाशोधन लेखा अधिकारी जिसके पक्ष में भुगतान किया गया था, से चैक की प्राप्ति तथा वसूली होने पर 'ऋण डेबिट' द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ होगा कि किसी भु.ले.का. द्वारा अन्य भु.ले.का की ओर से भुगतानों प्राप्त किए गए हैं जिनका भुगतान अभी किया जाना है।

मार्च 2009 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट शेष 2,512.92 करोड़ रु. तथा क्रेडिट 524.57 करोड़ रु. था। बकाया शेष मुख्य रूप से आपूर्ति मंत्रालय: 1,433.04 करोड़ रु. (डेबिट), के.प्र.क.बो. (राजस्व) : 330.95 करोड़ रु. (डेबिट), विदेश मंत्रालय: 323.53 करोड़ रु. (डेबिट), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय: 172.63 करोड़ रु. (क्रेडिट), परमाणु ऊर्जा विभाग: 156.04 करोड़ रु. (क्रेडिट) के संबंध में थे जो इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से किए गए भुगतानों (डेबिट) या की गई प्राप्तियों (क्रेडिट) को प्रदर्शित करते हुए जिनकी उनके द्वारा अभी भी 31 मार्च 2009 तक वसूली/भुगतान किए जाने थे। भु.ले.का. उचन्त के अन्तर्गत भारी डेबिट तथा क्रेडिट शेष तथा उन के निरन्तर संचयन ने महत्वपूर्ण नियंत्रण कमियों को प्रदर्शित किया।

प्रधान लेखा कार्यालयों के लेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि गृह मंत्रालय में 1991-92 से 2008-09 की अवधि से संबंधित 12.73 करोड़ रु. (डेबिट) तथा 11.37 करोड़ रु. (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें 0.15 करोड़ रु. (डेबिट) जो पांच वर्षों से अधिक से समाधान हेतु लम्बित थे। वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) में 2002-03 से 2008-09 की अवधि से संबंधित 848.34 करोड़ रु. (डेबिट) तथा 26.03 करोड़ रु. (क्रेडिट) के शेष बकाया थे। 2002-03 से पहले के बकाया 604.73 करोड़ रु. (डेबिट) के निवल शेष के डेबिट/क्रेडिट विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। प्र.ले.का. ने पुराने शेषों के निपटान हेतु किए गए प्रयत्नों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

उचन्त लेखा (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष लेन-देनों के लेखांकन हेतु परिचालित किया जाता है जिसे निश्चित सूचना/दस्तावेजों जैसे कि वाञ्छर, चालान आदि की आवश्यकता हेतु व्यय या

प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियां दर्ज करने हेतु क्रेडिट तथा किए गए व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर पूर्व प्रतिलेखा डेबिट या क्रेडिट द्वारा लघु शीर्ष को 'ऋणात्मक' डेबिट या 'ऋणात्मक' क्रेडिट द्वारा लेखों से वांछित मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्षों के प्रति समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का अभिप्राय किया गया भुगतान को जिसे वाऊचर आदि जैसे विवरण की अपेक्षा में अन्तिम व्यय शीर्ष को डेबिट नहीं किया जा सका। बकाया क्रेडिट शेष का अभिप्राय प्राप्त की गई राशि जिसे विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति शीर्ष को क्रेडिट नहीं किया जा सका, से होगा।

31 मार्च 2009 को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष 1,443.21 करोड़ रू. (क्रेडिट) तथा 160.78 करोड़ रू. (डेबिट) ने दर्शाया कि 3,051.99 करोड़ रू. की प्राप्तियां तथा व्यय, जिन्हें समायोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाना अपेक्षित था, को उनके अंतिम शीर्षों के प्रति दर्ज नहीं किया गया था। मुख्य बकाया शेष आर्थिक कार्य विभाग: 816.65 करोड़ रू. (क्रेडिट), गृह मंत्रालय: 751.46 करोड़ रू. (डेबिट); उच्च आयोग: 435.76 करोड़ रू. (डेबिट) तथा वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) : 318.95 करोड़ रू. (डेबिट) से संबंधित थे।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) में, 2002-03 से 2008-09 की अवधि से संबंधित (-) 45.20 करोड़ रू. (डेबिट) तथा 324.94 करोड़ रू. (क्रेडिट) के शेष बकाया थे। 39.21 करोड़ रू. (डेबिट) के निवल शेष, जो कि 2002-03 के पहले से बकाया था, का ब्यौरा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। विभागों ने बकाया शेषों का निपटान करने के लिए किए गए प्रयत्नों पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा

लघु शीर्ष 'विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा' नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा (नि.स.ले.एवं ले.प.), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के लेखाओं में परिचालित होता है। सरकार दाता को विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना प्राधिकारियों/आयातकों को आपूर्ति की गई सामग्री के प्रति सीधे ही भुगतान करने की तथा समकक्ष राशि को संबंधित लाइन मंत्रालय से भुगतान प्राप्त होने तक उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत रखने की सलाह देती है। यद्यपि सरकार द्वारा ने इन आयातों के लिए भुगतान पहले ही कर दिए गए हैं फिर भी इस शीर्ष के अधीन डेबिट शेष उस राशि को दर्शाता है जिसे आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से अभी वसूल जाना है।

2008-09 में, विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा शेष 877.79 करोड़ रू. (डेबिट) था। 31 मार्च 2009 को मुख्य देनदार हेलीकॉप्टर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (67.24 करोड़ रू.); पवन हंस लि. (57.44 करोड़ रू.); पीराइट्स, फोसफेट्स एवं रसायन लि. (24.95 करोड़ रू.); कोल इंडिया लि. (प.बं.) (23.18 करोड़ रू.) तथा पांच सरकारी मंत्रालय (479.18 करोड़ रू.) थे। यह भी पाया गया कि 2000 से विभिन्न संगठनों से 264.36 करोड़ रू. बकाया थे। मुख्य आयातकों के संबंध में 2000 से बकाया राशि का

विवरण दर्शाते हुए सूची परिशिष्ट-II-घ में दी गई है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह पाया गया था कि तदनन्तर भुगतान विभिन्न आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों की ओर से किये गये थे जबकि उनसे पहले किए गए क्रय हेतु भुगतान अभी तक देय थे। नि.स.ले.एवं ले. द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने अपेक्षित है।

इस विषय पर एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ को वर्ष 2007-08 के लिए नि.म.ले.प. की प्रतिवेदन सं. सी.ए.-13 में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने अपनी कार्यवाही टिप्पणी में बताया कि कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से बकाया उचन्त राशि की मॉनीटरिंग जैसी उपचारी कार्यवाहियाँ स्थापित कर दी गई तथा मामले का आयातकों के साथ नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा था। इसने यह भी बताया कि वर्ष 2008-09 के दौरान 111.62 करोड़ रु. का समाशोधन किया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त

सरकारी लेखा प्रणाली में नामित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी व्यवसाय संचालित करते हैं। जब एक बिल के भुगतान हेतु एक चैक जारी किया जाता है तो राशि को लेखा के अंतिम शीर्ष को डेबिट किया जाता है। जब एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा चैक को भुनाया जाता है तो यह अपने रोकड़ शेष से राशि का भुगतान करता है तथा इसके बाद केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), भा.रि.बैं. नागपुर से जो प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग का लेखा अनुरक्षित करता है, प्रतिपूर्ति कर दावा करता है। इसी प्रकार, जब सरकारी प्राप्तियों का नामित/अधिकृत बैंक में भुगतान किया जाता है तो यह प्राप्तियों को केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भा.रि.बैं. नागपुर को देता है। चूंकि सरकारी रोकड़ शेष में, बैंक द्वारा किए सरकारी लेन-देन को दर्ज करने में समय विलम्ब है इसलिए समायोजन की प्रतीक्षा कर रहे लेन-देन हेतु लेखे की सरकारी किताबों में लघु शीर्ष 'सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त' परिचालित किया जाता है। भा.रि.बैं.(के.ले.अ.) नागपुर से लेखों की प्राप्त पर सा.क्षे.बैं. उचन्त के अन्तर्गत मूल दर्ज (-)क्रेडिट/(-)डेबिट जैसा भी मामला हो द्वारा समाशोधित किया जाता है। ये राशियां सरकार के रोकड़ शेष में दर्शाई नहीं गई हैं।

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया सा.क्षे.बैं. शेष कुल 3,526.51 करोड़ रु. (डेबिट) तथा 1,942.36 करोड़ रु. (क्रेडिट) था। विभाग जिनके प्रति मुख्य शेष बकाया थे, वे आर्थिक कार्य विभाग: 1,513.65 करोड़ रु. (डेबिट), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: 553.83 करोड़ रु. (डेबिट), भू-विज्ञान विभाग: 355.56 करोड़ रु. (क्रेडिट), शहरी विकास: 270.72 करोड़ रु. (क्रेडिट), के.उ.सी.शु.बो.: 256.79 करोड़ रु. (क्रेडिट); गृह मंत्रालय: 247.93 करोड़ रु. (क्रेडिट) तथा के.प्र.क.बो. (राजस्व): 212.81 करोड़ रु. (डेबिट) थे। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट तथा क्रेडिट शेष वर्षों से बढ़े थे इस प्रकार इसने लेखाओं में सरकारी रोकड़ शेष के उचित प्रकटीकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। शेषों के समाशोधन हेतु किए गए प्रयासों के बारे में पूछा गया था किन्तु लेखापरीक्षा को कोई उत्तर नहीं किया गया था।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि श.वि.मं. में, 2002-03 से 2008-09 की अवधि से संबंधित (-)554.89 करोड़ रू. (डेबिट) तथा (-)284.15 करोड़ रू. (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिनमें (-)8.75 करोड़ रू. के डेबिट शेष तथा (-)10.53 करोड़ रू. क्रेडिट शेष शामिल थे जो छः वर्षों से अधिक से लम्बित थे। वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) में 2002-03 से 2008-09 की अवधि से संबंधित 55.07 करोड़ रू. (डेबिट) तथा 1,102.92 करोड़ रू. (क्रेडिट) के शेष बकाया थे।

रिजर्व बैंक उचन्त, केन्द्रीय लेखा कार्यालय

संघ सरकार के लेखाओं में कर्जे, सहायता अनुदान, आयकर भाग, राज्य सरकारों को संघ उत्पाद शुल्क के भाग के भुगतान, हेतु इस लघुशीर्ष को परिचालित किया जाता है। जब भुगतान प्रधिकृत किया जाता है तो इस शीर्ष को संबंधित व्यय शीर्ष डेबिट तथा क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखे को समायोजन करते हुए भा.रि.बैं से लेखों के मासिक विवरण की प्राप्ति पर लघु शीर्ष को 8675-भा.रि.बैं. के पास जमा 101-केन्द्रीय सिविल को क्रेडिट करते हुए ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान के समय पर इस शीर्ष को ऋण/ब्याज को क्रेडिट करके डेबिट किया जाता है। भा.रि.बैं. (के.ले.अ.) नागपुर से लेखों के मासिक विवरण प्राप्त होने पर शीर्ष का 8675-101-भा.रि.बैं-101-केन्द्रीय सिविल के साथ जमा के प्रति, प्रतिलेखा डेबिट द्वारा ऋणात्मक डेबिट किया जाता है। 31 मार्च 2009 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष 339.41 करोड़ रू. (डेबिट) तथा 47.09 करोड़ रू. (क्रेडिट) था। बकाया भा.रि.बैं. (के.ले.का) उचन्त शेष मुख्य रूप से आपूर्ति विभाग: 96.27 करोड़ रू. (डेबिट) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय: 54.77 करोड़ रू. (डेबिट) तथा विदेश मंत्रालय 161.03 करोड़ रू. (डेबिट) के प्रति थे। नि.म.ले. कार्यालय ने इन बकाया शेषों की प्रकृति, विवरण तथा लम्बित रहने तथा उनका समाशोधन के प्रति किए गए उनके प्रयासों के बारे में कोई उत्तर पस्तुत नहीं किया।

प्रधान लेखा कार्यालय में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि श.वि.मं. में, वर्ष 2008-09 के अंत में (-) 7.38 करोड़ रू. का शेष बकाया था जिसमें तीन वर्षों से अधिक से लम्बित (-) 4.57 करोड़ रू. का डेबिट शेष शामिल था। वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) में, 2002-03 से 2008-09 की अवधि से संबंधित 79.46 करोड़ रू. (डेबिट) तथा 0.77 करोड़ रू. (क्रेडिट) के शेष बकाया थे। 2002-03 से पहले के बकाया 16.95 करोड़ रू. (डेबिट) के निवल शेष के डेबिट/क्रेडिट का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

2.14.2 ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्रदर्शित होते हैं जहाँ सामान्य रूप से एक ऋणात्मक शेष नहीं हो सकता है। उदाहरणस्वरूप, किसी भी कर्ज या अग्रिम लेखा शीर्ष के प्रति, एक ऋणात्मक शेष, वास्तविक अग्रिम राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

वर्ष 2008-09 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों के 64 मामले हैं जिन्हें **परिशिष्ट-II-ड** में दिया गया है। इनमें से, छः शेष वर्ष 2008-09 के दौरान प्रतिकूल हो गए। शेष 58 मामले पहले के वर्षों से जारी थे। इनमें 27 मामले पांच वर्षों से अधिक, 16 मामले 10 वर्षों से अधिक तथा छः मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित शामिल हैं। यद्यपि, वित्त लेखे में प्रतिकूल शेष के फुटनोट उल्लेख करते थे कि ये जांच के अधीन थे लेकिन म.ले.नि. तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ऐसे जांचों के निष्कर्ष और उनके समाशोधन के लिए किए गए प्रयास लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

लघु शीर्ष स्तर पर प्रतिकूल शेष एक साथ लिए गए विभिन्न लेखा वृत्तों के शेषों के कुल प्रभाव को प्रस्तुत करता है। इकाई/लेखा वृत्त के स्तर पर, प्रतिकूल शेष भु.ले.का. एवं प्र.ले.का. के पुस्तकों में भी प्रकट होते हैं लेकिन इनमें से बहुत से प्रतिकूल शेष प्रभावहीन हो जाते हैं क्योंकि जब लेखा वृत्तों के लेखे समेकित किए जाते हैं तो ये शेष एकत्रित हो जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), श.वि.मं., गृ.मं.; के.उ.सी.शु.बो. तथा स.ले.ले.प.नि. के चयनित पांच प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2008-09 के अंत तक प्रतिकूल शेषों के साथ 20 लेखाशीर्ष थे जिनमें से सात को उपरोक्त प्रतिकूल शेषों के 64 मामलों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), श.वि.मं., गृ.मं.; के.उ.सी.शु.बो. तथा स.ले.ले.नि. के प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए प्रतिकूल शेषों को **परिशिष्ट-II-च** में दिया गया है। लेखापरीक्षा किए प्र.भु.ले.का. में प्रतिकूल शेषों पर अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं:

(i) **मुख्य लेखा नियंत्रक, वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)**

मुख्य लेखा नियंत्रक, वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2008-09 के अंत में 8443- 'सिविल जमाओं' -103 'प्रतिभूति जमाओं' शीर्ष के अंतर्गत 1,533.36 करोड़ रु. (डेबिट) का प्रतिकूल शेष गैर-समाशोधित पड़ा था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2008-09 के अंत में 8670- 'चैक एवं बिल' -103 'विभागीय चैक' शीर्ष के अंतर्गत 51.80 करोड़ रु. (डेबिट) तथा 8443- 'सिविल जमाओं'-800 'अन्य जमाओं' शीर्ष के अंतर्गत 40.40 करोड़ रु. (डेबिट) का प्रतिकूल शेष भी गैर-समाशोधित पड़ा था। प्र.ले.का. ने बताया कि प्रतिकूल शेष गलत वर्गीकरण के कारण था तथा इसे चालू वर्ष के लेखे में सही कर दिया जाएगा।

(ii) **प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक - के.उ.सी.शु.बो.**

प्र.मु.ले.नि., के.उ.सी.शु.बो. में अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2008-09 के अंत में 8670-चैक एवं बिल-103 विभागीय चैक- शीर्ष के अंतर्गत 3,622.41 करोड़ रु. (डेबिट) का प्रतिकूल शेष 4 वर्षों से अधिक के लिए गैर-समाशोधित पड़ा रहा था। प्र.ले.का. ने बताया कि विभागीय चैक आयुक्तालयों से भुगतानों की सूची की गैर-प्राप्ति के कारण बकाया पड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 8443- सिविल जमा-106-व्यैक्तिक के अंतर्गत जमा शीर्ष 29.15 करोड़ रु. (डेबिट) का एक प्रतिकूल शेष सात वर्षों से अधिक से प्रकट हो रहा था। प्र.ले.का. ने प्रतिकूल शेष के कारण तथा प्रतिकूल शेषों का समाशोधन करने हेतु प्रयासों को प्रस्तुत नहीं किया था।

(iii) सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक - स.ले.ले.प.नि.

वर्ष 2008-09 के अन्त में सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के लेखों में मुख्य शीर्ष 6002- बाह्य ऋण के अन्तर्गत 5,912.57 करोड़ रु. का प्रतिकूल शेष कर्जों के पुनर्भुगतान के समय विनिमय हानियों के कारण था। विभाग ने बताया कि प्रतिकूल शेषों को बट्टे-खाते में डालने की कार्यवाही तभी की जाएगी जबकि दानकर्ता द्वारा विस्तारित प्रत्येक व्यक्तिगत कर्जों को प्रत्येक अनुबंध की परिशोधन सारणी के अनुसार पूर्णतः पुनर्भुगतान किया गया था।

(iv) मुख्य लेखा नियंत्रक, श.वि.मं.

8011-बीमा एवं पेंशन निधि-103 'केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा' शीर्ष के अंतर्गत 12.27 करोड़ रु. (डेबिट) का प्रतिकूल शेष था जो कि 2006-07 से पड़ा हुआ है। प्र.ले.का. ने बताया कि मामला जाँच अधीन था तथा सभी संबंधित प्र.ले.का. को शीघ्रता से प्रतिकूल शेष का निपटान करने हेतु निर्देश दे दिए गए थे।

2.14.3 "चैक एवं बिल" शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

यह शीर्ष लेन-देनों के आरम्भिक अभिलेख जो अन्तर समाशोधित होते हैं, के लिए मध्यवर्ती लेखांकन शीर्ष है। लेखाओं के विभागीयकरण की योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि.बैं या अधिकृत बैंकों की शाखाओं पर आहरित चैकों द्वारा सरकार के प्रति दावों का भुगतान किया जाता है।

जब दावे भु.ले.का./विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल में प्रस्तुत किए जाते हैं तब प्रक्रियाओं तथा निर्धारित जांचों तथा भुगतान आदेश को दर्ज करने के उपरान्त चैक जारी कर भुगतान को प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष 8670-चैक एवं बिल को वितरित चैकों की कुल राशि द्वारा क्रेडिट किया जाता है। लोक क्षेत्र बैंक/भा.रि.बैं (के.ले.अ.) नागपुर से जारी चैकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाते हुए तिथि-वार मासिक विवरण 'ति.मा.वि./' शेषों की मासिक विवरण की प्राप्ति होने पर जैसा भी मामला हो शीर्ष 8670- चैक एवं बिल को ऋण क्रेडिट तथा उपरोक्त 8658-108-पी.एस.बी. उच्चत/8675-101-भारतीय रिजर्व बैंक जमा- केन्द्रीय सिविल को प्रदान किया जाता है।

2008-09 के वित्त लेखे में भारी शेष "चैक एवं बिल" के निम्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए हैं:

तालिका 2.4: "चैक एवं बिल" के अंतर्गत बकाया शेषों की स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

पूर्व लेखापरीक्षा चैक	क्रेडिट	0.46
वेतन एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	7793.49
विभागीय चैक	डेबिट	1093.95
खजाना चैक	क्रेडिट	4.62
इरला चैक	क्रेडिट	0.59
दूर संचार लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	1518.15
डाक चैक	क्रेडिट	9105.07
रेलवे चैक	क्रेडिट	2878.84
रक्षा चैक	क्रेडिट	4947.70
इलैक्ट्रॉनिक एडवाइस	डेबिट	51.17
वेतन एवं लेखा कार्यालय इलैक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट	39.17

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 में विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के एक माह के उपरान्त छः माह की अवधि हेतु भुगतान तथा नवीनीकरण हेतु अभ्यर्पित नहीं किए गए चैक के मामलों में, उन्हें 8670- 'चैक एवं बिल' में ऋणात्मक क्रेडिट करके वापसी या रद्द किया जाना होता है तथा क्रियाशील मुख्य/लघु शीर्ष व्यय जिसमें से वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था, को ऋणात्मक डेबिट किया जाता है तथा लेखों में राशि को पुनः लेनदेन किया जाना होता है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत ऐसी भारी बकाया राशियां दर्शाती हैं कि लेखांकन प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई जैसा कि नियमावली के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी नहीं कर रहे थे। 'चैक एवं बिल' के अन्तर्गत बकाया राशि की सीमा तक सरकारी रोकड़ शेष अधिक बताए गए। उत्तर में, म.ले.नि. ने सितम्बर 2009 में बताया कि छः महीनों से अधिक बकाया चैकों को वापस लेने हेतु संबंधित मु.ले.नि. को अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

पांच प्रधान लेखा कार्यालयों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि श.वि.मं. में 289.16 करोड़ रु. की राशि के 3094 चैक तथा के.उ.सी.शु.बो. में 124.68 करोड़ रु. की राशि के 13837 चैक तथा गृ.मं. में 83.35 करोड़ रु. के 1810 चैक छः माह से अधिक के लिए बिना भुगतान किए रहे किन्तु प्र.ले.का. द्वारा निरस्त नहीं किए गए थे।

2.14.4 प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा का न किया जाना

सिविल लेखा नियमावली के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, भु.ले.का. विभिन्न ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का सत्यापन करेगा और जहाँ कहीं भी आवश्यक है यह सुनिश्चित करेगा कि शेषों की यथातथ्यता उन व्यक्तियों/पार्टियों द्वारा स्वीकार्य है जिनके द्वारा शेष रखे जाते हैं या जिसे देय है और गैर-समाधान विभिन्नताओं को दर्शाने वाले व्यौरे एवं मामले जहाँ शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला विवरण प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक वार्षिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रधान लेखा अधिकारी पूरे मंत्रालय/विभाग हेतु समेकित रिपोर्ट को समस्त रूप से प्रत्येक वर्ष 15

अक्टूबर तक महालेखा-नियंत्रक को भेजा जाना अपेक्षित है। इस समीक्षा को करने का उद्देश्य लेखे के विभिन्न लेखा पुस्तिकाओं के अनुस्क्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा ऋण, जमा एवं प्रेषण के आंकड़ों का समाधान करना है।

सिविल विभागों के संबंध में, वर्ष 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के शेषों की समीक्षा कुल 67 प्रधान लेखा कार्यालयों में से क्रमशः केवल 16, 21 एवं 26 विभागों में पूर्ण की गई थी।

प्र.ले.का. द्वारा शेषों की समीक्षा करने के विफलता तथा समय पर कार्रवाई की कमी ने कई वर्षों से बकाया पड़े प्रतिकूल शेषों को दर्शाया गया है, जैसा कि बाद के पैराग्राफों में प्रतिबिम्बित किया गया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय सरकारी लेखों की यथातथ्यता एवं गुणवत्ता का सुधार करने के लिए ऋ.ज.प्रे. एवं उच्चत शीर्ष के अन्तर्गत शेषों के समाशोधन/निपटान हेतु निरन्तर समीक्षा एवं सामयिक कार्रवाई हेतु एक अत्यधिक प्रभावी नियंत्रण तंत्र को स्थापित करे।

पैरा 2.14.1 से 2.14.4 की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में ले.म.नि. कार्यालय ने बताया (दिसम्बर 2009) है कि पुराने उच्चत शेषों की जांच पड़ताल करने तथा इनका जल्द से जल्द निपटान/बट्टे-खाते में डालने के लिए प्रयास करने हेतु एक कार्य समूह संगठित कर दिया गया था।

अध्याय 3

संसाधन: प्रवृत्तियां तथा संरचना

संघ सरकार के निष्पादन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण पूर्व-अपेक्षित संसाधन स्थिति की एक सम्पूर्ण समझ है क्योंकि किसी विशेष राजकोषीय वर्ष में संसाधनों की प्रमात्रा, सरकार के व्यय प्रारम्भ का निर्धारण करती है। पश्च उदारीकरण वर्षों से संघ सरकार की संसाधन स्थिति के विश्लेषण पर आधारित वर्ष 2008-09 के लिए मुख्य अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं:

- **बजट वित्तपोषण के लिए ऋण निधियों पर बढ़ती विश्वसनीयता:** 2008-09 में, कुल प्राप्तियों में अधिकतम अंश सकल ऋण प्राप्तियों से आया जो कुल प्राप्तियों का 63 प्रतिशत परिकल्पित किया गया था। चूंकि इसके प्रति, 1992-2009 की अवधि हेतु, औसतन, सकल ऋण प्राप्तियों ने कुल प्राप्तियों का केवल 51 प्रतिशत है। इससे यह परिणाम निकलता है कि सरकार ने 2008-09 में अपने व्ययों को निधिबद्ध करने के लिए ऋण प्राप्तियों पर महत्वपूर्ण रूप से विश्वास रखा। 2008-09 में सकल ऋण प्राप्तियों में वृद्धि (28.25 प्रतिशत) वर्ष हेतु 12.67 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि दर से काफी अधिक थी। तुलना में, पश्च उदारीकरण अवधि के दौरान, सकल ऋण प्राप्तियों में वृद्धि (19.18 प्रतिशत), स.घ.उ. में वृद्धि (12.31 प्रतिशत) से अधिक हुई है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से भावी पीढ़ियों द्वारा ऋण वचनबद्धताओं के भारी पुनर्भुगतानों का कारण बनने की संभावना है। अतः व्यय की उत्पादकता महत्वपूर्ण बन जाती है-यदि उधार ली गई निधियों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त किया गया है तो भावी पीढ़ियों को उनकी बढ़ी हुई ऋण वचनबद्धताओं की क्षतिपूर्ति की जाएगी। (पैरा 3.2, 3.3)
- **कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति कर तथा गैर-कर राजस्व का अंश:** 1992-2009 के दौरान संघ सरकार की कर प्राप्तियां (उसके सकल कर संग्रहणों से राज्यों का निवल अंश) लगभग 12 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ी जबकि गैर-कर राजस्व समरूप अवधि के दौरान 9.4 प्रतिशत की निम्न दर से बढ़ा। इस प्रवृत्ति दर की तुलना में, 2008-09 में निवल कर प्राप्तियों में 1 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई जबकि गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि नगण्य थी। (पैरा 3.4)
- **पश्च उदारीकरण अवधि में कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के अंश में गिरावट:** 1992-2009 की समग्र अवधि हेतु कर राजस्व को अधिकतम अंशदान उत्पाद शुल्क (30 प्रतिशत), निगम कर (25 प्रतिशत) तथा सीमाशुल्क (21 प्रतिशत) से था। इस अवधि हेतु आयकर का अंशदान केवल 16 प्रतिशत था जबकि सेवा कर तथा अन्य करों ने लगभग केवल क्रमशः 5 तथा 3 प्रतिशत का अंशदान किया। इस ऐतिहासिक पद्धति की तुलना में, XIवीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में उत्पाद तथा सीमा शुल्कों दोनों के अंशों में गिरावट आई थी, जबकि निगम कर, आयकर तथा सेवा कर के अंश में वृद्धि आई थी। (पैरा 3.5.1)
- **स.घ.उ. के सापेक्ष संसाधनों के प्रति पहुँच:** वर्ष 2008-09 के लिए, जब स.घ.उ. अनुपात से सकल प्राप्तियां, अर्थोपाय अग्रिमों, खजाना बिलों, लोक लेखा प्रोत्भवन आदि का लाभ उठाने के बाद 72 प्रतिशत (53,21,753 करोड़ रु. के प्रतिशत के रूप में 38,08,344 करोड़ रु.) तक अधिक थी तथा स.घ.उ. से निवल संसाधन अनुपात केवल 30 प्रतिशत था। यह प्राप्तियों का लाभ उठाने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर करता है ताकि उपलब्ध संसाधनों की प्रमात्रा के यथार्थ वर्णन का ज्ञान हो। (पैरा 3.3.1)
- **गैर-कर राजस्व में लाभांश तथा लाभ का बढ़ता अंश:** लाभांश तथा लाभ के सापेक्ष अंश ने 1992-2009 की अवधि से लगभग 8 प्रतिशत के चिन्हित सकारात्मक विचलन को दर्शाया है जो इंगित करता है कि लो.क्षे.उ./राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश से वित्तीय परिणामों तथा भा.रि.बैं. के अधिशेषों में यथेष्ट रूप से वृद्धि हुई। तथापि वर्षों से, गैर-कर राजस्व ब्याज प्राप्तियों (-3.21 प्रतिशत), सामाजिक प्राप्तियों (-8.4 प्रतिशत), आर्थिक सेवाओं (-0.03 प्रतिशत) तथा विशिष्ट एवं अन्य कार्यों (-0.35 प्रतिशत) के अंश में नकारात्मक औसत वार्षिक विचलन दर थी। (पैरा 3.6.1)
- **वर्ष 2008-09 हेतु बजट में जो अनुमान लगाया गया था उससे तुलना करने पर मुख्य राजस्व परिवर्तनियों के वास्तविक निष्पादन में यथेष्ट विचलन।** सकल कर राजस्व संग्रहण जैसा कि ब.अ. में अनुमानित था

लगभग 12 प्रतिशत तक कम था तथा परिणामतः राज्यों के साथ बांटी गई करों की कुल राशि जितना अनुमानित थी, उससे 10 प्रतिशत तक कम थी। अप्रत्यक्ष करों अर्थात् उत्पाद शुल्क (21 प्रतिशत कम) तथा सीमा शुल्क (16 प्रतिशत कम) में भारी विचलन जैसा कि बजट में अनुमान लगाया गया था पाए गए थे। प्रत्यक्ष करों का संग्रहण भी - आयकर (12 प्रतिशत कम) तथा निगम कर (6 प्रतिशत कम) में अधिकतम कमी के साथ अनुमानित की अपेक्षा कम था। पूंजीगत प्राप्तियों (अनुमानित की अपेक्षा 27 प्रतिशत अधिक) में अनुमानित तथा वास्तविक निष्पादन के बीच विचलन पाया गया था। स.घ.उ. अनुपात के प्रति वास्तविक कर 12.3 प्रतिशत था तथा इस प्रकार, ब.अ. में अनुमानित 13 प्रतिशत की अपेक्षा कम था। (पैरा 3.8)

3.1 संघ सरकार के संसाधनों का विहंगावलोकन : 2008-09

संघ प्राप्तियाँ चार मुख्य श्रेणियों अर्थात् (1) राजस्व प्राप्तियाँ (2) पूंजीगत प्राप्तियाँ (3) लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा (4) आकस्मिक निधि से बनती है जैसा कि तालिका 3.1 तथा बाक्स 3.1 में दिया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान तथा अंशदान से बनती है। पूंजीगत प्राप्तियों के दो घटक (1) ऋण प्राप्तियाँ (जो भावी पुनर्भुगतान हेतु दायित्वों का सृजन करते हैं) और (2) विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश से प्राप्तियाँ तथा कर्जों तथा पेशगियों की वसूलियाँ) हैं। लोक लेखे में प्रोत्भवन का संदर्भ संघ सरकार की लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, जमा एवं अग्रिमों आदि से होता है, जहाँ सरकार जनता के लिए प्राथमिक रूप से बैंकर का कार्य करती है। आकस्मिकता निधि की संवैधानिक स्थिति के संबंध में विवरण, इस प्रतिवेदन की शब्दावली में दिए गए हैं। जब वर्ष के आरम्भ में आरम्भिक रोकड़ शेषों को कुल प्राप्तियों में जोड़ा जाता है तो हमें राजकोषीय वर्ष हेतु संघ सरकार के पास कुल उपलब्ध निधियों (कुल संसाधनों) का पता चलता है।

तालिका 3.1: संघ सरकार के संसाधन


(करोड़ रूपयों में)

I	राजस्व प्राप्तियाँ		814026
II	पूंजीगत प्राप्तियाँ		2409840
	क.	विविध प्राप्तियाँ	
			566
	ख.	कर्जों तथा पेशगियों की वसूली	13509
	ग.	ऋण प्राप्तियाँ	2395765
III	लोक लेखा प्राप्तियाँ		584478
IV	आकस्मिकता निधि		0
	कुल प्राप्तियाँ		3808344
	नकद अथ शेष		229633
	संसाधनों की कुल उपलब्धता		4037977
टिप्पणी: (1) राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सौंपे गये 1,60,179 करोड़ रु के करों तथा शुल्कों का हिस्सा शामिल है और इसे संघ सरकार के वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है।			
(2) राजस्व प्राप्तियों में रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों से प्राप्तियाँ शामिल हैं।			

तालिका 3.1 संघ सरकार के कुल संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है, जो वर्ष 2008-09 के लिए 40,37,977 करोड़ रु परिकलित किया गया। पूंजीगत प्राप्तियों (प्रमुख रूप से ऋण प्राप्तियों से बनती है) को कुल संसाधनों का 59 प्रतिशत से अधिक परिकलित किया गया जबकि राजस्व प्राप्तियों को 20 प्रतिशत परिकलित किया गया। लोक लेखा प्राप्तियों को कुल संसाधनों का लगभग 15 प्रतिशत परिकलित किया गया था। संघ प्राप्तियों (आरम्भिक रोकड़

शेषों के कुल निवल संसाधन) के घटकों तथा उप-घटकों को बाक्स 3.1 में वर्गीकृत किया गया है।

बाक्स 3.1: कुल संसाधनों के घटक एवं उप-घटक



* सहायता अनुदान के रूप में प्राप्तियाँ भी शामिल है

3.2 कुल संसाधनों में संरचना एवं प्रवृत्तियाँ

2008-09 में कुल प्राप्तियाँ 19.78 प्रतिशत तक बढ़ी, जो 1992-2009 की अवधि हेतु 15.90 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर तथा VIIIवीं एवं IXवीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक थी

लेकिन Xवीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर की अपेक्षा कम थी। कुल प्राप्तियों में अधिकतम अंश सकल ऋण प्राप्तियों से आता है, जो वर्तमान वर्ष हेतु कुल प्राप्तियों का 63 प्रतिशत परिकलित किया गया। 1992-2009 की अवधि हेतु, सकल ऋण प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों का औसतन 51 प्रतिशत बनती है। कुल प्राप्तियों में इस घटक का अंश VIIIवीं योजना अवधि में 38 प्रतिशत से, IXवीं योजना अवधि में 46 प्रतिशत से Xवीं योजना अवधि में 50 प्रतिशत तक नियमित रूप से बढ़ा। XIवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में भी अंश में संतुलित वृद्धि हुई है। यह संकेता करता है कि सरकार की अपने व्यय के वित्तपोषण के लिए संसाधनों में वृद्धि करने के लिए ऋण प्राप्तियों पर निर्भर रहने में वृद्धि हुई है। यह भविष्य में ऋण वचनबद्धताओं के बड़े पुनर्भुगतानों का कारण बन सकती है। इस प्रकार व्यय का प्रवर्धन बन जाता है यदि उधार ली गई निधियों को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो भावी पीढ़ी द्वारा उनकी बढ़ी हुई ऋण वचनबद्धताओं हेतु क्षतिपूर्ति की जाएगी।

तालिका 3.2: कुल प्राप्तियों के घटक: सापेक्ष अंश तथा प्रवृत्तियाँ


(करोड़ रूपयों में)

अवधि	राजस्व प्राप्तियाँ#	पूंजीगत प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियाँ*	बाजार मूल्य पर स.घ.उ. *
		निवल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	निवल ऋण प्राप्तियाँ	लोक लेखे में निवल प्रोदभवन		
1992-2009 (औसत)	364861	25131	694563	269306	1353860	2407994
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	27	2	51	20	100	
VIIIवीं योजना (1992-97) औसत	157991	9373	164326	102117	433807	1040918
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	36	2	38	24	100	
IXवीं योजना (1997-02) औसत	282019	17430	427187	210498	937134	1922332
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	30	2	46	22	100	
Xवीं योजना (2002-07) औसत	477466	45989	917229	393933	1834616	3214901
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	26	3	50	21	100	
2007-08	801226	49187	1868102	460981	3179496	4723400
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	25	2	59	15	100	
2008-09	814026	14075	2395765	584478	3808344	5321753
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	21	नगण्य	63	15	100	
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2009 (औसत)	12.39	9.69	19.18	13.56	15.90	12.31
VIIIवीं योजना (1992-97)	15.41	0.01	15.98	14.43	14.87	16.53
IXवीं योजना (1997-02)	8.58	18.24	2.22	13.76	7.02	10.33
Xवीं योजना (2002-07)	15.62	(-) 29.02	42.05	9.33	24.97	13.93
2007-08	24.08	155.85	13.59	1.31	15.01	14.39
2008-09	1.60	(-)71.38	28.25	26.79	19.78	12.67

राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं (2008-09 हेतु 1,60,179 करोड़ रु)।

टिप्पणी: सापेक्ष अंशों को दर्शाते आंकड़ों को पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसलिए कुल योग को हमेशा 100 में न जोड़ा जाए। नगण्य उन आंकड़ों को संदर्भित करता है, जहां उप-घटक का अंश गैर-कर राजस्व से 0.5% से कम है।

चार्ट 3.1: 1992-2009 तथा 2008-09 के दौरान कुल प्राप्तियों के घटकों का सापेक्ष अंश



3.2.1 राजस्व संसाधनों में प्रवृत्तियां: जैसा कि तालिका 3.2 में दर्शाया गया है, 1992-2009 की 17 वर्षों की अवधि हेतु औसतन राजस्व प्राप्तियों (कर एवं गैर-कर) को कुल प्राप्तियों का 27 प्रतिशत परिकलित किया गया। इस प्रवृत्ति से तुलना करने पर, 2008-09 में राजस्व प्राप्तियों को, कुल प्राप्तियों का केवल 21 प्रतिशत परिकलित किया गया। वर्ष के दौरान सार्वभौमिक वित्तीय संकट का घटित होना तथा उद्योगों, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में स्पष्ट धीमापन अनिश्चितता के वातावरण तथा उपभोग तथा निवेश दोनों की वृद्धि में कमी का कारण बना। सरकार द्वारा मांग को बढ़ाने के लिए, जिसमें खनिज तेलों, खाद्य तेलों, ईंधनों तथा परियोजना आयातों; सभी वस्तुओं पर सामान्य सेनवेट दर में 16 से 14 प्रतिशत की कटौती आदि शामिल है, उपाय किए गए थे। परिणामतः पिछले वर्ष से 2008-09 में संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ केवल 1.6 प्रतिशत तक सीमान्तक रूप से बढ़ी। 2006-07 (24 प्रतिशत) से 2007-08 में दर्शाई गई वृद्धि की तुलना करने पर यह वृद्धि काफी कम थी। वास्तव में, Xवीं योजना में राजस्व प्राप्ति की औसत वृद्धि दर 15.6 प्रतिशत तक काफी अधिक थी तथा इसलिए 1992-2009 की अवधि हेतु 12.4 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर थी। राजस्व प्राप्तियों के उप-घटकों का विस्तृत विश्लेषण पैरा 3.4, 3.5 तथा 3.6 में दिया गया है।

3.2.2 सकल ऋण प्राप्तियों में प्रवृत्तियां: पिछले वर्ष से 2008-09 में कुल प्राप्तियों के सबसे बड़े घटक, सकल ऋण प्राप्तियों में 28 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। 1992-2009 की अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों के इस महत्वपूर्ण घटक में 19 प्रतिशत से अधिक की प्रवृत्ति दर पर वृद्धि हुई है। Xवीं योजना अवधि के दौरान, सकल ऋण प्राप्तियों में 42 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि थी जो IXवीं योजना के दौरान वार्षिक 2 प्रतिशत से थोड़ा सा अधिक थी सापेक्षरूप से अमहत्वपूर्ण वृद्धि से एक चिन्हित बदलाव था। 2007-08 में पिछले वर्ष से इस घटक में वृद्धि केवल 13.6 प्रतिशत थी। ऋण प्राप्तियों का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 6 में देखा जा सकता है।

3.2.3 अन्य प्राप्तियों में प्रवृत्तियां: पिछले वर्ष की तुलना में, 2008-09 में पूंजीगत प्राप्तियों में से, सकल गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों (विनिवेश प्राप्तियां तथा कर्ज तथा पेशगियों की वसूली) में

71 प्रतिशत से अधिक की नकारात्मक वृद्धि को प्रदर्शित किया। 2007-08 में 1 प्रतिशत से थोड़ी अधिक की सापेक्ष सीमान्तक वृद्धि की तुलना में 2008-09 में तथा Xवीं योजना अवधि के दौरान प्रोत्भवन की औसत वार्षिक वृद्धि दर (9.3 प्रतिशत) की तथा 1992-2009 की अवधि के दौरान लगभग 14 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर की तुलना में लोक लेखे में सकल प्रोत्भवन बहुत तीव्र दर (लगभग 27 प्रतिशत) से बढ़े।

3.3 कुल प्राप्तियों प्रवृत्तियों की स.घ.उ. प्रवृत्तियों से तुलना

तालिका 3.2 तथा 3.3, कुल प्राप्तियों के विभिन्न घटकों में वृद्धि तथा स.घ.उ. (बाजार दर पर)¹ में वृद्धि के बीच संबंध प्रदर्शित करती है। 1992-2009 की अवधि हेतु कुल प्राप्तियों की औसत वार्षिक वृद्धि दर, स.घ.उ. में 12.31 प्रतिशत (तालिका 3.2) की प्रवृत्ति वृद्धि से तुलना में 15.90 प्रतिशत हुई है। राजस्व प्राप्तियों के मामले में, प्रवृत्ति वृद्धि दर 12.39 प्रतिशत हुई है (स.घ.उ. वृद्धि दर के लगभग बराबर)। VIIIवीं तथा IXवीं योजना अवधियों के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वार्षिक वृद्धि स.घ.उ. की समनरूप वार्षिक वृद्धि से कम हुई है। तथापि, यह प्रवृत्ति Xवीं योजना अवधि में प्रतिवर्तित हो गई थी, जहां राजस्व प्राप्तियों (15.62 प्रतिशत) में औसत वार्षिक वृद्धि स.घ.उ. की औसत वार्षिक वृद्धि (13.93 प्रतिशत) से ऊपर बढ़ गई। यह प्रवृत्ति 2007-08 में जारी रही, जहां राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि से काफी अधिक थी। तथापि 2008-09 में, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (केवल 1.6 प्रतिशत) बहुत कम हुई है। जबकि बाजार दर पर स.घ.उ. में 12.67 प्रतिशत की वृद्धि थी। इस वर्ष ने उद्योग, निर्यात, खनन, निर्माण तथा कुछ सेवा क्षेत्रों में गिरावट देखी, जिसके कारण करों तथा उपभोक्ता प्रभारों² का भुगतान करने की क्षमता में कमी आई। इसे मांग को प्रोत्साहित करने के लिए संघ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई यथेष्ट कर राहत के साथ जोड़ा गया, जिसका परिणाम 2008-09 हेतु राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में सीमांतक वृद्धि में ही हुआ। जहां तक ऋण प्राप्तियों का संबंध है, 2008-09 में वृद्धि (28.25 प्रतिशत) स.घ.उ. की 12.67 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी अधिक थी। तुलना में, जब 17 वर्ष (1992-2009) की दीर्घावधि का विचार किया जाता है तो सकल ऋण प्राप्तियां 19.18 प्रतिशत तक बढ़ी जो इस अवधि हेतु स.घ.उ. की 12.31 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक है।

3.3.1 स.घ.उ. में निवल प्राप्तियों का अंश: प्राप्तियां तथा संवितरण विशेष रूप से जो लोक ऋण तथा लोक लेखा से संबंधित है, वे वित्त लेखों में सकल आधार पर प्रदर्शित होते हैं। अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.) तथा 14 दिवसीय खज़ाना बिलों का अपनी प्रकृति, लघु अवधि उपायों द्वारा समायोजन करते हैं तथा अस्थायी बेमेलता को ओट प्रदान करते हैं। इसी प्रकार, लोक लेखे में प्रोत्भवन जो सरकार द्वारा बैंकिंग प्रचालनों से संबंधित है, को भी सकल आधार पर सूचित किया गया है तथा इसका एक वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार के अ.अ. तथा 14 दिवसीय खज़ाना बिलों के प्रचालनों के प्रभाव को, इसके संसाधनों से इनकी प्रभावी प्राप्तियों पर पहुंचने के लिए निवल करना अधिक वास्तविक होगा। तालिका 3.3 पिछले आठ वर्षों के लिए कुल प्राप्तियों तथा

¹ स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संस्थान (के.सां.सं.), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 29 मई 2009 के प्रैस नोट ने इंगित किया कि वर्तमान मूल्य पर स.घ.उ. हेतु संशोधित अनुमानित आंकड़े 53,21,753 करोड़ रु हैं।

² के.सां.सं. द्वारा दिनांक 29 मई 2009 के इसके प्रैस नोट में जारी आर्थिक कार्यकलापों द्वारा घटक लागत दर स.घ.उ. के अनुमान लगाना इंगित करता है कि स.घ.उ. को उत्पादन का अंशदान वर्तमान वर्ष में केवल 10.7 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष में 14.2 प्रतिशत से कम था।

स.घ.उ. की तुलना में कुल प्राप्तियों के अनुपात पर ऐसी निरावेशन के प्रभाव को सूचित करती है। 2008-09 हेतु संघ सरकार की निवल प्राप्तियों में 38,08,344³ करोड़ रु. से 15,98,484 करोड़ रु. (58 प्रतिशत की कमी) से 22,09,860 करोड़ रु. तक गिरावट आई। इसी प्रकार, जबकि तालिका 3.2 स.घ.उ. अनुपात के प्रति सकल प्राप्तियों का 72 प्रतिशत (53,21,753 करोड़ रु. के प्रतिशत के रूप में 38,08,344 करोड़ रु.) तक अधिक होने को दर्शाती थी जबकि तालिका 3.3 दर्शाती है कि निवल करने के उपरान्त स.घ.उ. के प्रति संसाधन अनुपात केवल 30 प्रतिशत है।

तालिका 3.3: संशोधित प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में इसका अंश

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां**	अ.अ. की निवल प्राप्तियां	खजाना बिलों से निवल प्राप्तियां	निवल लोक लेखा प्रोत्भवन	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां/ स.घ.उ. (प्रतिशत)
1998-99	254369	19063	131789	1042	(-)850	40942	446355	25.49
1999-00	298076	14275	132556	(-) 2060	(-) 4440	23345	461752	23.65
2000-01	307724	18924	152146	4413	1340	25123	509670	24.24
2001-02	318121	24379	187523	(-) 219	(-) 1553	42364	570615	25.04
2002-03	355948	41896	206830	(-) 5176	3134	37011	639643	26.06
2003-04	404866	86780	297096	0	1626	(-) 22650	767718	27.87
2004-05	455466	68664	326960	0	7354	27119	885563	28.12
2005-06	525325	13382	369247	0	24733	3514	936201	26.10
2006-07	645723	19225	408517	0	136	48639	1122240	27.18
2007-08	801226	49187	633418	0	29154	35721	1548706	32.79
2008-09	814026	14075	671488	0	30033	68862	1598484	30.04

* राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं।

** अर्थोपाय अग्रिमों तथा खजाना बिलों की प्राप्तियों का निवल

3.4 राजस्व प्राप्तियां : मुख्य समुच्चयों की प्रवृत्ति

1992-2009 की अवधि के दौरान संघ की राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ इसके सकल कर संग्रहण में गठन तथा प्रवृत्तियों को तालिका 3.4 में प्रस्तुत किया गया है। संघ सरकार की कर प्राप्तियों में, (उनके सकल कर संग्रहण से राज्यों के अंश का निवल) 1992-2009 के दौरान लगभग 12 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई जबकि गैर-कर राजस्व में समनरूप अवधि के दौरान 9.4 प्रतिशत की निम्न दर से वृद्धि हुई। इस प्रवृत्ति दर से तुलना में, 2008-09 में निवल कर प्राप्तियां 1 प्रतिशत से कम तक बढ़ी जबकि गैर-कर प्राप्तियों में वृद्धि नगण्य थी।

³ सकल कुल प्राप्तियों हेतु आंकड़े तालिका 3.2 में दिए गए हैं।

तालिका 3.4: राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्तियां

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	सकल कर राजस्व	करों में राज्यों का भाग	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व*	संघ के निवल राजस्व
1992-2009 (औसत)	242752	54317	188434	122109	310543
VIIIवीं योजना (1992-97) औसत	96533	9435	87097	61459	148556
IXवीं योजना (1997-02) औसत	166087	29808	136278	115933	252211
Xवीं योजना (2002-07) औसत	323047	83040	240007	154419	394426
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	593147	151800	441347	208079	649426
2008-09	605298	160179	445119	208728	653847
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)					
1992-2009	13.89	24.42	11.91	9.42	10.98
VIIIवीं योजना (1992-97)	15.89	21.86	15.30	14.66	15.02
IXवीं योजना (1997-02)	9.00	49.19	1.90	8.00	4.65
Xवीं योजना (2002-07)	21.31	20.76	21.50	4.86	14.59
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	25.27	26.15	24.96	20.83	23.61
2008-09	2.05	5.52	0.85	0.31	0.68
टिप्पणी: *गैर-कर राजस्व में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के साथ-साथ रेलवे, डाक, तथा विभागीय उपक्रमों से प्राप्तियां भी शामिल हैं।					

1992-2009 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व संघ सरकार के निवल राजस्व के औसत का 39 प्रतिशत बनता है (तालिका 3.4)। संघ की निवल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व अंश में अवमन्दन हुआ है। ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में अंश गिरकर लगभग 32 प्रतिशत हो गया। 2006-07 में बहुत बड़े आधार के बावजूद, 2007-08 के दौरान सकल कर संग्रहण में केवल 25.27 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। तथापि, 2008-09 में, सकल कर संग्रहण केवल 2.05 प्रतिशत तक ही बढ़ा। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सकल कर प्राप्तियों को राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है। बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) के अंतर्गत, राज्यों के साथ बांटे जाने वाले भाग में वृद्धि होने के साथ-साथ सकल कर राजस्व की निश्चित राशि में वृद्धि के कारण पिछले वर्षों से 2007-08 में केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यों का भाग 26.15 प्रतिशत तक बढ़ गया है। तथापि, अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभाव के कारण, राज्य के भाग में 2007-08 में 1,51,800 करोड़ रु. से 2008-09 में 1,60,179 करोड़ रु. तक से केवल 5.5 प्रतिशत की प्रबल रूप से कमी हुई थी।

3.5 मुख्य कर: सापेक्ष निष्पादन

1992-2009 के दौरान निगम कर में 22 प्रतिशत की उच्चतम प्रवृत्ति वृद्धि के साथ विभिन्न करों के सापेक्षिक निष्पादन में वर्षों से (तालिका 3.5) महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ तथा साथ ही आयकर में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आर्थिक सुधारों के आगामी वर्षों में, करों के संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। वृहत आवृत्तन, व्यापक आधार तथा संतुलित दरें नई कर प्रणाली की आधारशीला बनी। उपयोगी वस्तु आधारित कराधान से कम विरूपित आय आधारित कराधान को

भी विचलन था। इस विचलन से कर पालन, कर उत्प्लावकता तथा कर स.घ.उ. अनुपात का सुधार किया जाना अपेक्षित था।

तालिका 3.5: कर राजस्व के संघटक (सकल)

(करोड़ रुपयों में)


अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य**
1992-2009	242752	62335	38645	51467	71914	12531	5860
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100.00	25	16	21	30	5	3
VIIIवीं योजना (1992-97) औसत	96533	13567	12575	30273	37014	465	2638
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100.00	14	13	31	38	नगण्य	3
IXवीं योजना (1997-02) औसत	166087	29508	25353	43418	60838	2317	4652
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100.00	18	15	26	37	1	3
Xवीं योजना (2002-07) औसत	323047	87602	51720	60497	100210	17373	5645
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100.00	27	16	19	31	5	2
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	593147	192911	102659	104119	123611	51302	18545
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100.00	33	17	18	21	9	3
2008-09	605298	213395	106075	99879	108613	60941	16395
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	35	18	16	18	10	3
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)							
1992-2009	13.89	21.70	16.74	8.71	9.67	*	9.45
VIIIवीं योजना (1992-97)	15.89	21.71	24.72	18.00	10.45	*	-2.50
IXवीं योजना (1997-02)	9.00	17.15	18.58	1.61	11.41	19.19	-30.18
Xवीं योजना (2002-07)	21.31	31.59	18.83	17.36	9.60	73.21	68.93
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	25.27	33.67	36.71	20.61	5.10	36.45	47.62
2008-09	2.05	10.62	3.33	(-)4.07	(-)12.13	18.79	(-)11.59

* सेवा कर 1994-95 में लागू किया गया था। # राज्यों/सं.शा.क्षे. को सौंपे गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं।

**अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, फ्रिज लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिंग नकद लेन-देन कर आदि शामिल हैं।

टिप्पणी: सापेक्ष अंश को दर्शाते आंकड़ों का पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसीलिए कुल योग को हमेशा 100 में न जोड़ा जाए। नगण्य उन आंकड़ों को संदर्भित करता है, जहां उप-घटक का अंश सकल कर राजस्व के 0.5 % की अपेक्षा कम है।

चार्ट 3.2: 1992-09 तथा 2008-09 में सकल कर राजस्व की संरचना



3.5.1 कर राजस्व के विभिन्न उप-घटकों के सापेक्ष अंश: 1992-2009 की पूर्ण अवधि के लिए, कर राजस्व के प्रति अधिकतम अंशदान उत्पाद शुल्क (30 प्रतिशत) के साथ-साथ निगम कर (25 प्रतिशत) तथा सीमा शुल्क (21 प्रतिशत) से था। इस अवधि के दौरान आयकर का अंशदान केवल 16 प्रतिशत था जबकि सेवा कर तथा अन्य करों का अंशदान क्रमशः 5 तथा 3 प्रतिशत के ही लगभग था। इस ऐतिहासिक पद्धति से तुलना करने पर, ग्यारहवीं योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में, तालिका 3.5 से यह देखा जा सकता है कि उत्पाद तथा सीमा शुल्क दोनों के अंश में गिरावट थी, जबकि निगम कर, आयकर तथा सेवा कर के अंश में वृद्धि हुई है।

3.5.2 विभिन्न करों में वृद्धि की प्रवृत्ति: 2007-08 में, उत्पाद शुल्क जहां वृद्धि 5 प्रतिशत थी, के अलावा कर प्राप्तियों के सभी घटकों ने उच्च वृद्धि को प्रदर्शित किया। तथापि, 2008-09 में जबकि आयकर ने 3 प्रतिशत की वृद्धि तथा सेवा कर ने लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई तथा निगम कर लगभग 11 प्रतिशत तक बढ़ा था। नकारात्मक वृद्धि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों में पाई गई थी। "अन्य कर" शीर्ष के अंतर्गत संघटित वृद्धि दर 2008-09 में सामान्य मंदी के कारण नीचे आई जिसने होटल प्राप्तियों तथा अन्य करों पर तथा पिछले वर्ष (आधार वर्ष) की उच्च वृद्धि के कारण भी, प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाला।

3.5.3 कर उत्प्लावकता: यह किसी देश की आर्थिक वृद्धि तथा विकास के संबंध में कर राजस्व में वृद्धि के निर्मित लचीलेपन की चर्चा करता है। कर उत्प्लावकता न केवल कर नीति तथा प्रशासन पर निर्भर करती है बल्कि अर्थव्यवस्था के सामान्य निष्पादन पर भी निर्भर करती है। यह मानते हुए कि स.घ.उ. अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, उत्प्लावकता गुणांक स.घ.उ. (कर आधार) में एक प्रतिशत वृद्धि की तुलना में विभिन्न करों की प्रतिशतता वृद्धि की दर को दर्शाता है। इस आधार के अतिरिक्त, उच्च उत्प्लावकता कर दरों तथा इसके आवृत्तन में परिवर्तन के कारण भी होगी। जबकि एक की अपेक्षा वृहत् उत्प्लावकता वांछनीय है, फिर भी एक की अपेक्षा कम उत्प्लावकता दर्शाती है कि संबंधित कर से संचयन ने आधार में बदलाव के साथ गति को बनाए नहीं रखा है।

तालिका 3.6: मुख्य करों की उत्प्लावकता

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
1992-2009 औसत	1.129	1.763	1.360	0.708	0.786	--
VIIIवीं योजना (1992-97) औसत	0.961	1.313	1.495	1.089	0.632	--
IXवीं योजना (1997-02) औसत	0.871	1.660	1.798	0.156	1.104	1.857
Xवीं योजना (2002-07) औसत	1.530	2.268	1.351	1.246	0.689	5.255
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	1.756	2.340	2.551	1.432	0.354	2.533
2008-09	0.162	0.838	0.263	(-)0.321	(-)0.958	1.483

तालिका 3.6 1992-2009 के दौरान सकल कर राजस्व तथा इसके संघटकों की उत्प्लावकता में प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती हैं, जो करों के पार तथा योजनाओं से अधिक में अस्थिर होते हुए पाए गए हैं। VIIIवीं तथा IXवीं योजनाओं के दौरान सकल कर संचयन की उत्प्लावकता एक से कम रही थी। तथापि यह Xवीं योजना में एक से अधिक थी (1.530)। हाल के वर्षों के दौरान कर राजस्व में प्रदर्शित उत्प्लावक वृद्धि के कारण, 1992-2009 की अवधि से दीर्घअवधि प्रवृत्ति भी एक से अधिक हो गई। Xवीं योजना अवधि के दौरान, समग्र कर उत्प्लावकता में वृद्धि के पुनरुत्थान होने, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में, जिस पर सरकार का कर संचयन महत्वपूर्ण रूप से निर्भर है, के कारण महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उच्च कर उत्प्लावकता के पीछे अन्य महत्वपूर्ण घटक, कर जाल में सेवा कर की दर में वृद्धि के साथ-साथ इसके आधार को व्यापक करके नई सेवाओं को शामिल करना रहा है। वर्ष 2007-08 में सकल कर राजस्व के सभी घटकों (उत्पाद शुल्क के अपवाद सहित) में एक से अधिक उत्प्लावकता थी। वास्तव में स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु निगम कर, आयकर तथा सेवा कर में 2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी। तथापि, 2008-09 में जब वहां औद्योगिक मंदी थी, तब वहां अप्रत्यक्ष करों (उत्पाद तथा सीमा शुल्क दोनों) की महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि थी। प्रत्यक्ष करों में, निगम कर तथा आयकर उत्प्लावक (आयकर संचयन में वृद्धि की दर, स.घ.उ. में प्रत्येक 1 प्रतिशत वृद्धि हेतु केवल 0.263 थी) नहीं थी। तथापि सेवा कर में यथेष्ट उत्प्लावकता (1.5) थी।

दर में वृद्धि तथा सेनवेट दर की ओर बढ़ना, चिन्हित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की कमी तथा अन्य को छूट प्रदान करने की अपेक्षा, कर आधार का विस्तार करने की नीति, मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क के अंतर्गत संचयनों की गति में धीमेपन हेतु उत्तरदायी है। उत्प्लावक स.घ.उ. वृद्धि के बावजूद संघ की कुल कर प्राप्तियों में सीमा शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क का गिरता हुआ अंश व्यापार उदारीकरण से संयोजित टैरिफ कटौती के परिणामस्वरूप राजस्व सृजन करने के उपाय के रूप में उनकी विलयित भूमिका को दर्शाती है।

तालिका 3.7: कर/मुख्य करों का स.घ.उ. अनुपात

अवधि	(प्रतिशत)					
	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
1992-2009	10.08	2.59	1.60	2.14	2.99	0.52
VIIIवीं योजना (1992-97)	9.27	1.30	1.21	2.91	3.56	0.04
IXवीं योजना (1997-02)	8.64	1.54	1.32	2.26	3.16	0.12
Xवीं योजना (2002-07)	10.05	2.72	1.61	1.88	3.12	0.54
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	12.56	4.08	2.17	2.20	2.62	1.09
2008-09	11.37	4.01	1.99	1.88	2.04	1.15
विचलन की औसत वार्षिक दर (1992-2009)	1.41	8.36	3.95	(-)3.20	(-)2.34	*

* विचलन की वार्षिक दर परिकल्पित नहीं की गई थी क्योंकि सेवाकर 1994-95 में लागू किया गया था।

3.5.4 कर-स.घ.उ. अनुपात: सरकार के संसाधन संग्रहण प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता तथा इसके कर सम्भाव्य की वसूली की सीमा का अन्य संकेतक कर-स.घ.उ. का अनुपात है। तालिका 3.7, VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजना अवधि के साथ-साथ XIवीं योजना के प्रथम दो वर्षों को सम्मिलित करते हुए, 1992-2009 की अवधि से इस अनुपात की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करते हैं। 1992-2009 अवधि हेतु कर-स.घ.उ. अनुपात में सकारात्मक विचलन की 1.4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर्शाती है कि इस अवधि के दौरान सकल कर राजस्व में वृद्धि स.घ.उ. में वृद्धि दर के बराबर चल रही है। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान कर-स.घ.उ. अनुपात 9.27 प्रतिशत से IXवीं योजना (1997-2002) में 8.64 प्रतिशत पर नीचे गिरा लेकिन यह प्रवृत्ति Xवीं योजना (2002-07) के दौरान विपरीत हो गई क्योंकि यह अनुपात हाल के वर्षों विशेष रूप से 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान मुख्य रूप से उत्पादक कर संग्रहणों के कारण 10 प्रतिशत तक बढ़ गया। वृद्धि प्रवृत्ति जारी रही तथा यह 2007-08 के दौरान 12.56 प्रतिशत के स्तर पर पहुंची जो 2007-08 हेतु मध्यम अवधि राजकोषीय नीति (म.अ.रा.नी.) विवरणी में विचार किए गए 11.8 के बजटीय स्तर से सीमान्तक रूप से उच्च थी। तथापि, 2008-09 में, कर-स.घ.उ. अनुपात 11.37 प्रतिशत था, जो 2008-09 हेतु म.अ.रा.नी. विवरणी में विचार किए गए 13 प्रतिशत की अपेक्षा कम था।

1992-2009 की अवधि से, निगम करों (8 प्रतिशत से अधिक) में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में करों में अधिकतम सकारात्मक विचलन देखा गया था। आयकर ने भी 3.95 प्रतिशत का सकारात्मक विचलन प्रदर्शित किया जबकि सीमा शुल्क (-3.2 प्रतिशत) तथा उत्पादन शुल्क (-2.34 प्रतिशत) में नकारात्मक विचलन था। अन्य शब्दों में, 17 वर्षों (1992-2009) की अवधि से, प्रत्यक्ष करों का अंश विशेष रूप से निगम कर में यथेष्ट वृद्धि हुई है जबकि कर बासकिट में अप्रत्यक्ष करों के अंश में कमी हुई है।

3.6 गैर-कर राजस्व

सरकार के गैर-कर राजस्व के दो घटक; इसके प्रधान क्रियाकलापों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्का ढलाई आदि से आय तथा वह जो या तो मध्यस्थता वापसी अथवा लाभांश अथवा उपभोगकर्ता प्रभारों जैसे रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों के रूप में इसकी

परिसम्पत्तियों/निवेशों से उत्पन्न हुआ हो, से संघटित समझा जा सकता है। जहां प्रधान क्रियाकलापों, वित्तीय मध्यस्थता एवं निवेश से राजस्व वास्तविक उगाही के रूप में होते हैं, वहीं सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से आय सकल आधार पर होती है तथा उन्हें सेवा प्रदान करने की प्रचालन लागत से निवलीकृत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, लाभांश आय में भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष भी शामिल होता है तथा यह निवेश सम्बद्ध होने से कहीं सलाभ सिक्का ढलाई (सलाभ सिक्के ढलाई मुद्रा भण्डार में गैर-मुद्रा स्फीति वृद्धि है) से अधिक सम्बन्धित है। 1992-2009 के दौरान कुल गैर-कर राजस्व में उप-संघटकों के सापेक्ष तथा प्रवृत्तियों को तालिका 3.8 में प्रदर्शित किया गया है।

3.6.1 पश्च उदारीकरण अवधि (1992-2009) के दौरान गैर-कर राजस्व (गै.क.रा.) के विभिन्न उप-संघटकों के सापेक्ष अंश में विचलन: विचाराधीन पूर्णावधि (1992-2009) के दौरान, ब्याज प्राप्तियों को औसतन गै.क.रा. के 24 प्रतिशत के लगभग परिकलित किया गया था। तथापि, कुल गैर-कर प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियों में, Xवीं योजना के 24 प्रतिशत के औसत से 2007-08 में 17 प्रतिशत तथा 2008-09 में 15 प्रतिशत के निम्न पर महत्वपूर्ण रूप से कमी आई। हाल के वर्षों में अंश में गिरावट ऋण स्वैप योजना के कार्यान्वयन के कारण थी, जिसका परिणाम 2005-06 से 2009-10 की अवधि हेतु बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित ऋण समेकीकरण योजना तथा राहत सुविधा योजना के अंतर्गत निम्न ब्याज दरों सहित बकाया ऋणों के संग्रह में कमी तथा ब्याज की निम्न दरों पर बकाया ऋणों के समेकन तथा पुनःसूचीबद्ध करने में हुआ।

पश्च उदारीकरण अवधि हेतु गै.क.रा. में लाभांश तथा लाभ का अंश 13 प्रतिशत था किन्तु इस अंश ने तीन पूर्व योजना अवधियों में निरन्तर वृद्धि को प्रदर्शित किया। यह उर्ध्वगामी प्रवृत्ति 2007-08 में जारी रही तथा 2008-09 में गै.क.रा. के लगभग 19 प्रतिशत के उच्च अंश तक पहुँची। यह संघटक मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लाभांश, रेलवे के अंशदान, भा.रि.बैं., भा.जी.बी.नि. तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिशेष लाभों के अंश तथा अन्य निवेशों से लाभांशों से बना है।

तालिका 3.8: गैर-कर राजस्व - उप-संघटकों तथा प्रवृत्तियों की सापेक्ष संरचना

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व #	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	प्रधान तथा अन्य कार्य **
1992-2009 औसत	122109	29833	16225	624	64453	10976
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	24	13	1	53	9
VIIIवीं योजना (1992-97) औसत	61459	16791	4969	606	33100	5993
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	27	8	1	54	10
IXवीं योजना (1997-02) औसत	115933	34526	11555	572	60257	9024
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	30	10	नगण्य	51	8
Xवीं योजना (2002-07) औसत	154419	37023	24018	687	77953	14738
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	24	16	नगण्य	50	10

XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	208079	34612	34500	742	120998	17227
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	17	17	नगण्य		
2008-09	208728	30846	38608	540	118146	20588
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	19	नगण्य	57	10
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1992-2009	9.42	5.91	17.61	0.22	9.39	9.04
VIIIवीं योजना (1992-97)	14.66	14.32	30.01	10.93	15.54	2.87
XIवीं योजना (1997-02)	8.00	13.00	21.19	(-) 21.24	2.25	13.16
Xवीं योजना (2002-07)	4.86	(-) 13.56	8.65	16.07	13.07	5.59
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	20.83	30.35	17.71	58.89	20.44	11.75
2008-09	0.31	(-)10.88	11.91	(-)27.22	(-)2.36	19.51
औसत वार्षिक विचलन दर*		(-)3.21	7.48	(-)8.41	(-)0.03	(-)0.35

टिप्पणी: सापेक्ष अंशों को दर्शाते हुए आंकड़ों को पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसलिए कुल योग को हमेशा 100 में न जोड़ा जाए। नगण्य उस आंकड़ों संदर्भित करता है जहां उप-घटक का अंश गैर कर राजस्व से 0.5% से कम है।

अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान शामिल है।


* कुल गैर-कर राजस्व में प्रतिशतता परिवर्तन की तुलना में गैर-कर राजस्व के प्रत्येक उप-संघटक के सापेक्ष अंश में परिवर्तन की दर।

सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल है।

आर्थिक सेवाओं में डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वन, वृक्षारोपण, खाद्य भण्डारण तथा गोदाम, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सा.क्षे.उ. तथा रेलवे, डाक, जहाजरानी आदि जैसे सरकारी उपक्रमों की प्राप्ति शामिल हैं।

** राजकोषीय सेवाएं तथा अन्य सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण आदि)

चार्ट 3.3: 1992-2009 तथा 2008-09 के दौरान गैर-कर राजस्व के संघटकों के सापेक्ष अंश



लाभांशों एवं लाभों से गैर कर राजस्व (भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष को शामिल करके), 1992-2009 के दौरान लगभग 18 प्रतिशत की औसत दर से तीव्रता से बढ़ता हुआ घटक था। तथापि, इस स्रोत से, राजस्व में 2003-04 में गिरावट आई थी लेकिन आगामी वर्षों में यह धीरे-धीरे बढ़ा। इस स्रोत से 2003-04 में गिरावट मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक से

2002-03 में 10320 करोड़ रु. से 2003-04 में 8,834 करोड़ रु. और उसके बाद 2004-05 में 5,400 करोड़ रु. का अधिशेष अंतरित करने के कारण थी। तथापि, भा.रि.बैं. से अधिशेष तदन्तर बढ़ गया तथा 2006-07 में 8,404 करोड़ रु. की तथा आगे 2007-08 में 11,411 करोड़ रु. की वृद्धि थी। भारतीय रिजर्व बैंक (15,011 करोड़ रु.) से 3,600 करोड़ रु. तथा रेलवे से 4,692 करोड़ रु. के अधिशेष के अंतरण में तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से 2008-09 में लाभांश तथा लाभ के संघटकों के अंश में वृद्धि का कारण बनी।

वर्षों से, ब्याज प्राप्तियों (-3.21 प्रतिशत), सामाजिक सेवाएं (-8.4 प्रतिशत), आर्थिक सेवाएं (-0.03 प्रतिशत) तथा प्रधान एवं अन्य कार्य (-0.35 प्रतिशत) के अंश में विचलन की नकारात्मक औसत वार्षिक दर हुई है। आर्थिक सेवाओं हेतु सापेक्ष अंश में इस गिरावट का एक भाग दूरसंचार से राजस्व की समाप्ति के कारण था क्योंकि विभागीय उपक्रम निगमित था। उनका राजस्व, जो पहले समेकित निधि का भाग बनता था वह नई उत्पन्न निगम इकाई का राजस्व बन गया। गैर-कर राजस्व में सामाजिक सेवाओं का समग्र अंशदान महत्वपूर्ण नहीं था। अन्य संघटकों के गिरते हुए अंश की क्षतिपूर्ति के लिए लाभांश तथा लाभ के सापेक्ष अंश ने लगभग 8 प्रतिशत के सुस्पष्ट सकारात्मक विचलन को प्रदर्शित किया जो दर्शाता है कि लो.क्षे.उ./राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश तथा भा.रि.बैं. से अधिशेषों से वित्तीय परिणामों में यथेष्ट बढ़ोत्तरी हुई है।

3.6.2 गैर-कर राजस्व (गै.क.रा.) के विभिन्न उप-संघटकों की वृद्धि दर: तालिका 3.8 इंगित करती है कि पश्च उदारीकरण अवधि के दौरान गै.क.रा. में 9.42 प्रतिशत की औसत दर पर वृद्धि हुई। इसकी तुलना में, 2008-09 में वृद्धि 0.31 प्रतिशत पर नगण्य थी (पिछले वर्षों से 2007-08 में कुल गै.क.रा. ने यथेष्ट वृद्धि दर्शाई थी इसलिए 2008-09 में वृद्धि बहुत कम थी)। गै.क.रा. के मुख्य उप-संघटकों के मामले में, 5.91 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि तथा पिछले वर्षों की 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर (2006-07 से 2007-08 में अधिक) की तुलना में 2008-09 में ब्याज प्राप्तियों में 10.88 प्रतिशत की नकारात्मक दर से वृद्धि हुई। अन्य मुख्य उप-संघटकों अर्थात् 2007-08 से 2008-09 में लाभांश तथा लाभ में मुख्य रूप से भा.रि.बैं. तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से बड़े लाभों तथा रेलवे से अंशदान के कारण 12 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई। विशिष्ट तथा अन्य कार्यों में भी यथेष्ट वृद्धि (लगभग 20 प्रतिशत) पाई गई थी।

तालिका 3.9: पेट्रोलियम प्राप्तियों में वृद्धि

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	पेट्रोलियम पर लाभ	पेट्रोलियम छूट शुल्क तथा रायल्टी	पेट्रोलियम अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ	लाइसेंस शुल्क तथा खनन पट्टेदारी किराया	वाणिज्यिक खोज बोनस	अन्य प्राप्तियाँ	योग
2004-05	2690	2572	20	37	0	0	5319
2005-06	3278	2422	19	63	0	0	5782
2006-07	4342	3332	23	102	0	520	8319
2007-08	4199	3498	22	72	2	52	7845
2008-09	5036	3289	16	43	0	109	8493

2004-05 के बाद से, गैर-कर राजस्व बास्केट के लगभग 3.5 से 4.8 प्रतिशत की पेट्रोलियम प्राप्तियाँ परिकलित की गईं। पेट्रोलियम पर लाभ जिसे 2004-05 में 50 प्रतिशत अंश परिकलित किया गया, 2008-09 में पेट्रोलियम प्राप्तियों का मुख्य अंशदाता (59.3 प्रतिशत) रहा है जैसा कि तालिका 3.9 में पाया गया। पेट्रोलियम प्राप्तियों अर्थात् पेट्रोलियम छूट शुल्कों तथा रॉयल्टियों के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण उप-संघटक का सापेक्ष अंश 2004-05 में 48.35 प्रतिशत से 2008-09 में 38.73 प्रतिशत तक गिरा।

तालिका 3.10 टेलिकॉम प्राप्तियों में वृद्धि

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	मानीटरिंग संगठन की प्राप्तियाँ	वायरलेस योजना तथा समन्वय संगठन से प्राप्तियाँ	टेलिकॉम लाइसेंस शुल्क	सार्वभौमिक पहुँच उगाही	अन्य प्राप्तियाँ	वापसियाँ	कुल योग
2004-05	0	1040	6038	778	120	0	7976
2005-06	13	1372	3433	3215	2032	0	10065
2006-07	0	2090	3097	3941	3336	0	12464
2007-08	0	3056	3449	5406	14818	0	26729
2008-09	0	3455	3996	5515	156	(-)124	12998

गैर-कर राजस्व का एक और महत्वपूर्ण संघटक टेलीकॉम प्राप्तियाँ हैं, जिन्हें 2004-05 में गै.क.रा. का 5.3 प्रतिशत परिकलित किया गया था, 2007-08 में बास्केट के 12.85 प्रतिशत पर बढ़ गई। कुल गै.क.रा. की तुलना में टेलीकॉम प्राप्तियों का अंश 2008-09 में महत्वपूर्ण रूप से 6.22 प्रतिशत तक गिरा। तालिका 3.10 दर्शाती है कि दूरसंचार लाइसेंस शुल्क जिसका 2004-05 में टेलीकॉम प्राप्तियों में काफी अधिक सापेक्ष अंश (75.7 प्रतिशत) था, का 2008-09 महत्वपूर्ण रूप से निम्न अंश (30.74 प्रतिशत) था। तुलना में, वायरलेस योजना एवं समन्वय संगठन से प्राप्तियों के अंश में 2004-05 में 13.04 प्रतिशत से 2008-09 में 26.58 प्रतिशत की वृद्धि तथा सार्वभौमिक पहुँच उगाही के अंश में 2004-05 में 9.75 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 42.43 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

3.7 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, विविध पूंजीगत प्राप्तियों (विनिवेश) तथा कर्जे एवं पेशगियों की वसूली से बनती हैं। तालिका 3.11 विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा राज्य तथा संघ क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियों की वसूली का विवरण प्रस्तुत करती हैं। यह तालिका बजट अनुमानों तथा विनिवेश से वास्तविक प्रापण के साथ-साथ संघ सरकार के कर्जे एवं पेशगियों की वास्तविक वसूली को भी दर्शाती है।

तालिका 3.11: अंतिम दशक में विनिवेश से प्राप्तियाँ तथा कर्जों की वसूली

अवधि	विनिवेश			कर्जों की वसूली		
	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	प्राप्ति प्रतिशत	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	प्राप्ति प्रतिशत
	(करोड़ रूपयों में)			(करोड़ रूपयों में)		
1999-00	10000	1723	17.23	13337	12551	94.11
2000-01	10000	1870	18.70	15839	16799	106.06
2001-02	12000	3028	25.23	17488	20733	118.56
2002-03	12000	3149	26.24	20080	38745	192.95
2003-04	13200	16632	126.00	20523	69827	340.24
2004-05	4000	4363	109.10	29625	64240	216.84
2005-06	0.0	1570	--	13525	11801	87.25
2006-07	3840	534*	0.00	9530	18691	196.13
2007-08	1651	4387	265.72	3030	10391	342.94
2008-09	1165	22	1.89	5993	13509	225.41

* मुख्य रूप से तेल एवं प्राकृतिक गैस द्वारा बोनस अंश जारी करने के कारण

3.7.1 अंतिम दशक में विनिवेश प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ: विविध पूँजीगत प्राप्तियों (वि.पू.प्रा.) में प्रवृत्तियाँ, अर्थात् 2005-06 से 2007-09 तक अंतिम चार वर्षों के दौरान विनिवेश की प्राप्तियाँ वृद्ध अस्थिरता का संकेत करती हैं। जबकि, वर्ष के दौरान 'शून्य' बजट अनुमानों के प्रति 2005-06 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में, सरकार के इक्विटी में आंशिक रूप से विनिवेश के कारण वि.पू.प्रा. के रूप में 1,570 करोड़ रुपये दर्ज किये गये थे, 2006-07 के दौरान वर्ष के दौरान सरकारी इक्विटी के विनिवेश के कारण कोई प्राप्ति नहीं थी यहाँ के बजट अनुमानों के प्रति केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में अंशधारिताओं के आंशिक विनिवेश के कारण 3,840 करोड़ रु की प्राप्तियाँ हुईं। तथापि, 534 करोड़ रु की प्राप्ति मुख्यतया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बोनस अंशों को जारी करने के कारण थी। 2007-08 के दौरान, वित्त लेखे में विनिवेश से 4,387 करोड़ रु का वास्तविक प्राप्तियाँ वर्ष के लिए बजट अनुमानों (1,651 करोड़ रु) का 266 प्रतिशत था जो वर्ष के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) द्वारा जारी बोनस अंश के कारण 166 करोड़ रु की प्राप्तियों के अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.), भारतीय पावर ग्रिड निगम लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) तथा राष्ट्रीय हाइड्रो शक्ति निगम (एन.एच.पी.सी.) में संभावित: इक्विटी के लघु अंश के विनिवेश के कारण था।

जनवरी 2005 से आगे सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि (एन.आई.एफ.) स्थापना की। केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्तियों को एन.आई.एफ. में निर्दिष्ट किया जाता है जिसे भारत की समेकित निधि से बाहर अनुरक्षित किया जाता है। वित्त लेखे से यह पाया गया कि वर्ष 2008-09 में रा.नि.नि. में आय के रूप में केवल 84 करोड़ रु की प्राप्ति की गई है।

3.7.2 ऋण वसूली में प्रवृत्तियाँ: 2003-04 तथा 2004-05 के ऋण विनिमय योजना के अन्तर्गत नरम-ब्याज व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए राज्यों के साथ-साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उच्च लागत कर्जों के पूर्व-भुगतान के साथ, कर्जों की वसूली के अन्तर्गत प्राप्तियों ने 2005-06 के दौरान एक अनुमानित गिरावट दर्शाई। पिछले वर्ष से ऋणों की वसूली में न केवल अर्थपूर्ण कमी आई बल्कि 2005-06 के दौरान 13,525 करोड़ रु. के अपर्याप्त बजट

लक्ष्य से कम रही। तथ्य दिये गये कि संघ सरकार की राज्य सरकार के लिए वित्तीय मध्यस्थता के रूप में भूमिका को बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर समाप्त कर दिया गया तथा संघ सरकार से राज्यों के बकाया ऋणों को ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) के अन्तर्गत ब्याज की कम की गई दर पर कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया था, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान संघ सरकार द्वारा ऋणों की वसूली हेतु बजट अनुमान अविश्वसनीय रूप से कम हुआ था। राज्यों के निश्चिन्त राजकोषीय स्थिति के कारण, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान, राज्यों से कर्जों की वसूली के साथ-साथ इन वर्षों के दौरान बजट अनुमानों में सुधार हुआ है क्योंकि 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान ऋणों की वसूली बजट अनुमानों के क्रमशः 196 तथा 343 प्रतिशत की थीं। वर्ष 2008-09 के लिए 5,993 करोड़ रु. के बजट अनुमानों की दो समय से अधिक बार (13,509 करोड़ रु.) प्राप्ति की गई थी।

बाजार उधारों तथा लोक लेखों में प्रोतभवन से बनी अन्य पूंजीगत प्राप्तियां, जो प्रवृत्ति से ऋण सर्जक हैं, की चर्चा बाद के अध्यायों में की गई है।

3.8 परिवर्तनीय से संबंधित मुख्य राजस्व के बजट अनुमानों तथा वित्त लेखों के बीच अंतराल

इस पैरा में, 2008-09 में मुख्य राजस्व परिवर्तनियों (जैसा कि वित्त लेखों से निकले हैं) के वास्तविक निष्पादन में विचलन जो उस वर्ष में अनुमानित किया गया था, को अभिग्रहण करने के लिए प्रयास किया गया है। 2008-09³ हेतु बारहवें वित्त आयोग के अनुमानित राजस्व की वास्तविक आकड़ों से वास्तविक डाटा जो बारहवें वित्त आयोग के समय अनुमानित किया गया था, में विचलन का अनुमान प्राप्त करने हेतु तुलना की गई थी।

तालिका 3.12: मुख्य राजस्व मापदण्डों में विचलन -2008-09 में वास्तविक निष्पादन के साथ-साथ बजट अनुमानों (ब.अ.) तथा बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) के अनुमानों की तुलना (करोड़ रु. में)

मापदण्ड	वास्तविक	ब.अ. [^]	ब.अ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक का विचलन	बा.वि.आ. अनुमान	बा.वि.आ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक का विचलन
(1) सकल कर राजस्व	605298	687715	(-) 12	517486	17
(2) करों का राज्य का अंश	160179	178765	(-) 10	138027	16
(3) निवल कर राजस्व {(1)-(2)}	445119	508950	(-) 13	377859	18
(4) कर राजस्व					
(क) निगम कर	213395	226361	(-) 6	169027	26
(ख) आयकर	106075	120604	(-) 12	89201	19

³ जैसा कि बारहवें वित्त आयोग (2005-10) के प्रतिवेदन के अनुबंध 5.2 में दिया गया है।

(करोड़ रु. में)

मापदण्ड	वास्तविक	ब.अ. [^]	ब.अ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक का विचलन	बा.वि.आ. अनुमान	बा.वि.आ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक का विचलन
(ग) सीमा शुल्क	99879	118930	(-) 16	71644	39
(घ) उत्पाद शुल्क	108613	137874	(-) 21	156077	(-) 30
(ङ) सेवा कर	60941	64460	(-) 5	30332	101
(5) पूंजीगत प्राप्तियाँ	2409840	1901143	(+) 27	167870	1336
(6) गैर-कर प्राप्तियाँ	208728	221450	(-) 6	105987	97
जिनमें से					
(क) ब्याज प्राप्तियाँ	30846	35793	(-) 14		
(ख) लाभ तथा लाभांश	38608	43204	(-) 11		
(7) स.घ.उ. अनुपात के प्रति कर	11.37%	13%		10.59%	
(8) स.घ.उ.	5321753*	5303770		4885553	

* सी.एस.ओ. की दिनांक 29 मई 2009 की प्रैस रिलीज के अनुसार संशोधित अनुमान .

[^] स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणी - 2008-09

तालिका 3.12 से यह अवलोकित किया जा सकता है कि मुख्य राजस्व परिवर्तनियों के वास्तविक निष्पादन जो वर्ष 2008-09 के बजट में अनुमानित किया गया था, से तुलना करने पर यथेष्ट विचलन था। संघटित सकल कर राजस्व, जैसा कि ब.अ. में अनुमान लगाया गया था से लगभग 12 प्रतिशत तक कम था तथा परिणामस्वरूप राज्यों के साथ बांटे गए करों की कुल राशि, जो अनुमानित की गई थी उससे 10 प्रतिशत तक कम थी। मुख्य विचलन अप्रत्यक्ष करों में - अर्थात् उत्पाद शुल्क (21 प्रतिशत कम) तथा सीमा शुल्क (16 प्रतिशत कम) जो बजट में अनुमान लगाए गए थे, से कम पाए गए थे। प्रत्यक्ष करों का संघटन भी - आयकर (12 प्रतिशत से कम) के साथ-साथ निगम कर (6 प्रतिशत से कम) में अधिकतम कमी के साथ अनुमानित से कम था। स.घ.उ. अनुपात के प्रति वास्तविक कर 12.3 प्रतिशत था तथा इस प्रकार, ब.अ. में 13 प्रतिशत के अनुमानित से कम था। वर्ष हेतु सी.एस.ओ. द्वारा दिए गए स.घ.उ. के संशोधित अनुमान, 53,03,770 करोड़ रु. के ब.अ. आकड़े की तुलना में, 53,21,753 करोड़ रु. तक सीमांतक रूप से अधिक थे।

ब.अ. 2008-09 ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) तथा राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक शक्ति निगम (एन.एच.पी.सी.) में इक्विटी के एक लघु भाग से वंचित करके 1,165 करोड़ रु. के विनिवेश का अनुमान लगाया था, लेकिन यह वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं किया गया था।

जब, नवम्बर 2004 में वर्ष 2008-09 हेतु बारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिए गए अनुमानों की तुलना, 2008-09 हेतु लेखापरीक्षित आंकड़ों से की गई है तो उत्पाद शुल्क की

जहां कमी लगभग 30 प्रतिशत थी के अलावा सभी राजस्व परिवर्तनीयों ने अनुमानित से बेहतर निष्पादन किया। अधिकतम विचलन पूंजीगत प्राप्तियों (जो अनुमान लगाया गया था उससे 1,336 प्रतिशत की वृद्धि), सेवा कर (वास्तविक आकड़ों में 101 प्रतिशत की वृद्धि), के मामलों में पाया गया था तथा बा.वि.आ. में जो अनुमान लगाया गया था उससे आयकर तथा सीमा शुल्क में यथेष्ट वृद्धि थी।

अध्याय 4

संसाधनों का उपयोग : व्यय

भारत जैसी आविर्भावी अर्थव्यवस्था में सरकारी व्यय के महत्वपूर्ण महत्व को कम करके नहीं बताया जा सकता है। 2008-09 के लिए वित्त लेखों से निर्गमित संघ व्यय से संबंधित मुख्य अभ्युक्तियां निम्न लिखित हैं:

- **वर्तमान योजनाओं हेतु निधियों की लागत पर प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि:** वर्षों से व्यय निधिकरण के लिए उधारी निधियों पर बढ़ता विश्वास या सरकार के अधिक प्रतिबद्ध व्यय तथा सापेक्ष रूप से वर्तमान योजनाओं हेतु कम निधियों का कारण बना है। ऋण का पुनर्भुगतान (21,64,560 करोड़ रु.) तथा लोक लेखों की देयताओं को चुकाना (5,15,616 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (2,00,580 करोड़ रु.) राज्यों के अपनी सकल कर प्राप्ति के अधिदेशाधीन अंश को सुपुर्द करने (1,60,179 करोड़ रु.), राज्यों को सहायता अनुदान (1,21,702 करोड़ रु.) तथा अंतिम रोकड़ शेषों (95,256 करोड़ रु.) का तात्पर्य था कि संघ सरकार की वर्तमान योजनाओं हेतु वर्ष के दौरान कुल संसाधनों का लगभग 19 प्रतिशत ही वास्तविक रूप से व्यय किया गया था। (पैरा 4.1)
- **वर्षों से राज्य के करों के अंश में वृद्धि:** करो में राज्य के अंश ने कुल संवितरण के सभी घटकों के बीच पश्च उदारीकरण अवधि में स.घ.उ. की प्रत्येक प्रतिशतता वृद्धि हेतु अधिकतम प्रतिशतता वृद्धि को प्रदर्शित किया। इसे आनुक्रमिक वित्त आयोगों की अनुशंसाओं को आरोपित किया जा सकता है। (पैरा 4.2.1)
- **स.घ.उ. वृद्धि की तुलना में कुल संवितरणों में उच्चतर वृद्धि:** 1992-2009 के दौरान 15.84 प्रतिशत की कुल संवितरणों की औसतन वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि, स.घ.उ. की वृद्धि की औसतन दर से अधिक थी जो कि उसी अवधि में, जिसने देश के आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाया औसतन 12.31 प्रतिशत थी। वर्ष 2008-09 में पद्धति में एक तीव्र बदलाव पाया गया है जहाँ 12.67 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि की तुलना में कुल संवितरण लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़े। यह वास्तविक व्यय (पिछले वर्ष से 27.65 प्रतिशत वृद्धि), ऋण का पुनर्भुगतान (34.94 प्रतिशत वृद्धि) तथा लोक लेखों में संवितरण (21.24 प्रतिशत) में काफी अधिक वृद्धि के कारण है। (पैरा 4.2.2)
- **वास्तविक व्यय में वृद्धि तथा स.घ.उ. वृद्धि के बीच संबंध:** पिछली तीन योजना अवधि के दौरान तथा 17 पश्च-उदारीकरण वर्षों अर्थात् 1992-2009 के लिए भी वास्तविक व्यय (कुल संवितरण, करों में राज्य के अंश का निवल, ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखों में संवितरण) की औसतन वार्षिक वृद्धि दर, स.घ.उ. वृद्धि दरों से कम हुई है। 2007-08 तथा 2008-09 में, वास्तविक व्यय में वृद्धि स.घ.उ. में वृद्धि से अधिक हुई है तथा यह अंतर 2008-09 में और अधिक प्रकट हुआ था, जब सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु राजकोषीय प्रोत्साहन की विविधता को उपलब्ध कराया। (पैरा 4.2.2)
- **पूजीगत व्यय से अधिक राजस्व व्यय का प्रभावी अंश:** पश्च-उदारीकरण अवधि के दौरान, वास्तविक व्यय के प्रति राजस्व व्यय का औसतन अंश लगभग 84 प्रतिशत था। 2008-09 में यह अंश लगभग 92 प्रतिशत तक नाटकीय रूप से बढ़ा (पैरा 4.4)। 1992-2009 के दौरान, वास्तविक व्यय में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु, पूजीगत व्यय के अनुपात तथा वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में ऋणों में ऋणात्मक विचलन 4.47 प्रतिशत हुआ है, जबकि वास्तविक व्यय के प्रति राजस्व व्यय के अंश में करीबन एक प्रतिशत की ऋणात्मक विचलन हुआ है। (पैरा 4.3.1)

- **योजनागत व्यय से अधिक गैर-योजनागत व्यय का प्रभावी अंश:** 1992-2009 की अवधि तक संघ सरकार के व्यय के संघटन में प्रवृत्तियाँ, जो कि वर्षों से बढ़ रही हैं, ने प्रकट किया कि गैर-योजनागत व्यय ने योजनागत व्यय को अधिक महत्वपूर्ण बनाया। (पैरा 4.5.2)
- **पूँजीगत व्यय की सापेक्षता कम उत्प्लावकता:** 1992-2009 की पूर्ण अवधि हेतु पूँजीगत व्यय में वृद्धि स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से कम थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु पूँजीगत व्यय केवल 0.862 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु पूँजीगत व्यय केवल 0.856 प्रतिशत तक बढ़ा। 2008-09 में, स.घ.उ. की प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि 2.66 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि हेतु 21 प्रतिशत से अधिक की ऋणात्मक वृद्धि थी। (पैरा 4.6.4)
- **वास्तविक व्यय की उत्प्लावकता:** 1992-2009 की पूर्ण अवधि हेतु वास्तविक व्यय में वृद्धि स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से कम थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु वास्तविक व्यय केवल 0.874 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु वास्तविक व्यय केवल 0.868 प्रतिशत तक बढ़ा। 2007-08 में, वास्तविक व्यय में वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि से काफी अधिक परन्तु राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि से कम थी। 2008-09 में, वास्तविक व्यय वृद्धि, विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रमों के कारण स.घ.उ. की वृद्धि से 2.18 गुना तथा राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि से 17.31 गुना था। (पैरा 4.6.6)
- **आर्थिक सहायता में वृद्धि:** पिछले वर्ष से खाद्य आर्थिक सहायता में 39.65 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। जबकि पेट्रोलियम आर्थिक सहायता में 1.13 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। स्वदेशी एवं आयातित उर्वरकों पर दी गई आर्थिक सहायता 43 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि विनियंत्रित उर्वरकों के क्रय पर किसानों को दी गई आर्थिक सहायता में वृद्धि प्रासंगिक 275 प्रतिशत थी। अन्य आर्थिक सहायताओं में 51.6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, कुल आर्थिक सहायताओं में पूर्णरूप से लगभग 83 प्रतिशत तक वृद्धि थी। 2008-09 में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल आर्थिक सहायताएं लगभग एक प्रतिशतता बिन्दु तक बढ़ी। 2007-08 से अधिक 2008-09 में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में आर्थिक सहायताएं 3.19 प्रतिशतता बिन्दुओं तक बढ़ी। (पैरा 4.7)
- **बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय में विचलन:** वर्ष 2008-09 में वास्तविक व्यय में 47 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है जो कि बजट में अनुमान किए गए से अधिक थी। योजनागत व्यय (13 प्रतिशत) की तुलना में गैर-योजनागत व्यय (63 प्रतिशत) में अधिक विचलन था। गैर-योजनागत पूँजीगत व्यय बजट में अनुमान किए गए से 16 प्रतिशत तक कम था। वर्ष 2008-09 के लिए बारहवें वित्त आयोग के अनुमानों पर एक दृष्टि में तथा वास्तविक आंकड़ा विशेष रूप से आर्थिक सहायता (अनुमानित की गई से 259 प्रतिशत अधिक) तथा राजस्व व्यय (अनुमानित किए गए से 121 प्रतिशत अधिक) में व्यापक विचलनों को प्रदर्शित करता है। (पैरा 4.10)

4.1 संघ व्यय 2008-09 का विहंगावलोकन: संघ सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यों को पूरा करने, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं को प्रदान करने, पूँजीगत व्यय और निवेशों के माध्यम से इन सेवाओं के नेटवर्क के विस्तार करने और ऋण सहायता करने की बाध्यताओं के निर्वहन करने के संसाधनों को बढ़ाती है। वर्ष 2008-09 के लिए सरकार की कुल संसाधन उपलब्धता 40,37,977 करोड़ रु. थी जिसमें से 95,256 करोड़ रु. का अन्त रोकड़ शेष छोड़ते हुए, 39,42,721 करोड़ रु. का संवितरण किया गया था (तालिका 4.1)।

ऋण का पुनर्भुगतान (21,64,560 करोड़ रु.) तथा लोक लेखे की देयताओं को चुकाने (5,15,616 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (2,00,580 करोड़ रु.), अपनी सकल कर प्राप्ति के अधिदेशाधीन अंश को राज्यों के सुपुर्द करने (1,60,179 करोड़ रु.), राज्यों को सहायता अनुदान (1,21,702 करोड़ रु.) तथा अन्त रोकड़ शेषों (95,256 करोड़ रु.) का तात्पर्य था कि संघ सरकार की वर्तमान योजनाओं हेतु कुल संसाधनों का लगभग 19 प्रतिशत ही वास्तविक रूप से वर्ष के दौरान उपलब्ध था।

तालिका 4.1 : संसाधनों का उपयोग


(करोड़ रुपयों में)

I	उपलब्ध संसाधन		4037977
II	संसाधनों का उपयोग		3942721
	क. ऋणों का पुनर्भुगतान	2164560	
	आन्तरिक ऋण	2154553	
	बाह्य ऋण	10007	
	ख. लोक लेखे की देयताओं को चुकाना	515616	
	लघु बचत तथा भविष्य निधि	269605	
	आरक्षित निधि	121565	
	जमा तथा अग्रिम	108921	
	अन्य	15525	
	ग. वास्तविक व्यय	1102366	
	राजस्व व्यय	1010224	
	पूंजीगत व्यय	77556	
	कर्जे एवं पेशगियाँ	14586	
	घ. करों में राज्यों का अंश	160179	
	आकस्मिक निधि को विनियोग	-	0
III	अन्त रोकड़ शेष		95256

4.2 कुल संवितरण- संघटन एवं प्रवृत्तियाँ

संघ सरकार के कुल संवितरण के चार मुख्य घटक हैं (बॉक्स 4.1) अर्थात् राज्यों को सहायता अनुदान सहित वास्तविक व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा कर्जे एवं पेशगियों); राज्यों को संघ करों की प्राप्तियों में से अनिवार्य अन्तरण जैसा कि वित्त आयोग द्वारा अनुशसित तथा संसद द्वारा स्वीकृत है; ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे से संवितरण। इन व्यय वर्गों के सम्पर्क में सापेक्ष गतिविधियों को तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

बॉक्स 4.1: कुल संवितरणों के घटक



तालिका 4.2: कुल संवितरण के घटक


(करोड़ रुपयों में)

अवधि	वास्तविक व्यय	करों में राज्यों का अंश	ऋण का पुनर्भुगतान	लोक लेखे में संवितरण	कुल संवितरण	स.घ.उ. (बाजार मूल्य)
1992-2009 (औसत)	463780	54317	580847	249426	1348370	2407994
सापेक्षिक अंश	34	4	43	19	100	
VIII वीं योजना (1992-97) (औसत)	220494	9435	126525	77261	433716	1040918
सापेक्षिक अंश	51	2	29	18	100	
IX वीं योजना (1997-02) (औसत)	389316	29808	310011	207404	936539	1922332
सापेक्षिक अंश	42	3	33	22	100	
X वीं योजना (2002-07) (औसत)	573852	83040	784611	375206	1816709	3214901
सापेक्षिक अंश	32	5	43	21	100	
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	863575	151800	1604110	425260	3044745	4723400
सापेक्षिक अंश	28	5	53	14	100	
2008-09	1102366	160179	2164560	515616	3942721	5321753
सापेक्षिक अंश	28	4	55	13	100	
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
1992-2009	10.75	24.42	20.49	15.50	15.84	12.31
VIII वीं योजना (1992-97)	11.77	21.86	20.90	14.32	14.84	16.53
IX वीं योजना (1997-02)	6.62	49.19	-2.34	22.05	7.00	10.33
X वीं योजना (2002-07)	10.86	20.76	47.63	8.92	24.77	13.93
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	18.70	26.15	8.32	4.65	11.32	14.39
2008-09	27.65	5.52	34.94	21.24	29.49	12.67
अंश में विचलन की औसत वार्षिक दर (1992-2009)	-4.39	7.39	4.02	-0.29		

* केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (के.सां.सं.), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रैस टिप्पणी दिनांक 29 मई 2009 ने दर्शाया है कि वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. हेतु संशोधित अनुमान के आकड़े 53,21,753 करोड़ रु. हैं। आंकड़ों को लगातार के.सां.सं. द्वारा संशोधित किया जा रहा है तथा व्यक्ति अर्थशास्त्र निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की सांकेतिक तुलना हेतु इस डाटा का महत्व है।

नोट: सापेक्षिक अंश को दर्शाने वाले आकड़ों को निकटस्थ के पूर्णांक तक पूर्ण किए गए हैं और इस प्रकार सदैव 100 तक नहीं जोड़े जाएंगे। जहाँ उप-घटक का अंश गैर-कर राजस्व के 0.5% से कम है, वहाँ आंकड़ों को नगण्य माना जाएगा।

चार्ट 4.1 1992-2009 तथा 2008-09 की अवधि के दौरान कुल संवितरण के विभिन्न घटकों का सापेक्ष अंश



4.2.1 कुल संवितरण का संयोजन: वर्ष 2008-09 में, कुल संवितरणों का सबसे बड़ा अंश (55 प्रतिशत) ऋण के पुनर्भुगतान के लिए व्यय हुआ। वास्तविक व्यय का अंश 28 प्रतिशत था। 1992-2009 की पश्च-उदारीकरण अवधि में प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य में जब देखा गया तो ऋण के पुनर्भुगतान के अंश (विचाराधीन 17 वर्षों की अवधि हेतु 43 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 55 प्रतिशत) में वृद्धि हुई है तथा वास्तविक व्यय के अंश (34 प्रतिशत के प्रवृत्ति अंश की तुलना में 28 प्रतिशत) में पर्याप्त गिरावट है। 17 वर्षों की अवधि के दौरान, कुल संवितरणों की प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु ऋण के पुनर्भुगतानों के अंश में चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी तथा वास्तविक व्यय के अंश में चार प्रतिशत की समान कटौती हुई है। लोक लेखे से संवितरणों ने 1992-2009 के दौरान लगभग 19 प्रतिशत के दीर्घावधि प्रवृत्ति अंश को प्रदर्शित किया। VIIIवीं योजना के दौरान इस घटक का सापेक्ष अंश, कुल संवितरणों का 18 प्रतिशत था जो कि रा.ल.ब.नि. के सृजन तथा अल्प बचतों के शेषों के दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1999-2000 में 33.76 प्रतिशत के अपने शिखर तक पहुँचकर, IXवीं योजना के दौरान 22 प्रतिशत वार्षिक औसत तक बढ़ गया। तब से अब तक, लोक लेखे से संवितरण के अंश में तत्पश्चात वर्षों से 2007-08 में लगभग 14 प्रतिशत और 2008-09 में 13 प्रतिशत तक गिरावट थी। जिसके परिणामस्वरूप, 1992-2009 के दौरान कुल संवितरण बास्केट में इस घटक के अंश में विचलन की ऋणात्मक दर (0.29 प्रतिशत) थी।

संघ सरकार के वास्तविक व्यय में संघ करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश VIIIवीं योजना (1997-2002) में दो प्रतिशत से Xवीं योजना (2002-07) के दौरान चार प्रतिशत तक सुसंगत रूप से बढ़ा, जिसका परिणाम अवधि (1992-2009) के दौरान 7.39 के सकारात्मक विचलन दर में हुआ। कुल संवितरण के घटकों के बीच, यह वह कारण है जिसने पश्च-उदारीकरण अवधि में स.घ.उ. की प्रत्येक प्रतिशतता वृद्धि हेतु अधिकतम

प्रतिशतता वृद्धि प्रदर्शित की तथा जिसे अनुक्रमिक वित्त आयोगों की अनुशंसाओं को आरोपित किया जा सकता है।

4.2.2 कुल संवितरणों एवं इसके घटकों में वृद्धि प्रवृत्तियाँ : 1992-2009 के दौरान 15.84 प्रतिशत की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि औसत दर, जो कि उसी अवधि में औसतन 12.31 प्रतिशत थी, से अधिक थी, जिसने देश के आर्थिक विकास में सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को सूचित किया। VIIIवीं और IXवीं योजना के दौरान कुल संवितरण की औसत वार्षिक वृद्धि दरें वास्तव में स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थीं। Xवीं योजना (2002-07) ने इस प्रवृत्ति के उत्क्रमण को प्रदर्शित किया है तथा कुल संवितरणों की वृद्धि दर स.घ.उ. वृद्धि से बढ़ गई। XIवीं योजना (2007-12) के प्रथम वर्ष में, कुल संवितरणों की वृद्धि 11.32 प्रतिशत थी तथा इस प्रकार, अनुसूच्य स.घ.उ. वृद्धि से कम थी। वर्ष 2008-09 में पद्धति में तीव्र बदलाव पाया गया है, जहाँ 12.67 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि की तुलना में कुल संवितरण लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़े।

पिछली तीन योजना अवधियों के दौरान तथा जब भी हम 17 पश्च-उदारीकरण वर्षों अर्थात् 1992-2009 की पूर्ण अवधि पर विचार करे तो वास्तविक व्यय (करों में राज्य के अंश के निवल कुल संवितरण, ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे में संवितरण) की औसत वार्षिक दर, स.घ.उ. वृद्धि दरों से कम रही है। 2007-08 तथा 2008-09 में, वास्तविक व्यय में वृद्धि, स.घ.उ. में वृद्धि से अधिक हुई है तथा यह अंतर 2008-09 में अत्याधिक इंगित किया गया था, जब सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु राजकोषीय प्रोत्साहन की किस्में प्रदान की। इनकी पैरा 4.3 में विस्तार से चर्चा की गई है।

IXवीं योजना अवधि के दौरान लोक लेखे से संवितरणों की औसत वृद्धि महत्वपूर्ण रूप से औसत स.घ.उ. वृद्धि दर से अधिक थी (स.घ.उ. की 10 प्रतिशत औसत वृद्धि की तुलना में 22 प्रतिशत वृद्धि से अधिक)। Xवीं योजना अवधि तथा XIवीं योजना अवधि के प्रथम वर्ष के दौरान, जब लोक लेखे में संवितरण में वृद्धि अनुसूच्य स.घ.उ. में वृद्धि से काफी कम थी, यह प्रवृत्ति विपरीत थी। तथापि, वर्ष 2008-09 में, स.घ.उ. की 12.67 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में इस लेखे में पर्याप्त वृद्धि (21 प्रतिशत से अधिक) वृद्धि थी। यह आरक्षित निधि में से 2007-08 में 65,377 करोड़ रु. से 2008-09 में 1,21,565 करोड़ रु. तक थे (85.95 प्रतिशत की वृद्धि) संवितरण बढ़ने के कारण है। इसके अतिरिक्त, 2008-09 में, जमा एवं अग्रिमों के संवितरणों में 27 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है।

तीन पहले की योजना अवधियों के दौरान औसत स.घ.उ. वृद्धि दर की तुलना में ऋण के पुनर्भुगतान की औसत वार्षिक वृद्धि दरें प्रकट करती हैं कि IXवीं योजना अवधि को छोड़कर, पूर्व की वृद्धि दर बाद की वृद्धि दर से महत्वपूर्ण रूप से उच्च रही। XIवीं योजना के प्रथम वर्ष में इस प्रवृत्ति ने स्वयं प्रतिवर्तित किया परन्तु 2008-09 के दौरान, एक बार फिर से, ऋण के पुनर्भुगतान में वृद्धि 12.67 प्रतिशत की स.घ.उ. वृद्धि दर की तुलना में करीबन 35 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण रूप से उच्च थी। यह 2007-08 में 15,96,617 करोड़ रु. से 2008-09 में 21,54,553 करोड़ रु. तक के आंतरिक ऋण के अधिक पुनर्भुगतान के कारण था। वर्ष के दौरान पेट्रोलियम बंधपत्रों का परिशोधन कुल 13,343 करोड़ रु. था।

4.3 वास्तविक व्यय: प्रमुख समुच्चय

तालिका 4.3 संघ सरकार के वास्तविक व्यय (ऋण के पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे में से संवितरण को छोड़कर जिनकी चर्चा राजकोषीय देयताओं के अध्याय में अलग से की गई है) तथा योजना अवधियों के दौरान इसके विभिन्न घटकों की अवलोकित प्रवृत्ति वृद्धि दरों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 4.3 व्यय के घटकों के सापेक्ष अंश तथा वृद्धि प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कर्ज एवं पेशगियाँ	वास्तविक व्यय	राजस्व व्यय/वास्तविक व्यय	अन्य/वास्तविक व्यय
1992-2009 (औसत)	398606	38728	26445	463780	84.30	15.70
VIII वीं योजना (1992-97) (औसत)	177497	19550	23447	220494	80.50	19.50
IX वीं योजना (1997-02) (औसत)	327922	26234	35160	389316	84.23	15.77
X वीं योजना (2002-07) (औसत)	500825	46993	26034	573852	87.27	12.73
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	734861	116937	11777	863575	85.10	14.90
2008-09	1010224	77556	14586	1102366	91.64	8.36
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1992-2009	11.66	10.60	(-)3.31	10.75	0.82	-4.47
VIII वीं योजना (1992-97)	14.23	(-)8.44	11.91	11.77	विचलन की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)*	
IX वीं योजना (1997-02)	7.63	9.22	(-)3.42	6.62		
X वीं योजना (2002-07)	12.24	19.61	(-)29.46	10.86		
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	11.64	97.22	17.55	18.90		
2008-09	37.47	-33.68	23.85	27.65		

* 1992-2009 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय बास्केट में व्यय के एक विशिष्ट उप-घटक के अनुपात में परिवर्तन।

4.3.1: वास्तविक व्यय में राजस्व व्यय का प्रभावी अंश

अधिकांश वास्तविक व्यय राजस्व व्यय के लिए होता है, जिसका परिणाम आमतौर पर सरकार हेतु परिसम्पत्तियों के नवीन सृजन में नहीं होता है तथा जो सरकारी कार्यप्रणाली के सामान्य प्रचालन एवं अनुसंधान हेतु महत्व रखता है। पश्च उदारीकरण अवधि के दौरान, वास्तविक व्यय के प्रति राजस्व व्यय का औसत अंश लगभग 84 प्रतिशत था। 2008-09 में राजस्व व्यय का अंश वास्तविक व्यय के लगभग 92 प्रतिशत तक बढ़ा (अधिक विवरण पैरा 4.4 में है)। राजस्व व्यय में इन प्रवृत्तियों के प्रति, पूंजीगत व्यय तथा कर्ज एवं पेशगियों के सापेक्ष अंश में VIII वीं योजना के दौरान 19.5 प्रतिशत की औसत से IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 15.77 प्रतिशत तक तथा बाद में X वीं योजना (2002-07) के दौरान 12.73 प्रतिशत की औसत तक गिरावट आई। 2007-08 में यह अंश करीबन 15 प्रतिशत तक बढ़ा परन्तु 2008-09 में लगभग आठ प्रतिशत तक तीव्रता से कम हुआ। विचाराधीन 17 वर्षों की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय में प्रत्येक एक

प्रतिशत वृद्धि हेतु पूंजीगत व्यय तथा एक साथ लिए कर्जों में 4.47 प्रतिशत का नकारात्मक विचलन हुआ है जबकि राजस्व व्यय के अंश में करीबन एक प्रतिशत का सकारात्मक विचलन हुआ है। हाल के वर्षों (2005-06 से आगे) में कर्जों एवं पेशगियों में तीव्र गिरावट, उनकी राज्य योजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा उधार लेने में केन्द्र सरकार की गैर-मध्यस्थता के संबंध में बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करने के कारण हुई है। इस प्रकार, राज्यों ने केन्द्र सरकार की बजटीय मध्यस्थता के बिना सीधे बाजार से केन्द्रीय योजना सहायता के ऋण घटक को बढ़ाया।

राजस्व व्यय की प्रबलता, प्राथमिक रूप से राजस्व व्यय प्रोत्साहन कार्यक्रमों एवं योजनाओं के पक्ष में योजना प्राथमिकताओं में एक सचेतन विचलन तथा लघु अवधि में गैर-योजनागत राजस्व व्यय, विशेष रूप से ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन एवं रक्षा जैसे प्रतिबद्ध एवं अनिवार्य व्यय से उद्भूत सर्वांगी दृढ़ता के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त, राज्य विकास क्रियाकलापों को या तो केन्द्रीय सहायता या फिर केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य जिसके लिए यह राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपयोग की गई है पर ध्यान दिए बिना राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत के बीच लेखाकरण शीर्षों के प्रतिपादन में विचलन है तथा डाटा को संगत, विश्वसनीय तथा तुलनीय बनाने हेतु मानकीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

4.4 राजस्व व्यय: प्रवृत्ति एवं घटक

तालिका 4.4 अपने मुख्य उद्देश्य-वार वर्गीकरण के संदर्भ में राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों पर किए गए व्यय को दर्शाती है।

तालिका 4.4: राजस्व व्यय एवं इसके घटक

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	राजस्व व्यय	वेतन एवं भत्ते**	ब्याज भुगतान	पेंशन*	राज्यों को अनुदान	अन्य
1992-2009 (औसत)	398606	33667	102163	18727	46863	197185
सापेक्ष अंश	100	8	26	5	12	49
VIII वी योजना (1992-97) (औसत)	177497	21620	44280	5661	20630	85306
सापेक्ष अंश	100	12	25	3	12	48
IX वी योजना (1997-02) (औसत)	327922	33432	91102	15852	32423	155114
सापेक्ष अंश	100	10	28	5	10	47
X वी योजना (2002-07) (औसत)	500825	36728	135860	25539	60676	242022
सापेक्ष अंश	100	7	27	5	12	48
XI वी योजना (2007-12)						
2007-08	734861	44361	179987	37346	106333	366834
सापेक्ष अंश	100	6	24	5	14	50
2008-09	1010224	71726	200580	45747	121702	570469
सापेक्ष अंश	100	7	20	5	12	56


अवधि	राजस्व व्यय	वेतन एवं भत्ते**	ब्याज भुगतान	पेंशन*	राज्यों को अनुदान	अन्य
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2009	11.66	6.26	11.67	15.75	12.46	12.12
VIII वीं योजना (1992-97)	14.23	12.10	17.44	15.64	5.60	15.29
IX वीं योजना (1997-02)	7.63	-2.09	14.90	17.07	11.06	4.35
X वीं योजना (2002-07)	12.24	4.43	5.40	17.49	21.14	14.70
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	11.64	11.31	16.66	(-)-4.42	19.65	9.20
2008-09	37.47	61.69	11.44	22.50	14.45	55.51

* विविध सामान्य सेवाएं (सरकारी विभागों को चलाने पर व्यय) शामिल हैं।

** टिप्पणियां:

- 1) संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारियों एवं रक्षा विभाग के गैर-सिविलियन कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों हेतु व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई द्वारा प्रकाशित विवरणिका के अनुसार 2001-02 तक वेतन एवं भत्तों पर व्यय है। 2002-03 से रक्षा के गैर-सिविलियन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के व्यय, आंकड़ों में शामिल नहीं हैं।
- 2) वेतन एवं भत्ते पर व्यय जिनमें यात्रा भत्ता, उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस, तदर्थ बोनस, अर्जित अवकाश का नगदीकरण एवं मानदेय सम्मिलित नहीं हैं।
- 3) वेतन एवं भत्तों पर व्यय संबंधित वर्षों के व्यय बजट (भाग-1) में सूचित किए गए के अनुसार अपनाए गए हैं।

चार्ट 4.2 1992-2009 तथा 2008-09 के दौरान राजस्व व्यय के संघटकों के सापेक्ष अंश



4.4.1 राजस्व व्यय के विभिन्न उप-घटकों के सापेक्ष अंश: पश्च-उदारीकरण अवधि के दौरान, औसतन वर्ग "अन्य व्यय" सबसे बड़े अंश अर्थात् राजस्व व्यय के 49 प्रतिशत के कारण था। "अन्य" के अंतर्गत समूहित राजस्व व्यय के अवशिष्ट घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ, इन उत्पादों की आपूर्ति में अन्तर्विष्ट निगमों एवं कम्पनियों को कम वसूलियों हेतु दी क्षतिपूर्ति तथा खाद्य, उर्वरकों एवं पेट्रोलियम उत्पादों आदि हेतु दी सुस्पष्ट आर्थिक सहायता शामिल होती है। तीन पहले की योजनाओं से, इस उप-घटक का अंश अधिक

या कम स्थायी रहा परन्तु XIवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान, 2007-08 में यह अंश कुल राजस्व व्यय के 50 प्रतिशत तथा 2008-09 में 56 प्रतिशत तक बढ़ा। ब्याज भुगतानों ने विचाराधीन 17 वर्षों की अवधि हेतु औसतन लगभग 26 प्रतिशत का अगला सार्थक अंश संस्थापित किया। तथापि, XIवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में ब्याज भुगतानों का अंश कुल राजस्व व्यय के 24 तथा 20 प्रतिशत तक गिरा। पूर्ण अवधि में, ब्याज भुगतान में 2007-08 में 1,79,987 करोड़ रु. से 2008-09 में 2,00,580 करोड़ रु. तक वृद्धि हुई। तथापि, राजस्व व्यय में ब्याज भुगतानों का अंश राजस्व व्यय के अन्य घटकों पर बढ़ते व्यय के कारण गिरावट आई।

4.4.2 राजस्व व्यय के विभिन्न उप-घटकों की वृद्धि प्रवृत्ति: 1992-2009 के दौरान, वेतन एवं भत्तों के सिवाए राजस्व व्यय के सभी घटकों में दो-अंकीय वृद्धि प्रवृत्ति हुई थी। यद्यपि वेतन पिछले वेतन आयोग वर्षों में बढ़ता है, वेतन एवं भत्ते की वृद्धि की प्रवृत्ति (6.26 प्रतिशत) स.घ.उ. की वृद्धि (12.31 प्रतिशत)¹ से कम थी। चूंकि क्षतिपूर्ति तथा सुस्पष्ट आर्थिक सहायता पर किया व्यय हाल के वर्षों के दौरान तीव्रता से बढ़ा, इसलिए इस अवशिष्ट घटक 'अन्य' को महत्वपूर्ण माना गया है और पश्च-उदारीकरण वर्षों हेतु केवल 12.13 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर की तुलना में चालू वर्ष में लगभग 55.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। चालू वर्ष में इस घटक में तीव्र वृद्धि को मुख्य रूप से खाद एवं उर्वरकों तथा उर्वरक आर्थिक सहायता के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कम्पनियों को विशेष बंध पत्र जारी करने के प्रति 53,650 करोड़ रु. की फसल कृषि पर; खाद्य आर्थिक सहायता के प्रति 12,698 करोड़ रु. के खाद्य; भण्डारण एवं गोदाम पर; 21,163 करोड़ रु. का ग्रामीण रोजगार पर; संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम वसूलियों के लिए प्रशासनिक मूल्य तथा क्षतिपूर्ति के अंतर्गत उनके दावों के निपटान में तेल कम्पनियों को भुगतान के प्रति 55,456 करोड़ रु. का पेट्रोलियम पर बढ़ते व्यय को आरोपित किया जा सकता है।

IXवीं योजना के दौरान ब्याज भुगतानों की वृद्धि दर ने भी सामान्य मंदन तथा उसके बाद Xवीं योजना (2002-07) के दौरान औसतन 5.40 प्रतिशत सूचित किया था। अधिकांशतः आंतरिक ऋण हेतु ब्याज दरों में एक सामान्य कमी के कारण ब्याज भुगतानों की वृद्धि दर में गिरावट आई। Xवीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा सुलभ ब्याज दर व्यवस्था के प्रबल होने के बावजूद, अवधि के दौरान मुख्य रूप से उत्तरोत्तर बकाया ऋण के कारण ब्याज भुगतान लगातार वृद्धि हुई है। घटते ब्याज भुगतान में वर्तमान घाटे विशेषतौर से प्राथमिक घाटे में हास की अपेक्षा की जाती है ताकि भविष्य में ब्याज भुगतान कम हो। तकनीकी रूप से, यदि सरकार मुख्य अधिशेषों (अर्थात् यदि राजस्व प्राप्तियाँ और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ ब्याज भुगतानों के निवल व्यय से अधिक हैं) के सृजन में समर्थ हैं तभी ऋण एवं भविष्य के ब्याज भुगतानों में कमी होगी।

4.5 व्यय: योजनागत एवं योजनेतर

वित्त लेखे व्यय को आगे योजनागत और योजनेतर में बांटने का प्रावधान करता है। योजनागत व्यय सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर संवृद्धि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है और इसमें राजस्व तथा पूंजीगत दोनों व्यय समाविष्ट होते हैं।

¹ स.घ.उ. प्रवृत्ति वृद्धि दर हेतु कृपया अध्याय 3 की तालिका सं. 3.2 देखें।

दूसरी ओर, योजनेत्तर व्यय का सामान्यतः पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। तथापि, योजनागत और योजनेत्तर व्यय, दोनों में राजस्व व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि यह सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क के विस्तार और पूंजी निर्माण को जन्म देता है। तालिका 4.5 संघ सरकार के योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय की वृद्धि तथा संयोजन को प्रस्तुत करती है जबकि कुल व्यय में योजनागत और योजनेत्तर व्यय के सापेक्ष अंश में प्रवृत्तियों को तालिका 4.6 दिया गया है।

तालिका 4.5: योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय में वृद्धि

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	योजनागत				योजनेत्तर			
	कुल	राजस्व	पूंजीगत	ऋण	कुल	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम
1992-2009 औसत	106335	75630	13664	17040	357445	322976	25064	9405
VIIIवीं योजना (1992-97) औसत	48190	26749	8380	13061	172304	150748	11170	10386
IXवीं योजना (1997-02) औसत	78595	47089	10132	21373	310721	280833	16102	13786
Xवीं योजना (2002-07) औसत	138676	101635	17960	19081	435176	399190	29033	6954
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	205082	173572	21806	9704	658493	561289	95131	2073
2008-09	275301	234774	28123	12404	827065	775450	49433	2182
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)								
1992-2009	11.92	15.37	8.20	-0.19	10.42	10.85	12.00	-9.81
VIIIवीं योजना (1992-97)	7.53	11.48	-4.45	7.28	12.98	14.72	(-)11.36	18.27
IXवीं योजना (1997-02)	13.49	14.50	4.56	15.71	4.90	6.51	13.12	(-)29.30
Xवीं योजना (2002-07)	12.35	21.46	7.30	(-)28.44	10.38	9.99	28.78	(-)31.50
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	10.22	9.43	12.32	20.88	21.61	12.34	138.55	4.12
2008-09	34.24	35.26	28.97	27.82	25.60	38.16	-48.04	5.26

4.5.1 योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि प्रवृत्तियाँ: तालिका 4.5 दर्शाती है कि 1992-2009 की अवधि हेतु, योजनागत व्यय करीबन 12 प्रतिशत तक बढ़ा जबकि गैर-योजनागत व्यय 10.42 प्रतिशत तक बढ़ा। 2008-09 में, पिछले वर्ष से योजनागत व्यय में वृद्धि 34.24 प्रतिशत (12 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर से अधिक) थी तथा गैर-योजनागत व्यय की 25.60 प्रतिशत (10.42 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर से अधिक) थी। योजनागत ऋण ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा की स्वीकृति के कारण राज्य के आंतरिक कर्ज को बढ़ाने में केन्द्र सरकार की गैर-मध्यस्थता को दर्शाते हुए 2005-06 से महत्वपूर्ण संकुचन प्रमाणित किया। योजनागत कर्जों के मामले में, पश्च उदारीकरण अवधि (1992-2009) हेतु नकारात्मक प्रवृत्ति वृद्धि (-0.2 प्रतिशत) की तुलना में पिछले वर्ष से 2008-09 (27.82 प्रतिशत) में महत्वपूर्ण वृद्धि थी। उच्चतर योजनागत कर्ज सहायता को सामाजिक क्षेत्र, स्थानीय निकायों तथा विद्युत परियोजनाओं हेतु प्रदान किया गया था।

4.5.2 कुल व्यय में योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय का सापेक्ष अंश: 1992-2009 की अवधि से केन्द्र सरकार के व्यय का संयोजन, जो वर्षों से बढ़ रहा है, प्रकट करता है कि योजनेत्तर व्यय योजनागत व्यय से बहुत अधिक प्रभावशाली है तथा राजस्व व्यय पूर्ण रूप से पूंजीगत व्यय पर छा गया है। तालिका 4.6 दर्शाती है कि 22.93 प्रतिशत के प्रवृत्ति अंश की तुलना में 2008-09 में कुल व्यय बास्केट में योजनागत व्यय के सापेक्ष अंश (24.97 प्रतिशत) में सीमांत वृद्धि थी।

तालिका 4.6: योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय: सापेक्ष अंश

(प्रतिशत)

अवधि	यो.व्य./कु.व्य.	गै.यो.व्य./कु.व्य.	यो.रा.व्य./यो.व्य.	गै.यो.रा.व्य./गै.यो.व्य.
1992-2009 (औसतन)	22.93	77.07	71.12	90.36
VIII वीं योजना (1992-97) (औसतन)	21.86	78.14	55.51	87.49
IX वीं योजना (1997-02) (औसतन)	20.19	79.81	59.91	90.38
X वीं योजना (2002-07) (औसतन)	24.17	75.83	73.29	91.73
XI वीं योजना (2007-12)				
2007-08	23.75	76.25	84.64	85.24
2008-09	24.97	75.03	85.28	93.76

टिप्पणी: यो.व्य. = योजनागत व्यय, गै.यो.व्य. = गैर-योजनागत व्यय, यो.रा.व्य. = योजनागत राजस्व व्यय, गै.यो.रा.व्य. = गैर-योजनागत राजस्व व्यय तथा कु.व्य. = कुल व्यय

तालिका 4.6 दर्शाती है कि पश्च-उदारीकरण अवधि हेतु, योजनागत एवं गैर-योजनागत दोनों व्यय के लिए, राजस्व घटक (क्रमशः 71.12 तथा 90.36 प्रतिशत) औसतन अधिक प्रभावी रहा। प्रवृत्ति दर की तुलना में, वर्ष 2008-09 के लिए, योजनागत व्यय में योजनागत राजस्व व्यय का अंश (85.28 प्रतिशत) था जबकि गैर-योजनागत व्यय में गैर-योजनागत राजस्व का अंश अधिक था (93.76 प्रतिशत)। योजनागत व्यय के राजस्व घटक बढ़ोत्तरी, मुख्य रूप से राज्यों को योजनागत अनुदानों में बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत व्यय वचनबद्धताओं को पूरा करने के कारण भी थी। ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण सड़के, ग्रामीण जल आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, 'सर्व शिक्षा अभियान', 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन', 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन', लघु सिंचाई तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों जैसे सामाजिक अभिमुख क्षेत्रों में व्यय करने से वृद्धि हुई थी जो हाल के वर्षों में योजनागत व्यय के राजस्व घटक में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी का कारण बना।

4.6 व्यय की उत्प्लावकता

व्यय में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी बनाने हेतु अन्य राजकोषीय परिवर्तनों के साथ-साथ दीर्घ-आर्थिक परिवर्तनों के साथ तुलना की जानी चाहिए। इस पैरा में, विभिन्न प्रकार के व्ययों में वृद्धि (तालिका 4.7 का कॉलम 1) की स.घ.उ. वृद्धि दर (चूंकि यह एक देश के दीर्घ-आर्थिक विकास का अच्छा सूचक है) तथा राजस्व प्राप्तियों (व्यय तथा राजस्व के बीच के अंतर समझने हेतु) के साथ तुलना की गई है। तालिका 4.7 निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है:

4.6.1 योजनागत व्यय की उत्प्लावकता: 1992-2009 की पूर्ण अवधि हेतु, कुल व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत व्यय में वृद्धि स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से सीमांत रूप से कम थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु, योजनागत व्यय केवल 0.969 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु योजनागत व्यय केवल 0.962 प्रतिशत तक बढ़ा। 2007-08 में, योजनागत व्यय में वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि काफी कम थी। यह प्रवृत्ति 2008-09 में विपरीत थी जब विभिन्न राजकोषीय प्रेरक कार्यक्रमों के कारण योजनागत व्यय वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि की 2.70 तथा राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की 21.43 गुना थी।

4.6.2 गैर-योजनागत व्यय की उत्प्लावकता: 1992-2009 की पूर्ण अवधि हेतु, गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से कम थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु गैर-योजनागत व्यय केवल 0.847 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु गैर-योजनागत व्यय केवल 0.842 प्रतिशत तक बढ़ा। 2007-08 में, गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि, स.घ.उ. वृद्धि से काफी अधिक थी, परन्तु प्राप्तियों में वृद्धि से कम थी। 2008-09 में, गैर-योजनागत व्यय वृद्धि, स.घ.उ. की वृद्धि की 2.02 गुना तथा राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की 16.02 गुना थी। इसके लिए मुख्य कारण यह थे कि 2008-09 में, गैर-योजनागत राजस्व व्यय पिछले वर्ष 38.16 प्रतिशत तक बढ़ा तथा गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय 48.04 प्रतिशत तक गिरा। वर्तमान वर्ष में गैर-योजनागत कर्ज एवं पेशगियों पाँच प्रतिशत से अधिक तक बढ़ी।

4.6.3 राजस्व व्यय की उत्प्लावकता: 1992-2009 पूर्ण अवधि हेतु, राजस्व व्यय में वृद्धि स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से सीमांतक रूप से कम थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु राजस्व व्यय केवल 0.948 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु राजस्व व्यय केवल 0.942 प्रतिशत तक बढ़ा। 2007-08 में, राजस्व व्यय में वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि से काफी कम थी। 2008-09 में यह प्रवृत्ति विपरीत थी, विभिन्न राजकोषीय प्रेरक कार्यक्रमों के कारण राजस्व व्यय वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि की 2.96 गुना तथा राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की 23.46 गुना थी।

4.6.4 पूंजीगत व्यय की उत्प्लावकता: 1992-2009 की पूर्ण अवधि हेतु, पूंजीगत व्यय में वृद्धि स.घ.उ. के साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से कम थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु पूंजीगत व्यय केवल 0.862 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु पूंजीगत व्यय केवल 0.856 प्रतिशत तक बढ़ा। 2008-09 में, स.घ.उ. की प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि हेतु 2.66 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि हेतु लगभग 21.08 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि थी।

4.6.5 कर्ज एवं पेशगियों की उत्प्लावकता: 1992-2009 की पूर्ण अवधि हेतु, कर्ज एवं पेशगियों में वृद्धि ने स.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में नकारात्मक उत्प्लावकता प्रदर्शित की। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु कर्ज एवं पेशगियों में 0.269 प्रतिशत तक गिरावट आई तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु कर्ज एवं पेशगियों में 0.267 प्रतिशत तक गिरावट आई। 2007-08 में यह प्रवृत्ति विपरीत थी जब

कर्जे एवं पेशगियों में वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि से काफी अधिक परन्तु राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि से कम थी। 2008-09 में, स.घ.उ. की प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि हेतु कर्जे एवं पेशगियों में 1.88 प्रतिशत की एक सार्थक वृद्धि थी तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि हेतु लगभग 15 प्रतिशत की काफी अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी।

4.6.6 वास्तविक व्यय की उत्प्लावकता: 1992-2009 की पूर्ण अवधि हेतु, वास्तविक व्यय में वृद्धि, स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से काफी कम थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु वास्तविक व्यय केवल 0.874 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु वास्तविक व्यय केवल 0.868 प्रतिशत तक बढ़ा। 2007-08 में, वास्तविक व्यय में वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि से काफी अधिक थी परन्तु राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि से कम थी। 2008-09 में, वास्तविक व्यय वृद्धि विभिन्न राजकोषीय प्रेरक कार्यक्रमों के कारण स.घ.उ. की वृद्धि की 2.18 गुना तथा राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की 17.31 गुना थी।

तालिका 4.7: स.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय की उत्प्लावकता में प्रवृत्तियाँ (प्रतिशत)

व्यय के प्रकार	1992-2009		2007-08		2008-09	
	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ
योजनागत व्यय	0.969	0.962	0.710	0.425	2.703	21.432
गैर-योजनागत व्यय	0.847	0.842	1.501	0.897	2.021	16.024
राजस्व व्यय	0.948	0.942	0.809	0.483	2.958	23.456
पूँजीगत व्यय	0.862	0.856	6.756	4.037	-2.658	-21.080
कर्जे एवं पेशगियाँ	-0.269	-0.267	1.219	0.729	1.883	14.930
कुल व्यय	0.874	0.868	1.299	0.776	2.183	17.309

4.7 आर्थिक सहायता प्रबन्धन

किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के सुविधा वंचित वर्गों को आर्थिक सहायताएं/राजकीय सहायताएं प्रदान करना एवं इमदादी मूल्यों पर उत्कर्ष पदार्थों का प्रावधान करने का भुगतान हस्तांतरित करना असामान्य नहीं है। यदि आर्थिक सहायताओं का प्रभाव वस्तुओं या आगतों की कीमत को कम करने में होता है, जो बदले में इन वस्तुओं को लक्षित वर्गों के लिए सुगमता से प्राप्य बनाता है या/और अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित/सुगम करता है, तो ऐसी आर्थिक सहायताएं कल्याण-प्रेरक हो सकती हैं। तालिका 4.8 सरकार द्वारा VIIIवीं, IXवीं, Xवीं तथा XIवीं योजनाओं के दौरान मुख्य मदों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदान की गई आर्थिक सहायताओं का चित्र प्रस्तुत करती है।

² प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण उत्कर्ष पदार्थों के उदाहरण हैं।

तालिका 4.8 संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायताएं

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक @	उर्वरक #	पेट्रोलियम आर्थिक सहायता**	अन्य *	कुल आर्थिक सहायताएं	आर्थिक सहायताएं (अ)	आर्थिक सहायताएं (ब)
औसत वार्षिक मूल्य								
VIIIवीं योजना (1992-97)	4976	5375	708	0	2405	13464	1.29	7.59
IXवीं योजना (1997-02)	11199	8247	3942	0	3516	26904	1.40	8.20
Xवीं योजना (2002-07)	23941^^	10969	5717	3971	2596	47194	1.47	9.42
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	31328	19556^	12934	2820	4288	70926	1.50	9.65
2008-09	43751	28048^	48555	2852	6502	129708	2.44	12.84

@ देशी एवं आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है

विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

* अन्य में इमदादी ब्याज, नैफेड को दिए गए अनुदान, विनिमय हानि हेतु क्षतिपूर्ति, हज घोषणा-पत्र हेतु आर्थिक सहायता आदि शामिल हैं।

** प्रशासनिक मूल्य तंत्र के अन्तर्गत उनके दावों के निपटान में एवं संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण वसूलियों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के प्रति तेल कम्पनियों को क्रमशः 2005-06, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान जारी किए गए 17,263 करोड़ रु., 24,122 करोड़ रु. 20,554 करोड़ रु. एवं 75,942 करोड़ रु. के पेट्रोलियम बन्ध-पत्रों को शामिल नहीं करता।

^ उर्वरक आर्थिक सहायता के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कम्पनियों को क्रमशः 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान जारी किए गए क्रमशः 7,500 करोड़ रु. एवं 20,000 करोड़ रु. के विशेष बंधपत्र को शामिल नहीं किया गया है।


^^ 2006-07 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को जारी 16,200 करोड़ रु. की विशेष प्रतिभूतियों को शामिल नहीं करता है।

(अ) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में

(ब) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात् बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमदादी लोक सेवा द्वारा भी उपलब्ध करायी जा रही है। इस प्रकार की आर्थिक सहायताओं को सामान्यतया अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, लो.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। तालिका 4.8 में प्रदर्शित आर्थिक सहायताएं केवल 'स्पष्ट आर्थिक सहायताएं' से संबंधित हैं जिनके लिए संबंधित वर्षों के संघ बजट में आबंटन किए जाते हैं। इस प्रकार, यह प्रवृत्तियां आंशिक चित्र प्रस्तुत करती है क्योंकि ये जन हित में सरकार द्वारा लागू किए गए मूल्य नियंत्रण के कारण अपने उत्पादों की कम वसूलियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित कम्पनियों को विशेष बंध-पत्र/प्रतिभूतियों को जारी करके संघ सरकार द्वारा सृजित अतिरिक्त बजटीय देयताओं से विशिष्ट हैं। यदि विशेष बंध-पत्र/प्रतिभूतियों को जारी करके संघ सरकार द्वारा सृजित अतिरिक्त-बजटीय देयताओं को भी आर्थिक सहायता के रूप में माना गया है तो आर्थिक सहायताओं पर संघ सरकार का व्यय तीव्रता से बढ़ेगा तथा संभवतः आर्थिक सहायताओं पर किए जाने वाले वास्तविक व्यय को प्रदर्शित करेगा।

चार्ट 4.3 2008-09 में स्पष्ट आर्थिक सहायता के घटकों के सापेक्ष अंश



पिछले वर्ष से 2008-09 में, खाद्य आर्थिक सहायताएं 39.65 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि पेट्रोलियम आर्थिक सहायता 1.13 प्रतिशत तक बढ़ी। उर्वरकों पर दी गई आर्थिक सहायताओं के संबंध में विनियंत्रित उर्वरकों (डाई-अमोनियम फोस्फेट, मौरियट आफ पोटेश, सिंगल सुपर फोस्फेट आदि) पर दी गई छूट में वर्ष में 48,555 करोड़ रु. के छूने के लिए वृद्धि असाधारण 275 प्रतिशत थी जो संघ सरकार के बजट में स्पष्ट सहायता का एकल बृहत्तम तत्व बनी; यह उर्वरक कम्पनी को जारी विशेष बंध पत्र शामिल किए बिना है। इसके विपरीत स्वदेशी एवं आयातित यूरिया पर स्पष्ट सहायता में 43 प्रतिशत की सापेक्ष निम्न से 2008-09 में 28,048 करोड़ रु. तक की वृद्धि हुई। अन्य आर्थिक सहायताएं 51.6 प्रतिशत तक बढ़ी। परिणामस्वरूप, कुल आर्थिक सहायताओं में समग्र वृद्धि लगभग 83 प्रतिशत से अधिक थी। 2008-09 में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल आर्थिक सहायताएं लगभग 1 प्रतिशतता बिन्दु तक बढ़ी। 2007-08 से अधिक 2008-09 में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में आर्थिक सहायताएं 3.19 प्रतिशतता बिन्दुओं तक बढ़ी।

4.8 व्यय की गुणवत्ता

देश में सामाजिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में अच्छी अवसंरचना की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त व्यय यौक्तिकीकरण उपाय करे तथा अभ्यन्तर लोक सामान तथा सेवाओं के प्रावधान पर बल डाले जो कि नागरिकों के कल्याण को बढ़ाएगा। विकास व्यय के प्रति आबंटन को सुधारने के अतिरिक्त, विशेष रूप से हाल के वर्षों में ऋण सेवा में गिरावट के कारण सृजित किए जा रहे राजकोषीय स्थान को ध्यान में रखते हुए, व्यय उपयोग की प्रभावकारिता को भी कुल व्यय (तथा/अथवा स.घ.उ.) के प्रति पूंजीगत व्यय (पू.व्य.) के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वास्तविक व्यय के प्रति पूं.व्य. जितना अधिक होगा उतनी अच्छी व्यय की गुणवत्ता होगी।

तालिका 4.9 व्यय के मुख्य प्रतिमान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	स.घ.उ.	वा.व्य.*	वा.व्य./ स.घ.उ.	वि.व्य. *	वि.व्य./ वा.व्य. की %	स.से.व्य.*	स.से.व्य. /वा.व्य. की %	पूं.व्य.	पूं.व्य. / वा.व्य. की %
1992-1993	752591	171000	22.72	59635	34.87	4920	2.88	20586	12.04
1993-1994	865805	198841	22.97	69697	35.05	5492	2.76	24650	12.40
1994-1995	1015764	220863	21.74	79193	35.86	6137	2.78	19266	8.72
1995-1996	1191813	240656	20.19	82256	34.18	7964	3.31	17544	7.29
1996-1997	1378617	271110	19.67	89542	33.03	10004	3.69	15704	5.79
1997-1998	1527158	333428	21.83	120324	36.09	12263	3.68	20225	6.07
1998-1999	1751199	372250	21.26	128113	34.42	15161	4.07	25200	6.77
1999-2000	1952036	399577	20.47	138645	34.70	17785	4.45	29023	7.26
2000-2001	2102313	395834	18.83	140804	35.57	18496	4.67	25426	6.42
2001-2002	2278952	445491	19.55	157638	35.39	16284	3.66	31295	7.02
2002-2003	2454561	476310	19.41	175851	36.92	21810	4.58	30497	6.40
2003-2004	2754620	506817	18.40	190651	37.62	24593	4.85	35401	6.98
2004-2005	3149407	549333	17.44	197000	35.86	31115	5.66	53654	9.77
2005-2006	3586744	609249	16.99	246491	40.46	39160	6.43	56119	9.21
2006-2007	4129173	727552	17.62	317385	43.62	46494	6.39	59293	8.15
2007-2008	4723400	863575	18.28	400361	46.36	63246	7.32	116937	13.54
2008-2009	5321753	1102366	20.71	556866	50.52	90288	8.19	77556	7.04

वा.व्य.= कर्ज एवं पेशगियों पर व्यय सहित वास्तविक व्यय, वि.व्य.= विकासात्मक व्यय (आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र सेवाओं पर व्यय का जोड़), स.से.व्य.= समाज सेवा व्यय तथा पूं.व्य.= पूंजीगत व्यय

* कर्ज एवं पेशगियों पर व्यय को हटाकर

नोट:- तालिका सं. 4.9 में उल्लेखित व्यय के अतिरिक्त, संघ सरकार सामाजिक सेवा उद्देश्यों हेतु कर्ज एवं पेशगियां प्रदान करती है।

तालिका 4.9 दर्शाती है कि 1992-93 से 1999-2000 की अवधि के दौरान (वर्ष 1996-97 के एकमात्र अपवाद सहित जब अनुपात सीमांत रूप से 20 प्रतिशत से कम था) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार का वास्तविक व्यय 20 प्रतिशत से अधिक था। तथापि, वर्तमान दशक में, वर्तमान वर्ष को छोड़कर, जब यह कुल 20.71 प्रतिशत था, स.घ.उ. के अनुपात के रूप में वास्तविक व्यय 20 प्रतिशत से नीचे रहा। वास्तविक व्यय से विकास व्यय का अनुपात सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए विभिन्न राजकोषीय प्रेरक पैकेजों के कारण वर्तमान वर्ष में अभी तक की सबसे ऊँची सीमा 50.52 प्रतिशत तक पहुँचा। इसी प्रकार, वा.व्य. से स.से.व्य का अनुपात भी पश्च-उदारीकरण अवधि के पहले के वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में उच्चतम था। तथापि पूंजीगत व्यय के मामले में, नब्बे के प्रारम्भ के साथ-साथ पिछले राजकोषीय वर्ष (2007-08) में परिसम्पत्ति सृजन के विषय में खर्च किए गए वा.व्य., का उच्चतर समानुपात था परंतु चालू वर्ष के दौरान वा.व्य. से पूं.व्य. के अंश में महत्वपूर्ण गिरावट थी। सामान्यतः, पूंजीगत व्यय को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह उत्पादक परिसम्पत्ति सृजन का कारण बनता है जो बदले में लोगों के लिए रोजगार एवं आय अवसरों को बढ़ा सकता है, इस प्रकार विकास के अच्छे चक्र का प्रारम्भ करता है। अतः उधार ली गई निधियों को पूंजीगत व्यय में जमा करने के लिए उपयोग करना अधिक उपयुक्त है तथा राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों तक सीमित किया जाए।

4.9 सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम - पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय:

सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.): यह कार्यक्रम 2010 तक 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के सभी बच्चों हेतु उपयोगी एवं सुसंगत प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने पर लक्षित है। तालिका 4.10 दर्शाती है कि 2008-09 में, इस योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय 10.12 प्रतिशत तक बढ़ा जो कि पिछले वर्ष से 2007-08 में वास्तविक व्यय में 5.47 प्रतिशत वृद्धि से काफी अधिक था। तथापि, वर्ष हेतु वास्तव में खर्च की गई 12,643 करोड़ रु. की राशि 13,100 करोड़ रु. के बजट अनुमान से 3.49 प्रतिशत तक कम थी।

दोपहर के भोजन की योजना (दो.भो.यो.): यह योजना प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूली बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, प्रतिधारण एवं अध्ययन स्तरों को बढ़ाने तथा उनके पौषणिक स्थिति को भी सुधारने के लिए लक्षित है। तालिका 4.10 दर्शाती है कि 2008-09 में, इस योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय 11.99 प्रतिशत तक बढ़ा जो कि पिछले वर्ष से 2007-08 में वास्तविक व्यय में 11.49 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा सीमांत रूप से अधिक था। तथापि, वर्ष हेतु वास्तव में खर्च की गई 6,531 करोड़ रु. की राशि 10,176 करोड़ रु. के बजट अनुमान से 36 प्रतिशत तक कम थी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना (रा.ग्रा.रो.आ.यो.): यह योजना कम से कम 100 दिवसों का आश्वासित रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका सुरक्षा को बढ़ाने हेतु लक्षित है। तालिका 4.10 दर्शाती है कि 2008-09 में, इस योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय 136.94 प्रतिशत तक असाधारण बढ़ा जो कि पिछले वर्ष से 2007-08 में वास्तविक व्यय 45.63 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा काफी अधिक था। 29,999 करोड़ रु. की राशि वर्ष हेतु वास्तव में खर्च की गई थी तथा यह 16,000 करोड़ रु. के बजट अनुमान से 87.5 प्रतिशत तक अधिक था।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (रा.गां.ग्रा.वि.यो.): यह भारत निर्माण कार्यक्रम का भाग है तथा 2005 से प्रारम्भ चार वर्षों की अवधि के भीतर ग्रामीण घरों को ग्रामीण विद्युतीकरण प्रदान करने पर लक्षित है। तालिका 4.10 दर्शाती है कि 2008-09 में, इस योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय 40.56 प्रतिशत तक बढ़ा जो कि पिछले वर्ष से 2007-08 में वास्तविक व्यय में 30.43 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा अधिक था।

इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) (ग्रामीण आवास) : यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आवास इकाइयों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने तथा विद्यमान कच्चे घरों के उन्नयन पर लक्षित है। तालिका 4.10 दर्शाती है कि 2008-09 में, इस योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय 126.49 प्रतिशत तक बढ़ा जो कि पिछले वर्ष से 2007-08 में वास्तविक व्यय में 33.51 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा अधिक था।


प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.मं.ग्रा.स.यो.): यह योजना निर्धनता कमी योजना के भाग के रूप में गैर-संयोजित ग्रामीण निवास स्थानों हेतु संयोजन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था। तालिका 4.10 दर्शाती है कि 2008-09 में, इस योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय 19.69 प्रतिशत तक बढ़ा जो कि पिछले वर्ष से 2007-08 में वास्तविक व्यय में 3.67 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा काफी अधिक था।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.): मिशन को 18 राज्यों में विशेष केन्द्रीत सहित पूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रारम्भ किया गया है। रा.ग्रा.स्वा.मि. का मुख्य उद्देश्य विशेषतौर पर जनसंख्या के गरीब एवं आघात वर्गों को वहनीय, उत्तरदायी, प्रभावी एवं विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। तालिका 4.10 दर्शाती है कि 2008-09 में, इस योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय 17.51 प्रतिशत तक बढ़ा, जो कि पिछले वर्ष से 2007-08 में वास्तविक व्यय में 35.33 प्रतिशत की वृद्धि से काफी कम था।

तालिका 4.10: पिछले तीन वर्षों में सरकार के कुल मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम - वास्तविक व्यय (करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	कार्यक्रम	2006-07	2007-08	2008-09
1.	सर्व शिक्षा अभियान (स.शि.अ.)	10886	11481	12643
2.	दोपहर के भोजन की योजना (दो.भो.यो.)	5231	5832	6531
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना (रा.ग्रा.रो.आ.यो.)	8694	12661	29999
4.	रा.गा.ग्रा.वि.यो. (ग्रामीण विद्युत)	3000	3913	5500
5.	इंदिरा आवास योजना (इ.आ.यो.)	2910	3885	8799
6.	ग्रामीण सड़के (प्र.मं.ग्रा.स.यो.)	6270	6500	7780
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (रा.ग्रा.स्वा.मि.)	8584	11617	13651

चार्ट 4.4 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान कुछ मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय



4.10 मुख्य व्यय पैरामीटरों पर बजट अनुमानों (एक दृष्टि पर बजट के अनुसार) तथा वित्त लेखे 2008-09 की एक तुलना

तालिका 4.11 बजट अनुमान

(करोड़ रूपयों में)

पैरामीटर	वास्तविक	बजट अनुमान # (ब.अ.)	ब.अ. से विचलन की प्रतिशतता	बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) के अनुमान	बा.वि.आ. अनुमानों से विचलन की प्रतिशतता
1. गैर-योजनागत व्यय	827065	507498	(+) 63	-	-
क. गैर-योजनागत राजस्व	775450	448352	(+) 73	350132	(+) 121

व्यय					
जिससे					
(क) ब्याज भुगतान	200580	190807	(+) 4	152234	(+) 32
(ख) आर्थिक सहायताएं	129906	71431	(+) 82	36157	(+) 259
ख. गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय	49433	59146	(-) 16		
2. योजनागत व्यय	275301	243386	(-) 13		
क. योजनागत राजस्व व्यय	234774	209767	(+) 12	133714	(+) 76
ख. योजनागत पूंजीगत व्यय	28123	33619	(-) 16		
3. कुल व्यय (1+ 2)*	1102366	750884	(+) 47	651716	(+) 69

* प्राप्तियों से मिलान किए गए व्यय को छोड़कर।

एक दृष्टि में बजट के अनुमान

तालिका 4.11 दर्शाती है कि वर्ष 2008-09 में वास्तविक व्यय में 47 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जो कि बजट में अनुमानित से अधिक थी। योजनागत व्यय (13 प्रतिशत) की तुलना में गैर-योजनागत व्यय (63 प्रतिशत) में काफी अधिक विचलन था। गैर योजनागत पूंजीगत व्यय बजट में अनुमानित किए गए से 16 प्रतिशत तक कम था। वर्ष 2008-09 हेतु बारहवें वित्त आयोग के अनुमानों पर एक नजर तथा वास्तविक आकड़े भी मुख्यतः आर्थिक सहायताओं (अनुमानित से 259 प्रतिशत अधिक) तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय (अनुमानित से 121 प्रतिशत अधिक) में बड़े परिवर्तन दर्शाते हैं।

4.11 चूंकि सरकार बजट को वित्तपोषित करने हेतु ऋण निधियों पर वर्धमान रूप से निर्भर कर रही है इसलिए राजस्व व्यय को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। स.घ.उ. के संबंध में राजस्व घाटे को नियंत्रण करने की आवश्यकता की अध्याय 5 में चर्चा की गई है। वर्षों से इस घटक की वृद्धि का पता लगाने कि केन्द्रीय मंत्रालय (के साथ-साथ राज्यों) के पार कौन राजस्व व्यय संस्थापित करता है, के लिए एक उपयुक्त समरूपण करने की आवश्यकता है। आर्थिक सहायताओं में बड़ी वृद्धि, जैसी 2008-09 में हुई है, राजकोषीय शोधन मार्ग की उपलब्धि को रोक सकती है।

अध्याय 5

घाटा: राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन

तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर - राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा - एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान केन्द्र या राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलों की सीमा को इंगित करते हैं। इस अध्याय की मुख्य अभ्युक्तियाँ हैं:

स.घ.उ. के प्रति राजस्व घाटे के अंश में विचलन की औसत वार्षिक दर ने 1992-2009 की अवधि के दौरान 1.27 प्रतिशत के सकारात्मक विचलन को प्रदर्शित किया जिसका अभिप्राय है कि स.घ.उ. में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि हेतु, राजस्व घाटे में 1 प्रतिशत तक की मामूली सी वृद्धि हुई। (पैरा 5.1)

1992-2009 की अवधि हेतु औसतन राजस्व घाटा, राजस्व व्यय का 22 प्रतिशत तक बढ़ा। यह अनुपात 2008-09 में 35 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गया। राजस्व व्यय में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि पर राजस्व घाटे में 1.85 प्रतिशत की वृद्धि थी। (पैरा 5.1)


स.घ.उ. में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि पर 1992-2009 की अवधि में राजकोषीय घाटे में 2.62 प्रतिशत की कमी थी। (पैरा 5.2)

वर्षों से, गैर-ऋण प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु राजकोषीय घाटे में 1.57 प्रतिशत की कमी हुई है। (पैरा 5.2)

2008-09 में बजट अनुमान (ब.अ.) में 1 प्रतिशत के राजस्व घाटे के निर्धारित लक्ष्य के प्रति वास्तविक घाटा 6.7 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे के मामले में, 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति संघ सरकार हेतु वास्तविक राजकोषीय घाटा 8.16 प्रतिशत था जिसने लक्ष्य से 226 प्रतिशत के विचलन को इंगित किया था। (पैरा 5.4)

यह अध्याय इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं वित्तपोषण की रीति को प्रदर्शित करता है। घाटे, राजस्व तथा व्यय में असंतुलों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये असंतुलन अस्थायी अथवा संरचनात्मक हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, राजकोषीय असंतुलन बृहद तथा निरन्तर रहे हैं। आकार तथा नियमितता के अतिरिक्त, इसकी संरचना, विशेष रूप से राजस्व घाटे की, जो वर्तमान उपभोग की वित्त व्यवस्था के लिए हुआ है, भी चिंता का विषय रही है। बृहद आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राजकोषीय नियमावली के सूत्रीकरण में घाटे के आकार के संबंध में निर्धारित नियमों को शामिल करना आवश्यक है जिसे वित्त व्यय को वहन किया जा सकता था, समाविष्ट होते हैं। यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु रा.उ.ब.प्र. अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों के मूल्यांकन को भी प्रदर्शित करता है।

बॉक्स 5.1: घाटे के संघटक



5.1 राजस्व घाटा


राजस्व घाटा, सरकार की इसकी राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। यह वर्तमान उपभोग के कारण सरकार की निवल गैर-बचत को प्रस्तुत करता है। राजस्व घाटा बिना तदनु रूप पूँजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि के कारण बनता है। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति संबल नहीं होता तथा एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन कारणों हेतु, राजस्व घाटा साधारणतया कम वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य पैरामीटर तालिका 5.1 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 5.1: राजस्व घाटा तथा उसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	निम्न के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
1992-2009 (औसत)	310543	398606	88063	3.66	28.36	22.09
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	148556	177497	28941	2.78	19.48	16.30
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	252211	327922	75711	3.94	30.02	23.09
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	394426	500825	106399	3.31	26.98	21.24
2007-08	649426	734861	85435	1.81	13.16	11.63
2008-09	653847	1010224	356377	6.70	54.50	35.28

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	निम्न के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2009 (औसत)	10.98	11.66	13.73	1.27	2.47	1.85
VIIIवीं योजना (1992-97)	15.02	14.23	10.88	सापेक्ष अंश में विचलन की औसत वार्षिक दर		
IXवीं योजना (1997-02)	4.65	7.63	17.29			
Xवीं योजना (2002-07)	14.59	12.24	4.75			
2007-08	23.61	11.64	-35.69			
2008-09	0.68	37.47	317.13			



तालिका 5.1 दर्शाती है कि पिछले वर्षों से 2008-09 में राजस्व प्राप्तियाँ सीमांतक रूप से केवल 0.7 प्रतिशत तक बढ़ी। 2007-08 की तुलना में जब उद्योग उर्ध्वगामी थे तथा निगम मनोवृत्ति सकारात्मक थी, सार्वभौम वित्तीय क्षेत्र को अधोगामी विघटित होने, निर्यात मांग में मंदी से अनिश्चितता और निराशावाद उत्पन्न हुआ तथा अनुवर्ती मांग संकुचन के साथ-साथ 2008-09 में मांग उछाल के लिए कर राहत के कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि में काफी गिरावट हुई। तथापि, राजस्व व्यय में छठा वेतन आयोग प्रदान करने, सरकार द्वारा कृषि ऋण राहत योजना सहित अर्थव्यवस्था को उठाने तथा मंदी प्रभाव को कम करने के लिए राजकोषीय उत्प्रेरण आरम्भ करने के कारण 2008-09 में 37 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। परिणामतः पिछले वर्षों से राजस्व घाटे में 317 प्रतिशत की असाधारण वृद्धि हुई।

स.घ.उ. के संबंध में, पश्च उदारीकरण अवधि (1992-2009) हेतु राजस्व घाटा 3.66 प्रतिशत तक हो गया। राजस्व घाटे की तुलना में स.घ.उ. अनुपात 2007-08 में काफी कम था (1.81 प्रतिशत) किन्तु 2008-09 में इसमें 6.70 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। स.घ.उ. के प्रति राजस्व घाटे के अंश में विचलन की औसत वार्षिक दर ने 1992-2009 की अवधि के दौरान 1.27 प्रतिशत के सकारात्मक विचलन को प्रदर्शित किया, जिसका अभिप्राय यह है कि स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु राजस्व घाटा एक प्रतिशत से थोड़ा ऊपर तक बढ़ा।

जब भी राजस्व घाटे की राजस्व प्राप्ति से तुलना की गई है तो यह पाया गया है कि 1992-2009 की अवधि हेतु राजस्व घाटा औसतन राजस्व प्राप्तियों के 28 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया। यह आंकड़ा 2008-09 में तेजी से बढ़कर 54 प्रतिशत हो गया। परिणामतः, 1992-2009 की अवधि के लिए, राजस्व घाटे में राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में विचलन की औसत वार्षिक दर थी- राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु राजस्व घाटे में लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि थी।

राजस्व व्यय से तुलना में, 1992-2009 की अवधि हेतु औसतन, राजस्व घाटे में राजस्व व्यय के 22 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2008-09 में यह अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया जिसका परिणाम वर्षों से राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटे में सकारात्मक वार्षिक औसत विचलन में हुआ। राजस्व व्यय में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु राजस्व घाटे में 1.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।


5.2 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा, गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां, विविध पूँजीगत प्राप्तियां तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली) पर सरकार के कुल व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटा साधारणतः सरकार की बढ़ती हुई देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों का प्रतिनिधित्व करता है। कमी को या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखाओं से अधिशेष का प्रयोग करके पूरा किया जा सकता था। मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियों के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियाँ तालिका 5.2 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 5.2: राजकोषीय घाटा तथा इसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा निम्न के प्रतिशत के रूप में		
				स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय
1992-2009 (औसत)	335674	463780	128105	5.32	38.16	27.62
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	157929	220494	62565	6.01	39.62	28.38
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	269641	389316	119675	6.23	44.38	30.74
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	440415	573852	133437	4.15	30.30	23.25
2007-08	698613	863575	164962	3.49	23.61	19.10
2008-09	667922	1102366	434444	8.16	65.04	39.41
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1992-2009	11.10	10.75	9.36	-2.62	-1.57	-1.26
VIIIवीं योजना (1992-97)	14.08	11.77	6.41	विचलन की औसत वार्षिक दर		
IXवीं योजना (1997-02)	5.46	6.62	9.00			
Xवीं योजना (2002-07)	10.24	10.86	14.18			
2007-08	28.28	18.70	-9.82			
2008-09	-4.39	27.65	163.36			



औसतन, राजकोषीय घाटा 1992-2009 की पश्च उदारीकरण अवधि के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक बढ़ा। इसकी तुलना में 2007-08 में राजकोषीय घाटे में नकारात्मक वृद्धि थी तथा पिछले वर्ष से 2008-09 में 163 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वृद्धि थी। जैसा कि तालिका 5.2 में दर्शाया गया है कि 2008-09 में गैर-ऋण प्राप्तियों में 4 प्रतिशत से अधिक की नकारात्मक वृद्धि थी लेकिन कुल व्यय में 27 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मक वृद्धि थी। स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में, 1992-2009 की अवधि हेतु 5.3 प्रतिशत की प्रवृत्ति से तुलना करने पर राजकोषीय घाटा वर्तमान वर्ष में 8 प्रतिशत से ऊपर तक अधिक था। स.घ.उ. में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि हेतु 1992-2009 की अवधि में राजकोषीय घाटे में 2.62 प्रतिशत की कमी थी।

1992-2009 की पूर्ण अवधि हेतु गैर-ऋण प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा लगभग 38 प्रतिशत था। 2008-09 में तुलना में, राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों के लगभग 65 प्रतिशत तक उच्च था। वर्षों से गैर-ऋण प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु राजकोषीय घाटे में 1.57 प्रतिशत की कमी हुई है। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में, राजकोषीय घाटा, पश्च उदारीकरण अवधि हेतु 28 प्रतिशत के प्रवृत्ति अनुपात से तुलना करने पर, 2008-09 में 39 प्रतिशत था।

5.2.1 राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता: यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश भाग पूंजीगत व्यय को कायम रखने के लिए या पूंजीगत निर्माण हेतु इकाइयों के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए है, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। तालिका 5.3 चालू वर्ष के साथ-साथ VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं योजना अवधियों में राजकोषीय घाटे के संघटकों की गति को दर्शाती है।

तालिका 5.3: राजकोषीय घाटे के संघटकों

अवधि	राजस्व घाटा	(प्रतिशत)	
		निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
1992-2009	68.74	26.11	5.14
VIIIवीं योजना (1992-97)	46.26	28.25	25.49

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियां
IXवी योजना (1997-02)	63.26	19.53	17.20
Xवी योजना (2002-07)	79.74	31.22	-10.96
2007-08	51.79	47.37	0.84
2008-09	82.03	17.72	0.25
परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1992-2009	4.00	0.95	

राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे का प्रमुख घटक बना रहा जो 1992-2009 के दौरान 69 प्रतिशत के लगभग आंका गया। 2007-08 में राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे के भाग में तीव्र गिरावट थी लेकिन 2008-09 में, राजस्व घाटे को, राजकोषीय घाटे का लगभग 82 प्रतिशत आंका गया। 1992-2009 की अवधि के दौरान कुल राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे के अंश में 4 प्रतिशत की बड़ी सकारात्मक विचलन दर थी। 1992-2009 के दौरान, निवल पूंजीगत व्यय को (पूंजीगत व्यय-पूंजीगत प्राप्तियां) राजकोषीय घाटे का 26.11 प्रतिशत आंका गया लेकिन 2008-09 में अंश 18 प्रतिशत के लगभग गिरा। 1992-2009 के दौरान राजकोषीय घाटों, निवल कर्जों तथा पेशगियों के 5 प्रतिशत को वित्तपोषित किया।

5.3 प्राथमिक घाटा

यद्यपि राजकोषीय घाटा साधारणतया अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निरूपित करता है फिर भी ऐसे संसाधनों के एक भाग की आवश्यकता ब्याज भुगतानों के वित्तपोषण के लिए पड़ सकती है। ब्याज के भुगतान पिछले दायित्वों के व्यय को दर्शाते हैं तथा चालू नियतात्मक वरीयताओं से स्वतंत्र हैं। यदि असंतुलन के वर्तमान स्वरूप को देखना हो तो इन भुगतानों को कुल असंतुलन में से पृथक करने की और घटाये जाने की आवश्यकता है।

तालिका 5.4: प्राथमिक घाटा तथा इनके पैरामीटर

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा*	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा
1992-2009	88063	128105	102163	25942	1.08
VIIIवी योजना (1992-97)	28941	62565	44280	18286	1.76
IXवी योजना (1997-02)	75711	119675	91102	28573	1.49
Xवी योजना (2002-07)	106399	133437	135860	-2423	-0.08
2007-08	85435	164962	179987	-15025	-0.32
2008-09	356377	434444	200580	233864	4.39
वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर (प्रतिशत)					
1992-2009	13.73	9.36	11.67		
VIIIवी योजना (1992-97)	10.88	6.41	17.44		
IXवी योजना (1997-02)	17.29	9.00	14.90		
Xवी योजना (2002-07)	4.75	14.18	5.40		
2007-08	-35.69	-9.82	16.66		
2008-09	317.13	163.36	11.44		

* नकारात्मक आंकड़ा प्राथमिक अधिशेष के विद्यमान होने का संकेत करता है।

जैसा कि तालिका 5.4 में दर्शाया गया है, 1992-2009 के अवधि के दौरान, ब्याज भुगतान में लगभग 12 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई जिसकी तुलना में 2008-09 में ब्याज भुगतानों में वृद्धि 11 प्रतिशत से ऊपर थी। Xवीं योजना अवधि में प्राथमिक अधिशेष था क्योंकि ब्याज भुगतान 2007-08 में भी राजकोषीय घाटे से अधिक थे लेकिन 2008-09 में 2,33,864 करोड़ रु. का विशाल प्राथमिक घाटा पाया गया क्योंकि राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतानों से काफी बड़ा था।

स.घ.उ. के संबंध में, प्राथमिक घाटे में VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 1.76 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 1.49 प्रतिशत की गिरावट थी और यह 2,423 करोड़ रु. अर्थात् Xवीं योजना (2002-07) के दौरान स.घ.उ. का 0.08 प्रतिशत के सीमान्तक अधिशेष बन गया। 2007-08 में प्राथमिक अधिशेष था लेकिन 2008-09 में प्राथमिक घाटे में स.घ.उ. के 4.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

5.4 लक्ष्य/रा.उ.ब.प्र.अधिनियम/नियमावली की अपेक्षाओं की तुलना में वास्तविक घाटा

सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने एवं रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के सूत्रीकरण के पश्चात में रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 जुलाई 2004 से प्रभाव में आया। अधिनियम एवं नियमावली में प्रावधान किया गया कि न्यूनतम वार्षिक ह्रास लक्ष्य में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशतता अंक के साथ 2008-09 तक राजस्व घाटे के निवारण हेतु तथा राजकोषीय घाटे को न्यूनतम वार्षिक ह्रास लक्ष्य के रूप में स.घ.उ. के 0.3 प्रतिशतता अंक के साथ स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के स्तर पर लाया जा सके। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य/ अपेक्षाओं के अनुसार अन्य विषयों के साथ-साथ राजकोषीय प्रबन्धन में अन्तःउत्पादन इक्विटी¹ तथा दीर्घावधि बृहत-आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। तथापि, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे में ह्रास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में अन्तः लचीलापन है क्योंकि उसका एक उपबन्ध है कि विनिर्दिष्ट सीमा को, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार अथवा आधारों या राष्ट्रीय विपदा या ऐसे अपवादात्मक आधारों जिसे केन्द्र सरकार विशेष रूप से उल्लेख करे, के कारण अतिक्रमण किया जा सकता है। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के इस प्रावधान का आह्वान करने पर संघ सरकार ने राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिनियम में मूलरूप से विचार की गई तिथियों का संशोधन किया। राजकोषीय घाटे से संबंधित लक्ष्यों को अधिनियम में अध्यादेश के अनुसार प्राप्त करना निर्धारित किया गया था, जबकि 2009-10 तक राजकोषीय घाटे से संबंधितों को मुख्यतः विशेष रूप से XIवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ पर राजस्व व्यय-गहन कार्यक्रमों तथा योजनाओं के पक्ष में योजनागत वरीयताओं में संवेदनशील विचलन के कारण उनके विलोपन हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया था। लघु अवधि में समाहित गैर-योजनागत प्रतिबद्ध राजस्व व्ययों की सर्वांग दृढ़ता विशेष रूप से ब्याज भुगतानों, आर्थिक सहायता-सुस्पष्ट और अस्पष्ट दोनों, पेंशन, वेतन तथा रक्षा क्षेत्र जैसे प्रतिबद्ध तथा अनिवार्य व्यय से उत्पन्न अन्य सहयोगी घटक बताया गया था।

¹ वर्तमान राजकोषीय असावधानियों के लिए भविष्य के उत्पादन के भार को कम करते हुए।

बजट के साथ-साथ तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित, केन्द्र सरकार 2004-05 से मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण (म.अ.रा.नी.वि.) के साथ-साथ राजस्व एवं राजकोषीय घाटे हेतु तथा कर राजस्व हेतु 3-वर्षीय परिवर्तनशील लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में केन्द्र सरकार के कुल बकाया दायित्वों को प्रस्तुत कर रही है। इन्हें वृद्धि के पूर्वानुमानों तथा सरकार के नीतिगत रवैये के आधार पर प्राप्त किया गया है। 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 हेतु म.अ.रा.नि. विवरण में 2008-09 के निर्धारित राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के लक्ष्य, के साथ-साथ उनके वास्तविक स्तरों, जैसा कि 2008-09 के संघ सरकार के वित्त लेखों में प्रदर्शित है, को तालिका 5.5 में दिया गया है।

तालिका 5.5: रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत लक्ष्यों की तुलना में परिणाम
(स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. 2006-07 में वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2007-08 में वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2008-09 में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक स्तर (2008-09 के वित्त लेखाओं से कटौती के अनुरूप)	ब.अ. 2008-09 के साथ विचलन
राजस्व घाटा	0.0	0.0	1.0	6.70	570 %
राजकोषीय घाटा	3.0	3.0	2.5	8.16	226 %

तालिका 5.5 मुख्य राजकोषीय मापदण्डों - पूर्व वर्षों में बजटों के साथ संलग्न मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणियों (म.अ.रा.नी.वि.) में 2008-09 के लिए राजस्व तथा राजकोषीय घाटे को प्रस्तुत करता है। 2008-09 के ब.अ. में निर्धारित 1 प्रतिशत के राजस्व घाटे के लक्ष्य के प्रति वास्तविक राजस्व घाटा 6.7 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे के मामले में, 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति संघ सरकार हेतु वास्तविक राजकोषीय घाटा 8.16 प्रतिशत था जिसने लक्ष्य से 226 प्रतिशत के विचलन को इंगित किया। विसर्पण हेतु मुख्य कारणों ने अर्थव्यवस्था में मंदी को ध्यान में रखते हुए सरकार के अभिज्ञ राजकोषीय विस्तार किया है - व्यय में बढ़ोत्तरी सहित कर घटाने के परिणामस्वरूप अधिक राजस्व घाटे के साथ-साथ अधिक राजकोषीय घाटा हुआ तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में विचार किए गए निर्धारित मूल उद्देश्यों की गैर-अनुपालना हुई।

अध्याय 6

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन


सरकार ऋण के पुनर्भुगतान हेतु अपनी संसाधन आवश्यकताओं, लोक लेखा पर देयताओं को चुकाने, पूंजीगत व्यय और इस प्रकार की अन्य चालू व्यय आवश्यकताओं, जो कि राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों द्वारा अपूरित शेष होती है, को पूरा करने के लिए राजकोषीय देयताओं को वहन करती है। इस अध्याय की मुख्य अभ्युक्तियां हैं:

- 2008-09 में स.घ.उ. अनुपात के प्रति बढ़ती हुई कुल देयताएं पिछले वर्ष की अपेक्षा 6.84 प्रतिशत में अधिक थी तथा, इसलिए, रा.उ.ब.प्र. अधिनियम तथा नियमावली द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत के लक्ष्य से महत्वपूर्ण रूप से उच्च थी। (पैरा 6.2)
- आंतरिक ऋण का अंश पश्च उदारीकरण अवधि (1992-2009) के दौरान बाह्य ऋण तथा लोक लेखा दायित्वों की तुलना में उच्च दर से बढ़ा। जबकि आंतरिक ऋण-स.घ.उ. के अनुपात में विचलन की औसत वार्षिक दर 3.37 प्रतिशत थी, अन्य दो घटकों अर्थात वर्तमान दरों पर लोक लेखाओं तथा बाह्य ऋण हेतु (-) 5.65 प्रतिशत तथा (-) 7.67 प्रतिशत की महत्वपूर्ण नकारात्मक विचलन दरें पाई गई थी। (पैरा 6.2)
- 2008-09 में देयताओं से परिसम्पत्तियों का अनुपात 1992-2009 की अवधि के लिए 44 प्रतिशत के प्रवृत्ति अनुपात की तुलना में केवल 36 प्रतिशत था। इसका अभिप्राय यह है कि पिछले वर्षों से देयताएं, परिसम्पत्तियों के मुकाबले तीव्रता से बढ़ रही हैं। लगभग 11 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर के प्रति 2008-09 में कुल देयताएं लगभग 15 प्रतिशत तक बढ़ी। तुलनात्मक रूप से, प्रवृत्ति वृद्धि की लगभग 7.50 प्रतिशत की दर की तुलना में, 2008-09 में परिसम्पत्तियों में वृद्धि में केवल एक सीमांतक वृद्धि (8 प्रतिशत) थी। (पैरा 6.3)
- 1992-2009 की पश्च स्वतंत्र अवधि के लिए 20,007 करोड़ रु. के संसाधनों (बढ़ते हुए राजस्व व्यय-घटा-बढ़ते हुई राजस्व प्राप्तियां) में औसत कमी की तुलना में संसाधन अंतर में 2008-09 में चिंताजनक रूप से 2,70,942 करोड़ रु. तक बढ़ गया जो औसत प्रवृत्ति संसाधन अन्तर का लगभग 14 गुणा है। (पैरा 6.4)
- वर्तमान में, संघ का ऋण-स.घ.उ. अनुपात, वर्तमान विनिमय दरों पर मापे गए बाह्य ऋण के साथ तथा एन.एस.एस.एफ. देयताओं, जिनके प्रति राज्य प्रतिभूतियों के रूप में परिसम्पत्तियां हैं और विपणन स्थायीकरण योजना (वि.स्था.यो.) देयताएं जिसमें प्रति समान राशि का नकद भा.रि.बैं. के पास सुरक्षित रखा है, को हटाने के पश्चात 53 प्रतिशत के समीप है। यह 2008-09 के लिए बजट अनुमान के आकड़ों अर्थात 2008-09 में बजट दस्तावेजों के साथ संलग्न मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण में दिए गए 59.6 प्रतिशत, की अपेक्षा कम है। (पैरा 6.5)
- अपर्याप्त नियोजन के जारी रहने के परिणामस्वरूप 2008-09 में 117.37 करोड़ रु. की राशि के वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय हुआ। (पैरा 6.7)
- 2008-09 में कुल बकाया प्रतिभूतियां, स.घ.उ. के 2.1 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों जो संघ को प्रोद्भूत हुई थी, का 17 प्रतिशत थी। तथापि, इन प्रतिभूतियों में विवृतांत पेंशन भुगतानों की प्रकृति में अनुमत अस्पष्ट आकस्मिक देयताओं की मात्रा शामिल नहीं है। (पैरा 6.8)

आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताएं, देयताओं के तीन सेट हैं जिनसे संघ सरकार का ऋण संघटित है (बॉक्स 6.1)। आन्तरिक एवं बाह्य ऋण, लोक ऋण को गठित करते हैं और भारत की समेकित निधि के अधीन सुरक्षित किए जाते हैं। आन्तरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियां और अन्य विभिन्न विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध-पत्र और अन्य रूपया प्रतिभूतियां

सम्मिलित हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋणों का द्योतक है। सरकार की अन्य देयताएं उधारकर्ता की अपेक्षा बैंकर या न्यासी के रूप में अपनी क्षमता से अधिक उद्भूत होती हैं जिसमें लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधि और निक्षेप निधि (व्यय प्रभारित करके सृजित हालांकि वास्तविक व्यय/संवितरण अभी किया जाना है) जमा समाविष्ट है। ये उधार या संभूतियां भा.स.नि. के अधीन सुरक्षित नहीं हैं और ये लोक लेखा के भाग के रूप में दर्शाई जाती हैं। तथापि, यह सभी देयताएं या उनकी वापसी अथवा विनिर्देशित व्यय के सम्बन्ध में सरकार के दायित्व हैं।

बाक्स 6.1: भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं



6.1 कुल राजकोषीय देयताएँ: प्रवृत्तियां तथा संरचना

तालिका 6.1 सरकार की कुल देयताएं प्रस्तुत करती है जिसमें 1992-2009 के दौरान आंतरिक ऋण एवं वर्तमान विनिमय दर तथा ऐतिहासिक दर (जिस दर पर ऋण मूल रूप से अनुबंधित किया गया था) दोनों पर संगणित बाह्य ऋण एवं लोक लेखा सम्मिलित हैं। परिशिष्ट-VI-क में उसके संघटन के आधार पर वार्षिक कुल देयता दर्शाई गई है।

तालिका 6.1: कुल राजकोषीय देयताएं - प्रवृत्तियां तथा संरचना

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखा*	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
1992-2009 (औसत)	872701	67835	318747	1259284	179127	1370576
VIIIवी योजना (1992-97) (औसत)	272725	49206	218152	540082	137732	628608
IXवी योजना (1997-02)	655942	61703	292049	1009694	183073	1131064

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखा*	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
(औसत)						
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	1274620	72715	368973	1716307	193395	1836987
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	1799651	112031	466602	2378284	210104	2476357
2008-09	2019841	123046	556235#	2699122	264059	2840135
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1992-2009(औसत)	16.09	5.55	6.00	12.23	3.70	11.29
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	14.13	5.95	14.80	13.62	5.88	12.48
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	25.42	6.77	-7.05	12.80	5.05	11.85
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	10.80	19.75	7.29	10.37	1.05	8.98
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	16.48	9.07	6.33	13.98	4.41	13.33
2008-09	12.24	9.83	19.21	13.49	25.68	14.69

* 1999-2000 से लोक लेखा देयताओं में, विशिष्ट राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित सीमा तक लघु बचतों के कारण देयताएं शामिल नहीं हैं।

31.3.2009 को, लोक लेखा देयताएं 10,16,291 करोड़ रु थी, जिनमें विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश किए गए 4,58,556 करोड़ रु तथा 2007-08 से आई.आई.एफ.सी.एल. में निवेश किए गए 1,500 करोड़ रु शामिल है।

तालिका 6.1 दर्शाती है कि 1992-2009 की अवधि के लिए आंतरिक ऋण में लगभग 16 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा जिसकी तुलना में 2008-09 में इसकी वृद्धि लगभग 12 प्रतिशत तक कम थी। राजकोषीय देयताओं के अन्य दोनों वर्गों अर्थात् बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर) तथा लोक लेखा में देयताओं, में 2008-09 में वृद्धि प्रवृत्ति वृद्धि दर के अपेक्षा काफी अधिक थी। वर्तमान दर पर बाह्य ऋण में वृद्धि रूपये के अवमूल्यन के कारण थी। लोक लेखा देयता में वृद्धि उर्वरक कम्पनियों (20,000 करोड़ रु.) तथा पैट्रोलियम बंधपत्र (पुनर्लाभ का निवल 62,600 करोड़ रु.) को विशेष बंधपत्र जारी करने के कारण थी।

6.2 स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

रा.उ.ब.प्र. अधिनियम तथा नियमावली में निर्धारित किया गया था कि केन्द्र सरकार वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए स.घ.उ. की 9 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त देयताएं (चालू विनिमय दर पर बाह्य ऋण को शामिल करते हुए) धारण नहीं करेगी और बाद के प्रत्येक वर्ष में, 9 प्रतिशत की सीमा में स.घ.उ. के कम से कम एक प्रतिशतता अंक की प्रगामी रूप से कमी की जाएगी। 2007-08 के दौरान स.घ.उ. के सापेक्ष सकल संवृद्धि देयताएं 6.17 प्रतिशत थीं, जो रा.उ.ब.प्र. अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित नियम का अनुसरण करते हुए 2007-08 हेतु प्रक्षेपित 6 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से सीमान्तक रूप से अधिक थीं। 2008-09 में स.घ.उ. अनुपात के

प्रति संवृद्धि कुल देयताएं पिछले वर्ष में 6.84 प्रतिशत की तुलना में उच्चतर थी तथा, इसलिए, रा.उ.ब.प्र. द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत के लक्ष्य से महत्वपूर्ण रूप से उच्च थी।

स.घ.उ. की तुलना में राजकोषीय देयताओं के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति ने 1992-2009 के दौरान, केवल (-)0.90 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर के विचलन¹ के साथ सापेक्ष स्थिरता प्रदर्शित की। यद्यपि, 1992-2009 की अवधि के दौरान स.घ.उ. से संबंधित राजकोषीय देयताएं लगभग स्थिर रही लेकिन इसके घटकों के अंश आंतरिक ऋण के अंश के साथ समय के अनुसार परिवर्तित होना, अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है (तालिका 6.2)। जबकि आंतरिक ऋण-स.घ.उ. के अनुपात में विचलन की औसत वार्षिक दर 3.37 प्रतिशत थी, अन्य दो घटकों में महत्वपूर्ण नकारात्मक विचलन दरों अर्थात् वर्तमा दर पर लोक लेखों तथा बाह्य ऋण हेतु (-) 5.62 प्रतिशत तथा (-) 7.67 प्रतिशत, को पाया गया था।

तालिका 6.2: स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

(प्रतिशत)

अवधि	आन्तरिक ऋण/स.घ.उ.	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर) /स.घ.उ	लोक लेखे/स.घ.उ	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)/स.घ.उ	बाह्य ऋण (चालू दरों पर) /स.घ.उ	कुल देयताएं (चालू दरों पर)/स.घ.उ
1992-2009 (औसत)	36.24	-2.82	13.24	52.30	7.44	56.92
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	26.20	4.73	20.96	51.89	13.23	60.39
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	34.12	3.21	15.19	52.52	9.52	58.84
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	39.65	2.26	11.48	53.39	6.02	57.14
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	38.10	2.37	9.88	50.35	4.45	52.43
2008-09	37.95	2.31	10.45	50.72	4.96	53.37
सापेक्षित अंशों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर						
1992-2009	3.37	-6.02	-5.62	-0.07	-7.67	-0.90

6.3 परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता तथा देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का अनुपात: सरकार के लिए पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ सृजित करने या निवेश करने के लिए निधियां उधार लेना आम बात है। यद्यपि सरकारी लेखांकन पद्धति में तुलन-पत्र सरकार द्वारा अपने स्वामित्व की स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि तथा भवन आदि का विस्तृत हिसाब करने के लिए सृजित नहीं किए जाते हैं, तथापि लेखे, किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को भी दर्शाते हैं व उनका प्रावधान करते हैं। सरकारी निवेश, बकाया ऋण एवं अग्रिम तथा संचित पूँजीगत व्यय को उसकी परिसम्पत्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इसकी कुल राजकोषीय देयताओं की तुलना में इन परिसम्पत्तियों के अनुपात

¹ किसी परिवर्तनीय में विचलन की वार्षिक दर, स.घ.उ. में दर के बदलाव के साथ तुलना किए गए उस परिवर्तनीय में बदलाव की दर का संकेत करती है।

को उधार ली गई निधियों के उपयोग की गुणवत्ता मापने के प्रतिस्थानी उपाय के रूप में माना जा सकता है।

तालिका 6.3: परिसम्पत्तियों की उत्पावकता तथा देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का अनुपात

(रूपये करोड़ में, अनुपात तथा वृद्धि दर प्रतिशत में)

अवधि	कुल देयताएं	कुल परिसम्पत्तियां	देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात	देयताओं की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की उत्पावकता
1992-2009 (औसत)	1370576	608923	44.43	11.29	7.48	0.66
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	628608	362555	57.68	12.48	10.31	0.83
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	1131064	575671	50.90	11.85	8.29	0.70
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	1836987	739512	40.26	8.98	4.74	0.53
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	2476357	942507	38.06	13.33	14.37	1.08
2008-09	2840135	1020498*	35.93	14.69	8.27	0.56

* तालिका 1.4 का संदर्भ ले: अध्याय 1 में सरकारी वित्त व्यवस्था के शेषों का सारांश

44 प्रतिशत के प्रवृत्ति अनुपात की तुलना में 2008-09 में देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों का अनुपात केवल 36 प्रतिशत था। इसका अभिप्राय यह है कि वर्षों से देयताएं, परिसम्पत्तियों के मुकाबले तीव्रता से बढ़ रही हैं जैसा कि तालिका 6.3 में दर्शाया गया है। लगभग 11 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर के प्रति 2008-09 में कुल देयताएं लगभग 15 प्रतिशत तक बढ़ीं। प्रवृत्ति वृद्धि दर की तुलना में 2008-09 में परिसम्पत्तियों में केवल एक सीमांतक वृद्धि थी।

6.4 ऋण धारिता

यदि सरकार निकट भविष्य में इन देयताओं के सम्भार की चुकौती में सक्षम है और ऋण-स.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय अनुपातों तक नहीं बढ़ता है, तो राजकोषीय देयताओं को जारी रखने योग्य समझा जाता है। इस स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त डोमर का ऋण स्थिरता समीकरण है। यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर ऋण पर ब्याज की दर से अधिक हो तो ऋण-स.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है, बशर्ते प्राथमिक शेष² या तो शून्य या सकारात्मक या नाममात्र नकारात्मक हों। ऐसी स्थिति में जहाँ ब्याज की दर, उत्पादन की वृद्धि की दर से अधिक है, ऋण-स.घ.उ. अनुपात का बढ़ना तब तक जारी रहेगा जब तक प्राथमिक शेष सकारात्मक नहीं हो जाते। यदि अर्थव्यवस्था की नाममात्र वृद्धि दर, घरेलू ऋण पर ब्याज की नाममात्र दर से बढ़ती है, जो वित्तीय दमन के अंतर्गत हो सकता है, जब प्राथमिक घाटा चल रहा हो तभी घरेलू ऋण की स्थिरता संभव है (मुद्रिकरण की अधिकता में भी)।

² प्राथमिक शेष राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने का उल्लेख करते हैं।

काफी समय से कुल ऋण पर औसत ब्याज दर (नाममात्र) 1992-2009 के दौरान बाजार मूल्यों³ पर स.घ.उ. की वृद्धि की दर से कम रही, जैसे कि तालिका 6.4 में दर्शाया गया है। 2008-09 में आंतरिक ऋण पर औसत ब्याज दर (8.67 प्रतिशत) संपूर्ण पश्च-उदारीकरण अवधि हेतु 9.28 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर की अपेक्षा कम थी। बाह्य ऋण पर प्रदत्त औसत ब्याज दर, घरेलू ऋण दर प्रदत्त औसत ब्याज दर से काफी कम थी।

तालिका 6.4: वर्तमान विनिमय दरों पर राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दर
(प्रतिशत)

अवधि	आन्तरिक देयताएं	बाह्य ऋण	कुल देयताएं	स.घ.उ. की वृद्धि दर	ब्याज विस्तार
1992-2009 (औसत)	9.28	2.32	8.32	12.31	3.99
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	9.37	3.07	7.91	16.53	8.63
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	10.42	2.51	9.06	10.33	1.27
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	8.91	1.78	8.09	13.93	5.84
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	8.87	1.95	8.24	14.39	6.15
2008-09	8.67	2.00	8.10	12.67	4.57
औसत ब्याज दर = अदा किया गया ब्याज/वर्ष के प्रारम्भ में बकाया देयताएं*100 है					

संघ सरकार की ऋण धारणीयता (i) ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात (ii) उपलब्ध उधार ली गई निधियों के उपयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण मोचन एवं ऋण प्राप्तियों का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक उधार ली गई राशियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए ऋण प्राप्तियों का ऋण मोचन में उपयोग किया जाता है। तालिका 6.5 दर्शाती है कि ऋण मोचन अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) में 93.10 प्रतिशत की औसत से संगत रूप से बढ़कर अंतर वर्ष बदलाव के साथ Xवीं योजना (2002-07) के दौरान 98.68 प्रतिशत हो गई है। 2008-09 में, ऋण प्राप्तियों का 96 प्रतिशत कुल ऋण पुनर्भुगतान के लिए लगाया गया था। यह अनुपात मुख्य रूप से बढ़ी हुई ऋण प्राप्तियों, जो वर्तमान वर्ष के दौरान 25.75 प्रतिशत से बढ़ी हैं, के कारण बाद के वर्षों में घटा है। 5,23,450 करोड़ रु. (28.3 प्रतिशत) की आंतरिक ऋण प्राप्ति में वृद्धि के कारण, वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियों में 5,35,155 करोड़ रु. (24.12 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

³ कृपया अध्याय 3 में तालिका 3.2 का संदर्भ लें

तालिका 6.5: ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण मोचन का अनुपात

अवधि	ऋण प्राप्तियां*	ऋण पुनर्भुगतान		मूल ऋण पुनर्भुगतान (1)/ ऋण प्राप्तियां	कुल ऋण पुनर्भुगतान (2)/ऋण प्राप्तियां
		मूल*	मूल+ ब्याज		
		(1)	(2)		
		(करोड़ रु. में) (वार्षिक औसत)		(प्रतिशत)	
1992-2009 (औसत)	894648	761052	863215	85.07	96.49
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	266443	203787	248066	76.48	93.10
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	530341	411106	502208	77.52	94.70
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	1250358	1097979	1233839	87.81	98.68
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	2219076	1919363	2099350	86.49	94.60
2008-09	2754231	2454164	2654744	89.11	96.39

*ऋण प्राप्तियां तथा पुनर्भुगतान में भा.स.नि. में ऋण आंकड़े तथा लोक लेखे में निवल अर्थोपाय अग्रिम तथा प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान सम्मिलित है।

ऋण धारिता के मामलों की क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा भी चर्चा की गई थी। नौवें वित्त आयोग ने पाया कि अन्ततः सरकारी ऋण समस्या का समाधान उधार ली गई निधियों के - (क) वित्तपोषित राजस्व व्यय के लिए उपयोग न किए जाने; तथा (ख) पूँजीगत व्यय के लिए प्रभावशाली व उत्पादकतापूर्ण ढंग से उपयोग किए जाने में निहित है जो व्यय या तो प्रत्यक्षतः लाभ प्रदान करता है या परिणामतः साधारण तौर पर आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सकती है। ग्यारहवें वित्त आयोग (ग्या.वि.आ.) ने सलाह दी कि ऋण धारिता को पर्याप्त रूप से सरल बनाया जा सकता था, यदि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बढ़ते हुए ब्याज के भार तथा बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) ने अनुभव किया कि इसके लिए राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि तथा व्यय में संकुचन के उपायों को अपना कर, राजस्व शेष हासिल करना पूर्वापेक्षित है।

तालिका 6.6 दर्शाती है कि 1992-2009 की पश्च-उदारीकरण अवधि के लिए 20,007 करोड़ रु. के संसाधनों (बढ़ते हुए राजस्व व्यय घटा बढ़ते हुई राजस्व प्राप्तियां) में औसत कमी की तुलना में, संसाधन अंतराल 2008-09 में चिंताजनक रूप से 2,70,942 करोड़ रु. तक बढ़ गया जो औसत प्रवृत्ति संसाधन अन्तराल का लगभग 14 गुणा है।

तालिका 6.6: संवृद्धित राजस्व व्यय तथा ब्याज भुगतानों को पूरा करने के लिए संवृद्धित राजस्व प्राप्तियों में कमी

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	संवृद्धि				संसाधन अन्तराल
	प्राप्तियां	गैर-ब्याज राजस्व व्यय	ब्याज व्यय	राजस्व व्यय	
1992-2009 (औसत)	32589	42362	10234	52596	-20007
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	18778	15480	6576	22056	-3278
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	14312	18903	10939	29842	-15530
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	52023	48510	8021	56532	-4509
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	124033	50914	25707	76621	47412
2008-09	4421	254770	20593	275363	-270942

6.5 राजकोषीय घाटा तथा ऋण धारिता

राजकोषीय धारिता के संदर्भ में बा.वि.आ. ने महसूस किया कि ऋण धारिता के मामले को ऋण तथा राजकोषीय कमी में मेल हेतु देखे जाने की भी आवश्यकता थी क्योंकि यदि राजकोषीय घाटे ऐसा रास्ता अपनाते हैं जिसका परिणाम ऋण-स.घ.उ. अनुपात में स्व-परिरक्षित उभार में होता है तो ऋण अस्थिर हो जाएगा। एक धारणीय ऋण-घाटा संयोजन, ऋण-स.घ.उ. अनुपात तथा प्राथमिक व्यय के अनुज्ञेय स्तर के साथ संगत राजकोषीय स.घ.उ. अनुपात की पदावली में स्थिर होगा। इसलिए, संबंधित मुद्दा राजकोषीय घाटे के उस स्तर को निर्धारित करने का है जो ऋण-स.घ.उ. अनुपात को स्थिर करेगा और उसी के साथ वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकेगा। अपने नियमों तथा परवर्ती संशोधनों के साथ पठित, रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003, 2008-09 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा स.घ.उ. के प्रति राजकोषीय घाटे का 3 प्रतिशत का अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य का विनिर्देशित करता है। 7 प्रतिशत ब्याज दर तथा 12 प्रतिशत की नाममात्र वृद्धि दर के संयोजन हेतु राजकोषीय घाटे के इस कमी का लक्ष्य को देखते हुए, बा.वि.आ. ने लोक वित्त पुनःसंरचना हेतु सुझाए गए कार्यक्रम में अनुशंसा की कि प्राथमिक घाटा स.घ.उ. के 1.25 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए। बा.वि.आ. ने आगे अनुमान लगाया कि एक बार समायोजन अवस्था बीत जाए तथा केन्द्र की राजकोषीय कमी 3 प्रतिशत तक नियंत्रित हो जाए तो 2008-09 तक संघ का ऋण-सं.घ.उ. अनुपात स.घ.उ. के 44 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा।

वर्तमान में संघ का ऋण-सं.घ.उ. अनुपात वर्तमान विनिमय दरों पर मापे गए बाह्य ऋण के साथ तथा रा.ल.ब.नि. देयताओं जिनके विरुद्ध वहां राज्य प्रतिभूतियों के रूप में परिसम्पत्तियां तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (बा.स्थि.यो.) देयताएं हैं जिनके प्रति भा.रि.बैं. के पास बराबर नकद धनराशि रखी जाती है, को अलग करने के उपरान्त 53 प्रतिशत के लगभग (तालिका 6.2) है। यह 2008-09 के लिए ब.अ.के आकड़ों अर्थात्

2008-09 में बजट दस्तावेजों के साथ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण में दिए गए 59.6 प्रतिशत, की अपेक्षा कम है।

6.6 रोकड़ प्रबंधन

अप्रैल 1997 से लागू, अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) की नई योजना को सरकार के लिए उसके नकद प्रवाह में अस्थायी बेमेल को काबू करने को सुगम बनाने हेतु प्रारंभ किया गया था। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 के अनुसार 1 अप्रैल 2006 से केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रवर्तन में भागीदारी से भारतीय रिजर्व बैंक के पीछे हटने के साथ ही 2006-07 से अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) व्यवस्थाओं को संशोधित कर दिया गया था। रा.उ.ब.प्र. प्रावधानों द्वारा अनिवार्य परिवर्तन को सुसाध्य बनाने हेतु संशोधित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत 2006-07 हेतु सीमा को त्रैमासिक आधार पर नियत किया गया था। तथापि, रिजर्व बैंक ने संक्रमण काल के मुद्दों एवं मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से सीमाओं को संशोधित करने के लिए लचीलेपन को बनाए रखा।


2008-09 के दौरान, अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में 2,26,012 करोड़ रु. की राशि सरकार द्वारा प्राप्त तथा संवितरित की गई थी। संघ सरकार द्वारा 1999-2000 से प्राप्त किए गए अ.अ. के विवरण तालिका 6.7 में दर्शाए गए हैं जो यह प्रकट करते हैं कि वर्ष 2001-02 के पश्चात कोई अ.अ. बकाया नहीं थे (तालिका 6.7)।

तालिका 6.7: अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रुपयों में)				
वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान वापस दिए गए	बकाया अर्थोपाय अग्रिम
1999-00	3042	124972	127032	982
2000-01	982	131300	126887	5395
2001-02	5395	170953	171172	5176
2002-03	5176	118961	124137	शून्य
2003-04	शून्य	96615	96615	शून्य
2004-05	शून्य	62080	62080	शून्य
2005-06	शून्य	1134	1134	शून्य
2006-07	शून्य	25226	25226	शून्य
2007-08	शून्य	110007	110007	शून्य
2008-09	शून्य	226012	226012	शून्य

6.7 अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

31 मार्च 2009 को अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता 95,486 करोड़ रु. थी, जो पिछले वर्ष के लिए समनुसूत्र आकड़ों से लगभग 22 प्रतिशत अधिक थी। अप्रयुक्त बाह्य सहायता के क्षेत्र-वार विवरण परिशिष्ट-VI-ख में दिए गए हैं तथा चार्ट 6.1 विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनाहारित शेष दर्शाती है। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास, जल संसाधनों, अवसंरचना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़े अनाहारित शेष थे।



अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। चूंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 6.8, 2000-2009 के दौरान बाद की तिथियों में सहायता के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए प्रभारों को दर्शाती है। यह इस सम्बन्ध में निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करता है जिसका परिणाम 2008-09 में 117.37 करोड़ रु. के वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

तालिका 6.8: वचनबद्धता प्रभार

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	ए.वि.बैं.	फ्रांस	जर्मनी	अ.पु.वि.बैं.	जोड़
2000-01	13.52	0.27	0.19	26.25	40.23
2001-02	12.84	0.22	0.76	34.64	48.46
2002-03	26.45	0.19	0.95	39.60	67.19
2003-04	38.23	0.02	8.99	45.91*	93.15
2004-05	45.10	शून्य	2.07	117.94*	165.11
2005-06	53.42	0.0	1.86	92.89*	148.17
2006-07	59.56	0.0	1.93	79.02	140.51
2007-08	62.55	0.0	1.72	60.27	124.54
2008-09	62.62	0.0	4.17	50.58*	117.37


स्रोत: सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा का नियंत्रण

* अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता सम्मिलित है।

6.8 संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं, निवेशकों के लिए निवेश प्रोत्साहित करने और उधार जोखिम कम करने में इसकी अपनी भूमिका, विशेषकर उन क्रियाकलापों में जहाँ लम्बी अवधि की परिपक्वता, निवेश के स्वरूप की विशेषता है, के कारण उत्पन्न होती हैं। जहाँ गारंटियां रुढ़िगत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की

स्थिति में, इससे सरकार की ऋण स्थिति में तेजी की संभावना होती है। गारंटियों का मामला, अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता, इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और इसके आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। तालिका 6.9, 1999-2000 से 2008-09 तक के, वित्तीय वर्ष के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि तथा गारंटीकृत राशियां तथा बकाया राशियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।



तालिका 6.9: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष के अंत में स्थिति	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	कुल बकाया गारंटियों की % के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1999-2000	144438	83954	47663	56.77
2000-01	135678	86862	55664	64.08
2001-02	168712	96859	57006	58.85
2002-03	174487	90617	51097	56.39
2003-04	184420	87780	50328	57.33
2004-05	132728	107957	48276	44.72
2005-06	118560	110626	47358	42.81
2006-07	114671	109826	46340	42.19
2007-08	114001	104872	46459	44.30
2008-09	117659	113335	59343	52.36

2008-09 में, कुल बकाया गारंटियाँ, स.घ.उ. का 2.1 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियां जोकि संघ सरकार को प्रोद्भूत थी, का 17 प्रतिशत थी।

अध्याय 7

विनियोग लेखे 2008-09: प्रस्तावना

संवैधानिक प्रावधान

7.1 लोक सभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान मांगें पारित होने के तत्काल पश्चात्, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशि के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में संवितरण, जो अनुच्छेद 114 तथा 115 की शर्तों के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत किए गए हैं, तथा संविधान के अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) की शर्तों के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण शामिल हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर वास्तव में व्यय की गई सकल राशि की तुलना में विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के विवरण को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

7.2 लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) सिविल मंत्रालयों के 98 अनुदानों और विनियोजन के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार अलग-अलग विनियोग लेखे, प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो कि उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2008-09 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्न प्रकार था:

क्रियाकलाप का क्षेत्र	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	98
रक्षा सेवाएं	6
डाक सेवाएं	1
रेलवे	16
योग :	121

7.3 इस प्रतिवेदन में, आबंटन से अधिक व्यय, जिसकी संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो; अव्ययित प्रावधान, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो; अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अवास्तविक बजट, तथा गहन परीक्षण के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों का विश्लेषण, शामिल करते हुए विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाओं), की लेखापरीक्षा टिप्पणियां, निहित हैं। क्षेत्रीय

विशिष्टताओं की बेहतर समालोचना की सुविधा हेतु सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रेलवे तथा रक्षा विनियोग सम्बन्धी सभी अनुदानों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग प्रक्रिया को पूर्ण रूप से आवृत करने के लिए जहाँ भी आवश्यक था रेलवे विनियोग का हवाला दिया गया है। तथापि रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष 2008-09 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

सारांश

7.4 तालिका 7.1 वर्ष 2008-09 के दौरान कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत-दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। परिशिष्ट-VII-क सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

तालिका 7.1: 2008-09 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

विभाग	(करोड़ रुपयों में)		
	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत
सिविल	3220867	3149073	71794
डाक	10720	10001	719
रेलवे	160701	149383	11318
रक्षा सेवाएं	125414	118006	7408
कुल योग	3517702	3426463	91239

7.5 सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, 71,794 करोड़ रु. की निवल बचत चार अनुदानों के अंतर्गत 270 करोड़ रु. के अधिक व्यय तथा सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों में 72,064 करोड़ रु. की बचत के कारण था। 270 करोड़ रु. के समग्र अधिक व्यय में से 163 करोड़ रु. अनुदान सं. 39- पेंशन के अंतर्गत प्रत्याशित से अधिक पेंशन के भुगतान के कारण था। 72,064 करोड़ रु. की समग्र बचत में अनुदान सं. 37-ऋणों का पुनर्भुगतान {पूँजीगत (प्रभारित) खण्ड} में 23,607 करोड़ रु., अनुदान सं. 35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण {राजस्व (प्रभारित) खण्ड} में 7,234 करोड़ रु. तथा {राजस्व (दत्तमत) खण्ड} में 2,663 करोड़ रु., अनुदान सं. 34-ब्याज भुगतान {राजस्व (प्रभारित) खण्ड} में 6,322 करोड़ रु., अनुदान सं. 57-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग {राजस्व (दत्तमत) खण्ड} में 4,907 करोड़ रु., अनुदान सं. 32- वित्तीय संस्थानों को भुगतान {पूँजीगत (दत्तमत) खण्ड} में 3,072 करोड़ रु. तथा अनुदान सं. 53-पुलिस {पूँजीगत (दत्तमत) खण्ड} में 2,226 करोड़ रु. की बचतें थीं। इनके अलावा, सकल अव्ययित प्रावधान 22,033 करोड़ रु. था।

7.6 सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 208 अनुभागों में निवल बचतें और चार अनुभागों में आधिक्य, डाक विभाग के चार अनुभागों में बचतें और रेलवे के 20 अनुभागों में बचतें और नौ अनुभागों में आधिक्य तथा रक्षा सेवाओं के 10 अनुभागों में बचतें तथा दो अनुभाग में आधिक्य थे। परिशिष्ट-VII-ख विवरणों के सार को दर्शाता है।

प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

7.7 परिशिष्ट-VII-ग में वर्ष 1997-2009 के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की अनुमोदित मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण निहित है। इन वर्षों के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के लिए कुल संवितरणों का 70 से 81 प्रतिशत भारत की समेकित निधि को प्रभारित थे।

7.8 2008-09 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत कुल संवितरण 31,49,073 करोड़ रु. के थे जो 2007-2008 के दौरान 23,38,093 करोड़ रु. के कुल संवितरण से 8,10,980 करोड़ रु. अधिक थे। यह 1997-98 में 5,84,471 करोड़ रु. से 439 प्रतिशत तक बढ़ गया था। प्रभारित संवितरण 1997-98 में 4,52,232 करोड़ रु. से 432 प्रतिशत तक बढ़ कर 2008-09 में 24,04,957 करोड़ रु. थे तथा उसी अवधि से दत्तमत संवितरण 1,32,239 करोड़ रु. से 463 प्रतिशत तक बढ़ कर 7,44,116 करोड़ रु. तक हो गए थे। 2008-09 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण मुख्यतः, ब्याज भुगतानों (2,01,143 करोड़ रु.) जो 2007-08 के 1,79,987 करोड़ रु. की अपेक्षा 12 प्रतिशत अधिक था, ऋणों का पुनर्भुगतान (21,64,561 करोड़ रु.) तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुदानों के कारण राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण (34,188 करोड़ रु.) राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों आदि के कारण था तथा जो कुल संवितरणों का 76 प्रतिशत बनता था।

7.9 चूंकि प्रभारित संवितरण संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं, इसलिए संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण की प्रभावकारिता की गुंजाइश सिविल मंत्रालयों में कुल संवितरण के केवल 24 प्रतिशत तक ही सीमित होती है। तथापि, भा.स.नि. से कुल संवितरण (सकल 34,26,463 करोड़ रु.) की पृष्ठभूमि के प्रति निरीक्षण किया गया, फिर भी प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 70 प्रतिशत (24,05,151 करोड़ रु.) (डाक, रक्षा सेवा तथा रेलवे को शामिल करके) थी।

मार्च के अंत तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अंधाधुंध व्यय

7.10 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, अन्धाधुंध व्यय, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना होगा। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों के मार्च तथा अंतिम तिमाही में व्यय को क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए। परिशिष्ट-VII-घ में दिए गए विवरण यह दर्शाते हैं कि कुछ मंत्रालय/विभाग द्वारा संवितरण का मुख्य भाग 2009 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ही किया गया था। कुछ मंत्रालयों/विभागों जिन्होंने मार्च 2009 के महीने में अधिक व्यय किया, वे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (10,857.03 करोड़ रु.), इस्पात मंत्रालय (682.45 करोड़ रु.), विदेश मंत्रालय (2,078.98 करोड़ रु.); उपभोक्ता मामले विभाग (244.29 करोड़ रु.), भारी उद्योग विभाग (1,911.70 करोड़ रु.), कपड़ा मंत्रालय (1,687.95 करोड़ रु.) आदि हैं। चूंकि मार्च में विभिन्न संगठनों को जारी की गई निधियां वर्ष, जो उसी महीने के अंतिम दिन

बन्द हो जाता है, के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं हो सकती, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि इन निधियों का उन्हीं प्रयोजनों, जिनके लिए वे प्राधिकृत की गई थी, हेतु उपयोग किया गया था।

अध्याय 8

विनियोग लेखे 2008-09: एक विश्लेषण

अनुदानों/विनियोगों की अपेक्षा अधिक संवितरण

8.1 संविधान के अनुच्छेद 114(3) में व्यवस्था है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अधीन को छोड़कर, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से, आहरित नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 52(3) में अनुबद्ध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण वह एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक हो जाए। तालिका 8.1 में भा.स.नि. से अनुमोदन से अधिक कुल आधिक्य का सार सम्मिलित है। 2008-09 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों में 4 अनुदानों के 4 खण्डों में 2,70,20,51,460 रु. (अर्थात् 270.21 करोड़ रु.), रेलवे के 8 अनुदानों/विनियोगों के 9 खण्डों में 5,19,81,26,360 रु. (अर्थात् 519.81 करोड़ रु.) तथा रक्षा सेवाओं के 2 अनुदानों/विनियोगों के 2 खण्डों में 7,42,61,46,657 रु. (अर्थात् 742.61 करोड़ रु.) का अधिक संवितरण था। इनका विवरण तालिका 8.2 में दिया गया है तथा जिनकी संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है।

तालिका 8.1: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

		(रुपयों में)		
		सिविल	रक्षा सेवाएं	रेलवे
दत्तमत	राजस्व	2702051460	7426146657	5027043156
	पूंजीगत	-	-	-
प्रभारित	राजस्व	-	-	223981
	पूंजीगत	-	-	170859223
अनुदानों/विनियोगों की संख्या		4	2	8
कुल आधिक्य		2702051460	7426146657	5198126360

तालिका 8.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूप	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए सहयोगी कारण
सिविल:			
राजस्व (दत्तमत)			
1.	19-रक्षा मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य	83632200000 83907186122 274986122
			छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन, जहाजों के फैलाव में वृद्धि, आपूर्ति की दरों में वृद्धि आदि के कारण।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूप	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए सहयोगी कारण	
2.	20- रक्षा पेंशन	अनुदान व्यय आधिक्य	202329500000 202330832985 1332985	छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के कारण पेंशन एवं मंहगाई भत्ते के भुगतान की उच्चतर दर आदि।
3.	39- पेंशन	अनुदान व्यय आधिक्य	105659300000 107291109424 1631809424	छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के कारण अधिक दावों की प्राप्ति आदि।
4.	54- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	अनुदान व्यय आधिक्य	14375800000 15169722929 793922929	पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के दावों के निपटान हेतु किए गए अधिक भुगतान, स्वतंत्रता सैनानियों/पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ते का अतिरिक्त भुगतान और सुरक्षा संबंधी व्यय में वृद्धि।

रेलवे

राजस्व (दत्तमत)

5.	4- स्थायी मार्गों एवं कार्यों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	58402105000 59442692825 1040587825	लघु शीर्ष-कार्यालयों में स्थापना, स्थाई मार्ग तथा सेवा भवनों का अनुरक्षण के अंतर्गत अधिक क्रियाकलापों के कारण।
6.	5- चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	28291172000 29243628565 952456565	लघु-शीर्ष कार्यालयों में स्थापना, जीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंतर्गत अधिक क्रियाकलापों के कारण।
7.	6- सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	62805467000 64302389039 1496922039	लघु-शीर्ष कार्यालयों में स्थापना, ढुलाई वैगन, विद्युत बहुप्रयोजन यूनिट कोच, विद्युत सामान्य सेवाएं ट्रेन लाईटिंग के अंतर्गत अधिक क्रियाकलापों के कारण।
8.	7- संयंत्र एवं उपकरण की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	33295963000 33455346651 159383651	लघु-शीर्ष कार्यालयों में स्थापना, संयंत्र एवं उपकरण-विद्युत, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार के अंतर्गत अधिक क्रियाकलापों के कारण।
9.	8- संचालन व्यय- चल स्टाक एवं उपकरण	अनुदान व्यय आधिक्य	45805408000 47115977735 1310569735	लघु-शीर्ष-स्टीम लोकोमोटिव, विद्युत लोकोमोटिव, ढुलाई और वैगन के अंतर्गत अधिक क्रियाकलापों के कारण।
10.	15- सामान्य राजस्वों का लाभांश, सामान्य राजस्वों से लिए कर्जों का पुनर्भुगतान तथा अधिक पूंजीकरण परिशोधन	अनुदान व्यय आधिक्य	47109600000 47176723341 67123341	बजट अनुमानों की तुलना में पूंजीगत में अधिक आरक्षित करने के कारण, सामान्य राजस्व के लाभांश के अधिक भुगतान के कारण।

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूपए	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए सहयोगी कारण
राजस्व (प्रभारित)			
11.	3- सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	848000 952322 104322
12.	5- चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	3389000 3508659 119659
पूंजीगत (प्रभारित)			
13.	16- परिसम्पत्ति- अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन- पूंजीगत	विनियोग व्यय आधिक्य	222000000 392859223 170859223
रक्षा सेवाएं			
राजस्व (दत्तमत)			
14.	23- रक्षा सेवाएं- वायु सेना	अनुदान व्यय आधिक्य	126322100000 132425759389 6103659389
15.	24- रक्षा आयुध कारखाने	अनुदान व्यय आधिक्य	28247500000 29569987268 1322487268

8.2 रेलवे के अधिक संवितरणों के विवरण तथा अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2008-09 के संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित किए हैं।

उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय

8.3 भुगतान एवं लेखा अधिकारी किसी उप-शीर्ष अथवा प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक भुगतान केवल अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से यह आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात ही कर सकता है कि संवितरण हेतु

आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश इत्यादि जारी करने पर प्रदान कर दी जाएगी। यद्यपि, वर्ष 2008-09 के शीर्ष-वार विनियोग लेखों में यह पाया गया कि 19 अनुदानों के 72 उप-शीर्षों में उपलब्ध प्रावधान से दो करोड़ रूपयों और इससे अधिक का व्यय था यद्यपि इन उपशीर्षों में उपलब्ध प्रावधानों से 27,372.52 करोड़ रूपए का अधिक व्यय किया गया था, फिर भी संबंधित अनुदान/विनियोग का प्रबंधन करने वाले प्राधिकारी ने व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे, जो बजटीय नियंत्रण में ढील को दर्शाते हैं। अधिक व्यय वाले उप-शीर्ष (दो करोड़ और इससे अधिक) **परिशिष्ट VIII-क** में सूचीबद्ध हैं।

100 करोड़ रु. अथवा अधिक की बचतें

8.4 किसी अनुदान अथवा विनियोग में बचतें या तो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों को दर्शाते हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान 55 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे एवं रक्षा सेवाएं सहित) के 68 मामलों में 100 करोड़ रु. से अधिक की बचतें हुईं, जिनकी लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जाने की आवश्यकता है। अधिक बचतें ऋणों का पुनर्भुगतान (23,607.19 करोड़ रु.), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण (10,896.67 करोड़ रु.), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (7,081.13 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (6,321.66 करोड़ रु.), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (4,906.88 करोड़ रु.), वित्तीय संस्थानों को भुगतान (3,994.62 करोड़ रु.), पुलिस (3,109.49 करोड़ रु.), विनिवेश विभाग (2,003.12 करोड़ रु.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (1,664.78 करोड़ रु.) तथा उर्वरक विभाग (1,345.18 करोड़ रु.) आदि जैसे क्षेत्रों में थे। मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों के लिए कुछ योजनाओं को आरम्भ करने में असफल होना बताया गया था। **परिशिष्ट-VIII-ख** विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत बचतों के ब्यौरे दर्शाता है।

8.5 इसके अतिरिक्त सात पूंजीगत खण्डों सहित 23 अनुदानों/विनियोजनों के 26 अनुभागों में पिछले तीन वर्षों (2006-09) के दौरान 100 करोड़ रु तथा अधिक की निरन्तर बचतें थी जैसा **परिशिष्ट VIII-ग** में दिया गया है। बड़ी निरन्तर बचतों वाले कुछ मामले रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (15,152 करोड़ रु.), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (7,948 करोड़ रु.), पुलिस (5,977 करोड़ रु.), वित्तीय संस्थानों को भुगतान (3,835 करोड़ रु.), पंचायती राज मंत्रालय (3,696 करोड़ रु.), रक्षा मंत्रालय (1,243 करोड़ रु.) तथा अंतरिक्ष विभाग (1,038 करोड़ रु.) थे।

बचतों का अभ्यर्पण

8.6 सा.वि.नि. 56 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान लग जाए उसे वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। 2008-09 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के 98 अनुदानों/विनियोगों के 208 खण्डों के अंतर्गत 72,064.05 करोड़ रु. की बचतें थी। यह 4 अनुदानों के 4 खण्डों के अंतर्गत 270.21 करोड़ रु. के

अधिक व्यय के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था जिसका परिणाम 71,793.84 करोड़ रु. की निवल बचत में हुआ। अभ्यर्पित की गई राशियां तालिका 8.3 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 8.3: बचतों तथा अभ्यर्पण का विवरण

(करोड़ रुपयों में)			
अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	अन्तिम तिथि को अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व			
दत्तमत	22420.28	19692.66	18487.27
प्रभारित	13821.88	13892.64	13891.75
कुल : राजस्व	36242.16	33585.30	32379.02
पूंजीगत			
दत्तमत	11008.13	10483.64	10337.92
प्रभारित	24813.76	33201.79	33201.79
कुल : पूंजीगत	35821.89	43685.43	43539.71
कुल योग	72064.05	77270.73	75918.73

8.7 नागर विमानन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण, खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ऋण की पुनःअदायगी, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के अन्य व्यय से संबंधित अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत अभ्यर्पित की गई राशि बचतों से अधिक थी। विवरण परिशिष्ट-VIII-घ में दिए गए हैं।

30/31 मार्च को बचतों का अभ्यर्पण

8.8 कुछ मामले जहाँ अनुदान/विनियोग में मुख्य बचतों का 30/31 मार्च 2009 को अभ्यर्पित किया गया था, तालिका 8.4 में दिए गए हैं।

तालिका 8.4: उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 30/31 मार्च 2009 को अभ्यर्पित किए गए थे
(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2009 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	696.62	529.22	529.22	76
2.	3- पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य-पालन विभाग	183.24	158.34	158.34	86
3.	4- परमाणु ऊर्जा	153.15	128.66	128.66	84
4.	5- नाभकीय शक्ति योजनाएं	520.94	518.24	518.24	99
5.	7- उर्वरक विभाग	1345.18	1344.58	1344.58	100

विनियोग लेखे 2008-09: एक विश्लेषण

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2009 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
6.	9- कोयला मंत्रालय	106.39	106.25	106.25	100
7.	13 – दूरसंचार विभाग	447.10	495.17	495.17	111*
8.	30 – विदेश मंत्रालय	185.62	137.33	137.33	74
9.	32- वित्तीय संस्थानों को भुगतान	922.66	921.90	921.90	100
10.	35 – राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण	2662.90	2662.91	2662.91	100
11.	43- अप्रत्यक्ष कर	316.81	202.07	202.07	64
12.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1474.84	965.26	965.26	65
13.	53 – पुलिस	883.98	794.07	794.07	90
14.	57 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	4906.88	4748.56	4748.56	97
15.	58 – उच्च शिक्षा विभाग	185.14	156.50	156.50	85
16.	59 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	120.41	115.00	115.00	96
17.	64 – छोटे, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	136.36	109.60	109.60	80
18.	67 – नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	176.50	174.44	174.44	99
19.	69 – पंचायती राज मंत्रालय	788.10	787.43	787.43	100
20.	73 – योजना मंत्रालय	554.01	547.84	547.84	98
21.	74 – विद्युत मंत्रालय	252.86	245.66	245.66	97
22.	81- भूमि संसाधन विभाग	611.94	611.50	611.50	100
23.	86 – जहाजरानी विभाग	252.46	218.66	218.66	87
24.	87 – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	171.02	110.65	110.65	65
25.	92 – कपड़ा मंत्रालय	276.59	250.06	250.06	90
26.	103 – जल संसाधन मंत्रालय	138.85	122.09	122.09	88
27.	105 – युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	133.84	106.39	69.89	52
राजस्व - प्रभारित					
28.	34 – विनियोग-	6321.66	6419.38	6419.38	102*

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2008-2009

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	30/31 मार्च 2009 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 30/31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
	ब्याज भुगतान				
29.	35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण	7233.77	7233.77	7233.77	100
30.	94- जनजातीय कार्य मंत्रालय	230.10	230.09	230.09	100
पूँजीगत-दत्तमत्त					
31.	10 - वाणिज्य विभाग	101.22	98.01	98.01	97
32.	19 - रक्षा मंत्रालय	438.12	360.30	360.30	82
33.	28 - भू-विज्ञान मंत्रालय	267.17	258.10	258.10	97
34.	32 - वित्तीय संस्थानों को भुगतान	3071.96	3071.97	3071.97	100
35.	43 - अप्रत्यक्ष कर	183.94	174.51	174.51	95
36.	44- विनिवेश विभाग	2003.12	2003.12	2003.12	100
37.	46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	189.94	162.26	162.26	88
38.	49 - भारी उद्योग विभाग	157.63	157.58	157.58	100
39.	53 - पुलिस	2225.51	2022.79	2022.79	91
40.	59- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	160.93	160.68	160.68	100
41.	86 - जहाजरानी विभाग	154.19	149.07	149.07	97
42.	87 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	400.07	365.19	365.19	91
43.	89 - अंतरिक्ष विभाग	715.71	713.59	713.59	100
पूँजीगत-प्रभारित					
44.	1 - कृषि एवं सहाकारिता विभाग	188.80	188.80	188.80	100
45.	35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण	1000.00	1000.00	1000.00	100
46.	37 - विनियोग- ऋण की पुनःअदायगी	23607.19	32007.08	32007.08	136*

* मंत्रालयों/विभागों ने बचतों से अधिक अभ्यर्पण किया।

निधियों का पुनर्विनियोग

8.9 संवितरण के लिए, कोई अनुदान अथवा विनियोग उन उप-शीर्षों अथवा मानक विषय शीर्षों में जिनके अन्तर्गत उसे लेखाबद्ध किया जाता है वितरित किया जाता है। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले सक्षम कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा किसी अनुदान अथवा विनियोग के भीतर प्राथमिक इकाइयों के बीच जिसके साथ ऐसा अनुदान अथवा विनियोग सम्बन्धित है, का पुनर्विनियोजन अनुमोदित कर सकता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी करना चाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा प्रत्याशित हो कि उस इकाई के विनियोग, जिससे निधियों का अन्तरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जाएगा अथवा अव्ययित प्रावधान को पुनर्विनियोजन की इकाई में प्रभावी किया जा सकता है।

8.10 2008-09 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों के संदर्भ में विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि संसद द्वारा प्राधिकृत मूल प्रयोजन/कार्यकलाप को विफल करते हुए विभिन्न प्राथमिक इकाइयों के बीच निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किए गए थे। कुछ मामले जहाँ पर निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किये गये थे, ऋण का पुनर्भुगतान (1,85,416 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (12,728 करोड़ रु.), उर्वरक विभाग (12,460 करोड़ रु.), ग्रामीण विकास विभाग (5,085 करोड़ रु.), खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग (3,156 करोड़ रु.), वित्तीय संस्थानों को भुगतान (2,517 करोड़ रु.), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (2,113 करोड़ रु.), जनजातीय कार्य मंत्रालय (1,817 करोड़ रु.), विद्युत मंत्रालय (1,543 करोड़ रु.), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग (1,312 करोड़ रु.), कृषि एवं सहकारिता विभाग (1,278 करोड़ रु.), पुलिस (949 करोड़ रु.), पेयजल आपूर्ति विभाग (913 करोड़ रु.), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (811 करोड़ रु.), अप्रत्यक्ष कर (794 करोड़ रु.), परमाणु ऊर्जा (761 करोड़ रु.) तथा रक्षा आयुध कारखाने (515 करोड़ रु.) थे।

लघु/उप-शीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.11 लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि सिविल मंत्रालयों/विभागों के 15 अनुदानों/विनियोगों के 21 मामलों, डाक विभाग के 1 अनुदान के 4 मामलों तथा रक्षा मंत्रालय के 2 अनुदानों के 5 मामलों में, कुल 528.40 करोड़ रु. का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि जिन लघु/उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा अन्तरित की गई थी उनके अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। एक करोड़ रु. से अधिक के कुछ मामले **परिशिष्ट-VIII-ड** में दिए गए हैं। परिणामतः, लघु/उप-शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचतें इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी।

लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

8.12 पांच अनुदानों/विनियोगों के पांच लघु/उप-शीर्षों, जैसा कि **परिशिष्ट-VIII-च** में दर्शाया गया है, में कुल 207.59 करोड़ रु. के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन थे जहां प्रत्येक मामले के अन्तर्गत अन्तिम संवितरण पुनर्विनियोजन से पहले मूल प्रावधान की अपेक्षा अधिक था। इनमें से प्रत्येक में, इन शीर्षों से पुनर्विनियोजन के पश्चात अन्तिम प्रावधान से भी आधिक्य पुनर्विनियोजित राशियों की अपेक्षा अधिक था।

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

8.13 2002-03 से आगे सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा मूल प्रावधानों से अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति परिशिष्ट-VIII-छ में दी गई है। नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 36 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 40 अनुभागों में, जिनके ब्यौरे तालिका 8.5 में दिए गए हैं, जबकि 2008-09 के दौरान 1,876.46 करोड़ रु. के कुल अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किये थे, फिर भी अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम हुआ था। समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था जिसने त्रुटिपूर्ण बजटीकरण को प्रदर्शित किया।

तालिका 8.5: अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक बचतें थी

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	बचतें
सिविल					
राजस्व-दत्तमत					
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	10455.20	280.42	10039.00	696.62
2.	3- पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य-पालन विभाग	1357.97	24.69	1199.42	183.24
3.	5 - नाभकीय विद्युत योजनाएं	1486.40	152.21	1117.67	520.94
4.	6- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग	296.80	7.12	263.51	40.41
5.	9- कोयला मंत्रालय	345.50	2.58	241.69	106.39
6.	11- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	673.45	27.91	619.69	81.67
7.	14- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1616.50	100.02	1458.95	257.57
8.	17- निगम कार्य मंत्रालय	158.00	14.49*	135.92	36.57
9.	27- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1327.50	1.91	1290.29	39.13
10.	45- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय	254.60	2.10	192.11	64.59
11.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	17995.03	387.09	16867.28	1474.84
12.	47- आरुष विभाग	621.00	35.62	593.76	62.86
13.	52- मंत्रीमण्डल	302.69	41.78	295.86	48.61
14.	56- आवासीय एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	855.00	2.17	673.60	183.57
15.	57- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	40667.00	293.93	36054.05	4906.88
16.	64- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	1931.11	53.65	1848.40	136.36
17.	66- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	938.83	1.72	554.56	385.99
18.	67- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	593.89	3.58	420.97	176.50
* मंत्रालय ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने उनसे बिना कोई मांग के अनुपूरक अनुदान आबंटित की।					

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	बचतें
19.	68- भारतीय विदेशी कार्य मंत्रालय	55.00	1.40	44.00	12.40
20.	73- योजना मंत्रालय	626.00	10.83	82.82	554.01
21.	74- विद्युत मंत्रालय	6089.20	31.85	5868.19	252.86
22.	76- लोक सभा	323.49	24.89	296.05	52.33
23.	85- बायो-प्रौद्योगिकी विभाग	919.00	12.33	891.30	40.03
24.	86- जहाजरानी विभाग	1052.51	17.24	817.29	252.46
25.	88- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2320.00	16.02	2282.97	53.05
26.	93- पर्यटन मंत्रालय	486.00	5.71	460.95	30.76
27.	94- जनजातीय कार्य मंत्रालय	263.05	4.28	227.85	39.48
28.	100- शहरी विकास विभाग	935.76	12.10	877.30	70.56
29.	102- लेखन-सामग्री एवं मुद्रण	221.12	40.23	189.18	72.17
30.	103- जल संसाधन मंत्रालय	793.57	112.71	767.43	138.85
31.	104- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	7262.00	13.09	6764.21	510.88
पूँजीगत-दत्तमत्त					
32.	19- रक्षा मंत्रालय	1006.68	9.84	578.40	438.12
33.	27- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	143.50	60.00	142.70	60.80
34.	49- भारी उद्योग विभाग	592.24	56.52	491.13	157.63
35.	86- जहाजरानी विभाग	415.24	1.32	262.37	154.19
36.	89- अंतरिक्ष विभाग	1779.20	5.00	1068.49	715.71
37.	103- जल संसाधन मंत्रालय	109.76	1.61	62.73	48.64
पूँजीगत-प्रभारित					
38.	4- परमाणु ऊर्जा	1.00	1.00	0.16	1.84
39.	19- रक्षा मंत्रालय	-	1.66	-	1.66
40.	87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	7.00	3.84	6.09	4.75
योग			1876.46		

व्यय का अवास्तविक अनुमान

8.14 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने विवरण गई योजनाओं/क्रियाकलापों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़ी राशि की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना संसद को दी जिसका विवरण परिशिष्ट VIII-ज में दिया गया परन्तु अन्ततः वे न केवल समग्र अनुपूरक अनुदानों या उसके भाग, बल्कि कुछ मामलों में मूल बजट प्रावधान को व्यय करने में असमर्थ रहे।

अवास्तविक बजट पूर्वानुमान

8.15 प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र अनुबद्ध करते हैं कि अनुमानों की रूपरेखा तैयार करते समय, पूर्व निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के सूत्रीकरण/कार्यान्वयन के स्तर, योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वित अभिकरणों की संस्थागत क्षमता, व्यय करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यय पर नियंत्रण आदि पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर परिहार्य अभ्यर्पणों हेतु गुंजाइश को कम करना है। इसके अतिरिक्त, सामान्यतः परियोजनाओं/योजनाओं की बजट-पूर्व संवीक्षा को पूर्ण किए बिना बजट में कोई प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। तथापि, जहाँ आवश्यक संवीक्षा किए बिना प्रावधान किए गए हैं, संसद द्वारा बजट पारित करने तक वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ऐसी संवीक्षा पूर्ण कर लेनी चाहिए तथा समुचित अनुमोदन प्राप्त कर लेने चाहिए। शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों ने अत्यधिक प्रावधान किए थे जिसका परिणाम अन्ततः वर्ष के अन्त में भारी बचतों तथा अभ्यर्पणों में हुआ। **परिशिष्ट-VIII-अ** दस करोड़ रु. या अधिक की बचत के ऐसे 187 मामलों का विवरण प्रदान करता है जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनता है।

उप-शीर्ष के अंतर्गत 100 करोड़ रु. या अधिक की बचतें

8.16 विनियोग लेखों की विस्तृत संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के संबंध में एक उप-शीर्ष के अंतर्गत 100 करोड़ रु. या अधिक की बचतें थी जो कि खराब बजट बनाने या निष्पादन में कमी या दोनो के सूचक हैं। मंत्रालय/विभाग को न केवल अनुमानों तथा वास्तविकों के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने बल्कि दुर्लभ संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपने बजटीय कार्यों को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालयों/विभागों को बजटीय अनुमान की प्रणाली की और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा की जानी अपेक्षित है। **परिशिष्ट VIII-अ** एक उप-शीर्ष के अन्तर्गत 100 करोड़ रु. या अधिक की 36 ऐसी बचतों का ब्यौरा प्रदान करता है।

अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपण के कारण भारी अनुपूरक अनुदान

8.17 भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियां विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के संबंध में अनुगामी विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। व्ययों के अनुमान तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों से पिछले वर्षों के दौरान वितरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना तथा पूर्ण सावधानी बरतना अपेक्षित है ताकि वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले अनुमानों में सभी अनिवार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार विमर्श तथा बजट पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देती है। वर्ष 2008-09 के लिए विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभागों में से अधिकांश ने मूल प्रावधानों से बहुत अधिक

अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए थे। तालिका 8.6 में उल्लेखित अनुदानों के कुछ अनुभागों में अनुपूरक अनुदान मूल प्रावधानों के 41 प्रतिशत से 2,585 प्रतिशत तक थे। यह मंत्रालयों/विभागों द्वारा बजट अनुमानों के वास्तविक आधार पर तैयार नहीं करने तथा वास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों को सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पूर्व बैठकों को आयोजित करने तथा संवीक्षा की क्रियाविधि के अभिप्रेत प्रभाव के न होने को दर्शाता था:

तालिका 8.6: अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण भारी अनुपूरक अनुदानों के व्यौरों को दर्शाती विवरणी

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	वास्तविक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक प्रावधान से अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमन्त)				
1.	7-उर्वरक विभाग	34335.51	66521.62	194
2.	8- नागर विमानन मंत्रालय	476.06	217.13	46
3.	10- वाणिज्य विभाग	2823.74	1511.77	54
4.	15- उपभोक्ता कार्य विभाग	231.99	157.09	68
5.	32- वित्तीय संस्थानों को भुगतान	7263.64	43811.49	603
6.	38- व्यय विभाग	41.86	17.10	41
7.	43- अप्रत्यक्ष कर	1804.60	880.20	49
8.	49- भारी उद्योग विभाग	214.96	1678.06	781
9.	54- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	999.03	438.55	44
10.	72-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2938.00	75944.54	2585
11.	80- ग्रामीण विकास विभाग	51569.81	39360.61	76
12.	91- इस्पात मंत्रालय	104.02	403.08	387
13.	92- कपड़ा मंत्रालय	3064.53	2600.29	85
14.	105- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	977.29	551.10	56
पूंजीगत (दत्तमन्त)				
15.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	90.45	65.68	73
16.	13- दूरसंचार विभाग	200.75	507.92	253
17.	17- निगम कार्य विभाग	45.00	30.00	67
18.	27- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	143.50	60.00	42
19.	30- विदेश मंत्रालय	845.93	794.92	94
20.	31- आर्थिक कार्य विभाग	599.12	1377.21	230
21.	32- वित्तीय संस्थानों को भुगतान	2809.23	5653.13	201
22.	60- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	129.65	627.50	484
23.	91- इस्पात मंत्रालय	15.50	252.05	1626

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	वास्तविक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक प्रावधान से अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता
24.	92- कपड़ा मंत्रालय	258.98	107.44	41
25.	95- अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	750.83	388.95	52
26.	100- शहरी विकास विभाग	2019.38	2149.12	106

डाक सेवाएं (अनुदान सं.12)

8.18 अनुदान के पूंजीगत वर्ग के अन्तर्गत निरन्तर बचतें पाई गई थी। 2008-09 के दौरान 5201.104- यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण शीर्ष के अन्तर्गत 408.10 करोड़ रु के बजट आबंटन में से 181.80 करोड़ रु की राशि छोड़ते हुए, केवल 226.30 करोड़ रु खर्च किया गया था। 2004-09 की अवधि के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत निरन्तर बचतों का विवरण तालिका 8.7 में दिया गया है।

तालिका 8.7: पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अन्तर्गत निरन्तर बचतें

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अनुपूरक अनुदान सहित बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता
2004-05	178.75	126.29	52.46	29
2005-06	367.09	268.98	98.11	27
2006-07	385.98	284.73	101.25	26
2007-08	232.22	90.43	141.79	61
2008-09	426.61	244.30	182.31	43

8.19 राजस्व (दत्तमत) एवं पूंजीगत (दत्तमत) अनुभागों के अन्तर्गत बचतों हेतु विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण निम्नानुसार हैं:

तालिका 8.8: अनुदान में बचतें

(करोड़ रूपयों में)

अनुदान सं. 12	कुल अनुदान अथवा पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचतें	डाक विभाग द्वारा बताए गए सहायक कारण
राजस्व (दत्तमत)	10292.02	9755.98	536.04	<ul style="list-style-type: none"> • वेतनों, प्रशिक्षण गतिविधियों, पेंशन तथा उपदान के परिवर्तित मूल्य पर कम व्यय, • पी.एल.आई. के विकास अधिकारियों को प्रोत्साहन तथा डाक्टर निरीक्षण शुल्कों का कम भुगतान।
पूंजीगत (दत्तमत)	426.61	244.30	182.31	<ul style="list-style-type: none"> • डी.जी.एस.एवं डी. बिलों की अप्राप्ति/ गैर-समायोजन, • योजनाओं की देशी से स्वीकृति
योग	10718.63	10000.28	718.35	

रक्षा सेवाएँ

8.20 रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने पाँच अनुदानों के दत्तमत खण्ड अन्तर्गत 2006-09 के वर्षों के दौरान बचतों की एक निरन्तर प्रवृत्ति को प्रकट किया जिसका विवरण तालिका 8.9 में दिया गया है।

तालिका 8.9 : निरन्तर बचतें

(करोड़ रुपयों में)

अनुदान सं. उप-मुख्य/ लघु शीर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	मंत्रालय द्वारा बताए गए सहायक कारण
21- रक्षा सेवाएँ - थल सेना				
109- निरीक्षण संगठन	15.86	22.02	27.17	प्रूफिंग में कम आरक्षण के कारण, बकाया राशि का भुगतान न करना और संशोधित वेतनमानों में वेतन का निर्धारण न करना, कोड 'विदेश यात्रा' के अंतर्गत कम आरक्षण करना, प्रूफिंग में सकम आरक्षण करना, प्रशिक्षण अनुसूची को अंतिम रूप न देना।
800- अन्य व्यय	19.06	52.68	64.75	अनुमान लगाने वाले प्राधिकारियों की बड़ी संख्या के कारण, निधियों को आरक्षित करने में विलम्ब, टी.ए.जी., आई. एवं एम. अनुदान, एम.आई.एफ.डी., आर्मी एडवेन्चर विंग, भर्ती करने वाले संगठनों ए.सी.एस.एफ.पी. में कम व्यय।
22- रक्षा सेवाएँ - नौसेना				
104- सिविलियनों के वेतन एवं भत्ते	32.94	11.90	49.32	मंहगाई भत्ते की बढ़ी दर का भुगतान, रिक्त पदों को न भरना, कम छुट्टी यात्रा रियायत दावे, ए.सी.पी. के देयों का कम भुगतान करना, नए रंगरूटों की भर्ती करने में विलम्ब आदि।
110- भण्डार	15.45	48.01	167.77	मशीनरी/वाहन पुर्जे/हथियार के पुर्जे/विदेशी मशीनरी पुर्जों की आपूर्ति में विलम्ब तथा ओ.एफ.बी. द्वारा व्यय के आरक्षण न करने के परिणाम स्वरूप कम व्यय।
23- रक्षा सेवाएँ - वायु सेना				
800- अन्य व्यय	20.50	15.59	15.77	मितव्ययी उपायों को लागू करने के कारण, सिविल/मैट्रोलोजी विभागों द्वारा बिलों को प्रस्तुत न करना, दूतावासों/मिशनो/ कवायदों/ विदेश प्रशिक्षण आदि के लिए प्रदान की गई निधियों को आरक्षित न करना, सीमा-शुल्क दरों में कमी, अधिप्राप्तियों को कार्यान्वित न करना, कुछ संचार परियोजनाओं आदि को पूरा न करना।
24- रक्षा आयुध कारखाने				
110- भण्डार	18.43	82.02	69.96	विदेशी खरीद के प्रति एम.बी.टी. अर्जुन के लिए अपेक्षित पावर पेक के लिए भा.रि.बैं. से भुगतान वाउचरों की प्राप्ति में विलम्ब, रूसी आपूर्तिकर्ता से बिलों का प्राप्त न होना,

(करोड़ रूपयों में)

अनुदान सं. उप-मुख्य/ लघु शीर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	मंत्रालय द्वारा बताए गए सहायक कारण
				एच.वी.एफ. अर्थात् टी-90, टी-72, टी-90 एम.बी.टी. आदि के प्रति विदेश खरीद के अंतर्गत आपूर्तियों/आरक्षणों को कार्यान्वित न करना, आई.टी. मदों आदि की स्थानीय/केन्द्रीय खरीद।
800-अन्य व्यय	19.27	16.84	31.95	टी.ओ.टी. दस्तावेजों, मशीनों के लिए केन्द्रीय डिपो से डेबिट वाउचरों के प्राप्त न होने के कारण और बिजली/पानी/विविध खर्चों आदि में कमी।
26- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
02 – नौसेना				
104 – संयुक्त स्टाफ	19.41	18.64	15.48	कार्य का समय में पूरा न होना, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन एम.ओ.एफ. द्वारा परियोजना एच.एफ.डी.एफ. प्रणाली ईस्ट कोस्ट के अग्रिम भुगतान को स्वीकार न करना, मामलों को कार्यान्वित प्रगति करने में विलम्ब, विनिमय दर परिवर्तन, ए.डी.जी., एस.आई., है.क्वा. एस.एफ.सी., है.क्वा. ए.एन.सी., सी.डी. और डी.एस.एस.डी. द्वारा अधिग्रहण पूंजीगत परियोजनाओं का कार्यान्वित/प्रगति न करना।
05 – अनुसंधान एवं विकास संगठन				
052- मशीनरी एवं उपकरण	72.43	117.25	41.52	कार्यक्रमों/विशेष योजनाओं के प्रति कुछ वचनबद्धताओं को कार्यान्वित न करना, ए.टी.वी.पी. के प्रति एल.सी., प्रयोगशालाओं/स्थापना से लघु बचतों का संचयी प्रभाव और विशेष योजनाओं के प्रति विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कुछ भण्डार-सामग्री की सुपुर्दगी में विलम्ब।

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी बचतों की निरन्तर प्रवृत्तियाँ, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने तथा निरन्तर बचतों से बचने हेतु प्रभावी उपचारी उपायों को प्रारम्भ करने की विफलता का संकेतक हैं।

बचतों का अभ्यर्पण

8.21 अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के अनुसार बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यो हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। 2008-09 के दौरान, रक्षा सेवाओं के दो अनुदानों के प्रभारित खण्डों के अंतर्गत जहाँ 1.10 करोड़ रु. के अभ्यर्पण किए गए थे, 1.89 करोड़ रु. की बचतें थी। रक्षा सेवाओं के चार अनुदानों के दत्तमत्त खण्डों के अन्तर्गत जहाँ 7,133.71 करोड़ रु. के अभ्यर्पण किए गए थे, वहाँ 8,132.23 करोड़ रु. की बचतें थी। इसमें से, 742.61 करोड़ रु. को रक्षा सेवाएं-वायु सेना एवं रक्षा आयुध कारखाने (610.37 रु. + 132.24

करोड़ रु.) से संबंधित अनुदान के दत्तमत्त खण्डों के अंतर्गत आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित कर दिया गया था, जिसका परिणाम 7,389.62 करोड़ रु. की समग्र बचतों में हुआ। इसके अतिरिक्त, दत्तमत्त खण्ड में चार अनुदानों के अंतर्गत 7,133.71 करोड़ रु. तथा प्रभारित खण्ड में दो अनुदानों के अंतर्गत 1.10 करोड़ रु. वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे जो कि नियमों के प्रतिकूल था जैसा नीचे तालिका 8.10 में ब्यौरे संलग्न है:-

तालिका 8.10: बचतों एवं अभ्यर्पण का विवरण

(करोड़ रूपयों में)

अनुदान/विनियोग	बचतें		अंतिम दिन अभ्यर्पित की गई राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि	
	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त
2076- थल सेना	5.11	808.27	-	47.12	5.11	761.15
2077- नौ सेना	1.27	242.14	-	76.14	1.27	166.00
2078- वायु सेना	1.25	-	1.00	-	0.25	-
2080- प्राप्ति एवं प्रेक्षण	0.64	0.69	0.10	1.39	0.54	(-) 0.70
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9.45	7081.13	-	7009.06	9.45	72.07
योग	17.72	8132.23	1.10	7133.71	16.62	998.52

बजट विहित प्रावधानों के बाहर निरन्तर आधिक्य

8.22 रक्षा सेवाओं से संबंधित कुछ अनुदानों में पिछले तीन वर्षों तक वित्तीय बजटीय नियंत्रण विफलता की निरन्तर प्रवृत्ति पर एक विश्लेषक तालिका का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 8.11: निरन्तर बचतों का ब्यौरा

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	के दौरान अंतिम अधिक व्यय			मंत्रालय द्वारा बताए गए सहायक कारण
		2006-07	2007-08	2008-09	
1.	अनुदान सं. 23-रक्षा सेवाएं - वायु सेना 2078.00.101- वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	6.47	8.40	454.84	स्थानीय भत्तों पर अधिक व्यय, वर्ष के अंत में सी.जी.डी.ए. द्वारा आरक्षण करने की भारी मांग और छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कारण।
2.	अनुदान सं. 24-रक्षा आयुध कारखाने 2079.00.106- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	2.14	5.00	5.22	एम.ए. प्रोजेक्शन जिसे आयुध कारखानों की आर.आर. निधि के प्रति समायोजित किया गया था, पर अधिक व्यय और विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण।

मंत्रालय औचित्य देने में विफल रहा कि उपरोक्त अनुदानों में बजट प्रावधान के बिना पी.सी.डी.ए./सी.डी.ए. को अधिक व्यय कैसे प्राधिकृत किया गया था। कार्यवाही टिप्पणी में लोक लेखा समिति को दोहराये गए आश्वासनों तथा अनुदेशों को जारी करने के पश्चात भी, मंत्रालय उपरोक्त विस्तृत मामलों में बजट प्रावधानों के बाहर निरन्तर आधिक्य की प्रवृत्ति को रोकने में विफल रहा।

अध्याय - 9

चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान सं.5- नाभिकीय विद्युत योजनाएं (परमाणु ऊर्जा विभाग)

प्रस्तावना

9.1 परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) के कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्युत सृजन हेतु परमाणु ऊर्जा का प्रयोग, विकरण प्रौद्योगिकी तथा कृषि क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के अनुप्रयोग का विकास, औषधि, उद्योग तथा अनुसंधान है। प.ऊ.वि. में पांच अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, तीन औद्योगिक इकाईयां, तीन सेवा संगठन तथा पांच लोक क्षेत्र उपक्रम हैं। विभाग क्रमशः नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (ना.वि.अ.बो.) तथा राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (रा.उ.ग.बो.) के माध्यम से नाभिकीय तथा संबद्ध क्षेत्रों तथा गणित में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करता है। प.ऊ.वि. के क्रियाकलापों हेतु अनुदान सं.4-परमाणु ऊर्जा तथा अनुदान सं.5- नाभिकीय विद्युत शक्ति योजनाएं के अंतर्गत बजटीय सहायता द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बजट एवं व्यय

9.2 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान सं.5- नाभिकीय विद्युतशक्ति योजनाएं के संबंध में बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 9.1 बजट एवं व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक संवितरण		बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व
2006-07	1299.10	3816.44	1093.27	3103.05	205.83	713.39
2007-08	1427.16	2367.19	717.70	1126.18	709.46	1241.01
2008-09	1638.61	1706.90	1117.67	1705.86	520.94	1.04

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

9.3 वित्त मंत्रालय ने अपने अगस्त 1996 के कार्यालय ज्ञापन में 10वीं लोकसभा की लोक लेखा समिति ने इसकी 88वीं रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुपूरक अनुदान केवल आपातकालीन मामलों में ही प्राप्त किए गए थे,, निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त इसने यह भी निर्देशित किया कि अनुपूरक अनुदान वास्तविक अप्रत्याशित व्यय के लिए प्रतिबंधित तथा सीमित होने चाहिए जिन्हें वार्षिक बजट को तैयार करते समय या उन निर्णयों या विकासों की आवश्यकताओं को पूरा करने जो बजट को स्वीकृत करने के उपरान्त घटित हुई है परिकल्पित नहीं किया जा सकता था अर्थात् पश्च बजट निर्णय ना कि चालू योजनाओं तथा कार्यक्रमों हेतु।

वर्ष 2006-07 तथा 2008-09 हेतु विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि विभाग ने निम्न उपशीर्षों के अंतर्गत, अधिक संवितरणों की प्रत्याशा में अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जिसका संपूर्ण/बड़ा भाग वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त पड़ा रहा। इस प्रकार अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुई जैसा कि नीचे इंगित किया गया है:

तालिका 9.2-अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	वर्ष	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
1.	2006-07	6801.00.206.01- भारतीय नाभिकीय विद्युतशक्ति निगम को ऋण	1606.00	346.47	1523.25	429.22
2.	2008-09	2801.03.103.04- एम.ए.पी.एस. हेतु अतिरिक्त उन्नयन सुविधा हेतु प्रचालनात्मक व्यय	2.57	0.03	1.20	1.40

निरंतर बचतें

9.4 अनुमानों को तैयार करते समय, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार पूर्व निष्पादन, विभिन्न योजनाओं को तैयार करने/कार्यान्वयन करने के चरण, योजना के कार्यान्वयन, जैसा कि निर्धारित किया गया है के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों की संस्थागत क्षमता, व्ययकर्ता अभिकरणों द्वारा व्यय करने में बाध्यताओं का ध्यान में रखा जाना है। जिसका उद्देश्य, बाद के चरणों में परिहार्य अभ्यपनों के अवसरों को कम करना है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं/योजनाओं की पूर्व बजट जांच पूरी किए बिना बजट में सामान्यतः कोई प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए।

विनियोग लेखाओं की जांच ने प्रकट किया कि निम्न उप-शीर्षों के अंतर्गत, 2006-09 की अवधि के दौरान बड़े प्रावधान निरन्तर अप्रयुक्त पड़े रहे थे तथा अन्य शीर्षों के लिए पुनर्विनियोग किए गए जो उस उद्देश्य को विफल करते हैं जिनके लिए संसद द्वारा बजट प्रावधान स्वीकृत किए गए थे।

तालिका 9.3 निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	विभाग द्वारा दिए गए कारण
1.	2801.03.101.08- अन्य स्टेशनों हेतु पी.एच.डब्ल्यू. आर. इंधन	2007-08	1239.56	551.60	687.96	पी.एच.डब्ल्यू.आर. प्राकृतिक यूरेनियम इंधन की वास्तविक आपूर्ति में कमी तथा आपूर्तियों तथा सामग्रियों के प्रापण को अस्वीकार करने के कारण।
		2008-09	1308.88	649.02	659.86	पी.एच.डब्ल्यू.आर. प्राकृतिक यूरेनियम इंधन का कम आयात।

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	विभाग द्वारा दिए गए कारण
2.	4801.03.190.02- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि.	2006-07	481.85	195.00	286.85	कार्य संविदा तथा उपकरणों व सामग्रियों के प्रापण को अंतिम रूप देने में देरी।
		2007-08	926.00	390.00	536.00	कच्ची सामग्री प्राप्त करने तथा चार स्टीम जनरेटरों के निर्माण में विलम्ब तथा उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब।
3	6801.00.206.01- भारतीय नाभिकीय विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड को ऋण	2006-07	1952.47	1523.25	429.22	रूस से सामग्री की शिपमेंट में विलम्ब।
		2007-08	1021.97	373.29	648.68	मास्को से उपकरणों के शिपमेंट में विलम्ब।

बचतों का अभ्यर्पण

9.5 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(2) के प्रावधान के अनुसार अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधान को जैसे ही वे प्रत्याशित हों, वित्तीय वर्ष की समाप्ति का इन्तजार किए बिना सरकार को अभ्यर्पण करना होता है। अव्ययित प्रावधान को किसी भविष्य के सम्भाव्य आधिक्य के लिए सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच ने उजागर किया कि इसके विपरीत विभाग ने वित्तीय वर्ष 2006-09 के अन्त में अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण किया जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

तालिका 9.4: अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अप्रयुक्त प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2006-07	205.83	713.39	183.86	713.17	21.97	0.22	23.03 2007
2007-08	709.46	1241.01	566.80	1240.53	142.66	0.48	27.03 2008
2008-09	520.94	1.04	518.24	0.65	2.70	0.39	30.03.2009

यदि उक्त अव्ययित प्रावधान जैसे ही प्रत्याशित हुए थे तभी अभ्यर्पित कर दिए गए होते तो इनका उपयोग सरकार की अन्य योजनाओं/परियोजनाओं में लाभदायक रूप से किया जा सकता था।

निधियों का पुनर्विनियोग

9.6 लोक लेखा समिति (आठवीं लोकसभा) की 147वीं रिपोर्ट में सम्मिलित अभ्युक्तियों पर आधारित वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निधियों के पुनर्विनियोग की प्रत्यायोजित शक्तियों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि मूल उद्देश्यों जिनके लिए विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान किए गए थे उनमें पुनर्विनियोग की शक्ति का प्रयोग करते समय वास्तविक रूप से परिवर्तन नहीं हुआ था। 2006-09 के दौरान जारी पुनर्विनियोग आदेशों के अवलोकन से प्रकट हुआ कि विभाग ने विनियोग की विभिन्न प्राथमिक इकाईयों के बीच निधियों के भारी पुनर्विनियोग किए जिससे मूल प्रयोजन/कार्यकलाप जिसके लिए 13,14 तथा 13 उप-शीर्षों में मूल प्रावधान प्राप्त किए गए थे विफल हुआ जिसका ब्यौरा परिशिष्ट IX-क में किया गया है।

उपलब्ध प्रावधान की तुलना में अधिक व्यय

9.7 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 59 के परिशिष्ट-14 के संबंध में वेतन एवं लेखा कार्यालय को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है कि विनियोग के किसी उप शीर्ष या प्राथमिक इकाई के अंतर्गत आबंटित बजट से अधिक कोई भुगतान नहीं किया गया है। उस मामले में जहां मौजूदा बजट प्रावधान भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां वेतन एवं लेखा कार्यालय विभागाध्यक्ष को अनुदान नियंत्रित करता है, से लिखित में इस आश्वासन कि पुनर्विनियोग आदेश आदि के जारी करते समय में संवितरणों को समायोजित करने के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराया जाएगा, की प्राप्ति पर ही भुगतान कर सकता है।

2007-08 तथा 2008-09 के लिए विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निम्न मामलों में वे.एवं ले.का. ने अंतिम आधिक्य व्यय को समायोजित करने के किसी पुनर्विनियोग आदेश के बिना बजट प्रावधान से अधिक का भुगतान किया था। यह वे.एवं ले.का. के साथ-साथ विभागीय प्राधिकरणों जो अनुदान को नियंत्रित करते हैं के स्तर पर अप्रभावी व्यय नियंत्रण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 9.5 - उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	प्रावधान	उपलब्ध प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
2007-08	2801.03.101.07-टी.ए.पी.एस. हेतु बी.डब्ल्यू.आर. ईंधन	मू. 11.64 पु. (+) 0.66	12.30	13.63	1.33
2008-09	2801.03.101.07-टी.ए.पी.एस. हेतु बी.डब्ल्यू.आर. ईंधन	मू. 13.07 पु. (+)134.87	147.94	149.35	1.41

अनुदान सं. 7- उर्वरक विभाग (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)

प्रस्तावना

9.8 उर्वरक विभाग के मुख्य क्रियाकलापों में उर्वरक उद्योग की योजना, उन्नयन एवं विकास, उर्वरक के उत्पादन, आयात एवं वितरण की योजना एवं मॉनीटरिंग तथा स्वदेशी एवं आयातित उर्वरकों हेतु वित्तपोषण का प्रबंधन विस्तृत रूप से सम्मिलित है।

बजट एवं व्यय

9.9 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधान की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:-

तालिका 9.6: समग्र बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक संवितरण		बचतें	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2006-07	28753.18	117.22	28739.66	92.04	13.52	25.18
2007-08	43543.57	56.68	43537.53	56.63	6.04	0.05
2008-09	100857.13	46.04	99511.95	45.95	1345.18	0.09

बचतों का अभ्यर्पण

9.10 विनियोग लेखों की नमूना पाँच ने प्रकट किया कि सामान्य वित्तीय नियमावली के विपरीत विभाग ने वित्तीय वर्ष के अन्त में बचतों का अभ्यर्पण किया। 2006-09 के दौरान अभ्यर्पित राशियों के विवरण तालिका 9.7 में दिये गये हैं:

तालिका 9.7: बचतों का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2006-07	13.52	25.18	12.75	25.18	0.77	---	30/31.3.2007
2007-08	6.04	0.05	5.99	0.05	0.04	---	19.3.2008
2008-09	1345.18	0.09	1344.58	0.09	0.06	---	31.3.2009

अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपण के कारण वृहत अनुपूरक अनुदान

9.11 2006-09 की अवधि के लिए विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने इस अवधि के दौरान अपने वास्तविक बजटीय आँबटनों के काफी आधिक्य में अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए। अनुपूरक अनुदानों की बड़ी राशियों ने अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों को प्रस्तुत किया। ब्यौरे तालिका 9.8 में दिए गए हैं:

तालिका 9.8 : अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण वृहत अनुपूरक अनुदान
(करोड़ रूपयों में)

उप-शीर्ष	2006-07		2007-08		2008-09	
	मूल	अनुपूरक	मूल	अनुपूरक	मूल	अनुपूरक
2401.00.105.14-स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों के रियायती विक्रय हेतु भुगतान	4399.00	2550.00	5697.10	2136.70	6447.10	21300.00
2401.00.105.15-आयातित उर्वरकों के रियायती विक्रय हेतु भुगतान	1350.00	2300.00	2650.00	2450.00	4400.00	12323.69
2401.00.106 – उर्वरकों का आयात	1861.78	2200.00	4771.79	5163.30	10420.44	6443.00
2401.00.129.01-स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों के रियायती विक्रय हेतु बंधपत्रों के माध्यम से भुगतान	---	---	शून्य	2500.00	शून्य	8250.00
2401.00.129.02-आयातित उर्वरकों के रियायती विक्रय हेतु बंधपत्रों के माध्यम से भुगतान	---	---	शून्य	1500.00	शून्य	8750.00
2852.03.129.01-उर्वरक प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत बंधपत्रों के माध्यम से भुगतान	---	---	शून्य	3500.00	शून्य	3000.00

उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय

9.12 2007-08 के लिए विनियोग लेखों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि वे.ले.का. ने सामान्य वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में नियंत्रक अधिकारी ने लिखित आश्वासन प्राप्त किए अथवा पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त प्रावधान के आबंटन के बिना उप-शीर्ष '6855.00.190.14- बह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड' में बजट प्रावधान से अधिक 4.49 करोड़ रु. का अधिक भुगतान किया था जिसने बजटीय नियंत्रण में कमियों को प्रदर्शित किया।

निरन्तर बचतें

9.13 विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत जैसा कि ब्यौरा दिया गया है, 2006-09 की अवधि के दौरान वृहत प्रावधान निरन्तर बिना उपयोग के रहे तथा इन्हें अन्य शीर्षों हेतु इनको पुनर्विनियोजित किया गया था जिसने उस उद्देश्य जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, उसे विफल किया।

तालिका 9.9: निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
1.	2401.00.105.14-स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों के रियायती विक्रय हेतु भुगतान	2006-07	6949.00	6648.17	300.83	निर्धारित समय सीमा के भीतर यूरिया के आयात के भुगतान हेतु संवैधानिक देयताओं को पूरा करने हेतु पुनर्विनियोजन के कारण
		2008-09	27747.10	24707.10	3040.00	उपदान दावों की कम प्राप्ति के कारण
2.	2852.03.101.02-उर्वरक भाड़ा उपदान योजना के अंतर्गत भुगतान	2006-07	1050.00	740.00	310.00	निर्धारित समय सीमा के भीतर यूरिया के आयात के भुगतान हेतु संवैधानिक देयताओं को पूरा करने हेतु पुनर्विनियोजन के कारण
		2007-08	2000.00	1834.14	165.86	निर्धारित समय सीमा के भीतर यूरिया के आयात के भुगतान हेतु संवैधानिक देयताओं को पूरा करने हेतु पुनर्विनियोजन के कारण
		2008-09	2550.00	1350.00	1200.00	रियायती दरों में घटे हुए भाड़े के कारण उपदान का कम जारी निर्गम

पूर्ण प्रावधान का उपयोग न किया जाना

9.14 वर्ष 2006-09 के लिए विनियोग लेखों की संवीक्षा ने कई मामलों को प्रकट किया जहाँ उप-शीर्षों के अंतर्गत पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा बिना उपयोग किए रहा जैसा

तालिका 9.10 में ब्यौरा दिया गया है। यह इस तथ्य का सूचक था कि बजट अनुमान/अनुपूरक माँगे परियोजनाओं तथा योजनाओं की उपयुक्त पूर्वबजट संवीक्षा के पश्चात तैयार नहीं की गई थी। विभाग ने इन बचतों को योजनाओं की गैर-स्वीकृति को आरोपित किया।

तालिका 9.10: पूर्ण बजट प्रावधान बिना उपयोग किए रहे

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष.	कुल प्रावधान	बचत
2007-08			
1	2852.03.004.06- 4 विद्यमान एफ.ओ./एल.एस.एच..एस.संयन्त्रों का एन.जी./एल.एन.जी. में परिवर्तन हेतु पूंजीगत उपदान	5.00	5.00
2	6855.00.190.01- भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	1.01	1.01
3	6855.00.190.12- पाइराइट्स, फास्फेट और कैमिकल लिमिटेड	1.01	1.01
2008-09			
4	2852.03.004.06- 4 विद्यमान एफ.ओ./एल.एच.एस. संयंत्रों का एन.जी./एल.एन.जी.में परिवर्तन हेतु पूंजीगत उपदान	150.00	150.00

**अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)**

प्रस्तावना

9.15 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुख्य संक्रमणीय बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा औषधि के परम्परागत तथा देशी प्रणालियों को प्रोत्साहन के क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। विभाग केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत व्यय या तो प्रत्यक्ष रूप से करता है या स्वायत्त/संवैधानिक निकायों तथा गैर सरकारी संस्थानों को अनुदान सहायता के माध्यम से करता है।

बजट एवं व्यय

9.16 पिछले तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय तथा अव्ययित शेष की समग्र स्थिति नीचे दी गई:

तालिका 9.11 समग्र बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक संवितरण		बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2006-07	13874.62	505.54	11599.71	361.15	2274.91	144.39
2007-08	16551.17	776.84	15083.71	261.66	1467.46	515.18
2008-09	18342.12	931.70	16867.28	741.76	1474.84	189.94

निरन्तर बचतें

9.17 विनियोग लेखाओं की जांच ने प्रकट किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व अनुभाग के अंतर्गत निरन्तर बचतें थी। अनुदान के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधानों (परिशिष्ट-IX-ख) ने विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण बजटीकरण को दर्शाया। वृहत निरन्तर बचतों द्वारा प्रभावित योजनाओं पर नीचे विचार-विमर्श किया गया है:-

क) उच्च शिक्षण के संस्थान

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 (के.शि.सं. अधिनियम), 2007 के शैक्षिक सत्र से के.शि.सं. में अ.पि.व. के आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन करना चाहता है। आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु मार्ग चित्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के पांच पृथक वर्गों, जिनमें से एक चिकित्सा शिक्षा के लिए था, सहित एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया था। तथापि, चिकित्सा संस्थानों के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/प्रस्तावों को तैयार करने में विलम्ब के कारण, 2007-08 के दौरान 400.00 करोड़ रु. का समग्र बजट प्रावधान तथा 2008-09 में 40.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान का 80 प्रतिशत अप्रयुक्त पड़ा रहा।

ख) कैंसर अनुसंधान

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पांच योजनाएं अर्थात् (i) नए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों (क्षे.कैं.के.) की पहचान, (ii) मौजूदा क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों का सुदृढीकरण, (iii) ओन्कोलोजी स्कंध का विकास, (iv) जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम तथा (v) विकेन्द्रीकृत गै.स.सं. योजना थीं। विभाग नए क्षे.कैं.के. हेतु 5.00 करोड़ रु. की एक मुश्त अनुदान, मौजूदा केन्द्रों के सुदृढीकरण के लिए, 3.00 करोड़ रु. ओन्कोलोजी स्कंध के विकास के लिए 3.00 करोड़ रु. तथा जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए पांच वर्षों की अवधि में खर्च के लिए 90 लाख रु. का सहायता अनुदान प्रदान करता है। 2008-09 में, 350 टेली थेरेपी सुविधाओं वाले 27 क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र तथा 210 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल थे। 2006-07 से 2008-09 की अवधि के दौरान बजट प्रावधान के 37 से 61 प्रतिशत के बीच बचतें थे जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं के उद्देश्य अपूर्ण रहे।

ग) खाद्य एवं औषधियों के लिए क्षमता निर्माण परियोजना

विश्व बैंक सहायतार्थ क्षमता निर्माण योजना (क्ष.नि.यो.) के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न खाद्य एवं औषधी प्रयोगशालाओं को उपकरणों, भूमि के प्रापण, प्रयोगशाला भवन के निर्माण, मानवशक्ति तथा आरम्भिक प्रचालनों आदि के रूप में प्रयोगशालाओं के सृजन अथवा सुदृढीकरण हेतु सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान सिविल कार्यों के आरम्भ न करने तथा उपकरणों के क्रय न करने के कारण बजट प्रावधान के 84 तथा 93 प्रतिशत के बीच बचतें थी।

घ) प्र.बा.स्वा. औषधियों एवं उपकरणों की आपूर्ति

देश में नवजात शिशु एवं मातृ मृत्यु-दर तथा रूग्णता को कम करके परिवार कल्याण सेवाओं की अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा महिलाओं एवं बच्चों विशेष रूप से गरीब तथा कम लाभ प्राप्त करने वालों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए, भारत सरकार ने 1997-98 में प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य (प्र.बा.स्वा.) कार्यक्रम को आरम्भ किया। प्र.बा.स्वा. कार्यक्रम आंशिक रूप से विश्व बैंक, यूनीसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए. तथा यूरोपियन आयोग आदि द्वारा वित्तपोषित था। 2006-07 से 2008-09 के दौरान 646.00 करोड़ रु. का समग्र बजट प्रावधान अप्रयुक्त पड़ा रहा क्योंकि परियोजना सेवाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (प.से.सं.रा.का.) के साथ करारनामों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप, महिला तथा बाल स्वास्थ्य स्थिति सुधार योजना के उद्देश्य अधूरे रहे।

ङ) एकीकृत रोग निगरानी परियोजना

एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (ए.रो.नि.प.) को नवम्बर 2004 में सन्निकट प्रकोपों के चेतावनी सूचकों के समयपूर्व पता लगाने तथा समय रहते प्रभावी जवाबी कार्रवाई आरम्भ करने में मदद के लिए आरम्भ किया गया था। ए.रो.नि.प्र. के उद्देश्यों में संक्रमणीय रोगों के लिए विकेन्द्रीकृत राज्य आधारित निगरानी प्रणाली की स्थापना, चेतावनी सूचकों का समयपूर्व पता लगाना तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की मौजूदा निगरानी कार्यकलापों की कार्यकुशलता में सुधार शामिल है। 2006-07 से 2008-09 के दौरान, 86.00 करोड़ रु. का समग्र बजट प्रावधान, राज्य सरकारों के केन्द्रीय स्तर प्रापण के विकेन्द्रीकरण, प्रचालनात्मक समस्याओं के कारण प्रयोगशालाओं की संख्या में कमी तथा राज्य सरकारों से अनुदान हेतु मांगों की गैर-प्राप्ति के कारण अप्रयुक्त पड़ा रहा।

अनावश्यक तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

9.18 16 मामलों में निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि इन उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधान यथेष्ट से अधिक थे जैसा कि परिशिष्ट-IX-ग में सूचीबद्ध किया गया है। परिणामस्वरूप, उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें इन उपशीर्षों को पुनर्विनियोग की गई राशि से अधिक थी जो त्रुटिपूर्ण बजटीय नियंत्रण तथा वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाती है।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

9.19 सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रतिकूल, विभाग ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण किया। 2006-09 के दौरान अभ्यर्पित राशियों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 9.12 अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2006-07	2274.91	144.39	2052.18	59.12	31.03.07
2007-08	1467.46	515.18	1179.20	485.45	31.03.08
2008-09	1474.84	189.94	965.26	162.26	31.03.09

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

9.20 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 212(1) के अनुसार, आवर्ती अनुदानों के संबंध में प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित संस्था/संगठन द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह माह के भीतर प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित हैं। इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे तथा जहां अनुदान कतिपय शर्तों के साथ जारी किए गए थे, वहां निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई थी। जहाँ निर्धारित अवधि के अन्दर प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, मंत्रालय/विभाग को सरकार से किसी भावी अनुदान, आर्थिक सहायता अथवा अन्य वित्तीय सहायता हेतु ऐसे संस्थान अथवा संगठन को काली सूची में डालने की स्वतंत्रता होगी।

अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि 4,174 मामलों में 31 मार्च 2008 तक विभाग द्वारा जारी 9,789.14 करोड़ रू. राशि की सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र सितम्बर 2009 तक अनुदानग्राही संस्थानों से बकाया थे, जिनका विवरण परिशिष्ट-IX-घ में दिया गया है।

अनुदान सं. 53-पुलिस (गृह मंत्रालय)

प्रस्तावना

9.21 गृह मंत्रालय (गृ.मं.) बहुविधि कार्य करता है, उनमें से आंतरिक सुरक्षा, केन्द्र-राज्य संबंध, अर्धसैनिक बलों का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन आदि का अनुरक्षण करना महत्वपूर्ण है।

बजट एवं व्यय

9.22 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधान की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 9.13: समग्र बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान				वास्तविक संवितरण				बचतें			
	राजस्व		पूंजीगत		राजस्व		पूंजीगत		राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2006-07	14638.19	3.44	2039.40	17.35	14037.26	3.13	1846.68	16.00	600.93	0.31	192.72	1.35
2007-08	14914.45	3.59	4610.91	13.20	14629.38	2.78	2822.24	5.38	285.07	0.81	1788.67	7.82
2008-09	21659.71	3.93	5344.51	7.85	20775.73	2.82	3119.00	6.75	883.98	1.11	2225.51	1.10

अवास्तविक बजटीय पूर्वानुमान

9.23 विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत, 2006-09 की अवधि के दौरान प्रावधानों के समग्र/बड़े भाग बिना उपयोग के रहे तथा अन्य शीर्षों हेतु उनका पुनर्वियोग किया गया था, जिसने उद्देश्य, जिसके लिए संसद द्वारा बजटीय प्रावधान-पारित किए गए थे, को विफल किया। वह बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक को संघटित करने वाली दस करोड़ रूपये तथा अधिक की बचतों को परिशिष्ट -IX-ड में दिया गया है। वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 से संबंधित मामलों को पहले ही पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताया गया है।

समग्र निधियों की गैर-उपयोगिता

9.24 वर्ष 2006-09 के विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि उप-शीर्षों को अंतर्गत समग्र प्रावधान जैसा कि परिशिष्ट-IX-च में व्यौरा दिया गया है, मंत्रालय द्वारा अप्रयुक्त रहे। यह इस तथ्य का सूचक था कि बजट अनुमानों/अनुपूरक को परियोजनाओं तथा योजनाओं की पर्याप्त बजट पूर्व संवीक्षा के पश्चात तैयार नहीं किए गए थे। मंत्रालय ने इन बचतों को कुछ योजनाओं की गैर-स्वीकृति/गैर-कार्यान्वयन को आरोपित किया।

बचतों का अभ्यर्पण

9.25 सामान्य वित्तीय नियमावली के विपरीत, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण किया। 2006-09 के दौरान अभ्यर्पित राशियों का व्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 9.14: बचतों का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बचतें		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
2006-07	600.93	192.73	512.68	147.73	31.03.2007
2007-08	285.07	1788.67	123.42	1725.43	31.03.2008
2008-09	888.57	2243.72	794.07	2022.79	31.03.2009

निरन्तर बचतें

9.26 विनियोग लेखों लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत (परिशिष्ट-IX-छ) 2006-09 की अवधि के दौरान बड़े प्रावधान निरन्तर रूप से अप्रयुक्त रहे तथा अन्य शीर्षों हेतु उनका अभ्यर्पण/पुनर्विनियोग किया गया था, जिसने उद्देश्य, जिसके लिए संसद द्वारा प्रावधान पारित किए गए थे, को विफल किया। मंत्रालय ने निरन्तर अव्ययित प्रावधानों को कार्यों को धीमी प्रगति, सीमा क्षेत्रों के गैर-सीमांकन तथा स्थानीय विवादों आदि को आरोपित किया।

उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय

9.27 2006-09 की अवधि हेतु विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि वेतन एवं लेखा कार्यालय ने नियंत्रक अधिकारी से लिखित आश्वासन प्राप्त किए अथवा पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त प्रावधानों के बिना बजट प्रावधान या अंतिम पुनर्विनियोग के अधिक में भुगतान किया था। चूंकि मंत्रालय ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक अंतिम अधिक व्यय को पूरा करने हेतु पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किया था इसलिए इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय बजट प्रावधानों से अधिक में था। अधिक व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट-IX-ज में दिया गया है।

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

9.28 अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 234.49 करोड़ रु. को समाविष्ट करके 64 मामलों में मंत्रालय के तीन प्रभागों नामतः सीमा प्रबंधन (सी.प्र.), पुलिस आधुनिकीकरण (पु.आ.) तथा उत्तर पूर्वी (उ.पू.) द्वारा 2007-08 तक जारी अनुदानों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) सितम्बर 2009 तक बकाया थे। बकाया उ.प्र. का प्रभाग-वार ब्यौरा परिशिष्ट-IX-झ में दिया गया है।

संसद को सूचित नहीं किए गए पुनर्विनियोग

9.29 वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियमावली (वि.श.प्र.नि.) के नियम 10 के नीचे भारत सरकार के निर्णय (6) के अनुसार, वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोग आदेश जिसका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अथवा पांच करोड़ रु. जो भी अधिक हो, तक बजट प्रावधान को बढ़ाने पर प्रभाव पड़े, उसे अनूपूरक माँगों के अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। आपवादिक मामलों में, अनूपूरक माँगों के अंतिम बैच के प्रस्तुतीकरण के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी

किसी भी पुनर्विनियोजन आदेश की उपरोक्त सीमा बंद जाने पर सचिव/अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, का पूर्वानुमोदन अपेक्षित होता है।

विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने परिशिष्ट-IX-अ में मामलों के ब्यौरे में पुनर्विनियोग को सूचित नहीं किया था। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2006-07 हेतु दो मामलों को असावधानी तथा कार्य भार के कारण संसद को सूचित नहीं किया जा सका तथा शेष दो मामलों के संबंध में, संसद को उनका सूचित करना संभव नहीं था क्योंकि इन्होंने अनुदानों हेतु अनुपूरक मांगों के अंतिम बैच हेतु प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय को प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात प्रभाव प्रस्तुत किया था।

अनुदान सं.86- जहाजरानी विभाग (जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)

प्रस्तावना

9.30 जहाजरानी विभाग, पत्तन तथा जहाजरानी क्षेत्रों, जिनमें जहाज निर्माण एवं जहाज-मरम्मत, मुख्य पत्तन, राष्ट्रीय जलमार्ग एवं अंतर्देशीय जल परिवहन सम्मिलित होते हैं, को अपने दल में सम्मिलित करता है। विभाग को इन विषयों पर नीतियों एवं कार्यक्रमों के निरूपण तथा इनका कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। मुख्य कार्यों को विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न लोक क्षेत्रों उद्यमों (लो.क्षे.उ.) तथा पत्तन न्यासों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

बजट एवं व्यय

9.31 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधान की समग्र स्थिति तालिका 9.15 में दी गई है:-

तालिका 9.15 : समग्र बजट प्रावधान एवं वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान				वास्तविक संवितरण				बचतें			
	राजस्व		पूंजीगत		राजस्व		पूंजीगत		राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2006-07	1106.06	-	588.69	-	1011.87	-	443.11	-	94.19	-	145.58	-
2007-08	1111.52	92.78	589.51	-	900.60	92.78	399.77	-	210.92	-	189.74	-
2008-09	1069.75	-	416.56	-	817.29	-	262.37	-	252.46	-	154.19	-

बचतों का अभ्यर्पण

9.32 सामान्य वित्तीय नियमावली के विपरीत, विभाग ने प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण किया। 2006-09 के दौरान अभ्यर्पित राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 9.16: बचतों का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	
2006-07	94.19	145.58	90.19	137.44	4.00	8.14	31.3.2007
2007-08	210.92	189.74	209.84	185.88	1.08	3.86	31.3.2008
2008-09	252.46	154.19	218.66	149.07	33.80	5.12	31.3.2009

उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय

9.33 2006-08 की अवधि हेतु विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि वेतन एवं लेखा कार्यालय ने नियंत्रक अधिकारी से लिखित आश्वासन प्राप्त किए अथवा पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त प्रावधानों के बिना बजट प्रावधान या अंतिम पुनर्विनियोग के आधिक्य में भुगतान किया था। चूंकि विभाग ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक अंतिम अधिक व्यय को पूरा करने हेतु पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किया था, इसलिए इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय बजट प्रावधान से अधिक में था। ब्यौरे तालिका 9.17 में दिए गए हैं।

तालिका 9.17: उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	प्रावधान	उपलब्ध प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
2006-07					
1.	3051.02.001.01- पोर्ट ब्लेयर में सी.ई.संघ-प्रशासनिक कार्यालय तथा नई दिल्ली में ई.ई. एवं कार्यालय के संबंध में स्थापना प्रभार	मू. 16.25 पु. -1.52	14.73	14.92	0.19
2.	3051.03.101.05-सामान्य आरक्षित निधि	मू. 49.40	49.40	53.99	4.59
2007-08					
1.	3051.01.108.02- कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा हुगली नदी के ड्रेजिंग एवं अनुसंधान	मू. 40.00 पु. -5.74	34.26	40.00	5.74
2.	5051.02.200.01- अवतरण सुविधाओं तथा घाटों का निर्माण	मू. 61.36 पु. -38.62	22.74	30.46	7.72
3.	5051.02.200.05- पश्च सुनामी निर्माण कार्य	मू. 105.09 पु. -87.01	18.08	20.20	2.12
4.	5075.60.800.06- सेतुसमुद्रम जहाज नहर परियोजना	मू. 140.22 पु. -1.22	139.00	139.22	0.22

अवास्तविक बजटीय पूर्वानुमान

9.34 विनियोग लेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत, 2006-09 की अवधि के दौरान समग्र/बड़े प्रावधान बिना उपयोग के रहे तथा अन्य शीर्षों हेतु उनका अभ्यर्पण/पुनर्विनियोग किया गया था, जिसने उद्देश्य, जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, को विफल किया। बजट किए प्रावधानों के 40 प्रतिशत से अधिक की दस करोड़ रुपये तथा अधिक की बचतें **परिशिष्ट -IX-ट** में दर्शाई गई है।

निरन्तर बचतें

9.35 विनियोग लेखों की संवीक्षा ने उजागर किया कि निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत, 2006-09 की अवधि के दौरान बड़े प्रावधान निरन्तर अव्ययित रहे तथा उन्हें अन्य शीर्षों हेतु अभ्यर्पण/पुनर्विनियोग किया गया था, जिसने उद्देश्य, जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, को विफल किया।

तालिका 9.18: निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
1	2852.06.102.10- जहाज -निर्माण आर्थिक सहायता	2006-07	151.49	110.52	40.97	सा.क्षे.उ. से प्रस्तावों का प्राप्त न होना
		2007-08	173.18	162.23	10.95	-वही-
		2008-09	170.00	131.70	38.30	निर्माण स्तरों की प्राप्ति में विलम्ब
2.	2852.06.102.21- गैर-केन्द्रीय लो.क्षे.उ. के पोत कारखानों तथा निजी क्षेत्रों के पोत कारखानों को आर्थिक सहायता	2006-07	18.01	शून्य	18.01	सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्रस्तावों की गैर प्राप्ति के कारण
		2007-08	132.00	27.02	104.98	-वही-
		2008-09	60.00	शून्य	60.00	निजी पोत कारखानों के प्रस्तावों की अनुमति प्राप्त न होना

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

9.36 वर्ष 2008-09 हेतु विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने अधिक संवितरण के पूर्वानुमान में निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए, जिसका समग्र/बड़ा भाग वर्ष के अन्त तक बिना उपयोग के रहा। इस प्रकार, नीचे दर्शाई गई सीमा तक अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुए:

तालिका 9.19- अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	क्र. सं.	उप-शीर्ष	वास्तविक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान
2008-09	1.	3051.03.001.01- महानिदेशालय	14.69	5.47	14.61	5.55
	2.	3051.03.101.01- प्रबंधन	18.16	5.00	17.91	5.25
	3.	3052.02.001.01- महानिदेशालय जहाजरानी	18.73	1.76	13.85	6.64
	4.	3052.02.101.01- बेड़ा व्यापारी विभाग	10.16	2.00	9.96	2.20

मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

9.37 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, अन्धाधुन्ध व्यय, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन होगा तथा इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने सितम्बर 2007 में सभी मंत्रालयों/विभागों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान बजट अनुमानों के 33 प्रतिशत तक तथा मार्च के दौरान 15 प्रतिशत तक अपने व्यय को सीमित करने हेतु अनुदेश जारी किए।

तथापि, विभाग ने नियमों तथा वित्त मंत्रालयों के अनुदेशों का पालन नहीं किया और मार्च माह में तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान काफी महत्वपूर्ण व्यय किए जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:-

तालिका 9.20- मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

क्र.स	वर्ष	बजट अनुमान	मार्च में किया गया व्यय	मार्च में किए गए व्यय की प्रतिशतता	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किए गए व्यय की प्रतिशतता
1.	2006-07	1375.17	347.23	25	654.17	48
2.	2007-08	1793.81	440.82	25	588.09	33

चूंकि मार्च में विभिन्न संगठनों को जारी निधियाँ, जो कि उसी माह/तिमाही के अंतिम दिन समाप्त होती हैं, वर्ष के दौरान, रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकी इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि क्या यह निधियाँ उसी वर्ष के दौरान, उसी उद्देश्य में प्रयोग की गई थी जिसके लिए यह प्राधिकृत थीं।

संघ सरकार के लेखों पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों के पैराओं पर का.टि. के प्रस्तुत करने में विलम्ब

9.38 लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने 22 अप्रैल 1997 को संसद को प्रस्तुत अपनी नौवीं रिपोर्ट (ग्यारवहीं लोक सभा) में सिफारिश की कि मार्च 1996 से आगे के समाप्त

वर्षों हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित का.टि. के प्रस्तुतीकरण को संसद में प्रतिवेदनों के पटल पर रखे जाने के चार महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

नि.म.ले.प. की प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों पर लो.ले.स. को बकाया का.टि. की समीक्षा ने प्रकट किया कि निम्नलिखित लेखापरीक्षा पैराओं को या तो विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था या फिर अक्टूबर 2009 तक वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने थे:

तालिका 9.21: का.टि. को प्रस्तुत करने में विलम्ब

क्र. सं.	पैरा सं.	प्रतिवेदन सं.	पैरा का शीर्ष	संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	का.टि. की देय तिथि	वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत का.टि.
1.	7.12 एव 7.13	2003 की 1	अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण	22.04.2003	22.08.2003	16.10.2006
2.	6.10	2005 की 1	मार्च 2004 में किए संवितरण	06.05.2005	06.09.2005	21.9.06
3.	6.10	2006 की 1	मार्च 2004 में किए संवितरण	21.03.2006	21.07.2006	23.04.09
4.	7.13	2006 की 1	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	21.03.2006	21.07.2006	का.टि. को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है
5.	6.10	2007 की 13	मार्च 2006/अंतिम तिमाही में किए संवितरण	18.05.2007	18.09.2007	का.टि. को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है
6.	7.3	2007 की 13	उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय आधिक्य	18.05.2007	18.09.2007	का.टि. को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है
7.	7.13	2007 की 13	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	18.05.07	18.09.07	23.04.09

सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन: सारांश

यह अध्याय उन मूलभूत सूचकों, जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का निर्धारण करने, चिन्ताजनक क्षेत्रों को उजागर करने तथा सरकार की वित्त व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण करने में सहायता करते हैं, के संदर्भ में चालू वर्ष के दौरान प्रवृत्तियों पर केन्द्रित करते हुए 1992-2009 के दौरान सरकार के वित्त की संक्षिप्त स्थिति को दर्शाता है। संघ सरकार के राजकोषीय मापदण्डों को मौटे तौर पर चार मुख्य घटकों के समूह में बाँट दिया गया है और प्रत्येक घटक के लिए संकेतकों के समूहों की कल्पना की गई है जिससे समय के साथ राजकोषीय विकास का मूल्यांकन किया जाये। संसाधन संग्रहण, व्यय प्रबंधन, राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन और राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन चार मुख्य घटक हैं।

संसाधन संग्रहण

तालिका 10.1 चार संकेतक को दर्शाती है जिसमें संसाधनों की पर्याप्तता तथा इन संसाधनों की वृद्धि को शामिल किया गया है। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में राजस्व प्राप्ति वर्तमान सेवाओं के प्रावधान के लिए संसाधनों के वर्तमान प्रवाह की पर्याप्तता का संकेत देता है। राजस्व प्राप्तियों में कर तथा गैर-कर प्राप्तियों जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों की वसूली सम्मिलित है। संसाधनों की पर्याप्तता का दूसरा संकेतक, कर-स.घ.उ. अनुपात है, जो राजस्व प्राप्तियों का एक उप-समुच्चय है। यह अनुपात ऐसे संसाधनों तक सरकार की पहुँच का संकेत देता है जिनके लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा प्रावधान बाध्यता नहीं है। राजस्व और कर उत्प्लावकता संसाधनों को जुटाने के लिए किये गये प्रयासों की प्रगति के संकेत करते हैं। तालिका 10.1, VIIIवीं, IXवीं तथा Xवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ XIवीं योजना अवधियों (2007-12) की प्रथम दो वर्षों की अवधि के साथ-साथ 1992-2009 हेतु इन संकेतकों के मान में गति का सारांश को दर्शाती है।

तालिका 10.1: संसाधन संग्रहण के संकेतक

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्ति/स.घ.उ.	सकल कर प्राप्ति/स.घ.उ.	राजस्व उत्प्लावकता*	कर उत्प्लावकता*
1992-2009 (औसत)	15.15	10.08	1.007	1.129
VIIIवीं योजना (1992-97) (औसत)	15.18	9.27	0.932	0.961
IXवीं योजना (1997-02) (औसत)	14.67	8.64	0.831	0.871
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	14.85	10.05	1.121	1.530
XIवीं योजना (2007-12)				
2007-08	16.96	12.56	1.673	1.756
2008-2009	15.30	11.37	0.126	0.162

* राजस्व और कर उत्प्लावकता के गुणांक अनुपात में है।

जैसा कि तालिका 10.1 में निर्दिष्ट गया है, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां वर्तमान वर्ष में (2007-08 में जितनी थी उसकी अपेक्षा कम लेकिन 1992-2009 की अवधि हेतु औसत की अपेक्षा उच्च) 15.30 प्रतिशत थी। दूसरे संकेतक अर्थात् स.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में सकल कर प्राप्तियां, के मामले में 2008-09 में, अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में कम था लेकिन प्रवृत्ति औसत से उच्च थी। राजस्व उत्पादावक्ता तथा कर उत्पादावक्ता दोनों के मामले में 2008-09 में निष्पादन 1992-2009 की पूर्ण अवधि के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम था।

व्यय का प्रबंधन

व्यय प्रबंधन को निर्धारित करने के लिए, तालिका 10.2 में दर्शाए गए आठ संकेतकों की पहचान की व्यय वृद्धि एवं गुणवत्ता के चित्रण हेतु पहचान की गई थी। योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय और विकास व्यय, व्यय की गुणवत्ता के संकेतक हैं। स.घ.उ. की तुलना में व्यय के अनुपात के मापदण्ड और उत्पादावक्ता (राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में) स.घ.उ. के साथ व्यय के सम्बन्ध तथा इन मापदण्डों में परिवर्तन के लिए इसकी अनुक्रियाशीलता को दर्शाते हैं। निश्चित समय सीमा में इन मानदण्डों के मूल्य, तालिका 10.2 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 10.2: व्यय प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

अवधि	कु. व्य./ स.घ.उ.	रा. व्य./ स.घ.उ.	रा. व्य./ कु. व्य.	यो.व्य./ कु. व्य.	पूं. व्य./ कु. व्य.	वि. व्य.*/ कु. व्य.	नि. रा. के साथ कु. व्य. की उत्प्लावकता	नि.रा.प्रा. के साथ रा.व्य. की उत्प्लावकता
1992-2009	19.26	16.55	84.30	22.93	8.35	37.07	0.98	1.06
VIIIवीं योजना (1992-97)	21.18	17.05	80.50	21.86	8.87	38.60	0.78	0.95
IXवीं योजना (1997-02)	20.25	17.06	84.23	20.19	6.74	38.71	1.42	1.64
Xवीं योजना (2002-07)	17.85	15.58	87.27	24.17	8.19	41.16	0.74	0.84
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	18.28	15.56	85.10	23.75	13.54	47.00	0.79	0.49
2008-09	20.71	18.98	91.64	24.97	7.04	51.19	40.62	55.04

कु.व्य.= कुल व्यय, रा.व्य.= राजस्व व्यय, यो.व्य.= योजनागत व्यय, पूं.व्य.= पूंजीगत व्यय, नि.रा.प्र.= निवल राजस्व प्राप्तियां तथा वि.व्य. = विकास व्यय को प्रदर्शित करता है सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय है और यहां हर कुल व्यय में ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है।

तालिका 10.2 इंगित करती है कि व्यय प्रबंधन के अधिकतर संकेतकों (कु.व्य./स.घ.उ., रा.व्य./स.घ.उ., रा.व्य./कु.व्य. पूं.व्य./कु.व्य. तथा वि.व्य./कु.व्य.) के मामले में, 2008-09 में व्यय न केवल पिछले वर्ष में बल्कि पश्च उदारीकरण अवधि (1992-2009) के लिए प्रवृत्ति अनुपातों की तुलना में उच्च था। तथापि, कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय के मामले में यह नोट करना उपयुक्त होगा कि पिछले वर्ष से या प्रवृत्ति औसत से तुलना करने पर वर्तमान वर्ष में अनुपात में गिरावट आई है। यह भी पाया गया कि, चूंकि वर्तमान वर्ष ने चिन्ताजनक वित्तीय आघातों का सामना किया है इसलिए निवल राजस्व प्राप्तियों में काफी कम दर (0.68 प्रतिशत) पर वृद्धि हुई जबकि मंदी का सामना करने के कारण सरकारी व्यय काफी अधिक (27.65 प्रतिशत) बढ़ गया। परिणामतः कु.व्य./नि.रा.प्रा. की उत्पादावक्ता में 2008-09 में पिछले वर्ष या पश्य -

उदारीकरण अवधि की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि को दर्शाया। इसी प्रकार, वर्तमान वर्ष में रा.व्य/नि.रा.प्रा. की उत्प्लावकता पिछले वर्ष में 0.49 की तथा 1992-2009 की अवधि के लिए 1.06 की उत्प्लावकता की तुलना में भी अधिक (55.04) थी। तालिका प्रदर्शित करती है कि वर्षों से राजस्व व्यय तथा कुल व्यय का वित्तपोषण उधारों द्वारा किया गया है क्योंकि निवल राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि व्यय में वृद्धि से बहुत कम हुई है।

राजकोषीय असन्तुलों का प्रबंधन

राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन को दर्शाने हेतु तालिका 10.3 में दर्शाए गए पाँच संकेतकों की पहचान की गई थी। इसमें स.घ.उ. की तुलना में राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे को अनुपात, राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात और चालू राजस्व का बकाया (चा.रा.ब.) शामिल था। यद्यपि, घाटे निश्चित ही सरकार की प्राप्ति और व्यय के बारे में इसकी नीति के परिणाम हैं, ये राजकोषीय स्वास्थ्य का उपयोगी प्रतिनिधित्व करते हैं। 2003 का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम तथा उनके अधीन बनाई गई नियमावली, जैसे की अब वे हैं, (i) 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने और उसके पश्चात पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाने, तथा (ii) 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे को स.घ.उ. के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं नीचे आने के लिए सरकार को उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिदेश दिया गया है। तथापि संघ सरकार ने घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अधिनियम में दी गई वास्तविक तिथियों को संशोधित किया है। राजकोषीय घाटे से संबंधित लक्ष्यों को अधिनियम में अध्यादेश के अनुसार प्राप्त किया जाना निर्धारित किया गया था जबकि राजस्व घाटे से संबंधितों को 2009-10 तक इसकी समाप्ति हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया था। तथापि, सार्वभौमिक आर्थिक गिरावट के कारण मंदी प्रवृत्ति का आकस्मिक आरम्भ इन लक्ष्यों की प्राप्ति में फिसलन का कारण बना। इन मापदण्डों के निश्चित अवधि में मान, जो ऊपर उल्लिखित किया गया है, को तालिका 10.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.3: राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा/ स.घ.उ.	राजकोषीय घाटा/ स.घ.उ.	प्राथमिक घाटा/ स.घ.उ.	राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	चालू राजस्व से शेष (करोड़ रुपयों में)
1992-2009	3.66	5.32	1.08	68.74	-12432
VIIIवीं योजना (1992-97)	2.78	6.01	1.76	46.26	-2192
IXवीं योजना (1997-02)	3.94	6.23	1.49	63.26	-28622
Xवीं योजना (2002-07)	3.31	4.15	-0.08	79.74	-4764
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	1.81	3.49	-0.32	51.79	88137
2008-09	6.70	8.16	4.39	82.03	-121603

स.घ.उ. की तुलना में घाटे का अनुपात और राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात अनुपात संघीय वित्त की सुभेद्यता के सूचक हैं। वित्त व्यवस्था उस स्तर तक सुभेद्य हो जाती है जब राजकोषीय घाटा परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि पुनर्भुगतान क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती तथा उपगत

देयताओं के लिए परिसम्पत्ति का सम्बल नहीं होता। तालिका 10.3 इंगित करती है कि 2008-09 के दौरान घाटे के सभी तीन संकेतकों अर्थात् स.घ.उ. के प्रति राजस्व घाटा (6.70), राजकोषीय घाटा (8.16) तथा प्राथमिक घाटा (4.39) में सम्पूर्ण अवधि सहित पिछले वर्ष की तुलना में अर्थपूर्ण वृद्धि हुई थी। राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात भी 82 प्रतिशत तक बढ़ गया था जो पूंजीगत व्यय तथा कर्जे एवं पेशियों के पुनर्भुगतान की तुलना में राजस्व व्यय के बढ़ते हुए अंश को इंगित करता है। इसी प्रकार, वर्तमान राजस्व से शेष, जो कि वर्तमान राजस्व से योजनागत व्यय हेतु उपलब्ध निधिकरण का संकेतक है, 2004-05¹ से धनात्मक प्रवृत्ति के उपरान्त ऋणात्मक हो गया। यह इंगित करता है कि योजनागत व्यय को पूरा करने हेतु संसाधनों को उधारों, भविष्य में देयताओं का सृजन करने से किया गया था।

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

ऋण की वहनियता सरकार की वित्त व्यवस्था के मूल्यांकन का मुख्य मुद्दा है। स.घ.उ. की तुलना में ऋण का अनुपात जितना अधिक होगा, सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की संभावित लागत उतनी ही अधिक होगी। औसत ब्याज दर, ब्याज तथा स.घ.उ. वृद्धि में अन्तर (डोमर अन्तराल के रूप में संदर्भित) तथा राजकोषीय देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों (उधार ली गई निधियों का उपयोग) का अनुपात, ऋण प्रबंधन के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उधार की प्रतिशतता के रूप में ब्याज को सम्मिलित करते हुये ऋण विमोचन भी चालू उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुप्रयोग के स्वायत्तता की मात्रा दर्शाता है। यह अनुपात जितना बड़ा होगा, वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उधारों से उपलब्ध राशि उतनी ही कम होगी। राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के सात संकेतकों के मूल्यों को नीचे दी गई तालिका 10.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.4: राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के संकेतक

अवधि	राजकोषीय देयताएं/ स.घ.उ.	ऋण प्राप्ति की तुलना में ऋण विमोचन	कुल देयताओं पर औसत ब्याज दर	डोमर अंतराल	देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात	राजकोषीय देयताएं/ राजस्व प्राप्तियां	परिसम्पत्तियों की उपलब्धता
1992-2009	56.92	96.51	8.32	3.99	44.43	441	0.66
VIIIवीं योजना (1992-97)	60.39	93.10	7.91	8.63	57.68	423	0.83
IXवीं योजना (1997-02)	58.84	94.70	9.06	1.27	50.90	448	0.70
Xवीं योजना (2002-07)	57.14	98.68	8.09	5.84	40.26	472	0.53
XIवीं योजना (2007-12)							
2007-08	52.43	94.60	8.24	6.15	38.06	381	1.08
2008-09	53.37	96.44	8.10	4.57	35.93	434	0.56

स.घ.उ. के समानुपात के रूप में राजकोषीय देयताएं पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष उच्च थी किन्तु 1992-2009 की अवधि हेतु जितनी थी उससे कम थी। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम को अपनाए जाने के कारण पिछले वर्षों में किए गए संशोधन को अर्थव्यवस्था की अधोगामी प्रवृत्त होने के कारण वर्तमान वर्ष में बनाया नहीं रखा जा सका। तालिका

¹ 2004-05 में चालू राजस्व का बकाया 8,794 करोड़ रू.; 2005-06 में, यह 2,161 करोड़ रू. तथा 2006-07 में, यह 25,771 करोड़ रू. था।

10.4 इंगित करती है कि वर्तमान वर्ष में, ऋण प्राप्तियों का 96.44 प्रतिशत ऋणमोचन प्रयोजनों हेतु प्रयोग किया गया था। अन्य शब्दों में, संघ सरकार पहले के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए प्राथमिक रूप से उधार ले रही है। वर्तमान वर्ष में ब्याज दरों तथा स.घ.उ. (डोमर अंतराल) में वृद्धि में अन्तर जितना पिछले वर्ष में था उससे कम था। यह इंगित करता है कि उधार का मूल्य 2008-09 में कम था। तालिका यह भी इंगित करती है कि नए दायित्वों का सृजन, परिसम्पत्तियों की तुलना में अधिक तीव्र दर से हो रहा था।

नई दिल्ली
दिनांक 09-04-2010

अ.क. पटनायक

(ए.के. पटनायक)
महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 21-4-2010


विनोद राय

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

0102-10-88

परिशिष्ट

0102-10-88



परिशिष्ट सूची

क्र. सं.	परिशिष्ट सं.	परिशिष्ट का विषय	पृष्ठ सं.
1.	II-क	2008-09 में लघुशीर्ष '800 अन्य व्यय' के अन्तर्गत राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का ब्यौरा	143
2.	II-ख	विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम	144
3.	II-ग	2008-09 के दौरान बट्टे खाते में जाली/आस्थित हानियों तथा अवसूलनीय का विवरण	150
4.	II-घ	विदेश में खरीदों हेतु उचंचत लेखे की बकाया राशि (2000 से)	151
5.	II-ङ	ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	152
6.	II-च	नि. स. ले. एंव ले. ,श. वि. मं. ,वा. वि. एंव के.उ.सी.शु.बो. के चयनित प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए प्रतिकूल शेष	156
7.	VI-क	संघ सरकार की कुल देयता	158
8.	VI-ख	अप्रयुक्त बाह्य सहायता-क्षेत्र-वार	159
9.	VII-क	अनुमोदन तथा संवितरण	160
10.	VII-ख	अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान	162
11.	VII-ग	सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात	163
12.	VII-घ	मार्च माह 2009 तथा 2008-09 की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय	164
13.	VIII-क	निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण	166
14.	VIII-ख	विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक बचतों को दर्शाती विवरणी	171
15.	VIII-ग	विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक निरन्तर बचतों के विवरण	173
16.	VIII-घ	उन मामलों के उदाहरण जिनमें बचत से अधिक की राशियां अभ्यर्पित की गई थी	175
17.	VIII-ङ	मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे (केवल एक करोड़ रु से अधिक की राशि के पुनर्विनियोग के मामलों का उल्लेख किया गया है)	176
18.	VIII-च	मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे (केवल दो करोड़ रु से अधिक की राशि के पुनर्विनियोग के मामलों का उल्लेख किया गया)	179
19.	VIII-छ	मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति	180
20.	VIII-ज	उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी	181
21.	VIII-झ	अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (दस करोड़ रूपये और अधिक की बचत और बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनता है)	186
22.	VIII-ञ	उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों	202

क्र. सं.	परिशिष्ट सं.	परिशिष्ट का विषय	पृष्ठ सं.
		का विवरण (बजट प्रावधान की 100 करोड़ रुपये और अधिक की बचतें)	
23.	IX-क	निधियों का भारी पुनर्विनियोग	209
24.	IX-ख	निरन्तर बचतें	211
25.	IX-ग	अनावश्यक एवं अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	212
26.	IX-घ	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	214
27.	IX-ङ	अवास्तविक बजट अनुमान	215
28.	IX-च	समग्र निधियों का उपयोग न किया जाना	217
29.	IX-छ	निरन्तर बचत	218
30.	IX-ज	उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय	220
31.	IX-झ	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	221
32.	IX-ञ	पुनर्विनियोग जो संसद को सूचित नहीं किए गए	222
33.	IX-झ	अवास्तविक बजट अनुमान	223

परिशिष्ट II -क
(पैराग्राफ 2.3 के संदर्भ में)
2008-09 में लघुशीर्ष '800 अन्य व्यय' के अन्तर्गत राजस्व
तथा पूंजीगत व्यय का ब्यौरा

(करोड़ स्मर्यों में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष - 800 के अन्तर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	"कुल व्यय की तुलना में" अन्य व्यय की प्रतिशतता
1.	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	678.54	1022.69	66
2.	2216- आवास	8801.06	9321.86	94
3.	2225- अ.जा., अ.ज. तथा अ.पि.व. का कल्याण	336.47	534.47	63
4.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएं	22.64	25.84	88
5.	2407- वृक्षारोपण	219.25	426.67	51
6.	2416- कृषि वित्तीय संस्थान	6666.17	6695.42	100
7.	2435- अन्य कृषि कार्यक्रम	187.80	213.20	88
8.	2506- भूमि सुधार	2.67	4.89	55
9.	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	426.08	615.98	69
10.	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकसी	174.47	175.28	100
11.	2801- विद्युत	6089.16	7884.81	77
12.	2885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	1227.39	1371.81	89
13.	3053- नागरिक उद्ब्ययन	712.78	741.86	96
14.	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	275.05	459.68	60
15.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	354.64	357.64	99
16.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	703.07	1323.51	53
17.	4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4.00	4.18	96
18.	4405- मतस्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	5.14	8.58	60
19.	4407- वृक्षारोपण पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	15.00	100
20.	4701- सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	0.08	0.08	100
21.	4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.29	5.36	61
22.	4803- कोयला एवं लिग्नाईट पर पूंजीगत परिव्यय	6.89	6.89	100
23.	4853- नान-फ़ैरस खानीकरण एवं मेटेलुर्जिकल उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	39.18	48.18	81
24.	4859- दूरसंचार एवं इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	12.44	14.44	86
25.	5275- अन्य संचारी सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	561.25	568.95	99
26.	5403- समुद्रविज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	1.12	1.12	100
27.	5453- विदेश व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय	594.79	594.48	100
28.	5455- अन्तरिक्ष विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	140.71	156.60	90
29.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	222.09	246.81	90
	योग	28483.22	32846.28	

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजीगत	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजीगत पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजीगत की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
कृषि मंत्रालय										
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2008-09	3922.41	23409.21	2663.16	-2501.89	184.49	(-) 2317.4	उ.न.	उ.न.
2.	आइसक्रीम फ्रीजिंग संयंत्र, कोच्ची	2008-09	382.15	1656.28	73.42	(-)101.34	59.23	111.78	शून्य	
परमाणु ऊर्जा मंत्रालय										
3.	नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद	2007-08	52827.08	31787.84	21619.84	3711.14	4976.56	8687.70	16.89	प्रावधानिक
4.	भारी जल संयंत्र, मुम्बई	2004-05								प्रोफार्मा लेखे का प्रतिरूप अभी भी स्वीकृत किया जाना है
रक्षा मंत्रालय										
5.	कैन्टीन भण्डारण विभाग	2005-06	48.00	3273.54	2920.63	5941.26	8681.81	14623.07	17.87	
वित्त मंत्रालय										
6.	सरकारी ऐल्केलोइड कार्य, नीमच्च	2007-08	1649.78	1025.25	618.12	2927.25	-	2927.25	(-) 4927.20	(-) 59.41*

* औसत पूंजीगत

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजीगत	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजीगत पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजीगत की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
7.	सरकारी ऐल्केलॉइड कार्य, गाजीपुर	2008-09	646.50	336.09	312.54	15.28	189.03	204.31	9.08	
8.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2008-09	438.74	165.23	290.50	2996.53	547.40	3543.93	54.38	
9.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच	2007-08	653.69	442.57	211.75	(-)502.63	964.07	461.44	4.02	11477*
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय										
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसोली	2004-05	906.87	251.03	99.81	124.24	137.04	549.86	38.44	
11.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, कोलकाता	2007-08	1972.85	48.87	35.79	(-) 40.99	67.18	26.19	2.75	952.84*
12.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, हैदराबाद	2007-08	3061.93	83.83	5.74	(-)7.64		3620.53	118.24	
13.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, करनाल	2006-07	89.42	18.55	17.25	(-) 40.44	-	594.50	-	
14.	केन्द्रीय मनोरोग संस्थान का वनस्पति उद्यान	2008-09	0.31	0.27	-	0.25	0.14	0.63	62.26	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजीगत	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजीगत पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजीगत की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय										
15.	फिल्म प्राभाग	2001-02	3830.07	3821.30	2090.65	(-) 1718.34	455.54	-	-	
16.	एच.पी.टी. दूरदर्शन, आसनसोल	1999-00	291.83	291.83	1.20	(-) 101.59	-	(-) 101.59		
नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय										
17.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड	2008-09	52000	4502.66	1207.77	5621.18	*1125.00	1125.00	2.23	*लाभांश
ऊर्जा मंत्रालय										
18.	बदरपुर थर्मल स्टेशन, नई दिल्ली	2005-06	42673.00	10445.00	35625.00	3100.00	863.00	3963.00	9.29	बी.टी.पी.एस. का 30 जून 2006 से एन.टी.पी.सी. के साथ विलय कर दिया गया है
19.	विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2001-02	17926.41	15464.33	2015.55	(-)55167.01	1718.91	(-) 694.07	(-) 61.40	-
20.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2007-08	9922.68	7863.39	2059.29	(-) 3819.75	758.17	618.85	8	
जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय										
21.	प्रकाशस्तंभ एवं दीप-नौका महानिदेशालय	2007-08	16326	16326	2190	5277	242	5519	67.61	-

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(लाख स्मर्यों में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजीगत	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजीगत पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजीगत की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
22.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2005-06	9514.45	3776.96	1094.11	(-) 1337.35	400.41	(-) 936.94	(-) 10.06	
23.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2007-08	3223.03	1218.60	1646.22	(-) 38256.56	3541.10	(-) 34715.46	(-) 9.82	
24.	अण्डमान नौका सेवा	2002-03	26092.38	3373.67	5486.23	(-) 32.74	(-) 2553.32	(-) 2586.06	(-) 9.91	-
25.	गोवा पोत कारखाना लिमिटेड	2005-06	1487.00	8927.00	4381.00	2822.00	-	327.00	22.00	
26.	नौसैनिक विभाग (गोदी-बाड़ा) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2003-04	2884.55	205.10	61.60	(-) 4166.22	(-) 289.41	(-) 4455.63	(-) 154.47	
27.	जहाजरानी सेवाएं, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1991-92	2347.60	567.60	479.10	(-) 21798.70	1841.20	(-) 19957.50	(-) 850	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजीगत	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजीगत पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजीगत की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
शहरी विकास मंत्रालय										
28.	प्रकाशन विभाग	2000-01 एवं आगे	-	-	-	-	-	-	-	प्रोफार्मा लेखों की बजाए, प्रकाशन विभाग ने भण्डार लेखे तैयार किए जिनकी 1992-2000 तक लेखापरीक्षा की गई है। मंत्रालय ने नवम्बर 2001 में लेखांकन प्रणाली को लेखे के वाणिज्यिक प्रारूप में बदलने का निश्चय किया। विभाग ने अभी भी नहीं बदला है।
29.	भारत सरकार प्रैस, रिंग रोड नई दिल्ली	2008-09	388	उ.न.	18	0	19	उ.न.	उ.न.	0
30.	भारत सरकार प्रैस, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली	2007-08	58.24	-	2.72		2.84			
31.	भारत सरकार प्रैस, निलोखेरी	2008-09	134	1170	0	0	0	0	0	0
32.	भारत सरकार प्रैस, फरीदाबाद	2008-09	873	259	33	0	30	926	106	
33.	भारत सरकार प्रैस, शिमला	2008-09	29	12	1	0	0	1	3.9	
34.	भारत सरकार प्रैस, कोयम्बतूर	2008-09	0	0	130	0	0	0	0	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजीगत	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजीगत पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजीगत की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
35.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रैस, भुवनेश्वर	2008-09	249	39	1	0	0	281	112	
36.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रैस, मैसूर	2008-09	0	57	0	0	0	80	0	
37.	भारत सरकार प्रैस, कोलकाता	2007-08	79	18	5	-	3	4	0.05	
38.	भारत सरकार प्रैस, कोराट्टी	2007-08	222	131	11	-	40	1588	363	
39.	भारत सरकार प्रैस, नासिक	2007-08	868	534	280	-	43	1235	-	
40.	भारत सरकार प्रैस, अलीगढ़	2007-08	314	162	163	-	15	928	-	
41.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रैस, चण्डीगढ़	2007-08	6865	182	92	-	12	547	100	
42.	भारत सरकार प्रैस, गैंगटोक	2007-08	4	7	-	-	-	4	5	
43.	भारत सरकार प्रैस, सतरागाची	2006-07	52	0	6	0	2	24	5	

परिशिष्ट II-ग

(पैराग्राफ 2.11 के संदर्भ में)

2008-09 के दौरान बट्टे खाते में डाली/आस्थित हानियों तथा अवसूलनीय का विवरण

(लाख स्मयों में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	निम्न के कारण हानियों तथा अवसूलनीय देयों को बट्टे खाते में डालना									
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली का अधित्याग		सानुग्रह भुगतान	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
कृषि					7	1.03	3	0.25		
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन									972	77.57
परमाणु ऊर्जा					10	3.71				
के.प्र.क.बो.									1	5.00
के.उ.सी.शु.बो.							5	1.22	1	0.34
वाणिज्य					3	0.02				
रक्षा (बी.आर.ओ. एवं सी.एस.डी.)	14	66.58	14	4.28	89	287.71				
चुनाव आयोग					2	0.12				
आर्थिक मामले									2	9.70
सूचना एवं प्रसारण					1	0.04				
सूचना प्रौद्योगिकी					103	11.51				
खनन					1	0.05				
डाक एवं दूरसंचार	1	1.25	15	4.57	20	3.41	7	3.78	616	16.07
विद्युत					5	0.02	7	0.29	9	4.00
विज्ञान एवं दूरसंचार					4	0.03				
अंतरिक्ष					3	0.36				
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय					4	0.20	1	0.01		
शहरी विकास									5	9.18
जल संसाधन					3	0.64				
योग	15	67.83	29	8.85	255	308.85	23	5.55	1606	121.86

परिशिष्ट II- घ
(पैराग्राफ 2.14.1 के संदर्भ में)

विदेश में खरीदों हेतु उचंत लेखे की बकाया राशि (2000 से)

(हजार रुपयों में)

क्र. सं.	आयातक का नाम	ऋणों की सं.	राशि
1.	सड़क एवं भवन विभाग, गुजरात	1	1104
2.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	1	5198
3.	मैसूर सीमेन्ट लिमिटेड	1	4326
4.	रेल मंत्रालय	2	8399
5.	पाईराइट्स, फोस्फेट्स एवं रसायन लिमिटेड	2	249513
6.	रेल बोगी कारखाना, कपूरथला	1	1895
7.	रेलवे बोर्ड	2	15204
8.	रेल क्वायल स्ट्रिंग	1	7111
9.	आई.टी.आई. नैनी, इलाहाबाद	1	4695
10.	जल संसाधन मंत्रालय	3	9793
11.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
12.	दूरसंचार विभाग	6	14737
13.	उर्वरक एवं रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड	1	4603
14.	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड	1	198
15.	आवासीय शहरी विकास निगम	1	1158
16.	भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड	3	14257
17.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सहयोगी अस्पताल	1	9962
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	2	273788
19.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम	1	14444
20.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	1	2255
21.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4	288233
22.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय -तकनीकी	2	3583
23.	कोचीन पत्तन न्यास	1	3648
24.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम, दिल्ली	1	78009
25.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1	1200
26.	भारत कोयला लिमिटेड (प.बं.)	3	231832
27.	सी.एम.ए.एल.-डी.एल.	1	348
28.	झांजरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
29.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	2	59427
30.	आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1	47476
31.	भारतीय हेलीकॉप्टर निगम	1	672356
32.	कृषको वर्षा कृषि एवं पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	2	7093
33.	जिला गरीबी प्रारम्भिक परियोजना	1	14630
34.	भारत सरकार, विनिवेश आयोग	1	17805
योग			2643570

परिशिष्ट II- ड
(पैराग्राफ 2.14.2 के संदर्भ में)
ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(हजार स्मर्यों में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)	31.3.2009 को शेष	अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
	विवरणी सं. 13		
1	8229.00.200 अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट 535161	2007-08
2	8231.00.102 रेल सुरक्षा निधि (सामरिक)	डेबिट 1	2004-05
3	8336.00.101 प्रतिभूति जमा	डेबिट 4962	2007-08
4	8443.00.110 पुलिस निधि का जमा	डेबिट 3254	1996-97
5	8443.00.118 निजी निकायों के लिए किए गए कार्य हेतु सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों का जमा	डेबिट 7802	2001-02
6	8445.00.104 रेल जमा- ट्रस्ट ब्याज लेखा	डेबिट 198265	2005-06
7	8445.00.800 रेल जमा- अन्य जमा	डेबिट 1128793	2005-06
8	8446.00.800 डाक जमा- अन्य जमा	डेबिट 404127	2005-06
9	8448.00.102 स्थानीय निधियों का जमा- नगरपालिका निधियां	डेबिट 3	2007-08
10	8448.00.104 स्थानीय निधियों का जमा- भारतीय बीमा संघ की निधियां	डेबिट 291	1976-77 से पूर्व
11	8451.00.101 भोपाल गैस रिसाव विपदा सहायता निधि- दावे एवं राहत निधि	डेबिट 9290156	2005-06
12	8451.00.102 भोपाल गैस रिसाव विपदा सहायता निधि- दावे एवं राहत निधि निवेश लेखा	क्रेडिट 9206145	2005-06
13	8550.00.101 सिविल अग्रिम- वन अग्रिम	क्रेडिट 9156	1995-96
14	8550.00.103 अन्य विभागीय अग्रिम	क्रेडिट 17605	2008-09
15	8670.00.103 चैक एवं बिल- विभागीय प्रभार	डेबिट 10939461	2007-08
16	8670.00.110 इलेक्ट्रॉनिक सलाह	डेबिट 511740	2008-09

(हजार स्मयों में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.3.2009 को शेष		अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
17	8671.00.101	विभागीय शेष-सिविल	क्रेडिट	9400926	2008-09
18	8671.00.104	विभागीय शेष-रक्षा	क्रेडिट	132094	2004-05
विवरणी सं. 14					
19	6002-202	फेडरल आस्ट्रियन सरकार से ऋण	डेबिट	241284	1997-98
20	6002-204	कनाडा सरकार से ऋण	डेबिट	558326	1999-2000
21	6002-205	चैकोस्लावाक गणतंत्र सरकार से ऋण	डेबिट	13038	2004-05
22	6002-206	डेनमार्क सरकार से ऋण	डेबिट	147845	1999-2000
23	6002-207	यूरोपियन आर्थिक समुदाय से ऋण	डेबिट	478898	2000-01
24	6002-208	फ्रांस सरकार से ऋण	डेबिट	17414963	2000-01
25	6002-212	इटली सरकार से ऋण	डेबिट	113754	2000-01
26	6002-220	नीदरलैण्ड सरकार से ऋण	डेबिट	156219	1996-97
27	6002-224	विकास हेतु सउदी निधि से ऋण	डेबिट	211152	1994-95
28	6002-226	अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सं.रा.अ. से ऋण	डेबिट	27828246	1995-96
29	6002-227	पी.एल. -480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिटों के अंतर्गत सं.रा.अ. सरकार से ऋण	डेबिट	11961347	1995-96
8009	राज्य भविष्य निधि सिविल				
30	8009-02-106	अन्य विविध भविष्य निधियां	डेबिट	101	2006-07
8012	विशेष जमा एवं लेखे				
31	8012-104	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	डेबिट	15000000	2008-09
32	8013-01-101	सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना, 1989	डेबिट	605639	2007-08

(हजार स्मर्यों में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.3.2009 को शेष	अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
विवरणी सं. 15				
33	6202.01.203	विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	क्रेडिट 1568	2004-05
34	6215.02.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट 16843	2001-02
35	6216-80-190	लोक क्षेत्र एवं अन्य उद्यमों को ऋण	क्रेडिट 2	2008-09
36	6225.01.800	अन्य ऋण	क्रेडिट 829	1994-95
37	6245.01.101	निःशुल्क सहायता	क्रेडिट 830	1986-87
38	6245.02.101	निःशुल्क सहायता	क्रेडिट 2157	1997-98
39	6402.102	भू-संरक्षण	क्रेडिट 7242	1995-96
40	6402.203	भूमि उद्धार एवं विकास	क्रेडिट 592	2007-08
41	6404.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट 3844384	2004-05
42	6405.106	मत्स्य शिल्प का यंत्रीकरण	क्रेडिट 405	2006-07
43	6425.108	अन्य सहकारिताओं को ऋण	क्रेडिट 3831738	2003-04
44	6515.102	सामुदायिक विकास	क्रेडिट 44	1986-87
45	6515.103	ग्रामीण निर्माण कार्य योजनाएं	क्रेडिट 1	1986-87
46	6701.60.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट 4	1988-89
47	6801.201	हाइडल उत्सर्जन	क्रेडिट 3068415	2004-05
48	6801.205	ट्रांसमिशन एवं संवितरण	क्रेडिट 744319	2005-06
49	6851.102	लघु उद्योग	क्रेडिट 3120	2006-07
50	6857.01.190	लोक क्षेत्र एवं अन्य उद्यमों को ऋण	क्रेडिट 734920	2006-07
51	7052.02.101	एस.डी.एफ.सी. को ऋण	क्रेडिट 2941224	2002-03
52	7053.190	लोक क्षेत्र एवं अन्य उद्यमों	क्रेडिट 110787	2002-03

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(हजार रुपयों में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)	31.3.2009 को शेष	अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
	को ऋण	क्रेडिट	
53	7425.800 अन्य कर्जे	क्रेडिट 3074	2005-06
राज्य सरकारों को कर्जे एवं पेशगियां			
54	7601.07 कर्नाटक	क्रेडिट 4805	2006-07
55	7601.07 केरल	क्रेडिट 1213	2006-07
विदेशी सरकारों को पेशगी			
56	7605.052 तुर्कमानिस्तान सरकार को कर्जे	क्रेडिट 12335	2008-09
57	7605.053 क्रीर्गिस्तान सरकार को कर्जे	क्रेडिट 305	2007-08
58	7605.058 उजबेकिस्तान सरकार को कर्जे	क्रेडिट 123162	2007-08
59	7605.105 तजाकिस्तान सरकार को कर्जे	क्रेडिट 1	2004-05
सरकारी कर्मचारियों को कर्जे आदि			
60	7610.203 अन्य वाहनों की खरीद हेतु अग्रिम	क्रेडिट 45574	2004-05
विवरणी सं. 16			
61	8001-00-103 मियादी एवं सावधि जमा	डेबिट 48	2005-06
62	8002-00-101 डाकघर प्रमाण-पत्र	डेबिट 1303036	1999-2000
63	8002-00-103 खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट 6962	1976-77
64	8002-00-105 बैंक श्रंखला	डेबिट 189	2007-08

परिशिष्ट II- च
(पैराग्राफ 2.14.2 के संदर्भ में)

(i) चयनित प्र.ले.का. में प्रतिकूल शेषों की सूची

(हजार स्मर्यों में)

विभाग का नाम	क्र. सं.	लेखे का शीर्ष	राशि
नियंत्रक सहायता लेखे एवं लेखापरीक्षा	1	6002- बाह्य ऋण 202 - आरट्रीया	-241284
	2	6002- बाह्य ऋण 204- कनाडा	-558326
	3	6002- बाह्य ऋण 205- चैकोसोलावाकिया	-13038
	4	6002- बाह्य ऋण 206- डेनमार्क	-147845
	5	6002- बाह्य ऋण 207- ई.ई.सी.	-478898
	6	6002- बाह्य ऋण 208- फ्रांस	- 17415590
	7	6002- बाह्य ऋण 212- इटली	-113754
	8	6002- बाह्य ऋण 220- नीदरलैण्ड	- 156219
	9	6002- बाह्य ऋण 224- साउडी निधि	-211152
	10	6002- बाह्य ऋण 226- यू.एस.ए.आई.डी.	-27828246
	11	6002- बाह्य ऋण 227- सं.रा.अ. पी.एल. 480	-11961347
	कुल 6002- बाह्य ऋण (क्र. सं. 1 से 11)	- 59125699	
शहरी विकास मंत्रालय	12	8011-103 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना	122671 डेबिट
वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)	13	8443- सिविल जमा 103- प्रतिभूति जमा	15333606 डेबिट
	14	8443- सिविल जमा 8443-00-800 अन्य जमा	404040 डेबिट
	15	8670 चैक एवं बिल -103 विभागीय चैक	518048 डेबिट
	16	7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज 204- कम्प्यूटर की खरीद हेतु पेशगियां	279 क्रेडिट
	17	8011- बीमा एवं पेंशन निधि 103- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना	5396 डेबिट
के.उ.सी.शु.बो.	18	8342- अन्य जमा 117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान योजना	(-) 7900 क्रेडिट

	19	8443- सिविल जमा 106- व्यक्तिगत जमा	291511 डेबिट
	20	8670- चेक एवं बिल 103- विभागीय चेक	36224149 क्रेडिट

(ii) प्र.ले.का. में अवलोकित किए गए परंतु समेकित वित्त लेखे में प्रदर्शित न किए गए प्रतिकूल शेष

(हजार रुपयों में)

विभाग का नाम	क्र. सं.	लेखे का शीर्ष	राशि
वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग)	1	7610-00-204 कम्प्यूटर की खरीद हेतु अग्रिम	279 क्रेडिट
	2	8011-00-103 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना	5396 डेबिट
	3	8443-00-103 प्रतिभूति जमा	15333606 डेबिट
	4	8443-300-800 अन्य जमा	404040 डेबिट
शहरी विकास मंत्रालय	5	8011-00-103 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना	122671 डेबिट
के.उ.सी.शु.बो.	6	8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	(-) 7900 क्रेडिट
	7	8443-106 व्यक्तिगत जमा	291511 डेबिट

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

परिशिष्ट -VI -क
(पैराग्राफ 6.1 के संदर्भ में)
संघ सरकार की कुल देयता

वर्ष	आंतरिक ऋण	बाह्य ऋण		लोक लेखा*		(करोड़ रुपयों में) कुल देयता	
		ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि एवं जमा	ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर
1992-93	199100	42269	120813	136802	23752	401923	480467
1993-94	245712	47345	127798	160355	24556	477968	558421
1994-95	266467	50928	142389	192222	28993	538610	630071
1995-96	307869	51249	148583	213435	33680	606233	703567
1996-97	344475	54239	149077	239042	37919	675675	770513
1997-98	388998	55332	161442	291867	42097	778294	884404
1998-99	459696	57254	177934	333261	41595	891806	1012486
1999-00	714254	58437	186075	172212	47508	992411	1120049
2000-01	803698	65945	190017	186592	58535	1114770	1238842
2001-02	913061	71546	199897	213449	73133	1271189	1399540
2002-03	1020689	59612	196068	251293	80126	1411720	1548176
2003-04	1141706	46125	184203	241349	92376	1521556	1659634
2004-05	1275971	60877	191271	263048	92989	1692885	1823279
2005-06	1389758	94243	194199	275380	109462	1868843	1968799
2006-07	1544975	102716	201233	307546	131295	2086532	2185049
2007-08	1799651	112031	210104	339815	126787	2378284	2476357
2008-09	2019841	123046	264059	427553#	128682	2699122	2840135

* 1999-2000 से लोक लेखा देयताएँ विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किए की सीमा तक लघु बचतों के कारण देयताओं का सम्मिलित को सम्मिलित नहीं करती।

31.3.2009 को, लोक लेखा देयताएँ 10,16,291 करोड़ रु. पर थी जिसमें 2007-08 से विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किए 4,58,556 करोड़ रु. तथा आई.आई.एफ.सी.एल. में निवेश किए 1,500 करोड़ रु. सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट -VI -ख
(पैराग्राफ 6.7 के संदर्भ में)
अप्रयुक्त बाह्य सहायता-क्षेत्र-वार

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान दर पर अप्रयुक्त बाह्य सहायता
1.	ऊर्जा	5759.46
2.	सड़के	14330.56
3.	सामाजिक	2737.93
4.	शहरी विकास	19752.12
5.	जल संसाधन प्रबंधन	9044.06
6.	परमाणु ऊर्जा	5384.62
7.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	8970.61
8.	पर्यावरण एवं वन	4037.49
9.	अवसंरचना क्षेत्र (सामान्य)	6380.37
10.	अन्य	3984.13
11.	अवसंरचना क्षेत्र (रेलवे)	918.87
12.	संरचना समायोजन/तीव्र संवितरण	1056.72
14.	स्वास्थ्य	6669.19
15.	उद्योग एवं वित्त	39.49
16.	उर्वरक क्षेत्र	129.19
17.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	6291.00
	योग	95485.81

परिशिष्ट-VII- क
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)
अनुमोदन तथा संवितरण

(करोड़ रुपयों में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	437377.43	285013.11	722390.54	700240.47	22150.07
II. पूंजीगत	38328.59	10157.82	48486.41	36597.95	11888.46
III. कर्जे एवं पेशगियां	5019.20	4419.48	9438.68	7278.05	2160.63
योग	480725.22	299590.41	780315.63	744116.47	36199.16
प्रभारित					
IV. राजस्व	243991.28	112.84	244104.12	230282.24	13821.88
V. पूंजीगत	37.75	7.30	45.05	30.28	14.77
VI. लोक ऋण	1745574.44	442593.27	2188167.71	2164560.52	23607.19
VII. कर्जे एवं पेशगियां	5073.30	3161.50	8234.80	10083.96	1849.16 *
योग	1994676.77	445874.91	2440551.68	2404957.00	35594.68
कुल योग	2475401.99	745465.32	3220867.31	3149073.47	71793.84
संवितरण की कटौती में वसूलियां			106736.15	100742.57	
कुल निवल प्रावधान			3114131.16		
कुल निवल संवितरण				3048330.90	
ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	7562.16	2729.86	10292.02	9755.98	536.04
II. पूंजीगत	426.61	-	426.61	244.30	182.31
योग	7988.77	2729.86	10718.63	10000.28	718.35
प्रभारित					
III. राजस्व	0.24	0.13	0.37	0.25	0.12
IV. पूंजीगत	-	0.59	0.59	0.55	0.04
योग	0.24	0.72	0.96	0.80	0.16
कुल योग	7989.01	2730.58	10719.59	10001.08	718.51
संवितरण की कटौती में वसूलियां			267.35	300.82	
कुल निवल प्रावधान			10452.24		
कुल निवल संवितरण				9700.26	

*आधिक्य

(करोड़ रूपयों में)					
संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
ग- रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I. राजस्व	60972.21	16410.33	77382.54	77074.06	308.48
II. पूंजीगत	47976.10	-	47976.10	40894.97	7081.13
योग	108948.31	16410.33	125358.64	117969.03	7389.61
प्रभारित					
III. राजस्व	21.53	0.91	22.44	13.49	8.95
IV. पूंजीगत	30.90	2.06	32.96	23.51	9.45
योग	52.43	2.97	55.40	37.00	18.40
कुल योग	109000.74	16413.30	125414.04	118006.03	7408.01
संवितरण की कटौती में वसूलियां			331.00	315.54	
कुल निवल प्रावधान			125083.04		
कुल निवल संवितरण				117690.49	
घ-रेलवे					
दत्तमत					
	147569.63	12944.52	160514.15	149227.36	11286.79
प्रभारित					
	98.22	89.17	187.39	155.72	31.67
योग	147667.85	13033.69	160701.54	149383.08	11318.46
संवितरण की कटौती में वसूलियां			60767.64	58178.74	
कुल निवल प्रावधान			99933.90		
कुल निवल संवितरण				91204.34	
योग	दत्तमत 745231.93	331675.12	1076907.05	1021313.14	55593.91
भा.स.नि.	प्रभारित 1994827.66	445967.77	2440795.43	2405150.52	35644.91
भा.स.नि.	कुल योग 2740059.59	777642.89	3517702.48	3426463.66	91238.82
संवितरण की कटौती में कुल वसूलियां				159537.67	
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता				0.02	
वित्त लेखे के अनुसार भा.स.नि.कुल संवितरण				3266926.01	

* आधिक्य

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण में, यह अनुदान कहलाता है।

भा.स.नि.: भारत की समेकित निधि

परिशिष्ट-VII-ख
(पैराग्राफ 7.6 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत	22420.28	11008.13	270.21	-	22150.07	11008.13
अनुदानों की संख्या	88	71	4	-		
प्रभारित विनियोगों की संख्या	13821.88	24813.75	-	-	13821.88	24813.75
	38	11				
ख - डाक						
दत्तमत	536.04	182.31	-	-	536.04	182.31
अनुदानों की संख्या	1	1	-	-		
प्रभारित विनियोगों की संख्या	0.12	0.04	-	-	0.12	0.04
	1	1	-	-		
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत	1051.09	7081.13	742.61	-	308.48	7081.13
अनुदानों की संख्या	3	1	2	-		
प्रभारित विनियोगों की संख्या	8.95	9.45	-	-	8.95	9.45
	5	1	-	-		
घ-रेलवे						
दत्तमत	8782.81	3006.68	502.70	-	8280.11	3006.68
अनुदानों की संख्या	9	1	6	-		
प्रभारित विनियोगों की संख्या	48.39	0.39	0.02	17.09	48.37	*(+16.70)
	9	1	2	1		

* आधिक्य

परिशिष्ट-VII- ग
(पैराग्राफ 7.7 के संदर्भ में)
सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	अनुमोदन			संवितरण			प्रतिशतता	
		दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित
1.	1997-98	145613	486038	631651	132239	452232	584471	23	77
2.	1998-99	139083	504105	643188	139488	468679	608167	23	77
3.	1999-2000	157780	512075	669855	148642	453196	601838	25	75
4.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
5.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
6.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
7.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
8.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
9.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
10.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
11.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
12.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76

परिशिष्ट-VII-घ
(पैराग्राफ 7.10 के संदर्भ में)
मार्च माह 2009 तथा 2008-09 की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय

क्र. सं.	अनुदान के विवरण	बजट अनुमान	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	(करोड़ रुपयों में)	
					अंतिम तिमाही में किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
सिविल						
1.	8- नागरिक उड्डयन मंत्रालय	648.04	254.62	39	265.12	41
2.	9- कोयला मंत्रालय	375.50	146.61	39	168.50	45
3.	10- वाणिज्य विभाग	3535.24	798.35	23	2140.64	61
4.	11- औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग	723.90	128.13	18	-	-
5.	13- दूरसंचार विभाग	6140.00	-	-	2550.23	42
6.	15- उपभोक्ता मामले विभाग	264.03	244.29	93	255.92	97
7.	18- संस्कृति मंत्रालय	1025.00	219.30	21	351.48	34
8.	27- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	1471.00	576.18	39	779.99	53
9.	30- विदेश मंत्रालय	5061.97	2078.98	41	3331.38	66
10.	31- आर्थिक कार्य विभाग	4723.96	2002.94	42	2042.89	43
11.	39- पेंशन	7966.14	1626.81	20	3791.17	48
12.	47- आयुष विभाग	623.00	153.71	25	192.65	31
13.	48- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	531.75	168.33	32	168.36	32
14.	49- भारी उद्योग विभाग	807.20	1911.70	237	2004.17	248
15.	51- गृह मंत्रालय	959.50	-	-	345.72	36
16.	52- मंत्रीमंडल	382.69	115.34	30	156.86	41
17.	54- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1025.23	462.36	45	759.24	74
18.	55- सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण	1840.39	565.83	31	924.41	50
19.	57- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	41428.54	14691.07	35	18395.93	45
20.	58- उच्चतर शिक्षा विभाग	10852.87	2108.96	19	3693.49	34
21.	59- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	1910.07	376.04	20	1251.81	66
22.	60 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2498.01	599.08	24	912.98	37

(करोड़ स्मर्यों में)

क्र. सं.	अनुदान के विवरण	बजट अनुमान	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	अंतिम तिमाही में किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
23.	69- पंचायती राज मंत्रालय	4780.50	1580.37	33	1946.19	41
24.	72- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2938.00	10857.03	370	33032.15	1124
25.	80- ग्रामीण विकास विभाग	51570.31	-	-	24246.66	47
26.	82- पेयजल आपूर्ति विभाग	8501.90	1947.78	23	-	-
27.	91- इस्पात मंत्रालय	119.52	682.45	571	690.04	577
28.	92- कपड़ा मंत्रालय	3323.51	1687.95	51	3499.96	105
29.	100- शहरी विकास विभाग	3006.69	979.54	33	2164.04	72
30.	105- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	1111.81	421.07	38	620.06	56
रक्षा सेवाएं						
31.	26-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	48007.00	20455.75	43	29591.26	62

परिशिष्ट-VIII-क
(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(दो करोड़ रुपये और उससे अधिक)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	(करोड़ रुपयों में)	
				अंतिम	आधिक्य व्यय
सिविल					
13- दूरसंचार विभाग					
1.	2071.01.101.01- साधारण पेंशन	मू. पु.	815.00 259.00	1126.95	52.95
2.	2071.01.105.02- परिवार पेंशन	मू. पु.	154.80 34.00	196.40	7.60
18- संस्कृति मंत्रालय					
3.	2205.00.105.01-राष्ट्रीय पुस्तकालय- कोलकाता	मू. अ. पु.	23.00 3.65 (-) 4.21	25.15	2.71
4.	4202.04.106.01- भवन	मू. पु.	25.00 (-) 16.14	12.84	3.98
30- विदेश मंत्रालय					
5.	2061.00.101.01- प्रबंधन एवं स्थापना	मू. अ. पु.	1045.00 147.70 (-) 30.39	1171.19	8.88
6.	2061.00.103.01- विवेकाधीन व्यय	मू. अ. पु.	545.38 69.75 (-) 80.00	537.68	2.55
7.	2061.00.798.03- संयुक्त राष्ट्र संगठन	मू. अ. पु.	103.57 870.84 52.59	1041.36	14.36
8.	2061.00.800.07- विशेष प्रतिनिधिमण्डल	मू. पु.	5.80 5.80	16.72	5.12
9.	2061.00.800.08- हज पर व्यय	मू. पु.	6.00 1.50	13.89	6.39
10.	3605.00.101.11- नेपाल को सहायता	मू. पु.	140.00 (-) 12.00	136.37	8.37
11.	3605.00.101.16- आपदा राहत हेतु सहायता	मू. पु.	58.67 11.33	76.95	6.95
12.	3605.00.101.17- आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम	मू.	65.00	70.87	5.87
13.	3605.00.101.20- अफ्रीकी देशों को सहायता	मू. पु.	80.00 15.00	104.71	9.71
14.	4059.60.051.17- विदेश मामले	मू.	200.00	211.20	11.20
15.	4216.01.700.18- विदेश मामले	मू.	100.00	131.52	31.52
34- विनियोग - ब्याज भुगतान					
16.	2049.01.101-बाजार कर्जों पर ब्याज	मू. पु.	103136.53 6548.87	110393.17	707.77

(करोड़ रुपयों में)					
क्र. सं.	उप-शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
17.	2049.01.103.01- खजाना बिलों पर छूट - 91 दिवसीय खजाना बिल	मू. पु.	2639.00 1469.00	4145.25	37.25
18.	2049.01.108-182 दिवसीय खजाना बिल	मू. पु.	762.00 483.00	1265.31	20.31
19.	2049.01.110- 364 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज	मू. पु.	2458.00 415.00	2899.60	26.60
20.	2049.01.116-14 दिवसीय खजाना बिल	मू. पु.	1945.00 749.00	2700.24	6.24
21.	2049.01.200.03- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	मू. पु.	7890.90 (-) 158.94	7864.19	132.23
22.	2049.02.216- आई.बी.आर.डी. से कर्ज पर ब्याज	मू. पु.	1309.97 -357.65	962.07	9.75
23.	2049.03.104.02- अन्य राज्य भविष्य निधियां	मू. पु.	1455.00 (-) 204.42	1411.48	160.90
24.	2049.03.104.04- राज्य रेलवे भविष्य निधियां	मू. पु.	1035.96 91.32	1160.75	33.47
25.	2049.03.109.12- ई.पी.एफ. /ई.डी.एल.आई. की विशेष जमा	मू. पु.	389.11 20.73	413.77	3.93
26.	2049.03.110.01- भारतीय पदों के असंवितरित वेतन हेतु बोनस	मू. पु.	92.68 (-) 9.19	117.39	33.90
27.	2049.05.105.01- रेलवे पेंशन निधि	मू. पु.	155.07 (-) 76.84	121.49	43.26
37- ऋण का पुनर्भुगतान					
28.	6001.00.106.28-7% बचत बंध-पत्र, 2002 (गैर-करयोग्य)	मू. पु.	5493.00 (-) 46.82	5865.65	419.47
29.	6001.00.115- 14 दिवसीय खजाना बिल	मू. अ. पु.	1100000.00 159377.29 185344.71	1468232.11	23510.11
30.	6001.00.105.04- एशियन विकास बैंक	मू. पु.	15.00 (-) 0.41	16.76	2.17
39-पेंशन					
31.	2071.01.101.01- साधारण पेंशन	मू. अ.	4126.00 1396.55	5748.77	226.22
32.	2071.01.104.01- साधारण पेंशन	मू. अ.	844.50 320.97	1231.93	66.46
33.	2071.01.105.02- परिवार पेंशन	मू. अ.	996.00 184.45	1235.23	54.78

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रुपयों में)					
क्र. सं.	उप-शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
51- गृह मंत्रालय					
34.	2070.00.800.03- आसूचना ब्यूरो	मू. अ. पु.	431.53 156.06 (-) 15.58	581.39	9.38
35.	3454.01.800.10- महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रणाली में सुधार	मू. पु.	13.19 (-) 5.44	11.18	3.43
52- मंत्रीमंडल					
36.	2055.00.118.01- स्थापना	मू. अ. पु.	90.69 27.82 (-) 15.69	110.97	8.15
54- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय					
37.	2235.60.107.03- केन्द्र सरकार पेंशन	मू. अ. पु.	550.00 32.20 (-) 29.43	691.93	139.16
62- विधि एवं न्याय					
38.	2052.00.090.06- विधि कार्य विभाग	मू. अ. पु.	22.98 4.35 (-) 0.73	29.83	3.23
87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग					
39.	3601.01.821.02- बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य	मू. अ. पु.	546.23 227.89 21.07	803.78	8.59
100- शहरी विकास विभाग					
40.	2216.05.053.01- आवासीय भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	मू. अ. पु.	257.65 0.43 5.20	266.41	3.13
101- लोक निर्माण विभाग					
41.	2059.01.053.01- मरम्मत एवं अनुरक्षण एवं निर्माण कार्य	मू. अ. पु.	167.00 8.41 19.63	200.48	5.44
डाक					
12 - डाक विभाग					
42.	3201.02.101.01- विद्यमान डाकघर	मू. अ. पु.	2657.79 842.04 135.77	3665.11	29.51
43.	3201.02.101.10- ग्रामीण डाक सेवक	मू. अ. पु.	1050.00 630.00 (-) 578.50	1195.96	94.46
44.	3201.02.103.01 - मेल का वाहन (रेल)	मू. पु.	160.00 3.00	166.64	3.64
45.	3201.03.101.02 - एस.बी. आंतरिक जांच संगठन	मू. अ. पु.	3.53 1.20 0.14	12.07	7.20
46.	3201.04.101.01 - लेखापरीक्षा कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की लागत	मू. अ. पु.	35.25 12.00 2.75	56.35	6.35

(करोड़ स्मर्यों में)					
क्र. सं.	उप-शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
47.	3201.04.101.03 – बी.एस.एन.एल. उच्चत को अन्तरित राशि की कटौती	मू. पु.	25.50 3.51	41.42	12.41
48.	3201.07.101.01 –सेवा- निवर्तन तथा सेवानिवृत्ति भत्ते	मू. अ. पु.	680.00 326.70 11.70	1060.68	42.28
49.	3201.07.110 – परिभाषित अंशदान नई पेंशन योजना हेतु सरकारी अंशदान	मू. अ. पु.	10.00 2.70 6.18	27.71	8.83
50.	3201.60.102 – सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	मू. पु.	7.22 (-) 1.46	8.21	2.44
रक्षा सेवाएं					
22 – रक्षा सेवाएं - नौसेना					
51.	2077.00.101- नौसेना के वेतन एवं भत्ते	मू. अ. पु.	1084.73 351.03 203.66	1678.67	39.25
52.	2077.00.106- मरम्मत एवं दुरुस्ती	मू. पु.	857.08 (-) 335.70	524.82	3.44
53.	2077.00.112- संयुक्त कर्मचारी वर्ग	मू. अ. पु.	489.03 138.88 41.12	712.52	43.49
23 – रक्षा सेवाएं – वायु सेना					
54.	2078.00.101-वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. अ. पु.	2680.15 821.78 187.32	4144.09	454.84
55.	2078.00.104- गैर- सैनिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. अ.	392.79 124.61	537.25	19.85
56.	2078.00.105- परिवहन	मू. पु.	329.08 (-)97.28	248.64	16.84
57.	2078.00.110- भण्डार	मू. अ. पु.	6443.49 321.89 120.69	6819.76	175.07
24 – रक्षा आयुध फैक्टरियां					
58.	2079.00.054 - उत्पादन	मू. अ. पु.	2075.00 1136.00 (-)391.00	2858.54	38.54
59.	2079.00.106 – नवीकरण तथा प्रतिस्थापन	मू. पु.	300.00 (-)29.00	276.22	5.22
25 – रक्षा सेवाएं – अनुसंधान एवं विकास					
60.	2080.00.101 – सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते	मू. अ. पु.	80.66 44.44 (-)0.05	140.67	15.62

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रुपयों में)					
क्र. सं.	उप-शीर्ष		प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
61.	2080.00.110 – भण्डार	मू. पु.	1465.80 (-72.75)	1395.99	2.94
62.	2080.00.111 – कार्य	मू. अ. पु.	327.19 18.10 27.24	374.86	2.33
26 – रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
63.	4076.01.101 – वायुयान तथा वायु इंजन	मू. पु.	426.70 108.55	602.61	67.36
64.	4076.01.103 – अन्य उपकरण (प्रभारित)	मू. अ.	-- --	5.26	5.26
65.	4076.02.101 – वायुयान तथा वायु इंजन	मू. पु.	2248.25 (-1765.24)	537.84	54.83
66.	4076.02.103 – अन्य उपकरण	मू. पु.	1165.10 487.69	1716.00	63.21
67.	4076.02.204 – नौसेना बेड़ा	मू. पु.	7240.34 (-1842.92)	5404.57	7.15
68.	4076.02.205 – नौसेना गोदी-क्षेत्र	मू. पु.	664.50 348.11	1164.13	151.52
69.	4076.03.050 – भूमि (प्रभारित)	मू. अ. पु.	0.50 0.16 3.09	6.09	2.34
70.	4076.03.101 – वायुयान तथा वायु इंजन	मू. पु.	11986.77 (-831.45)	11267.87	112.55
71.	4076.03.202 – इमारत निर्माण कार्य	मू. पु.	821.81 (-31.20)	816.19	25.58
72.	4076.05.111 – कार्य	मू. पु.	459.53 (-49.75)	415.16	5.38
योग					27372.52

परिशिष्ट-VIII-ख

(पैराग्राफ 8.4 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक बचतों को दर्शाती विवरणी

(करोड़ स्मरणों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	बचत की राशि
सिविल		
राजस्व - दत्तमत		
1.	1- कृषि और सहकारिता विभाग	696.62
2.	3- पशुपालन, डेरी कार्य तथा मात्सियकी विभाग	183.24
3.	4-परमाणु ऊर्जा	153.15
4.	5 - नाभिकीय विद्युत योजनाएं	520.94
5.	7- उर्वरक विभाग	1345.18
6.	9- कोयला मंत्रालय	106.39
7.	13 - दूरसंचार विभाग	447.10
8.	14 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	257.57
9.	16 - खाद्य एवं जन-वितरण विभाग	276.69
10.	30 - विदेश मंत्रालय	185.62
11.	32 - वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	922.66
12.	35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	2662.90
13.	43 - अप्रत्यक्ष कर	316.81
14.	46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	1474.84
15.	53 - पुलिस	883.98
16.	56-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	183.57
17.	57 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	4906.88
18.	58 - उच्चतर शिक्षा विभाग	185.14
19.	59 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	120.41
20.	62 - विधि एवं न्याय	159.84
21.	64 - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	136.36
22.	66 - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	385.99
23.	67 - नव एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय	176.50
24.	69 - पंचायती राज मंत्रालय	788.10
25.	71- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	104.77
26.	73 - योजना मंत्रालय	554.01
27.	74 - विद्युत मंत्रालय	252.86
28.	81- भू-संसाधन विभाग	611.94
29.	86 - जहाजरानी विभाग	252.46
30.	87 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	171.02
31.	92 - कपड़ा मंत्रालय	276.59
32.	103 - जल संसाधन मंत्रालय	138.85
33.	104 - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	510.88
34.	105 - युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	133.84
राजस्व - प्रभारित		
35.	34 - विनियोग - ब्याज भुगतान	6321.66
36.	35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	7233.77
37.	94 - जनजातीय कार्य मंत्रालय	230.10

(करोड़ स्मयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	बचत की राशि
पूँजीगत - दत्तमत		
38.	10 - वाणिज्य मंत्रालय	101.22
39.	19 - रक्षा मंत्रालय	438.12
40.	28 - भू-विज्ञान मंत्रालय	267.17
41.	32 - वित्तीय संस्थानों को भुगतान	3071.96
42.	36 - सरकारी कर्मचारियों को कर्जे	100.56
43.	42 - प्रत्यक्ष कर	119.51
44.	43 - अप्रत्यक्ष कर	183.94
45.	44- विनिवेश विभाग	2003.12
46.	46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	189.94
47.	49 - भारी उद्योग विभाग	157.63
48.	53 - पुलिस	2225.51
49.	59- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	160.93
50.	86 - जहाजरानी विभाग	154.19
51.	87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	400.07
52.	89 - अन्तरिक्ष विभाग	715.71
पूँजीगत - प्रभारित		
53.	1 - कृषि एवं सहकारिता विभाग	188.80
54.	35 - राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरित	1000.00
55.	37 - विनियोग - ऋण की पुनःअदायगी	23607.19
रक्षा सेवाएं		
राजस्व - दत्तमत		
56.	21 - रक्षा सेवाएं- थलसेना	808.27
57.	22 - रक्षा सेवाएं -नौसेना	242.14
पूँजीगत - दत्तमत		
58.	26 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	7081.13
डाक विभाग		
राजस्व - दत्तमत		
59.	डाक विभाग	536.04
पूँजीगत- दत्तमत		
60.	डाक विभाग	182.31
रेलवे		
राजस्व - दत्तमत		
61.	9 -परिचालन व्यय-यातायात	149.42
62.	10 - परिचालन व्यय-ईंधन	301.30
63.	12 -विविध कार्य व्यय	501.33
64.	13 -भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	1320.47
65.	14 - निधियों का विनियोग- डी.आर.एफ., डी.एफ., पी.एफ. तथा सी.एफ.	6429.96
पूँजीगत - दत्तमत		
66.	16 -सम्पत्ति- अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन -पूँजीगत	537.20
67.	16 - सम्पत्ति - अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थान -रेलवे निधि	1723.38
68.	16 - सम्पत्ति - अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थान - रेलवे सुरक्षा निधि	734.56
सकल योग		89902.44

परिशिष्ट-VIII-ग

(पैराग्राफ 8.5 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु से अधिक निरन्तर बचतों के विवरण
(करोड़ स्मर्यों में)

अनुदान सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान बचत
सिविल		
राजस्व (दत्तमत)		
5- नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं	2006-07	205.83
	2007-08	709.46
	2008-09	520.94
16- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2006-07	205.13
	2007-08	495.87
	2008-09	276.69
32 - वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	2006-07	1687.99
	2007-08	1224.47
	2008-09	922.66
35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	2006-07	722.37
	2007-08	1481.30
	2008-09	2662.90
43-अप्रत्यक्ष कर	2006-07	153.79
	2007-08	113.42
	2008-09	316.81
46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2006-07	2274.91
	2007-08	1467.46
	2008-09	1474.84
53 -पुलिस	2006-07	600.93
	2007-08	285.07
	2008-09	883.99
57 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2006-07	373.19
	2007-08	2668.29
	2008-09	4906.88
58-उच्चतर शिक्षा विभाग	2006-07	192.38
	2007-08	2952.13
	2008-09	185.14
62 - विधि एवं न्याय	2006-07	199.72
	2007-08	309.78
	2008-09	159.84
67 -नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2006-07	207.85
	2007-08	139.67
	2008-09	176.50
69-पंचायती राज मंत्रालय	2006-07	1826.07
	2007-08	1082.04
	2008-09	788.10
74-विद्युत मंत्रालय	2006-07	556.41
	2007-08	576.21
	2008-09	252.86
87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	2006-07	515.54
	2007-08	335.62
	2008-09	171.02
92- कपड़ा मंत्रालय	2006-07	763.18
	2007-08	147.35
	2008-09	276.59
103- जल संसाधन मंत्रालय	2006-07	195.08
	2007-08	102.75
	2008-09	138.85
104-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2006-07	128.08

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रुपयों में)

अनुदान सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान बचत
	2007-08	257.45
	2008-09	510.88
105- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	2006-07	138.45
	2007-08	108.29
	2008-09	133.84
राजस्व (प्रभारित)		
35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	2006-07	1161.69
	2007-08	3748.34
	2008-09	7233.77
पूँजीगत - (दत्तमत)		
19-रक्षा मंत्रालय	2006-07	310.91
	2007-08	493.83
	2008-09	438.12
49-भारी उद्योग विभाग	2006-07	115.16
	2007-08	178.56
	2008-09	157.63
53 -पुलिस	2006-07	192.72
	2007-08	1788.67
	2008-09	2225.51
86- जहाजरानी विभाग	2006-07	145.58
	2007-08	189.74
	2008-09	154.19
87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	2006-07	281.18
	2007-08	175.79
	2008-09	400.07
89-अन्तरिक्ष विभाग	2006-07	116.58
	2007-08	205.85
	2008-09	715.71
रक्षा सेवाएं पूँजीगत - (दत्तमत)		
26 -रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2006-07	3653.05
	2007-08	4417.70
	2008-09	7081.13

परिशिष्ट-VIII-घ

(पैराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)

उन मामलों के उदाहरण जिनमें बचत से अधिक की राशियाँ अभ्यर्पित की गई थीं
(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग	कुल बचत	अभ्यर्पित राशि
सिविल			
राजस्व - दत्तमत			
1.	13—दूरसंचार विभाग	447.10	495.17
2.	18— संस्कृति मंत्रालय	70.23	76.50
3.	19 —रक्षा मंत्रालय	#	9.51
4.	35 — राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	2662.90	2662.91
5.	45—खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	64.59	67.00
6.	54 — गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	@	3.44
राजस्व - प्रभारित			
7.	34 — विनियोग - ब्याज भुगतान	6321.66	6419.38
पूंजीगत - दत्तमत			
8.	8 —नागर विमानन मंत्रालय	12.22	12.36
9.	18— संस्कृति मंत्रालय	18.15	23.22
10.	30— विदेश मंत्रालय	45.42	55.25
11.	65 — खनन मंत्रालय	12.62	14.62
12.	71— कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	1.56	3.29
पूंजीगत —प्रभारित			
13.	37—ऋण की पुनःअदायगी	23607.19	32007.08
रक्षा सेवाएं			
राजस्व — दत्तमत			
14.	25 —रक्षा सेवाएं —अनुसंधान एवं विकास	0.69	1.39

27.50 करोड़ रु. का अधिक व्यय

@ 79.39 करोड़ रु. का अधिक व्यय

परिशिष्ट VIII-ड
(पैराग्राफ 8.11 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(केवल एक करोड़ रु से अधिक की राशि के पुनर्विनियोग के मामलों का उल्लेख किया गया है)

(करोड़ स्मर्यों में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
सिविल -					
1.	1 - कृषि एवं सहकारिता विभाग	2401- फ़सल पालन	2401.00.108.28- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	7.48	122.23
2.	4-परमाणु ऊर्जा	2852- उद्योग	2852.09.202.02- स्टेनलेस स्टील सीवनहीन संयंत्र	2.32	5.47
3.	10 - वाणिज्य विभाग	3453- विदेशी व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन	3453.00.798.02- अन्य संगठन	4.50	9.36
4.	- वही-	5453- विदेशी व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन पर पूंजीगत परिव्यय	5453.80.800.07- आधुनिकीकरण एवं उन्नयन	1.99	2.46
5.	11- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475.00.102.09- राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पत्ति प्रबंधन संस्थान	4.75	4.75
6.	14- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2852-उद्योग	2852.07.202.06- मानकीकरण जांच एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण (मा.जा.ग.प्र.)	1.89	2.98
7.	15- उपभोक्ता कार्य विभाग	5425- अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-संबंधी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5425.00.600.01- राष्ट्रीय जांच गृह हेतु प्रयोगशाला भवन का निर्माण	1.32	2.26
8.	30- विदेश मंत्रालय	2061- विदेश मामले	2061.00.105.01- केन्द्रीय पासपोर्ट एवं प्रवास संगठन	5.07	24.96

(करोड़ रुपयों में)					
क्र. सं..	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
9.	- वही-	2061- विदेश मामले	2061.00.800.13- मिशनों को विशेष अनुदान	1.32	1.92
10.	31-आर्थिक कार्य विभाग	3075- अन्य परिवहन सेवाएं	3075.60.101.01- रेलवे को भुगतान	23.88	34.26
11.	34-ब्याज भुगतान	2049- ब्याज भुगतान	2049.03.104.01- सामान्य भविष्य निधि	336.28	474.88
12.	43-अप्रत्यक्ष कर	2038- संघ उत्पाद शुल्क	2038.00.001.06- उत्पादन शुल्क आसूचना महानिदेशालय	2.62	5.71
13.	51- गृह मंत्रालय	2052- सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052.00.090.03- गृह मंत्रालय	6.17	10.71
14.	-वही-	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070.00.105.02- अन्य आयोग	1.01	2.25
15.	66-अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601.04.378.03- अल्पसंख्यकों हेतु व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु मेरिट-एवं-मीन आधारित छात्रवृत्ति	6.27	53.13
16.	- वही-	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601.04.378.04- अल्पसंख्यकों हेतु बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	24.96	230.91
17.	- वही-	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601.04.378.06- अल्पसंख्यकों हेतु पश्च मेट्रिक छात्रवृत्ति	8.19	26.53
18.	74-विद्युत मंत्रालय	2801- विद्युत	2801.80.800.02- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	2.05	4.52
19.	101- लोक निर्माण कार्य	2059- लोक निर्माण कार्य	2059.80.001.02- निष्पादन	2.50	6.97
20.	104- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235.02.102.17- राष्ट्रीय लोक सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान	1.47	9.45

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
21.	- वही--	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235.02.103.47- स्वधर	1.43	4.50
डाक विभाग					
22.	12 – डाक विभाग	3201- डाक सेवाएं	3201.02.103.06- अन्य	1.54	6.25
23.	डाक सेवाएं	3201- डाक सेवाएं	3201.03.101.01 – बचत बैंक नियंत्रण संगठन	3.67	4.06
24.	- वही-	3201- डाक सेवाएं	3201.02.103.06- अन्य	2.80	8.98
25.	- वही-	3201- डाक सेवाएं	3201.02.103.06- अन्य	21.41	21.61
रक्षा सेवाएं					
26.	21 – रक्षा सेवाएं – थल सेना	2076- रक्षा सेवाएं - थल सेना	2076.00.109 – निरीक्षण संगठन	23.07	27.17
27.	- वही-	- वही-	2076.00.111 – निर्माण कार्य	1.00	1.08
28.	- वही-	- वही-	2076.00.113 – एन सी सी	5.00	89.33
29.	- वही-	- वही-	2076.00.800 – अन्य व्यय	19.69	64.75
30.	29 – रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076.04.111 – निर्माण कार्य	2.75	3.25
योग				528.40	

परिशिष्ट VIII-च

(पैराग्राफ 8.12 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(केवल दो करोड़ रु से अधिक की राशि के पुनर्विनियोग के मामलों का उल्लेख किया गया)

(करोड़ स्मर्यों में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य की राशि
सिविल					
1.	34- विनियोग -ब्याज अदायगियां	2049- ब्याज अदायगियां	2049.03.110.01- भारतीय पदों के असंवितरित वेतन हेतु बोनस	9.19	33.90
2.	37- ऋण का पुर्नभुगतान	6001- केन्द्रीय सरकार का आन्तरिक ऋण	6001.00.106.28- 7% बचत बंधपत्र,, 2002 (गैर-करयोग्य)	46.82	419.47
3.	54- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2335.60.107.03- केन्द्र सरकार पेंशन	29.43	139.16
डाक					
4.	12 - डाक विभाग	3201 - डाक सेवाएं	3201.60.102 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	1.46	2.44
रक्षा सेवाएं					
5.	23 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना	2078 - वायु सेना	2078.00.110 - भण्डार	120.69	175.07
योग				207.59	

परिशिष्ट-VIII - छ
(पैराग्राफ 8.13 के संदर्भ में)
मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूँजीगत					योग
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत		प्रभारित			
				पूँजीगत	कर्ज एवं पेशगियां	लोक ऋण	पूँजीगत	कर्ज एवं पेशगियां	
2002-03	मूल	183815	140769	18672	4914	321155	23	26842	696190
	अनुपूरक	18187	12	684	4376	56787	1	1564	81611
	प्रतिशतता	10	-	4	89	18	4	6	12
2003-04	मूल	208340	143833	19634	7086	367079	36	25763	771771
	अनुपूरक	15888	4744	1862	1517	21702	4	1115	46832
	प्रतिशतता	8	3	9	21	6	11	4	6
2004-05	मूल	215854	151300	23148	14669	342119	32	28899	776021
	अनुपूरक	22539	78	599	1744	180366	1	1041	206368
	प्रतिशतता	10	-	3	12	53	3	4	27
2005-06	मूल	260249	164936	25972	6302	601477	53	1179	1060168
	अनुपूरक	34784	612	1101	1643	420204	4	4674	463022
	प्रतिशतता	13	-	4	26	70	8	396	44
2006-07	मूल	310212	176989	33434	5517	1098308	80	5174	1629714
	अनुपूरक	90637	5146	8800	577	349582	6	702	455450
	प्रतिशतता	29	3	26	10	32	8	14	28
2007-08	मूल	360510	195865	75302	4831	1611646	4322	238	2252714
	अनुपूरक	89998	16937	17730	2744	62573	35	3134	193151
	प्रतिशतता	20	8	19	36	4	1	93	8
2008-09	मूल	437377	243991	38329	5019	1745575	38	5073	2475402
	अनुपूरक	285013	113	10158	4419	442593	7	3162	745465
	प्रतिशतता	39	-	21	47	20	16	38	23

परिशिष्ट VIII-ज
(पैराग्राफ 8.14 के संदर्भ में)
उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं..	अनुदान सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	2401.00.105.18 - राष्ट्रीय जैविक कृषि उन्नयन परियोजना	11.00	1.05	8.41	3.64	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
2.	3-पशु पालन, डेरी एवं मत्स्य पालन विभाग	2403.00.104.01 -भेड़ प्रजनन एवं विकास विभाग	7.46	1.00	7.27	1.19	मितव्ययी उपायों के कारण।
3.		2404.00.111.03 - संसाधन	32.38	2.50	30.67	4.21	खाली पदों को एवं मितव्ययी उपायों को पूरा न करना।
4.		2405.00.103.03 - भारतीय मत्स्य पालन सर्वेक्षण	42.67	5.19	37.41	10.45	निधियों की कम माँग एवं खाली पदों को न भरना।
5.	7- उर्वरक विभाग	2852.03.101.02 - उर्वरक भाड़ा आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत भुगतान।	2000.00	550.00	1350.00	1200.00	भाड़े की घटी हुई दरों में कमी के कारण आर्थिक सहायता की कम राशि जारी करना।
6.	9- कोयला मंत्रालय	3451.00.090.04 - कोयला मंत्रालय	11.49	1.63	9.21	3.91	खाली पदों को न भरना एवं सू.प्रौ. उपकरणों का गैर-कार्यान्वयन।
7.	10- वाणिज्य विभाग	3453.00.800.37 - संस्थानों को सहायता	15.25	2.74	14.61	3.38	कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
8.	11- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	2852.08.600.01 -नमक	21.70	4.62	20.12	6.20	वर्ग 'घ' के ग्रेड पे बैंड एवं मितव्ययी उपायों को अंतिम रूप न देना।
9.	16- खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	2408.01.800.08 - चीनी उद्यमों को वित्तीय सहायता को बढ़ाने की योजना	--	34.98	--	34.98	नोडल बैंको से नियत प्रोफार्मा में दावों का प्राप्त न होना।
10.	17- निगम कार्य मंत्रालय	3451.00.090.05- निगम कार्य मंत्रालय	103.18	3.01	78.21	27.98	खाली पदों को न भरना, निवेशक जागरूकता कार्यक्रम हेतु गै.स.सं. को अनुदान जारी न करना।
11.		3475.00.105.02- कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत सरकारी परिसमापक	10.34	2.11	9.96	2.49	खाली पदों को न भरना, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति एवं मितव्ययी उपाय।

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं..	अनुदान सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
12.	30- विदेश मंत्रालय	2061.00.105.01- केन्द्रीय पासपोर्ट एवं प्रवास संगठन	245.25	13.25	238.60	19.90	पासपोर्ट आवेदनपत्र स्केनिंग परियोजना हेतु बिलों का प्राप्त न होना।
13.		2061.00.103.01- विवेकाधीन व्यय	545.38	69.75	537.68	77.45	विचारे गए के अनुसार क्रियाकलापों के गैर-कार्यान्वयन के कारण।
14.		4070.00.800.23- विवेकाधीन व्यय	411.33	14.92	321.19	105.06	विचारे गए के अनुसार क्रियाकलापों का गैर-कार्यान्वयन एवं विभिन्न राजनीतिक कारण।
15.	31- आर्थिक कार्य विभाग	2047.00.103.01- राष्ट्रीय बचत संस्थान	12.10	1.98	9.75	4.34	पदों की कटौती एवं मितव्ययी उपायों के कारण।
16.		3075.60.101.01- रेलवे को भुगतान	1707.69	3.60	1700.91	10.38	रेलवे द्वारा आर्थिक सहायता के कम उपयोग के कारण।
17.	35- राज्यों एवं सं.शा.क्षे. की सरकारों को अंतरण	3601.02.101.01- सामान्य केन्द्रीय सहायता	17991.98	500.00	15948.17	2543.81	राज्य सरकारों द्वारा उ.प्र. प्रस्तुत न किया जाना
18.		3601.02.101.13- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	-	636.87	-	636.87	अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय की गई टंकण की गलतियों के सुधार के कारण।
19.	41- राजस्व विभाग	2052.00.090.11- राजस्व विभाग	87.77	16.27	86.81	17.23	फिननेट परियोजना के चरण II की गैर-समाप्ति, कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल आदि का प्रापण न करना।
20.		2875.01.108.01- प्रबंधन	7.54	1.53	6.37	2.70	शिक्षा शुल्क/सी.ई.ए. आदि की गैर-अनुमति।
21.	42- प्रत्यक्ष कर	2020.00.001.02- अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन	68.23	1.98	53.63	16.58	समयोपरि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं या.भ. आदि के दावों की कम प्राप्ति।
22.	43- अप्रत्यक्ष कर	2037.00.101.02- केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला	4.17	1.00	3.42	1.75	उपकरणों की खरीद हेतु निविदा प्रक्रिया करने में विलम्ब।
23.	47- आयुष विभाग	2210.05.101.01- आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर को अनुदान	13.56	4.36	12.85	5.07	निर्माण कार्य हेतु भूमि की गैर-उपलब्धता एवं स्थायी वित्त समिति द्वारा संशोधित अनुमानों की विलम्ब से स्वीकृति।

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं..	अनुदान सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
24.	54- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2245.80.102.04- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	71.39	1.51	39.70	33.20	खाली पदों को न भरना एवं मितव्ययी उपाय।
25.	57- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2202.02.004.01- राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	101.05	21.05	99.34	22.76	पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण।
26.	58- उच्च शिक्षा विभाग	2202.05.800.02- केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर एवं क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	10.17	1.54	5.63	6.08	सी.आई.आई.एल., मैसूर शीर्ष के अंतरगत भाषिक डाटा सहायता संघ-आई.एल., राष्ट्रीय अनुवाद मिशन तथा पाली के विकास की योजना की गैर-स्वीकृति के कारण।
27.		2203.00.102.02- भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर को अनुदान	221.00	12.67	208.97	24.70	संस्थान में निर्माण गतिविधियों की धीमी गति।
28.		2203.00.112.16- राष्ट्रीय औद्योगिक इंजिनियरिंग संस्थान, मुंबई	51.00	3.24	47.90	6.34	संस्थान में निर्माण गतिविधियों की धीमी गति।
29.		2203.00.112.17- राष्ट्रीय ढलाई एवं गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची	21.50	1.65	19.57	3.58	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर-प्राप्ति के कारण।
30.		2203.00.112.18- योजना एवं वास्तुकला विद्यालय	27.00	1.94	16.05	12.89	संस्थान में निर्माण गतिविधियों की धीमी गति।
31.		2203.00.112.19- संत लोंगोवाल इंजिनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	32.00	2.75	27.63	7.12	संस्थान में निर्माण गतिविधियों की धीमी गति।
32.		2203.00.112.21- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	55.25	3.92	55.25	3.92	संस्थान में निर्माण गतिविधियों की धीमी गति।
33.	59- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2220.01.800.03- भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	15.75	1.70	14.77	2.68	योजना की गैर-स्वीकृति के कारण।
34.	60- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2230.01.102.12- अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	9.22	1.60	8.60	2.21	खाली पदों को न भरना, कम या.रि.भ. दावें एवं मितव्ययी उपाय।

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
35.		2230.01.106.04-स्वास्थ्य	6.45	1.50	6.17	1.78	खाली पदों को न भरना, के.लो.नि.वि से अनुमानों की देरी से प्राप्ति।
36.	71- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	2052.00.090.05-कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	72.38	18.68	63.91	27.15	निर्माण पर न्यायालय का रोक आदेश, खाली पदों को न भरना, राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति आदि।
37.		2051.00.103.01- स्थापना	31.90	7.61	30.57	8.94	खाली पदों को न भरना, परीक्षाओं को रद्द करना आदि।
38.		2055.00.101.02- इंटरपोल एवं समन्वय स्कंध	3.58	1.00	3.47	1.11	खाली पदों को न भरना एवं मितव्ययी उपाय।
39.		2070.00.003.04- सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान	11.51	3.30	10.90	3.91	खाली पदों को न भरना, प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सीधी भर्ती सहायकों की कम संख्या एवं मितव्ययी उपाय।
40.		2070.00.800.32- केन्द्रीय सूचना आयोग	8.40	1.70	8.19	1.91	खाली पदों को न भरना, पट्टा समझौते को अंतिम रूप देने में विलम्ब आदि।
41.	74 – विद्युत मंत्रालय	2801.80.004.02 – केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	50.00	9.29	29.11	30.18	चल रही योजनाओं की धीमी प्रगति तथा नई योजनाओं की गैर स्वीकृति।
42.	86 – जहाजरानी विभाग	3051.03.101.01 – प्रबंधन	18.16	5.00	17.91	5.25	खाली पदों को न भरना एवं आपूर्तिकर्ताओं से बिलों की गैर-प्राप्ति।
43.		3052.02.001.01 – महानिदेशक जहाजरानी	18.73	1.76	13.85	6.64	खाली पदों को न भरना, विदेशी यात्रा आदि का गैर-कार्यान्वयन आदि।
44.	90- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3454.02.204.19- क्षमता विकास (सीएसओ का क्षमता विकास तथा संस्थानिक विकास तथा क्षमता निर्माण)	39.16	1.94	23.68	17.42	राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी के प्रचालन में विलम्ब, प्रापण समिति की स्वीकृति की गैर-प्राप्ति तथा प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण।

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
45.	93 - पर्यटन मंत्रालय	3452.80.001.01 - महानिदेशक पर्यटन	30.84	3.13	27.39	6.58	ऑन लाइन अभियान गतिविधियों को प्रारम्भ करने में विलम्ब, खाली पदों को न भरना आदि।
46.	94- जनजातीय कार्य मंत्रालय	2251.00.090.16- जनजातीय कार्य मंत्रालय	9.57	1.24	8.52	2.29	प्रस्तावों/खरीदों का गैर-कार्यान्वयन, खाली पदों को न भरना आदि।
47.	102 -लेखन-सामग्री एवं मुद्रण	2058.00.101.01 - नियंत्रक लेखन-सामग्री	18.26	4.54	16.40	6.40	लेखन-सामग्री के प्रापण प्रस्तावों को अंतिम रूप न देना।
48.		2058.00.103.02 - मुद्रणालय	170.88	27.13	130.61	67.40	आपूर्ति का गैर-कार्यान्वयन, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय।
49.	104- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2251.00.090.13- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	16.04	2.75	15.90	2.89	निधियों की कम आवश्यकताएं, प्रस्तावों की कमी तथा बिलों की कम प्राप्ति।
50.		2235.02.103.42- केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (के.सा.क.बो.)	36.65	4.56	35.60	5.61	प्रक्रियाधीन योजना तथा निधियों की कम आवश्यकताएं।
51.		2235.02.102.17- लोक सहकारिता एवं बाल विकास संस्थान	25.50	2.28	19.81	7.98	सक्षम प्राधिकारी द्वारा एन.आई.पी.सी.सी.डी. के विस्तार की गैर-स्वीकृति।
52.	105- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	2204.00.001.02- राष्ट्रीय सेवा योजना	8.82	1.56	5.99	4.39	वेतन एवं अन्य दावों की प्रतिपूर्ति हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।

परिशिष्ट VIII-अ

(पैराग्राफ 8.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(दस करोड़ रुपये और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
सिविल					
1 - कृषि एवं सहकारिता विभाग					
1.	2401.00.103.31- एस.एफ.सी.आई./एन.एस.सी. की पुनः संरचना हेतु अनुदान	21.00	-	21.00	100
2.	2401.00.108.27- वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	25.00	-	25.00	100
3.	3601.03.437.08- उर्वरकों के संतुलित उपयोग के संवर्धन पर राष्ट्रीय परियोजना	19.00	0.05	18.95	100
4.	3601.04.436.12- वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	282.00	-	282.00	100
5.	7601.04.443.01- कार्ययोजना (वृहत प्रबंधन (प्रभारित) के माध्यम से राज्यीय प्रयासों की अनुपूरकता/पूरकता	157.80	-	157.80	100
2 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग					
6.	2415.01.150.05- कृषि उत्पाद अधिनियम, 1940 के अंतर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों का भुगतान	14.00	6.82	7.18	51
3 - पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य-पालन विभाग					
7.	2403.00.101.25- एविअन इनफ्लून्जा के नियंत्रण तथा समावेशन की तैयारी	32.50	6.43	26.07	80
8.	2403.00.103.19- मुर्गी-पालन जोखिम पूंजीगत निधि	18.00	-	18.00	100
9.	2403.00.107.04-भरण एवं चारा विकास	30.58	13.85	16.73	55
10.	2403.00.111.08- भैंस के नर बछड़ों का बचाव एवं पालन	25.00	-	25.00	100

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
11.	3601.04.586.02- छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का एकीकृत विकास	12.00	-	12.00	100
4- परमाणु ऊर्जा					
12.	4861.60.203.49- खर्च किए गए ईंधन की पुनःचक्र परियोजना (एस.एफ.आर.पी.)	10.00	-	10.00	100
13.	4861.60.203.56- पुष्पक, तारापुर	10.00	-	10.00	100
14.	5401.00.201.13- विशेष सामग्री विकास एवं अन्य विशेष कार्यक्रम	23.57	10.00	13.57	58
5- नाभिकीय विद्युत योजनाएं					
15.	2801.03.101.08- अन्य स्टेशनों हेतु पी.एच.डब्ल्यू.आर. ईंधन	1308.88	649.02	659.86	50
6- रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग					
16.	2852.05.206.08- राष्ट्रीय भेषजीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (रा.भं.मू.प्रा.)	19.56	5.57	13.99	72
17.	2852.05.206.10-भेषजीय निर्यात प्रोत्साहन योजना	38.00	10.66	27.34	72
8 - नागर विमानन मंत्रालय					
18.	3053.80.800.04- ऐरो खेलों के विकास के लिए भारत के ऐरो क्लब को सहायता अनुदान	15.00	5.00	10.00	67
19.	5053.80.800.01- नागर विमानन सुरक्षा	15.00	-	15.00	100
9 - कोयला मंत्रालय					
20.	2803.00.101.01- कोयला क्षेत्रों के विस्तार में परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए उपकर (उत्पाद शुल्क) की वसूली के प्रति भुगतान	21.80	-	21.80	100
21.	2803.00.800.04- विस्तृत ड्रीलिंग	60.00	15.00	45.00	75
10 - वाणिज्य विभाग					
22.	2407.02.016.01- कॉफी बोर्ड	60.00	31.78	28.22	47

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
23.	3453.00.800.41- क्यूबा को निर्यात के लिए बकाया राशि का निपटान	282.00	124.73	157.27	56
24.	5465.01.190.07- ई.सी.जी.सी.	100.00	-	100.00	100
11-औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग					
25.	3475.00.102.08- बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण	40.00	22.31	17.69	44
15- उपभोक्ता मामले विभाग					
26.	3475.00.107.02-अग्रनीत विपणन कमीशन का सुदृढीकरण	20.70	3.31	17.39	84
16- खाद्य एवं सार्वजनिक-वितरण विभाग					
27.	2408.01.102.04- चीनी उगाही, चीनी के आयात आदि के कारण एफ.सी.आई. तथा अन्य को देय चीनी आर्थिक सहायता	262.00	82.13	179.87	69
28.	2408.01.102.07- राज्यों/सं.शा.क्ष. की सरकारों के माध्यम से वितरण आयातित खाद्य तेलों हेतु आर्थिक सहायता	1000.00	424.25	575.75	58
29.	2408.01.800.07- नेबार्ड के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को ब्याज आर्थिक सहायता	36.42	-	36.42	100
30.	6860.04.190.04- गन्ना विकास हेतु चीनी मिलें	25.00	6.51	18.49	74
18 -संस्कृति मंत्रालय					
31.	2205.00.106.08- स्मारक और पुरातत्व पर राष्ट्रीय मिशन	11.00	0.51	10.49	95
अनुदान सं. 28-भू-विज्ञान मंत्रालय					
32.	5455.00.800.03- आई.एम.डी. का आधुनिकीकरण	359.00	139.34	219.66	61

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं. 29- पर्यावरण और वन मंत्रालय					
33.	2406.04.101.01- राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण - विकास बोर्ड	20.38	9.12	11.26	55
34.	2406.04.101.05- पी.आर.आई. के माध्यम से वनीकरण (एन.सी.एम.पी.- संबंधित योजना) पंचायत वन योजना	15.00	-	15.00	100
अनुदान सं. 30- विदेश मंत्रालय					
35.	2061.00.798.02- अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन	19.73	2.80	16.93	86
36.	3605.00.101.09- बांग्लादेश को सहायता	16.00	0.75	15.25	95
37.	3605.00.101.13- मालदीव को सहायता	17.77	1.97	15.80	89
38.	3605.00.101.23- बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम	25.00	3.15	21.85	87
39.	3605.00.101.24- निवेश प्रोत्साहन और प्रचार कार्यक्रम	16.40	0.72	15.68	96
अनुदान सं. 31-आर्थिक कार्य विभाग					
40.	5475.00.800.12-अवसंरचना विकास हेतु सहायता	92.10	54.07	38.03	41
अनुदान सं. 32 -वित्तीय संस्थानों को अदायगियां					
41.	2235.60.800.09- समुदाय आधारित सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र साधारण बीमा कम्पनियों को भुगतान	25.00	2.00	23.00	92
42.	2416.00.800.04- वित्तीय समावेश निधि (एफ.आई.एफ.) के गठन के लिए सरकार के योगदान के प्रति नेर्बाड को भुगतान	25.00	-	25.00	100
43.	2416.00.800.05- वित्तीय समावेश प्रौद्योगिकी निधि (एफ.आई.टी.एफ.) के गठन के लिए सरकार के योगदान के प्रति नेर्बाड को भुगतान	25.00	-	25.00	100

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
44.	2416.00.800.06- खोदे गए कुओं के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए नेर्बाड को भुगतान	168.40	-	168.40	100
45.	2416.00.800.07- दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार	600.00	20.00	580.00	97
46.	5465.01.190.22- नेर्बाड में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी की अधिग्रहण लागत	1450.00	-	1450.00	100
47.	5465.01.190.23- एन.एच.बी. में रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी की अधिग्रहण लागत	450.00	-	450.00	100
48.	5466.00.207.01-अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (प्रतिभूतियों में) को अंशदान	4147.05	1077.48	3069.57	74
अनुदान सं. 34- विनियोग – ब्याज भुगतान					
49.	2048.22.200.13- सरकारी प्रतिभूतियों के बायबैक पर प्रीमियम का भुगतान	2400.00	563.04	1836.96	78
50.	2049.01.115- अर्थापय अग्रिम पर ब्याज	438.00	93.41	344.59	79
51.	2049.01.126- बैंक में धन के बाजार स्थिरीकरण योजना के जमा पर ब्याज का भुगतान	26615.69	11829.94	14785.75	56
52.	2049.03.117- परिभाषित अंशदान पेंशन योजना पर ब्याज	50.00	4.83	45.17	90
अनुदान सं. 35- राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण					
53.	3601.02.101.13- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	636.87	-	636.87	100
54.	3601.02.101.24- किशोर बालिकाओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एन.पी.ए.जी.)	162.77	23.32	139.45	86
55.	3601.01.104.08-स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु सहायता अनुदान (प्रभारित)	1569.58	774.65	794.94	51
56.	3601.01.104.10- सार्वजनिक भवन के रखरखाव के लिए सहायता अनुदान (प्रभारित)	1692.76	873.95	818.81	48

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
57.	3601.01.104.12-परम्परा संरक्षण के लिए सहायता अनुदान (प्रभारित)	172.77	96.79	76.28	44
58.	3601.01.104.13- राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान (प्रभारित)	2679.03	1499.25	1179.78	44
59.	3601.01.114.01- स्वर्ण मंदिर परिसर के विकास के लिए सहायता	27.50	-	27.50	100
60.	3601.02.101.19- त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.)	800.00	436.03	363.97	45
अनुदान सं. 37- विनियोग - ऋण का पुर्नभुगतान					
61.	6001.00.105.02- अन्तर्राष्ट्रीय प्रबोधक निधि	13937.87	2947.00	10990.87	79
62.	6001.00.106.22- 8.5% राहत बंध-पत्र, 2001	264.45	109.00	155.45	59
63.	6001.00.106.23- 9% राहत बंध-पत्र, 1999	39.31	17.22	22.09	56
64.	6001.00.106.24- 8% राहत बंध-पत्र, 2002	1547.19	795.44	751.75	49
65.	6001.00.126.01- 91 दिवस खजाना बिल	153000.00	26131.77	126868.23	83
66.	6001.00.126.04- 182 दिवस खजाना बिल	41000.00	14605.00	26395.00	64
अनुदान सं.39 - पेंशन					
67.	2071.01.101.04- साधारण पेंशन (ए.आई.एस.)	50.00	3.35	46.65	93
अनुदान सं. 42- प्रत्यक्ष कर					
68.	4059.01.800.01- तैयार बने हुए आवास का अधिग्रहण	198.00	82.88	115.12	58
अनुदान सं. 43- अप्रत्यक्ष कर					
69.	2038.00.001.10- पद्धति एवं आंकड़ा प्रबंधन	270.17	145.82	124.35	46
70.	4059.01.800.01- तैयार बने हुए आवास का अधिग्रहण	145.00	18.58	126.42	87
अनुदान सं. 44- विनिवेश विभाग					
71.	5467.00.797.01- राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरित	1165.00	163.45	1001.55	86

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
72.	5467.00.103.01- जी.बी.नि. म्युचुअल फंड	1165.01	163.45	1001.56	86
अनुदान सं. 45- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय					
73.	2405.00.103.06- गहन समुद्र मछुवाही प्रचालन	89.80	48.28	41.52	46
अनुदान सं. 47- आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग(आयुष)					
74.	2210.02.101.08- अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान (ए.आई.आई.ए.), नई दिल्ली	25.00	7.24	17.76	71
75.	2210.02.200.25- आयुष उद्योग समूहों के लिए आम सुविधाओं का विकास	22.00	5.88	16.12	73
76.	2210.05.101.11- ए.एस.यू. एवं एच.औषधियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण	26.00	10.26	15.74	61
अनुदान सं. 48-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग					
77.	2210.01.800.27- अनुसंधान संचालन पर प्रोत्साहन और माग-दर्शन	20.50	-	20.50	100
78.	2210.01.800.28- चिकित्सा, बायोमेडिकल और स्वास्थ्य अनुसंधान में समन्वय	19.00	-	19.00	100
79.	2210.05.105.46- स्वास्थ्य अनुसंधान को प्रोत्साहन, समन्वय और विकास	50.00	-	50.00	100
80.	2210.06.001.07- सरकारों/संगठनों/संस्थाओं के साथ समन्वय	20.00	-	20.00	100
अनुदान सं. 49- भारी उद्योग विभाग					
81.	2852.06.103.28- स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना के कार्यान्वयन हेतु लो.क्षे.उ. को बैंक वित्तपोषण पर ब्याज आर्थिक सहायता	24.00	9.09	14.91	62
82.	2852.06.103.42- पूंजीगत सामग्री क्षेत्र का आधुनिकीकरण	24.00	-	24.00	100
83.	4858.60.190.20- लो.क्षे.उ. के पुर्नउत्थान के लिए एक मुश्त प्रावधान	21.00	-	21.00	100

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
84.	4860.05.190.01- हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड में निवेश	78.00	-	78.00	100
85.	6854.60.800.01- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुनरुद्धार योजनाओं का कार्यान्वयन	150.00	-	150.00	100
86.	6858.60.190.07- वी.आर.एस. और वैधानिक बकाया के भुगतान के कार्यान्वयन	250.00	-	250.00	100
अनुदान सं. 51- गृह मंत्रालय					
87.	3601.01.110.06- नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय-राज्यों में अग्नि शमन सेवाओं का आधुनिकीकरण	20.01	-	20.01	100
अनुदान सं. 52-मंत्रिमंडल					
88.	4055.00.206.03- सामान्य	68.00	29.31	38.69	57
अनुदान सं. 54- गृह मंत्रालय का अन्य व्यय					
89.	2235.60.200.02- स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क रेलवे पास	35.00	5.00	30.00	86
90.	2245.80.102.04-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	72.90	39.70	33.20	46
91.	4250.00.101.07- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 56-आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय					
92.	2216.02.190.12-शहरी गरीबों के आवास हेतु योजना	95.00	-	95.00	100
93. k	3601.04.108.01- शुष्क शौचालय के परिवर्तन और नए के निर्माण के लिए कम लागत स्वच्छता	131.00	35.25	95.75	73
अनुदान सं. 57- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग					
94.	2202.01.112.12- राष्ट्रीय घटक	15.00	1.93	13.07	87
95.	2202.02.800.19- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ई.ए.पी.)	50.00	5.59	44.41	89

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
96.	2202.02.800.35- सरकारी स्थानीय निकायों के स्कूलों में एक वर्ष के लिए पूर्व-प्राथमिक को प्रोत्साहन	89.98	-	89.98	100
97.	2202.02.110.13- नए मॉडल स्कूल	582.78	-	582.78	100
98.	2202.02.110.14- 2000 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों (आवासीय स्कूलों, हॉस्टल/गर्ल्स हॉस्टल) का उन्नयन	71.98	-	71.98	100
99.	2202.02.800.37- विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	20.00	2.69	17.31	87
100.	2202.04.200.14- प्रौढ़ शिक्षा एवं प्रवीणता विकास योजना	317.10	61.88	255.22	80
101.	2202.04.200.16- 35+ आयु समूह के लिए साक्षरता कार्यक्रम	14.98	-	14.98	100
102.	2202.80.107.19-राष्ट्रीय मेधावी छात्रवृत्ति योजना (ओ. एस. सी.)	108.00	-	108.00	100
103.	3601.04.180.01- शिक्षा का व्यवसायीकरण	25.80	-	25.80	100
104.	3601.04.180.02- माध्यमिक चरण पर सर्व प्रवेश तथा गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सेस)	1927.50	-	1927.50	100
105.	3601.04.188.01- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण	428.70	247.79	180.91	42
106.	3602.04.180.05- माध्यमिक चरण पर सर्व प्रवेश तथा गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सेस)	35.00	-	35.00	100
107.	3602.04.188.01- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण	20.00	5.57	14.43	72

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं. 58 -उच्चतर शिक्षा विभाग					
108.	2203.00.105.04- गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु अनुदान - सामुदायिक पालिटैक्निक	17.54	0.85	16.69	95
109.	2203.00.112.28- दूरस्थ शिक्षा और वेब आधारित ज्ञान के लिए प्रोत्साहन	20.00	-	20.00	100
110.	2203.00.112.38- नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	21.40	-	21.40	100
111.	2203.00.112.39- योजना और वास्तुकला के नए स्कूल की स्थापना	15.00	7.00	8.00	53
112.	2203.00.800.15-भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा- गुणवत्ता सुधार परियोजना (ई.ए.पी.)	40.00	2.60	37.40	94
113.	3601.04.161.03- भाषा अध्यापकों की नियुक्ति	11.73	0.03	11.70	100
अनुदान सं. 60- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
114.	3601.04.326.03 - असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/स्वास्थ्य बीमा	200.00	-	200.00	100
115.	6552.00.106.01- सार्वजनिक निजी साझेदारी के द्वारा 1396 सरकारी आई.टी.आई. का उन्नयन	19.99	-	19.99	100
अनुदान सं. 62- न्याय एवं विधि					
116.	2014.00.800.09- जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	114.70	25.90	88.80	77
117.	3601.01.097.01- परिवार न्यायालय	13.00	1.00	12.00	92
अनुदान सं. 64- कुटीर, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय					
118.	2851.00.789.01- गुणवत्ता प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन संस्था और कार्यक्रम-अनुसूचित जाति उपयोजना	23.00	7.76	15.24	66

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
119.	2851.00.789.03- एम.एस.एम.ई. समूह विकास कार्यक्रम और एम.एस.एम.ई. विकास उद्देश्य-अनुसूचित जाति उपयोजना	11.50	-	11.50	100
अनुदान सं. 66- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय					
120.	3601.04.378.04- अल्पसंख्यकों हेतु बहु क्षेत्रीय विकास योजना	476.80	270.85	205.95	43
अनुदान सं. 67- नवीन एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
121.	2810.01.103.05- बायोमास सह-उत्पादन एवं दहन	41.50	16.81	24.69	59
122.	2810.02.102.05- ग्रिड संयोजित एस.पी.वी. शक्ति परियोजना	19.50	-	19.50	100
123.	2810.60.600.08- महासागरीय ऊर्जा	20.00	-	20.00	100
अनुदान सं. 69- पंचायती राज मंत्रालय					
124.	2515.00.101.26- जिला योजना समितियों और जिला परिषदों के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सहायता	25.00	-	25.00	100
अनुदान सं. 72- पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय					
125.	2802.80.800.05-पैट्रोलियम नियामक बोर्ड	15.00	3.00	12.00	80
अनुदान सं. 73- योजना मंत्रालय					
126.	2203.00.800.18- पी.पी.पी. के माध्यम से प्रवीणता विकास में नई पहल	300.00	-	300.00	100
127.	3475.00.800.71- सरकार में सुदृढीकरण मूल्यांकन क्षमता	12.00	1.41	10.59	88
128.	3475.00.800.82- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया के लिए सहायता	20.00	-	20.00	100
129.	3475.00.800.83- योजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली	16.89	0.19	16.70	99

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
130.	3475.00.800.84- आई.ए.एम.आर. को सहायता अनुदान	12.00	-	12.00	100
131.	3601.03.431.02- राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया के लिए सहायता	175.00	-	175.00	100
अनुदान सं.74 -विद्युत मंत्रालय					
132.	2801.02.102.02-संचालन एवं अनुरक्षण	320.76	99.88	220.88	69
133.	2801.80.004.02- केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	59.29	29.11	30.18	51
134.	4801.01.190.03- टिहरी जल विकास निगम	111.00	-	111.00	100
अनुदान सं.80- ग्रामीण विकास विभाग					
135.	2515.00.800.23- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं हेतु प्रावधान (ग्रा.श.सु.प्रा.)	27.00	-	27.00	100
अनुदान सं.81- भूमि संसाधन विभाग					
136.	2501.05.101.08- व्यवसायिक सहायता अन्य क्रियाकलाप	140.00	28.42	111.58	80
137.	2501.05.800.02- जैव-ईंधन योजना	45.00	-	45.00	100
138.	3601.03.467.06- विस्तृत भूमि संसाधन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	350.50	186.36	164.14	47
139.	3601.03.467.07- व्यवसायिक सहायता एवं अन्य क्रियाकलाप	65.00	-	65.00	100
अनुदान सं.86- जहाजरानी विभाग					
140.	2852.06.102.21- गैर-केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पोत-कारखानों एवं निजी क्षेत्र पोत कारखानों को आर्थिक सहायता	60.00	-	60.00	100
141.	5051.02.200.01-अवतरण सुविधाओं तथा घाटों का निर्माण	43.93	22.04	21.89	50
142.	5052.01.800.01- सर्वेक्षण जलयान	79.00	5.00	74.00	94

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं. 87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग					
143.	3055.00.004.25- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुधारना और सुदृढीकरण	24.99	0.20	24.79	99
144.	3601.04.106.01- आर्थिक महत्व का मार्ग	75.00	40.00	35.00	47
145.	3602.04.105.01- अन्तर राज्य अथवा आर्थिक महत्व का मार्ग	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 88- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय					
146.	2225.01.277.18 -अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	20.00	4.95	15.05	75
147.	2235.02.107.07- वृद्धाश्रम के निर्माण आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों/पंचायती राज संस्थान को सहायता	11.70	-	11.70	100
अनुदान सं. 89- अंतरिक्ष विभाग					
148.	3252.00.053.06- इनसैट-4 उपग्रह	95.00	23.53	71.47	75
149.	3402.00.101.41- विकसित संचार उपग्रह	15.00	-	15.00	100
150.	3402.00.101.43- मानव मिशन पहल/मानव अन्तरिक्ष कार्यक्रम	100.00	29.92	70.08	70
151.	3402.00.101.45- सेमी क्रायोजेनिक इंजन/स्तर विकास	15.00	4.27	10.73	72
152.	3402.00.101.46- पृथ्वी प्रेक्षण-नए मिशन (सरल, जियो-एच.आर. इमेजर, टी.इ.एस.एच.वाई.पी., डी.एम.एस.ए.आर. तथा कार्टो-3)	20.00	-	20.00	100
153.	3402.00.102.08- नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी (एन.आर.एस.ए.)	35.00	-	35.00	100
154.	3402.00.102.10- आपदा प्रबंधन सहायता	50.00	12.23	37.77	76
155.	3402.00.103.05- अन्य योजनाएं	21.13	10.40	10.73	51

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
156.	3402.00.103.13- वातावरण अध्ययन हेतु लघु उपग्रह	10.00	-	10.00	100
157.	5252.00.203.04- इनसैट-4 लांच सेवाएं	60.00	-	60.00	100
158.	5402.00.101.07- लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर (एल.पी.एस.सी.)	33.96	10.08	23.88	70
159.	5402.00.101.08- इसरो उपग्रह केन्द्र (आई.एस.ए.सी.)	69.46	29.93	39.53	57
160.	5402.00.101.35- मानव मिशन पहल/मानव अन्तरिक्ष कार्यक्रम	25.00	4.90	20.10	80
161.	5402.00.101.38-पृथ्वी प्रेक्षण-नए मिशन (सरल, जियो-एच.आर. इमेजर, टी.इ.एस.एच.वाई.पी., डी.एम.एस.ए.आर. तथा कार्टो-3)	45.00	-	45.00	100
162.	5402.00.102.01- स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एस.ए.सी.)	52.19	25.77	26.42	51
163.	5402.00.800.02- विशेष स्वदेशीकरण/अग्रिम आदेश	330.00	50.00	280.00	85
अनुदान सं. 90- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
164.	3454.02.204.19- क्षमता विकास (सी.एस.ओ. का क्षमता विकास असंस्थागत विकास तथा क्षमता निर्माण)	41.10	23.68	17.42	42
165.	3601.03.432.04- भारतीय सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकी प्रणाली का आधुनिकीकरण)	16.00	-	16.00	100
अनुदान सं. 91- इस्पात मंत्रालय					
166.	2852.80.800.23- लौह तथा इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन हेतु योजना	18.50	-	18.50	100
अनुदान सं. 92- कपड़ा मंत्रालय					
167.	6860.60.190.01- राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम	240.10	114.83	125.27	52

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं. 93- पर्यटन मंत्रालय					
168.	3452.80.800.14- आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन	40.00	20.42	19.58	49
अनुदान सं. 94- जनजातीय कार्य मंत्रालय					
169.	3601.03.360.01- लघु वन उत्पाद हेतु जन-जातीय विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	40.00	16.00	24.00	60
170.	4225.80.190.13- राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम को सहायता	50.00	-	50.00	100
अनुदान सं. 100- शहरी विकास विभाग					
171.	2217.05.800.13- एकत्रित वित्त विकास निधि	20.00	-	20.00	100
172.	2217.05.800.19- ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना	10.00	-	10.00	100
173.	2217.80.001.02- शहरी परिवहन (घरेलू स्रोतों) में शहरी परिवहन योजना एवं क्षमता निर्माण	26.00	3.10	22.90	88
अनुदान सं. 101 - लोक निर्माण कार्य					
174.	2059.01.799.01- भंडार	30.00	10.64	19.36	65
अनुदान सं. 104- महिला एवं बाल विकास विभाग					
175.	2235.02.102.18- एकीकृत बाल विकास सेवाएं	42.20	14.88	27.32	65
176.	2235.02.102.35- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ए.बा.सं.यो.)	50.00	-	50.00	100
177.	2235.02.103.03- कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल	17.98	2.40	15.58	87
178.	2235.02.103.15- प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता (एस.टी.ई.पी.)	33.30	16.02	17.28	52
179.	2235.02.103.46- स्वयंसिद्धा	49.78	-	49.78	100
180.	2235.02.103.55- बलात्कार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास	36.00	-	36.00	100
181.	2235.02.103.57- प्रियदर्शनी	23.00	-	23.00	100
182.	3601.04.356.04-स्वयंसिद्धा	115.50	-	115.50	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
183.	3601.04.358.07- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ए.बा.सं.यो.)	117.22	-	117.22	100
184.	3602.04.356.04-स्वयंसिद्धा	14.80	-	14.80	100
185.	3602.04.358.06- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ए.बा.सं.यो.)	12.78	-	12.78	100
रक्षा सेवाएं					
26 – रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
186.	4076.01.106 – रोलिंग स्टॉक	39.84	(-) 0.18	40.02	100
डाक					
12 – डाक विभाग					
187.	3201.02.104.15 – मशीनीकरण और आधुनिकीकरण (अन्य मदे)	80.00	22.83	57.17	71

परिशिष्ट VIII- अ
(पैराग्राफ 8.16 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(बजट प्रावधान की 100 करोड़ रुपये और अधिक की बचतें)

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
1 - कृषि एवं सहकारिता विभाग					
1.	2401.00.108.28- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	993.00	878.24	114.76	पिछले वर्षों के शेषों की उपलब्धता।
2.	2401.00.800.02- एम.आई.एस./पी.एस.एस. हेतु भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड को अनुदान	500.00	375.00	125.00	कम प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति
3.	2401.00.800.35- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य/सं.शा.क्षे. आयोजना को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना)	1580.00	1305.95	274.05	प्रस्तावों को अंतिम रूप न देना।
4- परमाणु ऊर्जा					
4.	2852.09.202.01- ईंधन निर्माण सुविधाएं	831.34	720.10	111.24	फास्ट ब्रिरीडर रियक्टर सुविधा हेतु सामग्री एवं पुर्जों के प्रापण में विलम्ब
13- दूरसंचार विभाग					
5.	3275.00.797.01- सार्वभौम सेवा बाध्यता निधि को अंतरण	2000.00	1600.00	400.00	नई योजना को प्रारम्भ न करना तथा मितव्ययी उपाय।
16- खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग					
6.	2408.01.102.02- भा.खा.नि. एवं अन्य खाद्यान्न लेन-देनों को देय आर्थिक सहायता	39114.28	36744.10	2370.18	भा.खा.नि. द्वारा खाद्यान्न का कम प्रापण

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
19- रक्षा मंत्रालय					
7.	4047.00.037.01- तटीय सतर्कता संगठन	947.97	506.43	441.54	गियर बॉक्स की प्राप्ति तथा जी.एस.एल. फ्लैटों आदि की खरीद में विलम्ब के कारण, जलयानों की सुपुर्दगी तथा यार्ड 1024 के स्तर VII की गैर-प्राप्ति में विलम्ब।
30- विदेश मंत्रालय					
8.	3605.00.101.33- अफगानिस्तान को सहायता	445.00	339.91	105.09	चल रही परियोजनाओं हेतु निधियों की कम आवश्यकता तथा भारतीय विद्युत ग्रिड निगम से बिलों की गैर-प्राप्ति।
9.	4070.00.800.23- विवेकाधीन व्यय	426.25	321.19	105.06	अभिकल्पना के अनुसार क्रियाकलापों का गैर कार्यान्वयन।
34- विनियोग-ब्याज भुगतान					
10.	2049.01.125- विशेष केन्द्र/राज्य सरकार प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशि के पुनःनिवेश के प्रति एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष भारत सरकार प्रतिभूतियां	6758.26	6452.36	305.90	राज्य सरकारों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश न करने के कारण
11.	2049.02.216- आई.बी.आर.डी. से कर्जे पर ब्याज	1309.97	962.07	347.90	ब्याज दरों में कमी के कारण।

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
12.	2409.02.249- एशियाई विकास बैंक से कर्जे पर ब्याज	874.28	737.08	137.20	ब्याज दर में कमी तथा प्रतिबद्ध प्रभारों का अधित्याग
13.	2049.03.104.01- सामान्य भविष्य निधि	3342.76	3204.16	138.60	निधियों से अधिक आहरण के कारण।
14.	2049.03.108.06- डाक बीमा एवं जीवन वार्षिकी निधि	1364.16	1224.43	139.73	कम अंशदान के कारण
35- राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण					
15.	2075.00.795.03- राज्य सरकार के कर्जों को बट्टे खाते में डालना	5824.22	5671.10	153.12	ऋण अधित्याग हेतु योग्य पाई गई कम राज्य सरकारें
16.	3601.01.104.03- विपत्ति राहत निधि को अंशदान	3358.63	3220.48	138.15	राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर-प्राप्ति आदि।
17.	3601.01.104.09- सड़कों एवं पुलों के अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान	4236.10	3183.78	1052.32	शर्तों को पूरा न करना।
18.	3601.02.101.01- सामान्य केन्द्रीय सहायता	18491.98	15948.17	2543.81	राज्य सरकारों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र का गैर-प्रस्तुतीकरण
19.	3601.02.101.06- बाह्य स्त्र से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	3712.00	3405.22	306.78	योजना आयोग की अनुशंसा के अनुसार
20.	3601.02.101.27- राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.)	469.37	284.21	185.16	राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कार्य योजना के अंतर्गत कुछ प्रस्तावों का गैर-प्रस्तुतीकरण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
37- विनियोग-ऋण की पुनःअदायगी					
21.	6001.00.101- बाजार कर्ज	40075.04	39370.01	705.03	स्टॉक धारकों द्वारा कॉल पुट विकल्प का कम प्रयोग करना
22.	6001.00.106.31- 6.5% बचत बंधपत्र, 2003 (गैर-करयोग्य)	17486.12	17326.32	159.80	बंधपत्र धारकों द्वारा मोचन हेतु कम दावों का पुर्नभुगतान
23.	6001.00.110-364 दिवसीय खजाना बिल	35000.00	32205.30	2794.70	राज्य सरकार द्वारा गैर प्रतिस्पर्धी बोलियों के अंतर्गत कम निवेश
24.	6001.00.114- अर्थोपाय अग्रिम	283026.00	226012.00	57014.00	अर्थोपाय अग्रिम का कम सहारा लेना।
41- राजस्व विभाग					
25.	3601.01.110.17- सी.एस.टी. के विभाजन के कारण राजस्व हानियों हेतु राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति	2450.00	1950.00	500.00	राज्य सरकारों से कम दावों की प्राप्ति।
43- अप्रत्यक्ष कर					
26.	2038.00.101.01- आयुक्तालय	1483.05	1374.29	108.76	खाली पदों को न भरना, चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति तथा अधिकारियों द्वारा की गई कम यात्राएं।

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग					
27.	2210.06.101.08- राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	465.15	321.56	143.59	राज्य मलेरिया नियंत्रण समितियों द्वारा राज्य कार्य योजना का गैर-प्रस्तुतीकरण तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्मिकों की गैर नियुक्ति
53- पुलिस					
28.	2055-00.102.01- स्थापना	5453.38	5182.13	271.25	हथियार एवं गोलाबारूद, मशीनरी की खरीद को अंतिम रूप न देना तथा खाली पदों को न भरना आदि
29.	2055-00.105.01- महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	5244.46	4947.92	296.54	हथियार एवं गोलाबारूद, मशीनरी की खरीद को अंतिम रूप न देना तथा खाली पदों को न भरना, वाहन दुर्घटना दावों आदि को अंतिम रूप न देना आदि.
30.	2055-00.120.01-स्थापना (सशस्त्र सीमा बल)	1217.20	1048.87	168.33	हथियार एवं गोलाबारूद, मशीनरी की खरीद को अंतिम रूप न देना तथा खाली पदों को न भरना तथा मितव्ययी उपाय।

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
55- संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण					
31.	3602.02.101.01- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1240.02	808.22	431.80	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से परियोजनाओं की स्वीकृति की गैर-प्राप्ति।
57- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग					
32.	3601.04.187.06- राज्यों को सहायता (दोपहर के भोजन की योजना)	5701.00	5005.27	695.73	राज्यों से व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति के कारण।
59- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय					
33.	2221.80.102.01- प्रसार भारती	1345.01	1218.94	126.07	सॉफ्टवेयर योजना की गैर-स्वीकृति, राष्ट्रमण्डल युवा खेलों का इन-हाउस आवृत्तन तथा आउटसोर्सिंग हेतु निधियों की कम आवश्यकता।
69- पंचायती राज मंत्रालय					
34.	3601.02.471.01- पिछड़े क्षेत्रों हेतु अनुदान	4670.00	3889.76	780.24	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति।
92- कपड़ा मंत्रालय					
35.	2852.08.202.27- एकीकृत कपड़ा उद्यान	425.00	279.59	145.41	योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की धीमी प्रगति।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
94- जनजातीय कार्य मंत्रालय					
36.	3601.02.104.02- जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत योजना	900.00	780.87	119.13	2007-08 के लिए उपयोगिता एवं निष्पादन रिपोर्ट की गैर प्राप्ति तथा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

परिशिष्ट-IX-क
(पैराग्राफ 9.6 के संदर्भ में)
निधियों का भारी पुनर्विनियोग

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	क्र. सं	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग
2006-07 (राजस्व)	1	2801.03.101.07- टी.ए.पी.एस. हेतु बी.डब्ल्यू.आर. ईंधन	240.00	---	(-) 92.34
	2	2801.03.101.08- अन्य स्टेशनों हेतु पी.एच.डब्ल्यू.आर. ईंधन	843.90	--	(-) 71.56
	3	2801.03.101.09- के.के.एन.पी. हेतु ईंधन	--	116.51	(-) 5.37
	4	2801.03.103.01- तारापुर में व्यर्थ अचल संयंत्र का संचालनात्मक व्यय	9.70	---	(+) 2.60
	5	2801.03.104.01- संचालन एवं अनुरक्षण	71.98	--	(-) 13.85
	6	2801.03.104.03- मशीनरी एवं उपकरण	4.73	--	(-) 3.65
2006-07 (पूँजीगत)	7	4801.03.104.02- प्रोटोटाईप फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टेज 'क' फ़ेज-II कच्चे माल के उत्पादन हेतु विकसित देशी क्षमता	10.00	--	(+) 2.98
	8	4801.03.190.01- भारतीय नाभिकीय शक्ति निगम लिमिटेड	400.00	966.86	(-) 400.00
	9	4801.03.190.02- भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	481.85	--	(-) 286.85
	10	4801.03.800.29 नाभिकीय शक्ति संयंत्र हेतु अतिरिक्त उन्नयन सुविधा	0.05	--	(+) 1.87
	11	4801.03.800.41- आर.ए.पी.एस. में अतिरिक्त खर्च किए गए ईंधन भण्डारण सुविधा	5.10	--	(+) 1.94
	12	6801.00.206.01- भारतीय नाभिकीय शक्ति निगम लिमिटेड को कर्जे	1606.00	346.47	(-) 429.22
	13	6801.00.206.03- के.के.एन.पी. हेतु ईंधन	--	0.01	(+) 396.11
2007-08 (राजस्व)	1	2801.03.101.07- टी.ए.पी.एस. हेतु बी.डब्ल्यू.आर. ईंधन	11.64	--	(+) 0.66
	2	2801.03.101.08- अन्य स्टेशनों हेतु पी.एच.डब्ल्यू.आर. ईंधन	1239.56	--	(-) 545.56
	3	2801.03.101.09- के.के.एन.पी. ईंधन	82.86	--	(-) 19.02
	4	2801.03.103.01- तारापुर में व्यर्थ अचल संयंत्र का संचालनात्मक व्यय	11.86	--	(+) 0.93
	5	2801.03.103.02- कलपक्कम में व्यर्थ प्रबंधन सुविधाओं का संचालनात्मक व्यय	8.39	--	(-) 0.47
	6	2801.03.103.03- तारापुर में व्यर्थ अचल संयंत्र का संचालनात्मक व्यय	4.80	--	(+) 0.74
	7	2801.03.104.01- संचालन एवं अनुरक्षण	67.05	--	(-) 3.63
	8	2801.03.104.03- मशीनरी एवं उपकरण	0.40	--	(-) 0.40

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	क्र. सं	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग
2007-08 (पूजीगत)	9	4801.03.104.04-फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर-आई.जी.सी.ए.आर.	2.00	--	(+) 2.19
	10	4801.03.190.02-भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	926.00	--	(-) 536.00
	11	4801.03.800.41-आर.ए.पी.एस. में अतिरिक्त खर्च किए गए ईंधन भण्डारण की सुविधा	0.10	--	(+) 0.46
	12	4801.03.800.43- बी.ए.आर.सी. सुविधाएं	0.90	--	(+) 0.50
	13	6801.00.206.01- भारतीय नाभिकीय शक्ति निगम लिमिटेड को कर्ज	1021.97	--	(-) 648.68
	14	6801.00.206.03- के.के.एन.पी. हेतु ईंधन	396.12	--	(-) 59.00
2008-09 (राजस्व)	1	2801.03.101.07-टी.ए.पी.एस. हेतु बी.डब्ल्यू.आर. ईंधन	13.07	--	(+)134.87
	2	2801.03.101.08-अन्य स्टेशनों हेतु पी.एच. डब्ल्यू.आर. ईंधन	1308.88	--	(-) 656.82
	3	2801.03.101.09- के.के.एन.पी. ईंधन	66.62	--	(+)145.98
	4	2801.03.103.01- तारापुर में व्यर्थ अचल संयंत्र का संचालनात्मक व्यय	14.13	2.62	(-)1.10
	5	2801.03.102.02- कलपक्कम में व्यर्थ प्रबंधन का संचालनात्मक व्यय	8.21	1.63	(-) 0.33
	6	2801.03.103.03- तारापुर में व्यर्थ प्रबंधन का संचालनात्मक व्यय	5.24	1.95	(-) 1.12
	7	2801.03.103.04- एम.ए.पी.एस. हेतु अतिरिक्त उन्नयन सुविधाओं हेतु संचालनात्मक व्यय	2.57	0.03	(-) 1.36
	8	2801.03.104.01-प्रचालन एवं अनुस्क्षण	67.07	--	(+) 7.32
	9	2801.03.800.03- राजस्थान परमाणु शक्ति स्टेशन	0.61	--	(+) 0.30
2008-09 (पूजीगत)	10	4801.03.104.04-फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर-आई.जी.सी.ए.आर.	10.00	--	(-) 6.00
	11	4801.03.190.02-भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	620.00	105.00	(+) 4.00
	12	4801.03.800.43-बी ए आर सी सुविधाएं	1.50	--	(-) 0.65
	13	6801.00.206.03- के.के.एन.पी. हेतु ईंधन	335.28	75.02	(+) 2.00

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

परिशिष्ट-IX-ख
(पैराग्राफ 9.17 के संदर्भ में)
निरन्तर बचतें

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (प्रतिशतता)	विभाग द्वारा दिए गए कारण
1.	2210.01.800.26- निरीक्षण समिति के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान पर किया जाने वाला व्यय	2007-08	400.00	--	400.00 (100)	निरीक्षण समिति की अनुशंसाओं के अनुसार योजना को प्रारम्भ न किया जाना।
		2008-09	40.00	8.00	32.00 (80)	उच्च शिक्षण संस्थानों से निधियों की कम मांग।
2.	2210.05.105.26- कैंसर अनुसंधान	2006-07	78.30	48.96	29.34 (37)	अनुदान जारी करने की शर्तों का पूरा न होना।
		2007-08	116.00	52.29	63.71 (55)	जापान अंतरराष्ट्रीय निगम से सहायता हेतु प्रस्तावों को कार्यान्वित न किया जाना।
		2008-09	112.93	44.27	68.66 (61)	व्यपित शेष की उपलब्धता, क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा रेडियोथेरेपी सुविधाओं हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिया जाना।
3.	2210.06.800.28 - खाद्य एवं औषधि हेतु क्षमता निर्माण परियोजना - बाह्य रूप से सहायता प्राप्त घटक	2007-08	52.27	8.41	43.86 (84)	मजदूरी, कार्यालय व्यय तथा लघु निर्माण कार्यों हेतु निधियों की कम आवश्यकता।
		2008-09	45.00	3.04	41.96 (93)	विदेशी सहायता को क्रियान्वित न करना।
4.	3601.04.246.01- आर.सी.एच. औषधि एवं उपकरण की आपूर्ति	2006-07	214.00	--	214.00 (100)	विश्व बैंक के साथ करारनामों को अन्तिम रूप न दिया जाना।
		2007-08	178.00	--	178.00 (100)	विश्व बैंक के साथ करारनामों को अन्तिम रूप न दिया जाना।
		2008-09	254.00	--	254.00 (100)	परियोजना सेवाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यू.एन.ओ.पी.एस.) के साथ करारनामों को अन्तिम रूप न दिया जाना।
5.	3601.04.263.69 - एकीकृत रोग निगरानी परियोजना	2006-07	38.00	--	38.00 (100)	राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय स्तर प्रापण का विकेन्द्रीकरण।
		2007-08	32.00	--	32.00 (100)	प्रयोगशालाओं की संख्या में कटौती।
		2008-09	16.00	--	16.00 (100)	राज्य सरकारों से मांगों की प्राप्ति न होना।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

परिशिष्ट-IX - ग
(पैराग्राफ 9.18 के संदर्भ में)
अनावश्यक एवं अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं	उप-शीर्ष	उपलब्ध प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
2006-07				
1.	4210.01.110.04 - सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	अ 0.01 पु 1.00	--	1.01
2007-08				
2.	2210.05.105.33 - क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पाण्डेचेरी	मू 44.40 पु 5.46	43.51	6.35
3.	2210.06.101.08 - राष्ट्रीय वायुजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	मू 167.11 अ 280.50 पु 5.53	404.74	48.40
4.	2210.06.800.08 - स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रबंधन	अ 9.00 पु 0.10	5.83	3.27
5.	2211.00.106.12 -पी एन डी टी अधिनियम पर सूचना, शिक्षा एवं संचार	अ 5.00 पु 0.07	3.64	1.43
6.	2211.00.800.13 - लोक एवं निजी सांझेदारी पी पी पी के अंतर्गत एफ़.पी. कार्यक्रम में गै.स.सं. की भागीदारी	अ 18.40 पु 0.83	18.01	1.22
2008-09				
7	2251.00.090.19 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	अ 28.31 अ 6.60 पु 0.97	34.33	1.55
8	2210.01.001.03 - स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय	अ 25.62 अ 5.17 पु 0.69	29.61	1.88
9	2210.01.104.02 -डिपो	अ 27.00 अ 3.28 पु 0.69	29.92	1.04
10	2210.05.105.33 - क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पाण्डेचेरी	अ 65.00 अ 4.46 पु 1.82	64.16	7.12
11	2210.06.102.05 - प्रशासन एवं खाद्य अपमिश्रण रोकथाम	अ 6.81 पु 1.02	6.80	1.04
12	2210.06.104.02 - केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन	अ 20.25 पु 0.22	18.76	1.72
13	2210.06.800.29 - आपातकालीन चिकित्सा राहत (एवियन फ़्लू)	अ 2.30 पु 4.75	1.76	5.29

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

क्र. सं	उप-शीर्ष	उपलब्ध प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
14	2211.00.001.03 - क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय	अ 8.94 अ 1.60 पु 1.93	7.96	4.51
15	2211.00.200.04 - गर्भनिरोधकों का सामाजिक विपणन	अ 27.02 पु 3.16	25.13	5.05
16	4210.01.103.04 - औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना	अ 10.00 अ 0.01 पु 1.23	7.55	3.69

परिशिष्ट-IX -घ
(पैराग्राफ 9.20 के संदर्भ में)

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(लाख रुपयों में)

अनुदान संस्वीकृति का वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण- पत्र/राशि	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
स्वास्थ्य विभाग						
1983-84	1	0.78	--	--	1	0.78
1984-85	1	0.9	--	--	1	0.90
1985-86	0	0	--	--	--	0.00
1986-87	1	0.50	--	--	1	0.50
1987-88	1	12.00	--	--	1	12.00
1988-89	1	0.30	--	--	1	0.30
1989-90	1	1.00	--	--	1	1.00
1993-94	8	236.44	2	6.25	6	230.19
1994-95	1	0.31	--	0.00	1	0.31
1995-96	17	396.10	3	120.32	14	275.78
1996-97	3	21.22	2	10.06	1	11.16
1997-98	35	588.90	5	12.41	30	576.49
1998-99	56	1560.21	2	15.00	54	1545.21
1999-00	66	1589.94	2	15.31	64	1574.63
2000-01	50	1323.74	1	9.18	49	1314.56
2001-02	32	802.29	4	23.98	28	778.31
2002-03	39	832.74	1	0.65	38	832.09
2003-04	253	5180.44	37	202.13	216	4978.31
2004-05	128	5530.47	--	0.00	128	5530.47
2005-06	310	37284.71	63	5570.47	247	31714.24
2006-07	830	137938.84	335	97607.19	495	40331.65
2007-08	762	118956.08	48	8341.46	714	110614.62
योग	2596	312257.91	505	111934.41	2091	200323.50
परिवार कल्याण विभाग						
1993-94	5	8.88	1	1.49	4	7.39
1995-96	63	163.83	--	--	63	163.83
1996-97	78	230.58	--	--	78	230.58
1997-98	48	286.71	1	6.45	47	280.26
1998-99	37	187.99	--	--	37	187.99
1999-00	25	331.11	1	11.48	24	319.63
2000-01	54	1133.58	--	--	54	1133.58
2001-02	49	759.72	1	146.71	48	613.01
2002-03	78	2025.02	1	107.91	77	1917.11
2003-04	155	6971.83	13	1566.33	142	5405.50
2004-05	213	21524.62	16	4808.78	197	16715.83
2005-06	473	167647.21	139	60800.81	334	106846.40
2006-07	763	349671.04	263	156162.07	500	193508.97
2007-08	478	451260.05	--	--	478	451260.05
योग	2519	1002202.17	436	223612.03	2083	778590.13
सकल योग	5115	1314460.08	941	335546.44	4174	978913.63

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

परिशिष्ट- IX - ड
(पैराग्राफ 9.23 के संदर्भ में)
अवास्तविक बजट अनुमान

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशतता)	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
2006-07					
1.	2055.00.104.06-सीमा जांच केन्द्र	20.00	7.76	12.24 (61)	राज्य सरकारों से कम दावों की प्राप्ति।
2.	4055.00.800.06-अन्य सीमाओं का प्रबंधन	130.11	12.58	117.53 (90)	मोटर बोटों के क्रय हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
2007-08					
3.	2055.00.115.09-आधुनिकीकरण हेतु दिल्ली पुलिस को सहायता	122.40	8.89	113.51 (93)	(i) भूमि अधिग्रहण न होने के कारण आवासीय परियोजना को अंतिम रूप न दिया जाना। (ii) उपकरणों के क्रय को अंतिम रूप न दिया जाना।
4.	2055.00.800.10-विधान सभा के बगैर संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस बल का आधुनिकीकरण।	41.20	23.63	17.57 (43)	संघ शासित क्षेत्र सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों की गैर-प्राप्ति।
5.	4055.00.210.02-राष्ट्रीय अपराध-विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान	11.66	0.49	11.17 (96)	निर्माण हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति।
6.	4055.00.213.04-सामान्य	135.00	61.88	73.12 (54)	डी.जी.एस. एण्ड डी. द्वारा दर संविदा को अंतिम रूप न दिया जाना।
7.	4055.00.800.02-राष्ट्रीय न्यायिक प्रयोगशाला	33.72	4.85	28.87 (86)	व्यय वित्त समिति द्वारा दस्तावेजों तथा मशीनरी तथा उपकरणों के क्रय को अंतिम रूप न दिया जाना।
8.	4055.00.800.06-अन्य सीमाओं का प्रबंधन (भारत-पाक एवं भारत-बांग्लादेश की सीमा को छोड़कर)	130.11	60.20	69.91 (54)	पोत-कारखाने से मोटर बोटों के क्रय हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना।
9.	4055.00.800.07-भारत-चीन सीमा	50.00	1.73	48.27 (97)	भारत चीन सीमा पर सड़क के निर्माण तथा उपकरणों के क्रय हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण।
2008-09					
10.	2055.00.800.11-अपराध तथा अपराधिक नेटवर्क प्रणाली	210.00	2.50	207.50 (99)	मंत्रीमंडल से योजना/प्रस्ताव हेतु अनुमोदन प्राप्त न होना।
11.	4055.00.213.02-आवासीय भवन	77.38	17.79	59.59 (77)	गुवाहाटी में 14 टाइप IV क्वार्टरों के क्रय हेतु संस्वीकृति प्राप्त न होना।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

12.	4055.00.213.05- आधुनिकीकरण	83.17	14.77	68.40 (82)	मशीनरी तथा उपकरणों के प्रापण हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना।
13.	4055.00.800.07- भारत-चीन सीमा	44.00	1.50	42.50	भारत चीन सीमा पर निर्माण कार्य पर वन विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

परिशिष्ट- IX -च
(पैराग्राफ 9.24 के संदर्भ में)
समग्र निधियों का उपयोग न किया जाना

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	मंत्रालय द्वारा आरोपित किए गए कारण
2006-07					
1	4055.00.210.02- राष्ट्रीय अपराध-विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान	1.20	शून्य	1.20	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना
2	4055.00.800.08-भारत-म्यानमार सीमा कार्य	2.00	शून्य	2.00	भारत-म्यानमार सीमा पर सीमा क्षेत्र का संरक्षण न किया जाना
2007-08					
1	2055.00.119.12- दिल्ली पुलिस में नवीनतम प्रौद्योगिकी का आरम्भ	20.00	शून्य	20.00	प्रौद्योगिकी क्रय हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना।
3	4055.00.800.08-भारत-म्यानमार सीमा निर्माण कार्य	2.00	शून्य	2.00	बार्ब फेंसिंग के कार्य को आरम्भ न करने के कारण।
2008-09					
1	4055.00.201.04-आधुनिकीकरण	37.00	शून्य	37.00	प्रशासनिक कारणों के कारण वाहनों तथा मशीनरी एवं उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना।
2	4055.00.210.05- पुलिस ब्यूरो अनुसंधान एवं विकास	6.01	शून्य	6.01	भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

परिशिष्ट-IX- छ
(पैराग्राफ 9.26 के संदर्भ में)

निरन्तर बचत

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	Year	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशतता)	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
1.	2055.00.101.03- केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला	2006-07	21.85	16.91	4.94 (23)	खाली पर्दों को न भरना, मशीनरी एवं उपकरणों आदि के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना।
		2007-08	15.97	10.35	5.62 (35)	ई.एफ़.सी. द्वारा व्यय को अंतिम रूप न दिया जाना।
		2008-09	16.66	14.30	2.36 (15)	खाली पर्दों को न भरना, लेखन-सामग्री आदि के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना।
2.	2055.00.104.06- सीमा जांच केन्द्र	2006-07	20.00	7.76	12.24 (61)	राज्य सरकारों से कम दावों की प्राप्ति।
		2007-08	20.00	4.05	15.95 (80)	राज्य सरकारों से कम दावों की प्राप्ति।
3.	4055.00.800.01- समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलेस)	2007-08	9.93	4.13	5.80 (58)	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति।
		2008-09	10.66	3.90	6.76 (63)	मशीनरी एवं उपकरण के क्रय के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना।
4.	4055.00.800.02- केन्द्रीय फ़ोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	2006-07	1.52	1.25	0.27 (18)	उपलब्ध नहीं।
		2007-08	33.72	4.85	28.87 (86)	ई.एफ़.सी. द्वारा व्यय को तथा मशीनरी एवं उपकरणों आदि के क्रय को अंतिम रूप न दिया जाना।
		2008-09	20.22	18.85	1.37 (7)	भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना।
5.	4055.00.800.06- अन्य सीमा का प्रबंधन	2006-07	130.11	12.58	117.53 (90)	मोटर बोटों तथा उपकरणों का क्रय न करना
		2007-08	130.11	60.20	69.91 (54)	मोटर बोटों का क्रय न करना
		2008-09	99.11	89.38	9.73 (10)	मोटर बोटों का क्रय न करना
6.	4055.00.800.07- भारत-चीन सीमा	2006-07	10.00	0.90	9.10 (91)	कार्यकारी अभिकरण द्वारा कार्य आरम्भ न करने/निधियों के उपयोग न करना।
		2007-08	50.00	1.73	48.27 (97)	भारत चीन सीमा पर सड़क के निर्माण को अंतिम रूप न दिया जाना।
		2008-09	44.00	1.50	42.50 (97)	भारत चीन सीमा पर सड़कों के निर्माण को अंतिम रूप न दिया जाना।
7.	4055.00.800.08- भारत-म्यानमार सीमा निर्माण कार्य	2006-07	2.00	-	2.00 (100)	भारत-म्यानमार सीमा पर सीमा क्षेत्र का संरक्षण न किया जाना।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

		2007-08	2.00	-	2.00 (100)	सीमा क्षेत्र पर बाब फेंसिंग के निर्माण कार्य को आरम्भ न करना।
		2008-09	12.90	-	12.90 (100)	सीमा क्षेत्र पर बाब फेंसिंग के निर्माण कार्य को आरम्भ न करना।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

परिशिष्ट-IX-ज
(पैराग्राफ 9.27 के संदर्भ में)
उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	प्रावधान	उपलब्ध प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
2006-07					
1	2055.00.800.08- भारत-पाक सीमा कार्य	मू 44.35 पु - 10.87	33.48	50.10	16.62
2	4055.00.203.01- सीमा सुरक्षा बल निदेशालय	मू 185.18 पु - 29.42	155.76	155.93	0.17
3	4055.00.210.01- राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	मू 3.50 पु 1.24	4.74	5.20	0.46
4	4055.00.212.01- कार्यालय भवन	मू 55.00 पु - 3.03	51.97	52.89	0.92
2007-08					
5.	2055.00.101.09- राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान निदेशालय	मू 2.69 पु -1.15	1.54	1.90	0.36
6.	2055.00.105.01- महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल	मू 3447.53 अ 11.00 पु -7.61	3450.92	3475.06	24.14
7.	2055.00.113.05- केन्द्रीय पुलिस संगठन को कल्याण अनुदान	मू 45.00 पु -1.90	43.10	44.15	1.05
2008-09					
8.	2055.00.115.09- आधुनिकीकरण हेतु दिल्ली पुलिस को सहायता	मू 122.40 पु -100.00	22.40	107.93	85.53
9.	2055.00.119.01- निर्देशन एवं प्रशासन	मू 1484.39 अ 526.40 पु -60.02	1950.77	1952.98	2.21
10.	2055.00.119.12- दिल्ली पुलिस में नवीनतम प्रौद्योगिकी का आरम्भ	मू 33.50 पु -31.94	1.56	3.76	2.20
11.	4055.00.210.01- राष्ट्रीय पुलिस अकादमी	मू 6.40 पु -1.23	5.17	8.07	2.90
12.	4055.00.212.01- कार्यालय भवन	मू 25.00	25.00	26.42	1.42
13.	4055.00.213.01- कार्यालय भवन	मू 80.00 पु -4.00	76.00	77.42	1.42

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

परिशिष्ट-IX-झ
(पैराग्राफ 9.28 के संदर्भ में)

बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	अनुदान संस्वीकृत करने का वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	सीमा प्रबंधन	2005-06	9	13.04	9	10.71	---	2.33
		2006-07	8	8.95	8	4.16	---	4.79
		2007-08	4	4.34	3	1.92	1	2.42
2.	पुलिस आधुनिकीकरण	2000-01	28	1000.00	28	1000.00	---	---
		2001-02	28	1000.00	26	999.26	2	0.74
		2002-03	28	695.00	27	693.77	1	1.23
		2003-04	28	705.27	26	703.58	2	1.69
		2004-05	28	960.00	25	958.61	3	1.39
		2005-06	28	1025.00	23	1021.45	5	3.55
		2006-07	28	1065.22	12	1017.14	16	48.08
		2007-08	28	1248.70	7	1115.92	21	132.78
3.	उत्तर पूर्वी	2000-01	8	59.47	8	59.47	-	-
		2001-02	8	80.61	7	79.89	1	0.72
		2002-03	8	43.75	7	42.52	1	1.23
		2003-04	8	95.24	7	95.21	1	0.03
		2004-05	8	81.30	6	80.10	2	1.20
		2005-06	8	108.24	6	106.66	2	1.58
		2006-07	8	120.42	7	120.21	1	0.21
		2007-08	8	202.27	3	171.75	5	30.52
योग			309	8516.82	245	8282.33	64	234.49

परिशिष्ट-IX-ज
(पैराग्राफ 9.29 के संदर्भ में)

पुनर्विनियोग जो संसद को सूचित नहीं किए गए
(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	पुनर्विनियोग की गई राशि
2006-07		
1	2055.00.119.02 - शिक्षा एवं प्रशिक्षण	20.86
2	4055.00.202.01 - कार्यालय भवन	31.00
3	4055.00.202.02 - आवासीय भवन	73.00
4	4055.00.202.03 - सीमा बाहर डाक	8.00
2007-08		
1	3601.01.117.01 - बटालियनों की नियुक्ति हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति	6.00
2	4055.00.202.01 - कार्यालय भवन	25.00
3	4055.00.202.02 - आवासीय भवन	46.00
4	4055.00.213.01 - कार्यालय भवन	38.50
5	4055.00.213.02 - आवासीय भवन	24.90
6	4055.00.800.04 - भारत-पाक सीमा निर्माण कार्य	32.40

परिशिष्ट-IX-ट
(पैराग्राफ 9.34 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजट अनुमान

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशतता)	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
2006-07					
1.	5051.02.200.05- पश्च सुनामी कार्य	89.76	44.52	45.24 (50)	परियोजनाओं/योजनाओं के अनुमोदन तथा समापन में विलम्ब।
2007-08					
2.	2852.06.102.21- गैर-सरकारी लो.क्षे.उ. पोत-कारखानों एवं निजी क्षेत्र पोत-कारखानों को सहायता	132.00	27.02	104.98 (80)	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित प्रस्तावों का प्राप्त न होना
3.	3051.80.004.01- अन्य मर्दे (अ. एवं वि. योजनाएं)	17.74	0.50	17.24 (97)	बचत, प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण
4.	5051.02.200.01- अवतरण सुविधाओं तथा घाटों का निर्माण	61.36	30.46	30.90 (50)	तीव्र मौसमी दशा, संरचना डिजाइन के संशोधन आदि के कारण
5.	5051.02.200.05-पश्च सुनामी कार्य	105.09	20.20	84.89 (81)	कुछ परियोजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब।
6.	5052.01.800.01- सर्वेक्षण पोत	19.00	-	19.00 (100)	नए सर्वेक्षण पोतों की अधिप्राप्ति हेतु अनुमोदन में विलम्ब।
7.	5052.80.800.10- भारतीय मैरिटाइम विश्वविद्यालय का विकास	40.00	14.00	26.00 (65)	कुछ परियोजनाओं/ योजनाओं का अनुमोदन न होना।
2008-09					
8.	5051.02.200.01- अवतरण सुविधाओं तथा घाटों का निर्माण	43.93	22.04	21.89 (50)	तीव्र मौसमी दशा, संरचना डिजाइन के संशोधन, उपकरणों के अनुमोदन तथा आपूर्ति में विलम्ब, आदि के कारण।
9.	5052.01.800.01- सर्वेक्षण पोत	79.00	5.00	74.00 (94)	रक्षा मंत्रालय से प्रस्तावों का प्राप्त न होना।

शब्दावली

- 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल** : राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों को अपनी अस्थायी अधिशेष निधियाँ निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र।
- 364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : 364 दिवसीय अवधि का उधार लेने का यह साधन अप्रैल 1992 से आरम्भ किया गया था। इस साधन की नीलामी पाक्षिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : उधार के लिए जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया साधन। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- तदर्थ खजाना बिल** : जब कभी सरकार का नकद शेष 50 करोड़ रु. के स्तर से कम हो जाए, संघ सरकार की ओर से भा.रि.बैं. द्वारा उसके पक्ष में सृजित किया गया 91 दिवसीय प्रपत्र। जब भी सरकार का नकद शेष अधिक हो जाए सम्मत स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसी राशियों के तदर्थ रद्द कर दिए गये थे। 1 अप्रैल 1997 से यह प्रपत्र बन्द कर दिया गया था।
- विनियोग** : विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
- विनियोग लेखे** : विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
- विनियोग अधिनियम** : संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
- विनियोग विधेयक** : लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

- पूंजीगत व्यय** : इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए अदायगी, अंश-पूंजी में निवेश और सरकार द्वारा दिए गए उधार एवं अग्रिम आते हैं।
- पूंजीगत प्राप्तियां** : पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्प्राप्ति, विनिवेश की प्राप्ति आदि शामिल है।
- प्रभारित विनियोग** : संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अधीन समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
- भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)** : भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्ज इत्यादि) नामक दो प्रभाग हैं।
- भारत की आकस्मिकता निधि** : विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में, संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा अनपेक्षित व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी हैं।
- ऋण सेवा** : देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
- अनुदानों की मांग** : अनुदानों की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दर्शाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सदन में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती है।
- जैसा कि अनुदानों की मांग सकल व्यय के लिए होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को बताता है, अतः दोनों का योग, खातों में सकल व्यय की कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के बाद का मिलान होना चाहिए।

- अधिक अनुदान** : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक 'खण्ड' अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूंजीगत (प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत्त) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
- बाह्य ऋण** : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक, अ.पु.वि.बैं., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबन्धित ऋण।
- राजकोषीय घाटा** : यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि को शामिल करते हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधार तथा लम्बित ऋणों की वृद्धि दर को भी दर्शाता है।
- उपादान लागत पर स.घ.उ.** : उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन साधनों की उस मूल्य का मापक है जिस पर स.घ.उ. होता है अर्थात् उन साधनों द्वारा अर्जित आय पर। यह बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग से प्राप्त होता है।
- बाजार मूल्य पर स.घ.उ.** : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित समय में देश में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका माप चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान की कीमतों पर की जाती है।
- आन्तरिक ऋण** : भारत में जनता से लिए गए नियमित कर्जे, आन्तरिक ऋण होते हैं, इसे "भारत में लिया गया ऋण" भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- एम-3** : यह व्यापक मुद्रा है जिसे जनता के पास मुद्रा, मांग-जमा और बैंकों में सावधि जमा तथा अन्य भारतीय रिजर्व बैंक में जमा मुद्रा, के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- मुख्य शीर्ष** : लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष** : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिए गए हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत "001" से प्रारंभ होते हैं।
- नई सेवा** : का अभिप्राय नई नीति निर्णय जो पूर्व में संसद के संज्ञान में न लाया गया हो, से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है, जिसमें एक नई गतिविधि या एक नए निवेश का तरीका शामिल है।
- सेवा का नया साधन** : वर्तमान गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक वृहत व्यय।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2008-09

- मूल अनुदान** : किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
- प्रारंभिक घाटा** : राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा आ जाता है। इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके अब्याजी व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है।
- लोक लेखा** : भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न 'ऋण' से संबंधित लेन-देन शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रणीत किए जाते हैं।
- लोक ऋण (भारत का)** : भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
- पुनर्विनियोजन** : इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
- आरक्षित धन** : यह मौद्रिक आधार है। यह सरकार को भा.रि.बैं. के निवल क्रेडिट, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावों, वाणिज्यिक क्षेत्र में भा.रि.बैं. के क्रेडिट, भा.रि.बैं. का निवल विदेशी विनिमय, लोक लेखे में सरकार की मुद्रा देयता में घटा भा.रि.बैं. की निवल अमौद्रिक देयताओं की राशि है।
- राजस्व घाटा** : यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर है।
- राजस्व व्यय** : यह सरकार के सामान्य संचालन, अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि करने के लिए है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए बनाए गए हों।
- राजस्व प्राप्तियां** : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
- स्टॉक** : स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।

- अनुपूरक अनुदान** : यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेंगी।
- बचत का अभ्यर्पण** : केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में बचतों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।
- टैप खजाना बिल** : 91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।
- खजाना बिल** : खजाना बिल ऐसे साधन है जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अल्प अवधि कर्ज को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं।
- बचत** : जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती है।
- दत्तमत्त अनुदान** : अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।

